राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक—6] दसवीं विधान सभा के छठे सत्र का दूसरा दिवस [संख्या : 2

शुक्रवार,

8 मार्च, 1996

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री सुखलाल सेणचा।

बस्सी चक (जयपुर) पर संचालित शराब की दुकान

1. **श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) :** क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस्सी चक बस स्टैण्ड (जिला जयपुर) के पास स्थित शराब की दुकान कब से चालू है?

(2) क्या इस दुकान का संचालन आबकारी नीति के अन्तर्गत है? यदि नहीं, तो यह दुकान किस नीति के अन्तर्गत चल रही है?

(3) क्या इस दुकान को बन्द करवाने सम्बन्धी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो यह दुकान स्थायी रूप से कब तक बन्द कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, आबकारी (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग, बस्सी चक (बस स्टैण्ड) के पास वर्ष 1995-96 में कोई मदिरा की दुकान स्वीकृत नहीं की गयी है।

(2) उक्त दुकान वर्ष 1995-96 में स्वीकृत ही नहीं है, तो वहां दुकान चलने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(3) हां। शिकायत की जांच करवाने पर शिकायत में अंकित तथ्य सही नहीं पाये गये।

श्री सुखलाल सेणचा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पूरे राजस्थान के अन्दर ही यह हालत हो रही है कि शराब का ठेका स्वीकृत कहीं का हो रहा है और दुकानें कहीं पर लग रही हैं। एक-एक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर डेढ़-डेढ़ सौ, दो-दो सौ आपकी दुकानें चल रही हैं, इससे दुकानों में भारी अव्यवस्था फैल रही है। बस स्टैण्ड पर ठेका होने के कारण लोगों में भारी आतंक मच रहा है। यह आबकारी विभाग की इन्क्वायरी गलत है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसकी पुनः जांच करवा कर आपको, हाउस को जो उत्तर गलत भेजा है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री भवानी जी जोशी।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : पिछले समय विधान सभा में भी मैंने निवेदन किया था, प्रश्न संख्या-1....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या कह रहे हैं आप? आप हाथ खड़ा कर रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे हैं?...(व्यवधान)

श्री भवानी जोशी : शराब की दुकानों के बारे में निवेदन करना चाह रहा था।

श्री अध्यक्ष : बोलो ना आप।

श्री भवानी जोशी : मेरे क्षेत्र, बांसवाड़ा क्षेत्र में...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : यह होली की राम-राम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बोलने दें, अभी आये ही हैं।

श्री भवानी जोशी : एक-दो शराब की दुकानें हैं उनके बारे में कई बार वहां के जिलाधीश महोदय को भी शिकायत की है, वहां के जन प्रतिनिधि भी मिले हैं, लेकिन आज तक शराब की दुकानें बन्द नहीं हो पायीं उसी के बारे में कह रहा था।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री परसादी लालजी।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, एक पर्टिकूलर जगह का सवाल किया गया है। मेरा भी लालसोट जाने का रास्ता उधर से ही है। विभाग ने जो जानकारी दी है, मंत्री जी, आपको बिल्कुल गलत दी है। वहां पर दुकान हमेशा लगी रहती है। यह सवाल लगा जब उस बोर्ड को पोंछ दिया, बोतलें हटा दीं। यह सही बात है कि वहां पर दुकानें लगातार चल रही हैं। ऐसी अवैध दुकानें जब किसी सवाल को लगाते हैं तो बन्द कर लेते हैं। सवाल गया, दुकानें वापस आ जाती हैं। आपके विभाग की मिलीभगत के कारण, अधिकारियों की शह से यह अवैध दुकानें हर जगह हैं। चाहे किसी भी नेशनल हाई-वे पर चले जाइये, सैकड़ों दुकानें आपको मिलेंगी। विभाग जब आपको जवाब देता है तो इससे यह तो पूछिये कि यह दुकानें चलती हैं जब ही तो यह शिकायत हुई है। बिना दुकान चले तो, मंत्रीजी, यह सवाल ही नहीं पूछा जाता। इसलिए दुकान अब बन्द हो गयी, जैसा आप कह रहे हैं, क्या भविष्य में भी यह बन्द रहेगी। इसके लिए अधिकारियों को पाबन्द करेंगे ?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सदन में कई बार माननीय सदस्यों ने उठाया और इस चिन्ता को देखते हुए राज्य सरकार ने भी इसको गम्भीर माना और विशेष रूप से एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, सम्बन्धित क्षेत्र के विधायक और जिला आबकारी अधिकारी हैं। पहले सारी शिकायतें कमिश्नर स्टेज पर जाती थीं और उसमें राज्य सरकार को लम्बा समय लगता था। उस प्रक्रिया और समय को कम करने के लिए इन चार व्यक्तियों की हर जिला स्तर पर कमेटी बना दी गयी। जो सम्बन्धित क्षेत्र के विधायक हैं उनको खास तौर से उस कमेटी में रखा गया है। उस कमेटी के अन्दर कोई भी प्रार्थना पत्र जाता है तो उसकी नियमित रूप से जिला स्तर पर बैठक होती है...

श्री परसादी लाल मीणा : दौसा जिले में, जयपुर जिले में एक बार भी कलेक्टर ने...(व्यवधान)...विभागों की मीटिंग नहीं बुलाई है। आखिर दुकान हटाने के लिये क्या विधायक जायेगा वहां ? ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री परसादी लाल मीणा : आपका विभाग क्या करता है, मंत्री जी ! यह सवाल इसीलिये आया है कि वहां दुकानें चल रही हैं। पर्टिकूलर जगह का सवाल इसीलिये आया है कि वहां दुकानें चल रही हैं। ...(व्यवधान) आपके कलेक्टर ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय, विराजें आप। मंत्रीजी का जवाब आने दें आप। मंत्रीजी का जवाब आ रहा है। जवाब तो सुनें आप।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, जवाब यह गलत दे रहे हैं। यह जो कमेटी की बात कर रहे हो, यह कमेटी जो लाइसेंस की दुकानें हैं उनके स्थान के बारे में अगर कोई विवाद हो तो उसके लिये बनायी थीं। यह बिना लाइसेंस की दुकानों का सवाल है। इसके लिए कमेटी में कोई प्रोविजन नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तो विराज जायें।

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी तो गोल-मोल देते हैं जवाब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप विराज जायें। मंत्रीजी का जवाब तो सुनें आप।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी (नावां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बार-बार जिला सतर्कता समिति की बैठक में यह डिमाण्ड करते हैं कि यह गलत दुकानें लगी हुई हैं। उनको जांच करके हटवाया जाये। आज तक तो कोई कार्यवाही हुई नहीं, न कोई मीटिंग के अन्दर आपने कहा कि एम.एल.एज की कमेटी है। तो आज तक कोई बात करके इस तरीके से कोई मीटिंग बुलायी नहीं गयी है, न कोई दुकानें तय की गयी हैं। गलत जगह दुकानें लगा रहे हैं, ठेकेदार; धार्मिक स्थानों के पास में और दुनियां को लूट रहे हैं। इसलिये या तो मेहरबानी करके जैसे पहले आपने राज्य के अन्दर दुकानें खोल दी थीं, पूरी हर जगह खुली छूट दी थी। इस तरह से अब कर दो ताकि बीमारी तो नहीं रहे ना।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री रामस्वरूप जी बोल रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसी नेशनल हाइ-वे के ऊपर, जहां का यह प्रश्न है, मेंहदीपुर बालाजी पड़ता है, वहां पर शराब की दुकानें दुल्हन की तरह सजायी जा रही हैं। नेशनल हाई-वे के बगल में बड़े-बड़े बोर्ड लगाये जा रहे हैं जिन पर लिखा है भारी छूट दी जा रही है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस महान् तीर्थ स्थान पर दुकान खोलने की जो आपने अनुमति दी है उनको कब बन्द कर रहे हो ताकि इन महान् तीर्थ स्थानों पर इस प्रकार की बदमाशियां नहीं हों? चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, अत्याचार वहाँ पर बढ़ रहे हैं, बलात्कार भी हो रहे हैं वहाँ पर। इसलिये आप तुरन्त बन्द करवायें उन दुकानों को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तो बोल चुके ना। आप विराजिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 12 पर मेरा क्षेत्र निवाई है वहाँ हर दो माइल के ऊपर शराब की इल्लीगल दुकानें खुली हुई हैं। यह सबकी जानकारी के अन्दर है। कई बार इसका प्रश्न उठ चुका है और हमने निवेदन किया है। निवाई में खास तौर से स्कूल के ऐन सामने, मन्दिर से सटा हुआ हरिजनों का मोहल्ला है वहाँ दुकान खुली हुई हैं। इसके बारे में कई बार कहा गया था लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी। (व्यवधान) आप भी बोल लेना।

श्री बनवारी लाल बैरवा : हमको यह आश्वासन दिया गया था कि इस मामले को

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

चैक किया जायेगा कि कहाँ दुकान खोलनी चाहिये और कहाँ नहीं खोलनी चाहिये। लेकिन आज तक कभी किसी ने न तो कोई मीटिंग बुलायी है, न पूछताछ की है। कभी आबकारी अधिकारी से जानकारी चाहते हैं तो दफ्तर के अन्दर कोई नहीं मिलता है। यह एक बड़ी भारी समस्या है। यह बहुत अपयशकारी बात है कि हमारे पूरे नेशनल हाई-वे के ऊपर शराब की अवैध दुकानें खुलें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्षजी, माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूँगा कि किन लोगों ने तो शिकायत की और जाँच किन अधिकारियों ने की ? जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की, जिनकी मिलीभगत से दुकान चला रहे हैं उन्हीं अधिकारियों ने जाँच की है या उससे कोई अलग की है ? एक बात।

दूसरा, माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि पिछले साल इन्होंने कोई कमेटी बनायी थी। माननीय अध्यक्षजी, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि कमेटी का सीमित अधिकार है। उसमें इल्लीगल दुकान को बन्द करने का कमेटी को कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ वह दुकानें जो आपके विभाग ने स्वीकृत कर दी हैं और आपके क्राइटेरिया में नहीं आती हैं, उन दुकानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने का है। उसके अलावा इस कमेटी, जो जिला स्तर पर बनी है, को कोई अधिकार नहीं है कि इस प्रकार की इल्लीगल दुकानों को वह रोक सके। इसलिए, मंत्री महोदय इस मामले में स्पष्टीकरण दें कि क्या शराब की दुकानों के सब मामले इस कमेटी में आ सकते हैं या तय कर सकते हैं और सरकार ने नई नीति जो बनायी है उस मामले में सरकार का क्या दृष्टिकोण है वह भी थोड़ा-सा बतायें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। यह शराब की दुकानें नेशनल हाई-वे के दो सौ मीटर दूर तक नहीं खोली जायेंगी, यह तो नियम है। नम्बर-दो, शराब की दुकानों पर किसी प्रकार का एडवरटाइजमेंट नहीं होगा और होर्डिंग्स नहीं लगेंगे। नम्बर—तीन, विशेष परिस्थितियों में ही एक्साइज कमिश्नर जो विभाग द्वारा स्वीकृत दुकानें हैं उनके अलावा एकाध की स्वीकृति दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाई-वे नं.11 पर कम से कम दस दुकानें ऐसी हैं और एक्साइज कमिश्नर ने अपना विशेष परिस्थिति वाला जो अधिकार है उसको जनरल कर दिया। सिकन्दरा रोड पर अधिकृत दुकान है उसकी सब दुकान खोल दी बालाजी मोड़ पर। टोडाभीम की दुकान की सब दुकान खोल दी पाटोली पर। महुआ में तीन दुकान खोल दीं। महुआ की एक सब दुकान खोल दी राहथड़िया पर। एक दुकान हलेना पर खोल करके दूसरी छोकरवाड़ा मोड़ पर खोल दी फिर बोर्डर पर ऊंचे नगला पर दुकान खोल दी। मेरे यहाँ अनधिकृत दुकान सलंगपुर थाने में इंगलिश की खोल दी और एक हिण्डौन महावीरजी रोड़ पर बिल्कुल जंगल में खोल दी। जहाँ कोई आबादी नहीं है। देवली मोड़ पर एक दुकान चल रही है। प्राक्कलन समिति में हमने एक्साइज कमिश्नर महोदय को एक्जामिनेशन के लिए बुलाया, उनका ध्यान आकर्षित किया। वह वायदा करके गये कि इस प्रकार की सब दुकानों को बन्द कर दिया जायेगा। अध्यक्ष

(श्री हरिसिंह)
महोदय, विभाग की और ठेकेदारों की मिलीभगत हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट में आदेश भी ठेकेदार देते हैं और काम भी वही कर रहे हैं और आज तक वह दुकानें कोई भी बन्द नहीं हुई हैं। कम से कम 20 दुकानें राजस्थान में इंगलिश शराब की अनधिकृत चल रही हैं। विभाग के अधिकारी पैसा लेकर यह सब—

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : शराबबन्दी ही क्यों नहीं लागू कर देते, किस्सा ही खत्म हो जाय सारा।

श्री अध्यक्ष : महेन्द्र कुमार जी।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, इसड़ा मोड़, घूमड़ा मोड़ और बालाजी मोड़ जहाँ हजारों लोग बाहर से आते हैं वहाँ भी अवैध दुकानें चल रही हैं। रोड़ से पाँच फीट के ऊपर ही होर्डिंग्स लगे हुए हैं। पहले भी इस मुद्दे को उठाया था। उनको बन्द किया जाय और उन अवैध दुकानों को हटाया जाय क्योंकि वहाँ गुंडागर्दी पनपती है और कई एक्सीडेण्ट भी इस वजह से हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : पारीक जी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न नीतिगत है। क्या ठेकेदार ठेका लेते वक्त विभाग द्वारा इस बात के लिये पाबंदित होता है कि जितनी दुकानों के लिये उसको लाइसेंस दिया गया है, उससे ज्यादा दुकानें वह नहीं खोलेगा? यह नीतिगत प्रश्न है बावजूद इसके भी नीति का उल्लंघन करते हुए जो ठेकेदार नार्म्स से अधिक दुकान खोलता है उसके लिये सरकारी स्तर पर उनको पैनेलाइज करने का कोई नियम है क्या? यदि नियम हैं तो आज तक ऐसी जितनी भी दुकानें खुली पायी गयी हैं उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैया लालजी।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, बस्सी चक आगरा रोड़ पर जो यह दुकान खुली हुई है, करीब दस साल पहले से चल रही है और अभी भी आज की तारीख में यह चालू है। यहाँ इस रोड़ पर कानोता से लेकर बांसखो रेलवे स्टेशन तक करीब छह मौतें शराब पीने से हो चुकी हैं। पूर्व में भी इसके बारे में अनेकों शिकायतें की जा चुकी हैं लेकिन बड़े दुःख का विषय है कि आज तक इन दुकानों को नहीं हटाया गया। मैं, मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि बस्सी चक पर जो यह दुकान है, इस रोड़ पर दौसा से लेकर जयपुर के बीच में सबसे ज्यादा शराब इस दुकान पर बिकती है। यहाँ ट्रकों की लाइन लगी रहती है और दो-तीन बार बहुत भयंकर दुर्घटना इन ट्रकों के कारण हो चुकी है। एक मारूति वैन के एक्सीडेण्ट में दो व्यक्तियों की तो डैथ हो गयी थी ठेके के सामने ही। ठेके की दुकान के कारण यहाँ सांसी और कंजर फिराक में बैठे रहते हैं और लोग यह समझते हैं कि शराब पीने वाले हैं। कई बार यहाँ लोगों को बैठे-बैठे लूट भी लिया है तो मेरा यह निवेदन है कि इस दुकान को कब तक बन्द कर दिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष : अब तो काफी माननीय सदस्यों ने कह दिया है। मंत्रीजी।

श्री रतनलाल ताम्बी : नया सुझाव देंगे, साहब।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो दिल की बात कहना चाहता हूँ। आप भी नशाबन्दी के खिलाफ हैं और मैं तो पूरा खिलाफ हूँ ही।

श्री अध्यक्ष : नशाबन्दी के पक्ष में हैं।

श्री अमराराम चौधरी : जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, हमारे यहाँ डीजल के टैंकर चलते हैं, गाँधी धाम से बालोतरा के आसपास डेली एक-दो जो एक्सीर्डेट होते हैं, वह शराब के कारण होते हैं। आप शराब की दुकानें दुगुनी कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अखबार में पढ़ा। हमारे यहाँ तो शराब पीने के कारण डेली एक-दो एक्सीर्डेट होते हैं और यह डीजल के टैंकर इतने अंधाधुंध चला रहे हैं जिसके कारण हमेशा एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसलिये इस पर आप विचार करें और यह दुकानें कम करें।

श्री अध्यक्ष : ताम्बी साहब।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, शराब की बीमारी समाज में भयंकर हैं। शराबबंदी आवश्यक है। राजस्थान में प्रतिवर्ष शराब की आय में बढ़ोतरी हो रही है। एक ओर शराब की आय में बढ़ोतरी के कारण सरकार इस मामले में ध्यान नहीं दे पा रही है इस कारण कई घटनाएँ हर बार घटती हैं। अभी आपकी नीति-निर्देशों में यह है कि धार्मिक स्थान और विद्यालयों के आसपास शराब की दुकान नहीं हों पर, मैं समझता हूँ, राजस्थान में इसका आप आप सर्वे करवाकर देख लें, धार्मिक स्थानों और स्कूलों के आसपास बड़ी मात्रा में दुकानें चल रही हैं। आपने नीति-निर्देश जारी कर रखे हैं, इनकी अनुपालना क्यों नहीं होती ? उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं आप ? इस बीमारी का शराबबन्दी के अलावा कोई इलाज राजस्थान में नहीं हो सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, तेरहवें स्थान से पाँचवें स्थान पर हमारा राजस्थान आ गया। प्रगति अच्छी हो रही है। आय के स्रोत बढ़ रहे हैं। इस बीमारी को समाप्त करने के लिये यही रामबाण हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल गरासिया।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं शराबबंदी के विषय में बोलना चाहूँगा। मंत्री महोदय ने बताया कि एक कमेटी बनी हुई है। अभी साल भर पहले हाथीपोल में लम्बे समय तक उस दुकान को हटाने के लिये वहाँ आन्दोलन चला, धरने दिये। श्री शिवकिशोर जी सनाढ्य, मैंने, एस.पी. और कलेक्टर सबने कहा लेकिन उन्होंने उस दुकान को नहीं हटाया और गुण्डे बैठाकर उस दुकान को वापस खोला। इसी तरह मेरे क्षेत्र में जो टेकरी है वहाँ भी दुकान बन्द नहीं की है। दोनों दुकानों का सर्वे करा लिया जाये तो दोनों दुकानों के पास में मंदिर है। जैसी कि विभाग की पालिसी है, धार्मिक स्थान और स्कूल के पास नहीं खोली जाय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि इन दुकानों का सर्वे करा कर यदि वास्तव में वहाँ धार्मिक स्थान है तो कितने समय में इन दुकानों को बन्द करेंगे, यह भी जवाब में मंत्रीजी बतायें।

श्री अध्यक्ष : बहुत ज्यादा हो गया। सनाढ्य साहब। विराजें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जिस आदेश का मंत्री महोदय ने जिक्र किया, पिछले सत्र में उन्होंने कहा था कि हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं। वह गठन कर दिया, कमेटी बन गयी लेकिन कमेटी के लिए जो आदेश निकाला उसमें यह है कि

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

हम लोग जो बैठेंगे कलेक्टर, एस.पी. और एम.एल.ए., वह दुकान का आल्टरनेट बतायेंगे कि यहाँ दुकान बन्द करनी है तो दूसरी जगह कहाँ दुकान खोली जाय। इसीलिए एजीटेशन होता रहा जिसका अभी माननीय गरासियाजी ने जिक्र किया। हाथीपोल और कोलीवाड़े में असली बाजार की दुकान है जो बोरवाड़ी में है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। कलेक्टर और एस.पी. यही कहते रहे कि आप आल्टरनेट बता दीजिये, दूसरी दुकान दिला दीजिये। अगर एम.एल.ए. दुकान दिलाने लग जायेंगे तो कैसे काम चलना है। मैं चाहूँगा मंत्री महोदय अपने आदेश को पुनः देखने का कष्ट करें। एडी.एम. सिटी, एडिशनल एस.पी. सबने रिपोर्ट की है कि बन्द होनी चाहिये लेकिन वह आल्टरनेट पूछते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। सबके जवाब साथ ही आ रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, सवाल बड़ा इम्पार्टेंट है। सारे सवाल की खिचड़ी बना दी। मंत्री महोदय कितने जवाब देंगे? इनके याददाश्त के बस की बात नहीं है। कोई कम्प्यूटर तो हैं नहीं मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य बोलना चाह रहे हैं। इन्हें तो बोलने दें आप।

श्री मदनमोहन (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी स्कूल और धार्मिक स्थल हैं, बस स्टैण्ड हैं इनके ऊपर शराब की दुकानें खोलने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये और लाइसेंस दिया जाए तो शहर से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर ही दिया जाए। जिन गाँवों में लोग शराब की दुकान नहीं चाहते हैं, यदि 80 प्रतिशत नहीं चाहते और 20 प्रतिशत चाहते हैं तो उस गाँव में भी दुकान नहीं खोली जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। 25 सप्लीमेंट्री हो गये हैं पहले उनका जवाब तो आने दें आप। मंत्रीजी का जवाब सुनें पहले आप। आपने बहुत देर से हाथ ऊंचा किया था। एक बार मंत्रीजी को जवाब देने दें।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : आप तो शराबबंदी की घोषणा करा दो सारी समस्याएं हल हो जायेंगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : महिलाओं को तो बोलने दें।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, आबकारी) : अध्यक्ष महोदय, बस्सी बस स्टैण्ड की दुकान के बारे में दो शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई थीं। एक ग्रुप से पड़ौस वाले ग्रुप के ठेकेदार हैं, उन्होंने शिकायत की थी। बाबू खाँ एण्ड पार्टी से जो शिकायत की थी। दूसरी शिकायत महेन्द्र कुमार ने की थी। बाबू खाँ एण्ड पार्टी से जो शिकायत प्राप्त हुई, विभाग के अधिकारी गये, उसकी जाँच की और उसके बाद महेन्द्र कुमार की दुबारा शिकायत प्राप्त हुई तो महेन्द्र कुमार को तलाश किया गया क्योंकि उसका कोई पता नहीं था, सिर्फ महेन्द्र कुमार नाम लिखा हुआ था, उसके बावजूद भी विभाग के अधिकारी वहाँ गये और जाँच की। जाँच के समय वहाँ कोई दुकान चलती हुई नहीं पायी गयी। विभाग की ओर से प्रिवेंटिव फोर्स की पार्टीज बनायी हुई हैं। समय-समय पर जब भी कोई शिकायत विभाग को प्राप्त होती है तो प्रिवेंटिव फोर्स समय-समय पर वहाँ भेजी जाती है। धावों का आयोजन भी किया जाता और प्रतिवर्ष चार, पाँच हजार केसेज

(श्री अनंग कुमार जैन)

बनाये जाते हैं। इसलिये यह कहना कि राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब भी अवैध या अनियमित दुकान चलने के बारे में शिकायत प्राप्त होती है तो राज्य सरकार की ओर से विभाग के अधिकारी या जो प्रिवेंटिव फोर्स पार्टी है वह समय-समय पर जाकर वहाँ चैकिंग करती है। सतर्कता से उसकी चैकिंग करके धावे आयोजित करती है और जब कहीं कोई अवैध दुकान पायी जाती है तो उसके खिलाफ केस बनाये जाते हैं। अब उसमें कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी शंका जाहिर की कि कौनसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही की गयी? मौके पर जो व्यक्ति दुकान चलाता हुआ पाया जाता है, इसमें चूंकि पजेशन आर्फेस हैं इसलिये जो मौके पर मिलता है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। उस दुकान को बन्द भी करवाया जाता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिये आप। आप बात पूरी सुनें। कन्हैया लालजी, विराजिये।

श्री अनंग कुमार जैन : फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये दुकानें निश्चित रूप से बन्द हैं, फिर भी यदि कोई माननीय सदस्य जानना चाहे तो मैं अपने एडिश्नल कमिश्नर स्तर के अधिकारी को अभी तत्काल भेजने के लिए तैयार हूँ कि वे मौके पर जाकर जाँच करके आयें।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : दुकानें आज भी चालू हैं। वे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि दुकानें आज भी चालू हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : दुकानें वहाँ पर बिल्कुल बन्द हैं, कोई दुकान वहाँ पर नहीं चल रही है।

श्री परसादी लाल मीणा : आप कह रहे हैं बन्द हैं, माननीय सदस्य कह रहे हैं चालू हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : आप अपने आदमी को वहाँ पर भेजिये।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। यह क्या हो गया? आप पूरी बात सुनें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : माननीय सदस्य ने जो विपदा आपके सामने रखी है उससे अलग हटकर कहना चाहता हूँ। आपने अखबार में भी पढ़ा होगा इस शराबबन्दी के लिए कई बार टी.वी. पर आपने देखा होगा। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में खासकर यह विपदा बहुत ज्यादा है। सारे राजस्थान में है लेकिन खासकर वहाँ महिलाएं जुलूस निकालकर यह कहती हैं कि शराबबंदी होनी चाहिये। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पूरे सदन में आज यह जो वातावरण बना है इसको देखकर आप भी प्रभावित होंगे और चीफ मिनिस्टर साहब भी देख रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि अभी-अभी शायद घोषणा करूं। मेरे ख्याल में जैसे हरियाणा में 1 अप्रेल से सारे गाँव में शराबन्दी हो गयी है तो कम से कम यह कदम हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का ......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मन है और अभी घोषणा करेंगे क्योंकि इनको सारी जानकारी मिल गयी है। मैं आपके माध्यम से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी यह यश इनको लेना चाहिये। आने वाले चुनावों में उनको इस बात का लाभ मिलेगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि भाई लोग जो कह

(श्री हरिसिंह)

रहे हैं पहले तो इस सदन के जो माननीय सदस्य हैं उनसे प्रतिज्ञा-पत्र भरवा लें कि वे दारु न पीयें।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : "दारु नहीं पीयेंगे" करो सब प्रतिज्ञा आज ही कि अब कोई सदस्य दारु नहीं पीयेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि न आज तक पी, न पीऊंगा। करो प्रतिज्ञा। मैं करता हूँ प्रतिज्ञा।

श्री अध्यक्ष : आप यह प्रतिज्ञा क्यों कर रहे हो कि आज के बाद नही पीऊंगा। इसका मतलब पहले पी रहे थे क्या? आप विराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : "मैं कभी नहीं पीऊंगा", करो प्रतिज्ञा। किसी की हिम्मत हो तो कोई करो प्रतिज्ञा इस बात की। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। दूसरे प्रश्न भी लगे हुए हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगी, अभी जो यहाँ पर चर्चा का मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि जहाँ पर अवैध है उनकी जाँच हो जाती है और उसको हटा दिया जाता है, मेरा कहना यह है कि न केवल शराब की दुकानें बल्कि सब दुकानें जिनमें अवैध कोई संचालन हो रहा है, जिनकी कोई सीमा नहीं है, जिनकी शिकायत हो जाती है केवल उनकी ही जाँच हो पाती है शेष की कोई जाँच नहीं हो पाती है, मंत्री महोदय ध्यान दें, इन सब दुकानों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और बन्द किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दूसरा मेरा यह निवेदन है कि जो नियम बने हुए हैं, वे बहुत पुराने नियम हैं। शिक्षा शाला का अर्थ वहाँ विश्वविद्यालय माना जाता है जबकि आसपास में अब बहुत स्कूल खुल गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। मुख्य-मुख्य बात आ गयी हैं, स्कूलों के पास नहीं होनी चाहिए, यह बात आ गयी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उन शालाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिये, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक मिनट, मेरा यह भी निवेदन है कि केवल देवस्थान के मन्दिर रजिस्टर्ड हैं उनको ही मन्दिर माना गया है, शेष मन्दिर उनमें शामिल नहीं हैं। इन सबको देखकर मंत्री महोदय सदन को आश्वस्त करें कि वे इस सम्बन्ध में क्या नीति बनाने वाले हैं। शराबबंदी के बारे में उनका क्या निर्णय रहेगा? उत्तर दें।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, एक बात निवेदन करनी है। गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष : अब इसको बन्द करिये, दूसरे प्रश्न भी लेने हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर विषय है। प्रति वर्ष इस सदन में...

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूँगी कि बजाय इसके कि वे—

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं बोल रही हूँ, मेरे को कहा गया है।

श्रीमती कमला : विधायकों या जनता से उनके सुझाव या उनकी परेशानियाँ पूछें, जिला स्तर से, कलेक्टर से, उनके अधिकारियों से एक समयबद्ध रिपोर्ट लें कि सरकारी नीति के विपरीत कहाँ-कहाँ पर इस तरह की दुकानें खुली हुई हैं और एक निश्चित तिथि तय कर दें कि हम फलां तारीख तक इस तरह की जो दुकानें खुली हुई हैं, उनको सतही तौर पर हटा देंगे, चाहे वे कायदे की हैं, चाहे बेकायदे की हैं। आप कम से कम वह तारीख तो यहाँ पर ऐलान कर सकते हैं। अगर शराबबन्दी का कोई कदम उठाने में बड़ी परेशानी है तो यह तारीख तो कम से कम तय करदी जाय। तमाम क्षेत्रों के अन्दर पूरे राजस्थान में चाहे बस स्टैण्ड हो, चाहे स्कूल हो, चाहे मन्दिर हो और चाहे आम रास्ते हों, उन सब जगहों पर खुले आम दुकानें खुली हुई हैं। आप एक तारीख निश्चित कर दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय कमला जी, विराजें। एक ही विषय पर, एक ही प्रश्न पर आधा घंटा हो गया है। दूसरे भी प्रश्न आने दें।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर विषय है, हर साल माननीय सदस्य इस बारे में बहुत चर्चा करते हैं लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। एक ही प्रश्न पर आधा घंटा हो गया है।

श्रीमती तारा भण्डारी : सुनें तो सही हमारी बात। आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिलाओं की बात नहीं सुनेंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, शराब पीने से जो उत्पात होता है उसका सारा उत्पीड़न महिलाओं और बच्चों को सहन करना पड़ता है।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : इस प्रश्न को स्थगित करें, यह हाउस का विचार है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी एक प्रश्न पर आधा घंटा हो गया है और भी माननीय सदस्यों के प्रश्न लेने हैं।

श्री अध्यक्ष : किशनारामजी, आप विराजें।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है। हमें अपनी बात कहने दें। अध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना ही निवेदन है कि आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और सारा उत्पीड़न महिलाओं और बच्चों को सहन करना पड़ता है, आज के इस अवसर पर हमारे मुख्य मंत्री महोदय को मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहती हूँ कि राज्य में आय बढ़ाने के साधन तो वे बहुत बढ़ा सकते हैं, हमारे मुख्य मंत्री जी इस मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं, इसलिए इस आय के साधन को निम्न मानकर इस शराब को चालू नहीं रखा जाये। आज से पूर्ण शराबबन्दी घोषित करने का संकल्प लिया जाय।

श्री गोपीचन्द (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस शराबबन्दी के लिए मैं भी अपना एक सजेशन देना चाहता हूँ सबसे अलग हटकर, **सबसे बढ़िया तरीका है। शराबबन्दी कितनी बार हिन्दुस्तान में की गयी लेकिन वह प्रैक्टिकल** रूप से शराबबन्दी नहीं हो सकी। आज सदन के अन्दर माननीय सदस्य शत-प्रतिशत यह चाहते हैं कि शराबबन्दी होनी चाहिये। न तो हिन्दू संस्कृति में शराब पीने की छूट है और

(श्री गोपीचन्द)

न ही मुस्लिम संस्कृति के अन्दर शराब पीने की छूट है बल्कि मुस्लिम धर्म में तो यहाँ तक लिखा गया है कि शराब की एक बूंद भी शरीर पर गिरे तो उस माँस के कतरे को अलग कर देना चाहिये। आज हाउस के अन्दर इस बात को सर्वसम्मति से तय कर दिया जाये कि कोई भी जन प्रतिनिधि, माननीय सदस्य शराब पीयेंगे तो उनकी सदस्यता समाप्त करदी जायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आज सरकारी तंत्र में तहसीलदार, अधिकारी, आई.पी.एस. अधिकारी (व्यवधान) आई.पी.एस., डी.जी., कोई भी अधिकारी यदि शराब पीता मिले, वह शराब पी रहा हो।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री गोपीचन्द : यह कानून हिन्दी और मुस्लिम संस्कृति...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। माननीय गोपीचन्द जी, विराजें।

श्री गोपीचन्द : सदन के माननीय सदस्य, आज सबके सब शपथ ग्रहण करके जायें।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गोपीचन्द जी, विराजें आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बाँदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जब राजस्थान के अन्दर समस्त दुकानें शाम को 7 बजे बन्द हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में शराब की दुकानों का निश्चित टाइम होना चाहिए। जब अन्य दुकानें 7 बजे तक खुलती हैं तो शराब की दुकानों का भी 7 बजे तक टाइम रखा जाय।

राजकीय चिकित्सालय, लाडनूं निम्बीजोधा व जसवन्तगढ़ के चिकित्सकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

2. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय, लाडनूं, निम्बीजोधा और जसवन्तगढ़ के चिकित्सकों के विरुद्ध गत तीन वर्षों में शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई थीं? यदि हाँ, तो कब-कब तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी?

(2) क्या यह सही है कि इन शिकायतों की जाँच में जो जाँच अधिकारी बनाये गये थे उन्होंने शिकायतकर्त्ताओं से पूछताछ नहीं की और न ही खुले रूप में जाँच की जिसकी शिकायत पूर्व में भी की गयी थी? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की?

(3) सरकार चिकित्सकों व गलत जाँच रिपोर्ट देने वाले जाँच अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किस प्रकार से, कब तक करने का विचार रखती है?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) लाडनूं, निम्बीजोधा, जसवन्तगढ़ के चिकित्सकों सम्बन्धी गत तीन वर्षों में प्राप्त शिकायतों का विवरण तथा उस पर कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(2) प्राप्त शिकायतों पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा जाँच करवाकर कार्यवाही की जाती है। लाडनूं क्षेत्र में सरकारी चिकित्सालय, लाडनूं, जसवन्तगढ़ की शिकायत की संयुक्त निदेशक (जोन) अजमेर से जाँच करायी गयी थी एवं अगस्त, 1994 में संयुक्त

12

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निदेशक (जोन) बीकानेर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डॉक्टर शंकरलाल द्वारा कमेटी बनाकर लाडनूं, जसवन्तगढ़, निम्बीजोधा **तीनों अस्पताओं** की जाँच करायी गयी थी। जाँचकर्त्ता द्वारा स्थानीय लोगों को बुलाकर उनके बयान लिये गये। जाँच में दोषी डॉक्टर रश्मि राजवंशी, कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) लाडनूं के विरुद्ध सरकारी आवास में सोनोग्राफी मशीन रखने पर एवं रोगियों से शुल्क लेने के कारण सी.सी.ए. नियम 16 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है एवं डॉक्टर सुरेन्द्र सिंह के विरुद्ध चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं एम.टी.पी. सम्बन्धी रिकार्ड संधारित नहीं करने के आरोप में नियम 16 सी.सी.ए. के तहत कार्यवाही की जा रही है।

(3) डॉक्टर रश्मि राजवंशी एवं डॉक्टर सुरेन्द्र सिंह के खिलाफ सी.सी.ए. नियम 16 के तहत कार्यवाही की जा रही है। जाँच अधिकारी द्वारा जाँच सही की गयी थी। अतः उनके **विरुद्ध कोई** कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट—1 देखें)

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, प्रश्न के भाग दो में मैंने यह स्पष्ट पूछा था कि जाँच अधिकारी ने शिकायतकर्त्ताओं से पूछताछ तक नहीं की और न ही खुले रूप से कोई जाँच की, इस बारे में मंत्री महोदय ने कुछ कहा नहीं। इसी सम्बन्ध में मेरे को पिछली बार जो उत्तर दिया गया था उसमें इन्होंने जाँच रिपोर्ट से सम्बन्धित कागजातों की जो प्रतियाँ दी हैं, उसमें किसी के बयान नहीं लिये गये। उन डॉक्टरों ने, जो अधिकारी थे, बुलाकर कह दिया कि हम फलां तारीख को आयेंगे, आप सब लोगों से चिट्ठियाँ लिखवा कर रखना। ये लोग रात को वहाँ गये और वहाँ खाना खाया, वहाँ रुके और सुबह वो लोग लेकर के आ गये। उनकी कापियाँ मंत्रीजी ने नहीं देखी हों, मेरे पास पड़ी हैं। जिनका शिकायत से कोई सम्बन्ध नहीं था, उन लोगों से पत्र लिखवा-लिखवाकर वे ले गये। न तो किसी का बयान लिया और न कोई मौका देखा।

दूसरी बात यह है, इन डॉक्टरों के बारे में आपने लिखा है कि रश्मि राजवंशी ने वहाँ सरकारी आवास में मशीन लगा रखी थी और लोगों से पैसा ले रही थी। तो वह कब तक चली? जब 94 की बात है, 96 तक वह वहाँ से हटी नहीं, वह मशीन चालू रही, आपके सामने जब यह रिपोर्ट 94 में आ गयी थी, उसके बाद आपने कब तक क्या किया? आपने यह कहा कि नियम 16 में कार्यवाही कर रहे हैं। क्या कार्यवाही की? आपने जब उसका स्थानान्तरण कर दिया, इसके बाद भी उन्होंने न तो वह मकान खाली किया और मशीन आज तक लगा रखी है। इस मामले में क्या आप दुबारा कोई अधिकारी से जाँच करवायेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि जाँचकर्ता ने वहाँ जाकर जो शिकायतकर्ता थे, उनके बयान नहीं लिये। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास वह सूची है, वहाँ जाँच अधिकारियों ने जाकर के जिन **व्यक्तियों से सम्पर्क किया और जिन लोगों ने अपने बयान दिये। अगर माननीय सदस्य** चाहेंगे तो मैं उनके **बयानों की प्रति आपको भी** दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह जिस डॉक्टर रश्मि राजवंशी की बात कर रहे हैं, **उसके विरुद्ध** 14.6.94 को हमें शिकायत प्राप्त हुई। **शिकायत** प्राप्त होने के पश्चात् वही **जोइंट डायरेक्टर ने**

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जाकर जाँच की। जाँच के पश्चात् हम लोगों ने उसके विरुद्ध 16 सी.सी.ए. की कार्यवाही भी प्रारम्भ करदी, उसका स्थानान्तरण भी कर दिया। अब माननीय विधायक महोदय कह रहे हैं कि अभी तक सरकारी आवास में वह चिकित्सक रह रही हैं, तो निश्चित तौर पर मैं अतिरिक्त निदेशक स्तर के अधिकारी को भेजकर उस आवास को खाली करवाने के साथ-साथ क्या कार्यवाही की जानी सम्भव है, नियमानुसार वह सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत उत्तर दे रहे हैं। शिकायतकर्ताओं के किनके बयान हैं? आप पढ़कर सुनाइये। इन दोनों मामलों में शिकायतकर्ता मैं हूँ, मेरे को कोई इत्तला नहीं। बाद में जब मेरे को पता लगा, तब उसी समय मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी कि यह जाँच गलत हुई है और यह जाँच किसके सामने करायी। आपके सारे पत्र मेरे पास पड़े हैं। सारे पत्र आपने इकट्ठे कर लिये, इससे क्या सम्बन्ध था? ये सारे फूलछाप पत्र हैं और कुछ भी नहीं हैं। जब बैठे थे, सारे लिखा रहे थे डाक्टरों ने और वह आपको दिला दिये। 94 में आपको शिकायत की थी, उसका क्या हुआ? मेरा आपसे निवेदन है कि जिन अधिकारियों ने झूंठी जाँच रिपोर्ट दी है, उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे। दूसरी बात यह है कि जिन अधिकारियों से आप डॉक्टरों की जाँच करवा रहे हैं इस विषय में मेरा निवेदन है कि आप किसी प्रशासनिक अधिकारी से जाँच करवाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त निदेशक, निदेशक, अतिरिक्त निदेशक सभी स्तरों पर प्रशासनिक पदों पर चिकित्सक जो इस क्षेत्र में आते हैं...

श्री हरजीराम बुरड़क : जो यह सौ रुपये ले रहे हैं, पहले पाँच रुपये लेते थे, उनसे आप जाँच करवा रहे हैं।...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर संयुक्त निदेशक जाँच करते हैं, संयुक्त निदेशक चिकित्सक भी हैं। वे यह कहते हैं कि चूकि संयुक्त निदेशक चिकित्सक है, उसकी जाँच सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय ने 14 जून, 11 जुलाई और 23 जुलाई को पत्र लिख करके इन्होंने कुछ शिकायतें की थीं। इन्हीं की शिकायतों पर वहाँ जांचकर्ता गये थे और इनसे भी वहाँ सम्पर्क करने का प्रयास किया गया कि इनकी भी राय ले ली जाय। जब ये नहीं मिले तो इनको एक पत्र लिखकर, पत्र क्रमांक 94496 है, यह कहा कि आपको जब भी सुविधा हो, आप हमें समय बताइये ताकि आप भी अपनी बात कह सकें।

श्री हरजीराम बुरड़क : मेरे को तो लिखा नहीं, आपके पास होगा। मैंने उलटा लिखा आपको कि यह जाँच गलत कर रहे हैं। मैंने मुख्य मंत्रीजी को लिखा, उन्होंने आपके पास भेजा जाँच के लिये, उसके बाद आपने यह कार्यवाही की। आप बिल्कुल असत्य बात कह रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : एक कमेटी बनाकर जाँच करवा ल्यो, अ आ चावै है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, पहली बार जाँच मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नागौर ने की थी। चूंकि माननीय विधायक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय का यह कहना है कि यह जाँच जो हुई है वह सही नहीं हुई है, इसके बाद मैंने कमेटी बनाकर जाँच करा ली। इसके पश्चात् भी अगर कोई तथ्य हैं तो मेरे को कोई एतराज नहीं है। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने वास्तव में अनियमितता की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया। ध्यानाकर्षण पर अगर सरकार कोई कार्यवाही कर सकती है तो इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। कुछ कमियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आपका भी सहयोग है। आप और कोई बात बतायेंगे और इस बार, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक महोदय से कहता हूँ कि आप समय पहले निश्चित कर लें और मुझे सूचित कर दें, आप कहेंगे उस स्तर के अधिकारी को मैं पुनः भेज दूंगा, जाकर आपके क्षेत्र के तमाम तीनों चिकित्सालयों की जिस तरह की कमियाँ आप पाते हैं, जिस तरह की अनियमितताएँ आप पाते हैं, तीनों की विस्तृत जाँच हो जायेगी और सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, मेरे पास कोई नयी शिकायत नहीं है जो मैंने पहले की है, लोगों ने जो शिकायत की है, उन शिकायतों की जाँच आप प्रशासनिक अधिकारी से करवाना चाहते हैं या नहीं, पहले तो आप यह बता दीजिये? आप इन डॉक्टरों से जाँच करवायेंगे, वही जाँच आयेगी, उसमें कोई तथ्य आने वाला नहीं है। आपके विभाग में मैं प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, आप उनको लगाइये और जाँच करवाइये। आपने अस्पताल को धर्मशाला बना रखा है। वहाँ हॉस्पिटल में आपरेशन करते हैं और भर्ती प्राइवेट करते हैं वहाँ ले जा करके सुला देते हैं। पैसे उनसे लाखों महीने के वसूल करते हैं। जिस दिन शिकायत की जाँच करने कोई पहुँचेगा, वह पहले उन्हीं के पास जाएगा। वे कहेंगे वैसे ही रिपोर्ट लिखेगा। आप प्रशासनिक अधिकारी से जाँच करवाइये। उन्हीं शिकायतों की जाँच करवाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय की और वहाँ की जनता की ओर से जो शिकायत प्राप्त हुई है, उन्हीं के आधार पर इन चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। दोनों चिकित्सकों का स्थानान्तरण कर दिया गया है। उसके पश्चात् भी आप कहते हैं तो मैं आपको पुनः आश्वस्त करता हूँ कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी चीज को, किसी तथ्य को छिपाने की मंशा नहीं है। आप कहेंगे प्रशासनिक, पहले जोइंट डायरेक्टर और सी.एम.एच.ओ. दोनों की संयुक्त कमेटी बनी। अध्यक्ष महोदय, मैंने अजमेर के जोइंट डायरेक्टर से अलग से जाँच करवायी ताकि सारे तथ्य सामने आ जाएं।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, जब आपके विभाग में आई.ए.एस., आर.ए.एस. अधिकारी भी हैं, आप उनसे क्यों नहीं करवाते जाँच।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : इसका मतलब यह हुआ कि कोई ईमानदार है ही नहीं। एक डिपार्टमेंट की इंक्वायरी दूसरे डिपार्टमेंट से करवायेंगे तो प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलेगी? अब आप ऐसा समझते हैं कि चिकित्सा विभाग में डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर में से कोई ईमानदार नहीं है। आप उनमें से किसी को बता दें, उसी से जाँच करवा लें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री हरजीराम बुरड़क : जाँच हुई है नहीं तो...(व्यवधान) फिर आपने आई.ए.एस.,

(श्री हरजीराम बुरड़क)

आर.ए.एस. को यहाँ रखा क्यों, जब इस विभाग को जरूरत ही नहीं उनकी? मैं उन्हीं विभाग के अधिकारी की कह रहा हूँ। आपके यहाँ आर.ए.एस. भी हैं, आई.ए.एस. भी हैं, उनमें से करवा लीजिये किसी से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप ऐसा समझते हैं कि किसी जोइंट डायरेक्टर ने या डिप्टी डायरेक्टर ने जाँच में पक्षपात किया है तो इसी विभाग का कोई सीनियर डायरेक्टर हो तो उसको बता दीजिये, नाम से बता दीजिये, उसी को इंक्वायरी में लगा देंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैंने उसी समय शिकायत कर दी थी कि जाँच गलत हुई है। आपको लिखा, आपने इनको लिखा। उसके बाद भी यह हालत है कि दोबारा जाँच हुई, वह वहीं से हुई, जहाँ पहले हुई।

डॉ. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय विधायक ने कहा, निश्चित रूप से जो रेफरल हॉस्पिटल स्तर पर मेडिकल फेसिलिटीज है, उनको भारी धक्का पहुँच रहा है। इसका मुख्य कारण यह हो रहा है कि उसके लिए डॉक्टर को निश्चित रूप से रेस्पोंसिबल ठहराया जा रहा है। उसकी गलतियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया और उसमें मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज को ले लिया। मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी, सर्वोच्च संस्था है। लेकिन क्या भारत जैसे देश में जहाँ लाखों क्वैक्स बैठे हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या क्वालीफाइड डॉक्टर, अडवानी जैसे डॉक्टर या जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जो डॉक्टर हैं, वह तो इस कानून के अन्तर्गत आ सकते हैं लेकिन हजारों लाखों क्वैक्स नहीं आयेंगे? दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून से अब अंतिम समय तक कोई डॉक्टर मरने वाले बीमार के लिए नहीं लड़ेगा। मैंने देखा है जब पेशेंट डाइंग होता है तो डॉक्टर लोग...

श्री अध्यक्ष : यह एक दूसरा विषय है, आप विराजें।...(व्यवधान) यह विषय दूसरा है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : यह मैंने मेरा एडिशनल दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें, डॉक्टर साहब, विराजें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : मेरा यह निवेदन है कि लाडनूं से आने वाले सदस्य चाहते हैं कि आई.ए.एस. अफसर, जो आपके यहाँ जोइंट डायरेक्टर है, श्री रामलुभाया से यह जाँच करवा दीजिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : इसका उत्तर तो दें मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने कह दिया है ना। आप कहेंगे उससे करा देंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : उत्तर दे रहे हैं मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष : आपको और कुछ कहना है क्या?

श्री हरजीराम बुरड़क : कोई डिप्टी सैक्रेटरी हो या कोई भी हो आपका उससे करा दें।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने कह दिया कि बड़े से बड़े आफिसर जिसको आप चाहेंगे उससे करा देंगे। यह कह दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, पिछले एक वर्ष में जो हमारे पास शिकायतें

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आयीं, उन शिकायतों के आधार पर हमने एक सैल कायम कर रखा है। अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट शासन सचिव जो हमारे विभाग के हैं उनकी अध्यक्षता में एक सैल है। एक ज्वाइंट डायरेक्टर इसी कामके लिए मुख्यालय पर बैठते हैं कि क्या शिकायत हुई, क्या जाँच हुई और जाँच में क्या प्रगति हुई। पिछले एक वर्ष में हमने 52 चिकित्सा अधिकारियों को निलम्बित किया और जाँच करने के पश्चात् 17 सी.सी.ए. में 80 चिकित्सा अधिकारियों और पैरा-मेडिकल स्टाफ के खिलाफ कार्यवाही की। 16 सी.सी.ए. में 218 के खिलाफ कार्यवाही की। मेरे कहने का आशय यह है, अध्यक्ष महोदय, कि यह निश्चित तौर पर जनजीवन से जुड़ा विषय है। शिकायतें भी प्राप्त होती हैं और जाँच भी होती है। हमारे माननीय खेतसिंह जी ने कहा है कि अगर आप चाहेंगे तो हमारे जो प्रशासनिक पदों पर बैठे हैं उनमें से किसी भी योग्य अधिकारी को पुनः भेज देंगे, किन्तु, अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा कि विधायक महोदय फिर नहीं मिलेंगे। तीन चार बार जाँचकर्ता वहाँ पर गये हैं। फिर बाद में यह सवाल खड़ा होगा। इसलिए आप पहले सुनिश्चित कर लें कि आप वहीं रहेंगे फिर निश्चित रूप से कोई प्रशासनिक पद पर बैठा अधिकारी वहाँ चला जायेगा।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री हरिसिंह जी।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, हम हाथ खड़ा करते हैं, आप देखते ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : देखता हूँ मगर आपकी जरूरत नहीं है इस प्रश्न पर।

श्री रिछपाल सिंह : पहले प्रश्न में भी मैं नागौर जिले के बारे में कुछ बात कहना चाहता था।

श्री अध्यक्ष : वह तो सिर्फ बस्सी की बात हो रही थी और 40 माननीय सदस्य बोल चुके हैं। आप विराजिये। मैं आपकी तरफ पूरा देख रहा हूँ। श्री हरिसिंह जी।

श्री रिछपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बुरड़क जी के प्रश्न से ही सम्बन्धित है। हमारे जिले में एक कुबेरा ग्राम है जहाँ एक डॉक्टर श्री टी.सी. बड़जात्या है जो पागल है। पूरी तरह पागल है और विजिलेन्स में भी उसके खिलाफ लिखा है राज्य सरकार को, पर वहाँ से वह नहीं जाता है। रास्ते चलते आपरेशन किये हैं उसने लोगों के। रास्ते में आपरेशन करता है वह चलते-चलते।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्रीजी से मिलकर बात कर लें।

श्री रिछपाल सिंह : बात क्या कर लें ? शिकायतें लिखी हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये मिर्धा साहब !

एक माननीय सदस्य : आगरा भेजो उसको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आज ही इसको दिखवा दूंगा। वास्तव में यह कह रहे हैं कि चिकित्सक पागल है तो मैं दिखवा लूँगा।

श्री रिछपाल सिंह : पागल हो चुका है। एक बार नहीं बीस बार हो चुका है और रास्ते चलते आपरेशन किये हैं उसने।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, श्री हरिसिंह जी।

जिला दौसा में सम्पर्क सड़कों पर व्यय

3. **श्री हरिसिंह (महुआ), श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) व श्री हीरालाल (वामनवास)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) अधिशासी अभियन्ता, दौसा को जिला विकास अभिकरण दौसा द्वारा विगत तीन वर्षों में सम्पर्क सड़कें बनाने के लिए कितनी धनराशि दी गयी? विगत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अधिशासी अभियन्ता दौसा द्वारा किस-किस सम्पर्क सड़क पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अधिशासी अभियन्ता, दौसा द्वारा जिन सम्पर्क सड़कों पर कार्य करवाया गया उनकी अलग-अलग तखमीना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सम्पर्क सड़कों का तखमीना के अनुसार कार्य नहीं होने की सरकार जाँच करवाने का विचार रखती है?

राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन (श्री अनंगकुमार जैन) : (1) सार्वजनिक निर्माण विभाग, दौसा को जिला विकास अभिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में सम्पर्क सड़क निर्माण कार्य हेतु विगत 3 वर्षों में दी गयी राशि का विवरण निम्न प्रकार है : —

1993-94	13.49 लाख रु.
1994-95	51.215 लाख रु.
1995-96	178.11 लाख रु.
कुल	242.815 लाख रु. (5.3.96 तक)

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग, दौसा के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जिला विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों पर विगत 3 वर्षों में व्यय की गयी राशि का विवरण निम्न प्रकार हैं : —

1993-94	15.38 लाख रु.
1994-95	44.98 लाख रु.
1995-96	134.43 लाख रु.
कुल	*194.79 लाख रु. (फरवरी, 96 तक)*

(3) अधिशासी अभियन्ता, दौसा द्वारा जिला विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत विगत 3 वर्षों में जिन सड़कों पर कार्य करवाया गया उनकी सूची प्रपत्र "क", "ख", "ग" पर संलग्न हैं एवं उपलब्ध तखमीना रिपोर्ट भी संलग्न है।

(4) जिला विकास अभिकरण द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति की पाँच-पाँच सड़कों की जाँच का कार्य अपने स्तर पर किया जा रहा है, उन सड़कों की सूची प्रपत्र "च" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, वैसे जवाब तो देना चाहिए था सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को लेकिन वह नहीं हैं सदन में...

श्री अध्यक्ष : अस्वस्थ हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : और मुझे ऐसा लगता है कि अन्त में जाकर मुख्य मंत्रीजी को इसमें इन्टरवीन करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा। वर्ष 1995-96 में डी.आर.डी.ए., दौसा द्वारा सड़कों के लिए जो राशि स्वीकृत की गयी थी वह है 1 करोड़ 78 लाख 11 हजार। तो मुझे आप यह बता दें मेहरबानी करके कि इन सड़कों के

(श्री हरिसिंह)

लिए कब टेण्डर जारी हुए, कब स्वीकृत हुए और कब वर्क आर्डर जारी हुआ। नम्बर—एक।

आपने चूंकि इसमें यह कह दिया है कि पैसे का यूटिलाइजेशन हो गया है, अध्यक्ष महोदय, 1995-96 में जो राशि स्वीकृत हुई है उन सड़कों का आज तक कोई किसी प्रकार का काम प्रारम्भ नहीं हुआ है। तो यह उत्तर गलत आया है।

नम्बर—दो, इस साल और गत वर्ष और उससे भी पहले 3 साल के आंकड़े पूछे हैं मैंने। आप यह बता दें कि जो टेन्डर जारी हुए हैं वह कितने प्रतिशत अबव पर गये हैं या बिलो पर गये हैं? अध्यक्ष महोदय, जो मेरी जानकारी में हैं 1995-96 और 1994-95 में जो टेण्डर जारी किये हैं वहां अधिशासी अभियन्ता ने, आश्चर्यजनक रूप से यह 17 पर्सेण्ट और 18 पर्सेण्ट अबव हैं, न 19 हैं न साढ़े 17 हैं और न 16 हैं। वहाँ टेण्डर की कोई व्यवस्था है ही नहीं। वहाँ सिर्फ ठेकेदारों को बैठाकर पूल बना दिया जाता है और एक-एक का बटवारा कर दिया जाता है और सरकारी धन का दुरुपयोग होता है। खुले टेण्डर की प्रतियोगिता नहीं है।

मैं तीसरा प्रश्न और पूछना चाहूँगा और वह यह है कि सड़कें जो बनी हुई हैं वह बिलकुल जो उन्होंने एस्टीमेट दिया है उसके अनुकूल नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, घटिया हैं और ऐसे भी उदाहरण हैं कि जहाँ अकाल राहत कार्य में मिट्टी का काम हो गया और डी.आर.डी.ए. द्वारा वहीं सड़कों पर ग्रेवल रोड के लिये मंजूरी की गयी तो उसमें पुनः उस मिट्टी के काम का एस्टीमेट दे दिया गया, उस राशि का दुरुपयोग किया गया है तो आपने जो सड़कें बनायी हैं उसमें कितने का अर्थ वर्क हुआ है, वह ग्रेवल रोड है या डब्लयू.पी.एम.रोड है, क्या आप मौके पर उनकी जाँच करवाने के लिये तैयार हैं? मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी आई.पी.एस. या आई.ए.एस. अधिकारी से करवाइये, जिस एडिशनल चीफ के क्षेत्राधिकार में दौसा जिला पड़ रहा है आप मेहरबानी करके उसको जाँच देने की कृपा करें।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं निवेदन करूंगा कि वर्ष 1995-96 में कुल 51 कार्य मंजूर किये गये और 51 ही कार्यों पर काम प्रारम्भ हो चुका है। किसी पर कुछ काम हुआ है, किसी पर अधिक काम हुआ है। इन सब कार्यों के ऊपर कार्य प्रारम्भ हो चुका है। अब यह 51 कार्य तो 1995-96 के हैं, इसके अलावा 92 कार्य 1994-95 के हैं और 16 कार्य 1993-94 के हैं। इन सब कार्यों की सूची मैंने अपने जवाब के साथ माननीय सदस्य को प्रस्तुत की है और उसके अन्दर सारी डिटेल्स दी है कि कौनसी सड़क के लिए कितने लाख रुपये स्वीकृत हुए और क्या प्रगति हुई है।

दूसरा, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि क्या इन सड़कों के बारे में जाँच करवाना चाहते हैं तो स्वयं हमने माननीय सदस्य के कहने के पूर्व ही डी.आर.डी.ए. के स्तर पर यह निर्णय लिया....

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप दुरुस्त कीजिये, कमेटी हमने बनवाई। गवर्निंग कौंसिल ने कमेटी बनाई है लेकिन अफसोस यह है कि डी.आर.डी.ए. ने जांच करके नहीं दी।

श्री अनंग कुमार जैन : यह निर्णय गवर्निंग कौंसिल में ले लिया गया कि जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें प्रत्येक क्षेत्र के अन्दर पाँच-पाँच सड़कों के ऊपर जाँच करवाई जाये। उसके लिए कमेटी बनायी गयी और प्रत्येक क्षेत्र से पाँच-पाँच जगह को सलेक्ट किया गया और उनको लिपिबद्ध भी कर दिया गया कि कौन-कौनसी सड़कों की जाँच करवायी जायेगी। उनकी जाँच करवाने के बाद जो भी रिपोर्ट आयेगी उसके अनुसार माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी। माननीय सदस्य को मैं यह भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यदि माननीय सदस्य विशेष रूप से किसी सड़क या सड़कों के बारे में शिकायत करना चाहते हैं तो मुझे अभी तत्काल ही लिस्ट दें, मैं उस क्षेत्र के एडिशनल चीफ इंजीनियर लेवल के अधिकारी से उस सड़क के निर्माण के बारे में, उसके स्तर के बारे में, घटिया हुई या सही हुई या कौनसी सामग्री उसके अन्दर उपयोग की गयी डिटेल्ड जाँच करवा करके रिपोर्ट की एक कापी भी माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। यह मैं माननीय सदस्य को अपनी ओर से आश्वस्त करता हूँ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूं, हिण्डौन-टोड़ाभीम रोड़ से पंचायत मुख्यावास पावटा को जोड़ने के लिए डेढ़ किलोमीटर की ग्रेवल रोड़ बनी। एक लाख रुपया उसमें खर्च हुआ। पी.डब्लयू.डी. ने एस्टीमेट बना करके 4 लाख 80 हजार का दिया। तो इतनी धाँधली क्यों? जब आपका एस्टीमेट कुछ कहा रहा है और खर्च कुछ हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि एस्टीमेट्स दफ्तर में बैठकर आँख मींचकर बनाये जा रहे हैं।

मैं आपसे निवेदन करूँ, अध्यक्ष महोदय, जितनी भी सड़कें बनायी गयी हैं, अर्थ वर्क उनका 12 फीट से ज्यादा चौड़ाई का नहीं है। गाँव में सम्पर्क सड़कें हैं। उस पर चलने वाले ट्रैक्टर-ट्राली अगर चलेंगे तो दो किलोमीटर तक दूसरे ट्रैक्टर ट्राली इन्तजार करेंगे। बचाव का कोई रास्ता नहीं है। जबकि चौड़ाई 24 फीट होनी चाहिये और एस्टीमेट 24 फीट का ही दिया है। इसलिए सामान्य सी बात है, हम विशेष समय सदन का नहीं लेना चाहते हैं, एडिशनल चीफ से इंक्वायरी चाहते हैं क्योंकि डी.आर.डी.ए. के पास कोई सक्षम तकनीकी अधिकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह तो मंत्रीजी ने कहा ही है।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में ही निवेदन कर दिया है कि जो भी आप लिखकर देंगे उसकी निश्चित रूप से जाँच करवाऊंगा। अभी आपने जिस सड़क के बारे में कहा है उसकी जाँच करवाऊंगा मैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : डी.आर.डी.ए. के द्वारा स्वीकृत समस्त सड़कों में से एक पर भी स्टेण्डर्ड का काम नहीं है।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्निंग कौंसिल के माध्यम से जो तय किया गया है उन सड़कों की निश्चित रूप से जाँच करवायी जायेगी। हर क्षेत्र से पांच-पांच सड़कें ले ली गयी हैं और उसके अलावा माननीय सदस्य यदि किसी विशेष सड़क के लिए लिखकर देंगे तो मैं निश्चित रूप से जाँच करवाऊंगा। अभी जिस सड़क के बारे में आपने कहा उसकी भी जाँच करवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। पहले परसादी लालजी मूल प्रश्नकर्ता पूछ लें।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र बीजुपड़ा से कालेर तक एक सड़क है जिस पर तीन बार खर्चा हो गया...

श्री अध्यक्ष : आप सुनें। पहले मूल प्रश्नकर्त्ता हैं उनके तो प्रश्न आने दें।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी नहीं हैं और डी.आर.डी.ए. के मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। दौसा डी.आर.डी.ए. में सड़कें बनाने के लिए पैसा पी.डब्ल्यू.डी. को दिया। वहाँ का अधिशाषी अभियन्ता एक बार भी गवर्निंग कौन्सिल की मीटिंग में अपने आरोपों का जवाब देने नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय, आज अफसोस है कि हमने सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के लिए सवाल लगाया था और आज सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी नहीं हैं। दौसा जिले में एस्टीमेट के मुताबिक एक भी सड़क का काम नहीं हुआ है। आप किसी भी सड़क की जाँच करवा लीजिये, एक भी सड़क का काम एस्टीमेट के मुताबिक नहीं हुआ है। एस्टीमेट क्या है, इन्होंने पेमेंट किस रेट से उठाया। इन्होंने कई ठेके मोनोपोली करके नहीं दिये और मनचाहे ठेके दिये। डी.आर.डी.ए. का एक्स-ईएन एक बार भी गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग में नहीं आया। गवर्निंग कौंसिल ने यह प्रस्ताव लिया था कि कुछ सड़कों की जाँच करायी जाय। यह तो, मंत्रीजी, गवर्निंग कौंसिल का फैसला है, हम आपके फैसले का इन्तजार करना चाहते हैं। जितनी भी सड़कों का काम 1995-96 में हुआ है, आप उनकी एक-एक की जाँच करायें। उनकी तकनीकी रिपोर्ट के मुताबिक कि उनकी लम्बाई क्या है, उनकी चौड़ाई क्या है। उसके मुताबिक एक भी सड़क का काम नहीं हुआ है, यह हम चारों, पाँचों विधायकों का गवर्निंग कौन्सिल में आरोप है और इस पैसे का दुरुपयोग किया गया है। वहां के अधिशासी अभियन्ता ने पी.डब्लू.डी. मिनिस्टर को, उच्च अधिकारियों को पैसा पहुँचाने के लिए, अपनी पोस्टिंग वहाँ कराने के लिए इस पैसे का दुरुपयोग किया है। हम चाहते हैं कि आप एडिशनल चीफ या चीफ, किसी भी अधिकारी से जाँच करा लीजिये। एक भी सड़क का काम एस्टीमेट के मुताबिक नहीं हुआ है। 134 लाख रुपये जो आपने इस साल खर्च किये हैं, उनमें से 34 लाख रुपये का काम भी, मंत्रीजी नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल जी।

श्री परसादी लाल मीणा : काश्तकार के पैसे का इस तरह दुरुपयोग हो रहा है। यह तो अकेले दौसा में हो रहा है, दूसरी जगह की मुझे जानकारी नहीं है। जो सड़कें हमने दी हैं, चार-पांच महीनों में, इस कमेटी का प्रस्ताव गवर्निंग कौन्सिल की मीटिंग में हो गया, आज तक एक सड़क की भी जाँच नहीं हुई है। जो गवर्निंग कौसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें 18.11 पर यह प्रस्ताव लिया था। आपकी जो कमेटी बनी, एक भी सड़क की जाँच के कागजात एक्सईएन. ने उस कमेटी को आज तक नहीं दिये हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि इस पैसे के दुरुपयोग को रोकने के लिए मंत्रीजी यहाँ से कोई कमेटी गठित करके प्रत्येक सड़क की जांच करवायेंगे कि उसका एस्टीमेट के मुताबिक काम हुआ या नहीं हुआ, ठेके से हुआ या विभागीय हुआ, कैसे हुआ?

श्री अध्यक्ष : हीरालाल जी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि यह तो सर्वविदित है कि पीडब्लूडी. के जेईएन., एईएन., एक्सईएन. का कमीशन बंधा हुआ है और कमीशन की दर एक्सईएन. की तीन प्रतिशत है। मैं यह कह रहा हूँ कि दौसा के पीडब्ल्यूडी. के एक्सईएन. ने 8 प्रतिशत कमीशन ठेकेदारों से लिया है और यह कहकर लिया है कि मुझे ऊपर सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को देना पड़ता है। और इसलिये यह काम घटिया स्तर का हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सही बात है। वहाँ पर हर कोई एक्सईएन. कहता है कि हमें मंत्रीजी तक पैसा पहुँचाना है इसलिए (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसलिए सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी के नाम पर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : जिस तरह का माहौल दौसा में है, एक्सईएन. गवर्निंग कौन्सिल की एक भी मीटिंग में नहीं गया क्योंकि मंत्रीजी की छत्रछाया उस पर है। एक भी सड़क की जाँच इसलिए नहीं हुई कि वह मंत्रीजी को कमीशन दे रहा है।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने कह दिया है कि एडीशनल चीफ इंजीनियर से जाँच करवा लेंगे। बिराजिये आप। आपने जो एडीशनल चीफ इंजीनियर से जाँच कराने की माँग थी उससे वह जाँच करा लेंगे। बैठिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक सड़क को तीन बार (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु जी मोदी।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय सभी जिलों के जांच करवायी जाय।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि एक सड़क को पहले 1994 में अकाल में बनाया गया, उस पर 34 लाख रुपये खर्च किये गये, उसके बाद बीजुपड़ा से कालेर तक की सड़क को सुनिश्चित रोजगार योजना में बनाया गया और अब सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है, इस प्रकार 32 लाख की सड़क पर 72 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं और अभी तक सड़क नहीं बनी है।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजें।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन है कि प्रश्न संख्या 3 में चार माननीय सदस्यों ने डी.आरडी.ए. के द्वारा निर्मित सम्पर्क सड़कों के विगत तीन वर्ष के बारे में प्रश्न उठाया है और गवर्नमेंट के उत्तर को चैलेंज किया है, जो काम हुआ उसको चुनौती दी है और माननीय मंत्रीजी कहते हैं कि लिखकर दें। लिखकर क्या देंगे? विगत तीन वर्ष के पूरे काम को चुनौती दी गयी है। मुख्य मंत्रीजी, यह आपके लिए विचारणीय विषय है। पूरे जिले के विगत तीन साल के काम और जिसमें ऊपर तक के नाम आये हैं, मैं नहीं कहता कि किसके आये लेकिन ऊपर तक के नाम आये हैं, आप विगत तीन साल के काम की जांच करवा लीजिये आपके एडीशनल चीफ इंजीनियर से। इसमें आपको दिक्कत क्या है? वहाँ एईएन., एक्सईएन. बैठे हैं वे तो मीटिंग में जाते नहीं हैं, डी.आरडी.ए. कोई नोटिस लेता नहीं है इसलिए मजबूर होकर इस प्रश्न के द्वारा इस बात को उठाया गया है। विगत तीन साल की सड़कों को चुनौती दी गयी है और जिम्मेदारी के साथ दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। यह पहले ही कह दिया है। आप विराजें। आपने कहा कि एडीशनल चीफ इंजीनियर से जाँच करवा लूंगा। आप बता दीजिये कि किन सड़कों की करवानी है।

श्री रामनारायण चौधरी : पहले तो मंत्रीजी ने कह दिया कि लिखकर दें। लिखकर क्या दें? विगत तीन साल में डी.आर.डी.ए. के द्वारा जो लिंक रोड़ बनायी गयी है उसमें भारी घपला हुआ है। फेमिन वर्क्स है उस काम को इसमें शामिल कर लिया गया एस्टीमेट में, और उस हिसाब से डी.आर.डी.ए. पैसे डकार गया।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है कि डी.आर.डी.ए. की सड़कें जो नगर परिषद् गंगानगर द्वारा बनायी जाती हैं उनमें 26 प्रतिशत कमीशन कलेक्टर ने जमा करवाया। 26 प्रतिशत कमीशन कलेक्टर ने जमा करवाया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बात हो गयी है। आप विराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : 26 प्रतिशत कमीशन गवर्नमेंट के खजाने में ठेकेदारों से कलेक्टर ने जमा करवाया लेकिन आज तक उस भ्रष्टाचार की जाँच नहीं हुई। यह बहुत भयंकर मामला है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जाँच की घोषणा करें। सामान्य-सी बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय का उत्तर काफी स्पष्ट है कि गवर्निंग कौन्सिल में जिन सड़कों की जाँच कराने के बारे में निर्णय लिया है उन सड़कों की जाँच शीघ्रातिशीघ्र हो, इस बात की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जायेगी।

दूसरा, इस गवर्निंग कौन्सिल की जाँच से यह पता लगा कि डी.आर.डी.ए. ने जितना भी दौसा डिस्ट्रिक्ट में काम किया है, इन सड़कों के आधार पर, इनमें किस प्रकार की अनियमितताएं पायी जाती हैं, यदि इनमें अनियमितताएं पायी गयीं तो मैं आपको विश्वास से कहता हूँ कि हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, पूरे जिले में इस प्रकार की सड़कें हैं उन सब की जांच करवा लेंगे।

तीसरा, माननीय हरिसिंह जी ने यह कहा कि एक इंजीनियर ने कहा कि पैसा ऊपर तक जाता है। मैं चाहूंगा कि हरिसिंह जी उस इंजीनियर का नाम बता दें ताकि मैं उसकी जांच करवा लूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैंने नगर परिषद् के अध्यक्ष का नाम लिया है। 26 प्रतिशत सहभागी योजना में सरकार ने पैसा जमा कराया है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि डी.आर.डी.ए. के पास कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हैं, इसकी जाँच उसके अनुसार नहीं हो पायी इसलिए हमने आपसे अनुरोध किया था कि आप एडीशनल चीफ इंजीनियर से ही जाँच करवा लें। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जाँच की बात कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जाँच में कोई कोताही नहीं बरती जायेगी। आखिर सरकार का पैसा है, यह इंजीनियर्स खा जायं इसकी जिम्मेदारी हमारी भी है, आपकी भी है। हम उसकी पूरी निगरानी करेंगे और पूरी अच्छी तरह से उसकी जाँच

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कराऊंगा और जाँच कराने के बाद में दोषी होगा तो किसी को भी नहीं बख्शेंगे।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य ने मंत्रीजी पर चार्ज लगाया है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : डी.आर.डी.ए. ने तहसील वाइज जिन-जिन पाँच सड़कों को सलेक्ट किया है, आप उन्हीं की जाँच एडीशनल चीफ इंजीनियर से करवा लें।

श्री सुरेन्द्र गोयल : आपको आपत्ति क्या है?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : + + + की तरह क्यों बोलते हो मेरे भाई?

श्री अध्यक्ष : आप विराज जायं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : सरकार का पैसा है उसका सदुपयोग होने दो।

श्री अध्यक्ष : आप विराज जायं, विराज जायं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप + + + तरफदारी क्यों कर रहे हो?

श्री अध्यक्ष : आप विराज जायं। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

केन्द्रीय परिवर्तित योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार द्वारा देय राशि

1. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार को केन्द्रीय परिवर्तित योजनाओं तथा विभिन्न कार्यक्रमों हेतु केन्द्र सरकार राशि देती है? यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 व 1995-96 में किन-किन योजनाओं तथा कार्यक्रमों हेतु राज्य सरकार को किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि दी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु दी गई राशि का दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार उसी मद एवं कार्यक्रम में व्यय किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त वर्षों का योजनावार, वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने वर्ष 1995-96 में विभिन्न योजनाओं हेतु 1132 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं? यदि हां, तो यह राशि किन-किन योजनाओं हेतु स्वीकृत की गयी एवं कितनी-कितनी राशि फरवरी, 1996 तक किस-किस मद एवं कार्यक्रम पर खर्च की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, मरु विकास योजना तथा एकीकृत ग्रामीण विकास आदि योजनाओं हेतु 493 करोड़ की राशि दी गई है? यदि हाँ, तो इसमें से किस-किस

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

योजना/कार्यक्रम तथा मद पर फरवरी, 1996 तक कितनी-कितनी राशि का व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हाँ। प्राप्तियों की योजनावार वांछित सूचना संलग्न परिशिष्ट 'अ' के कालम सं. 2 एवं 4 पर उपलब्ध है।

(2) जी हाँ। व्यय की योजनावार वांछित सूचना संलग्न परिशिष्ट 'अ' के कॉलम सं. 3 एवं 5 पर उपलब्ध है।

(3) भारत सरकार ने 1995-96 में विभिन्न योजनाओं हेतु रु. 1132.00 करोड़ के स्थान पर रु. 1184.65 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है। उक्त राशि जिन योजनाओं हेतु स्वीकृत की गयी है, उन्हीं पर माह जनवरी, 96 तक कुल रु. 611.93 करोड़ व्यय किये गये हैं। विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' के कालम सं. 4 पर उपलब्ध है। व्यय के आंकड़े माह फरवरी तक देना सम्भव नहीं है।

(4) इन योजनाओं हेतु भारत सरकार से वर्ष 1995-96 में रु. 493.00 करोड़ के स्थान पर माह फरवरी, 96 तक रु. 290.03 करोड़ प्राप्त हुए हैं एवं इन योजनाओं पर माह जनवरी, 96 तक कुल रु. 283.91 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है : —

क्रम सं. नाम योजना	(रु. करोड़ों में) प्राप्त राशि (फरवरी96 तक)	व्यय राशि (जनवरी, 96 तक)
1- जँवाहर रोजगार योजना	138.50	124.07
2- सुनिश्चित रोजगार योजना	107.00	100.93
3- मरु विकास योजना	31.55	41.78
4- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12.98	17.13
योग	290.03	283.91

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बीकानेर की आवासन मण्डल की कॉलोनी में संचालित शराब की दुकान

2. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह **बताने की कृपा** करेंगे : —

(1) देशी एवं विदेशी **शराब की दुकानों** का ठेका किस-किस **निषेधात्मक स्थान से कितनी** दूरी पर दिये जाने के मानदण्ड हैं?

(2) क्या यह सही है कि **बीकानेर** आवासन मण्डल की **पवनपुरी कॉलोनी के** सैक्टर-3 में विभाग द्वारा **शराब का ठेका दिया** गया है? यदि हाँ, तो **किस स्थान पर, किस** व्यक्ति के नाम से, किस तरह की **शराब का?**

(3) क्या यह सही है कि **उक्त ठेका** शनिदेव जी के मन्दिर एवं **विद्यालय के पास** है? यदि हाँ, तो उक्त **दुकान उक्त स्थानों से** कितनी दूरी पर है?

(4) क्या यह सही है **कि उक्त ठेके को** हटाने के लिए वहाँ की जनता ने **विभाग को** शिकायती-पत्र लिखे? यदि हाँ, तो **कब-कब** तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी? प्राप्त शिकायती पत्र एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रघुवीर सिंह)

(5) क्या सरकार निषेधात्मक स्थान पर स्थित उक्त ठेके को हटाने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) देशी एवं विदेशी शराब की दुकानों की स्वीकृति राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के अन्तर्गत दी जाती है जिसकी प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 95-96 के लिए श्री मालू खां यासीन खां एण्ड पार्टी के नाम से अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किया हुआ है। उक्त देशी मदिरा की दुकान आबकारी नियमों के अनुसार स्वीकृत होकर पवनपुरी कॉलोनी में श्री रामलाल के मकान में संचालित है।

(3) उक्त शराब की दुकान शनिदेवजी के मंदिर से करीबन एक सौ मीटर की दूरी पर स्थित है, परन्तु देवस्थान विभाग की सूची में उक्त मंदिर का नाम सम्मिलित नहीं है एवं बीकानेर शहर की आबादी भी एक लाख से अधिक है। ठेके से करीबन 300 मीटर दूरी पर राजपाल विद्या निकेतन स्कूल है जो नर्सरी से कक्षा पाँच तक है तथा इस प्राइवेट रिहायशी मकान में चल रहा है तथा शराब की दुकान से करीबन 500 मीटर की दूरी पर हैप्पी इंगलिश स्कूल है जो कक्षा एक से आठ तक है।

(4) उक्त ठेका हटाने बाबत जनता की एक शिकायत दिनांक 6.10.95 को प्राप्त हुई जिस पर आबकारी निरीक्षक बीकानेर शहर से जाँच कराई गयी। जाँच अनुसार दुकान आबकारी नियमों एवं लाईसेंस की शर्तों के अनुसार स्वीकृत होकर संचालित है। अनुज्ञा-पत्र की शर्तों के अनुसार बैंक कॉलोनी, पी.एण्ड टी. क्वार्टर एतराज काबिल नहीं हैं।

(5) उक्त शराब की दुकान आबकारी नियमों एवं अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार स्वीकृत है, इसलिए हटाने का कोई औचित्य नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

कर्मचारियों को जयपुर में सरकारी आवासों का आबंटन

3. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) जयपुर में जो राजकीय आवास सरकार अपने कर्मचारियों को आबंटित करती है क्या उनमें चतुर्थ व पंचम श्रेणी के सरकारी आवासों में सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों हेतु कोई विशेष कोटा निर्धारित है ? यदि हाँ, तो किस आदेश के तहत, आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो सचिवालय कर्मियों व अधीनस्थ कर्मियों हेतु सरकारी आवास आबंटन की वर्तमान में क्या प्रक्रिया है ?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा सचिवालय को शासन सचिवालय के समकक्ष मानते हुए ही शासन सचिवालय कर्मियों के समान विशेष वेतन आदि देय होता है ? यदि हाँ, तो फिर सरकारी आवास आबंटन में विधान सभा कर्मियों की प्रतीक्षा सूची अधीनस्थ कर्मियों के साथ क्यों बनी हुई है ? क्या सरकार इसे भेदभावपूर्ण नहीं मानती है ? यदि हाँ, तो इस विषयक आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर में स्थित कर्मचारियों हेतु राजकीय आवास की चतुर्थ

26

(मुख्य (सामान्य प्रशासन) मन्त्री)

एवं पंचम श्रेणी के लिये विभिन्न विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों व सचिवालय स्थित कर्मचारियों को क्रमशः 3:1 तथा 1:1 के अनुपात में आवासों का आबंटन किया जाता है। यह प्रशासनिक निर्णय के आधार पर किया जा रहा है।

(2) जी हाँ। विशेष वेतन देने का प्रावधान दिनांक 1.4.85 से लागू हुआ है जबकि आवास आबंटन की प्रतीक्षा-सूची इससे भी पूर्व से शासन सचिवालय कर्मचारियों की पृथक् से एवं अन्य सभी विभागों की इकजाई रखी जाती रही है। चूंकि शासन सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या विधान सभा सचिवालय कर्मचारियों से बहुत अधिक है, अतः इसे राज्य सरकार भेदभावपूर्ण नहीं मानती है।

प्रशिक्षित बेरोजगार कृषि अभियन्ताओं की नियुक्ति

4. श्री रामेश्वर लाल चौधरी (नावां) : क्या मुख्य (आयोजना जनशक्ति) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) राज्य में कृषि अभियन्ता का प्रशिक्षण प्राप्त कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं? वरिष्ठता सूची मय नाम एवं पते सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1991 से 31 जनवरी, 1995 तक कितने आशार्थियों को किस-किस विभाग में किस-किस पद पर कब-कब नियुक्तियाँ दी गयीं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनशक्ति विभाग में 28.2.96 तक कुल 95 कृषि अभियन्ता स्नातक एवं 3 डिप्लोमाधारी पंजीकृत हैं। श्रेणीनुसार वरिष्ठता सूची मय नाम व पते सहित संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) जन शक्ति विभाग के माध्यम से जनवरी, 91 से 31 जनवरी, 95 तक विभागों द्वारा कुल 173 कृषि अभियन्ताओं की नियुक्तियाँ की गयी हैं। विभाग, पद व वर्गानुसार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील बौंली व निवाई के मध्य सड़क व पुलिया निर्माण

5. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या तहसील बौंली व निवाई को जोड़ने वाली रोड़ दतवास से मिचपुरा के बीच दतवास गाँव के पास का नाला की पुलिया व एक किलोमीटर बची रोड़ का सरकार निर्माण करवाकर जिला सवाई माधोपुर व टोंक का आवागमन चालू कराने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक?

(2) क्या सरकार तहसील बौंली व निवाई के बीच ढील नदी की पुलिया जामड़ोली के पास बनवाकर जिला सवाई माधोपुर टोंक व जयपुर का सीधा मार्ग खुलासा कर तहसील बौंली, गंगापुर, सपोटरा, करौली, टोडाभीम, बामनवास, नादोती की जनता की कठिनाई दूर **करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब** तक?

(3) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में भाड़ोती-गंगापुर रोड़ पर पड़ने वाली मेरोल नदी व जीवद नदी पर पुली व भाबधा बनाने की राशि स्वीकृत की गयी है? यदि

(श्री हीरालाल)

हाँ, तो कार्य की क्या प्रगति है और कार्य कब तक पूरा करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) तहसील बौंली एवं निवाई को जोड़ने वाली सड़क दत्तवास से मित्रपुरा होकर निवाई बौंली-जस्टाना सड़क (एमडी.आर. नं.1) पर ग्राम पीपल्दा तक जाती है जिसकी कुल लम्बाई 25 कि.मी. है। दत्तवास से मित्रपुरा के मध्य 1 किलोमीटर कच्ची सड़क एवं ग्राम बोरदा के निकट नाले पर रपट निर्माण हेतु रु. 35.00 लाख की आवश्यकता होगी जो राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करती है। वर्तमान में दत्तवास से मित्रपुरा के मध्य आवागमन चालू है।

(2) तहसील बौंली व निवाई के मध्य बीच में ढील नदी पर जामडोली गाँव के पास पुलिया बनवाने हेतु वर्तमान में कोई स्वीकृति नहीं है परन्तु इस पुलिया के निर्माण में करीब 310 लाख रुपये की लागत आयेगी जो कि राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करती है।

(3) जी हाँ। जिला सवाई माधोपुर में भाड़ौती गंगापुर सड़क पर पड़ने वाली मोरेल एवं जीवद नदी पर काजवे बनाने की राशि स्वीकृत की गयी है। मोरेल नदी पर काजवे निर्माण हेतु राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 1994-95 में राशि रु. 15 लाख रुपये एवं जीवद नदी पर काजवे निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1995-96 में राशि रु. 16.00 लाख की जारी की गयी है। इसके अलावा मोरेल नदी पर पहुँच सड़क निर्माण हेतु वर्ष 1995-96 में राशि रुपये 10.00 लाख स्वीकृत की गयी है। मोरेल नदी पर काजवे हेतु रुपये 15.00 लाख की स्वीकृति के तहत लगभग 50 मीटर मेऊं भाड़ोती की ओर पक्की रिटर्न वाल बनाई जा चुकी है तथा 15 कतारें ह्यूम पाइप की लगा दी गयी हैं। शेष कार्य प्रगति पर है। पहुँच सड़क हेतु स्वीकृत राशि 10.00 लाखके तहत 150 मीटर में मिट्टी का कार्य पूर्ण है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार जीवद नदी पर कॉजवे निर्माण हेतु स्वीकृत राशि रुपये 16.00 लाख के तहत 100 मीटर लम्बाई में डाउन स्ट्रीट की पक्की दीवार का निर्माण भूतल तक हो चुका है शेष कार्य प्रगति पर है। मोरेल एवं जीवद दोनों ही नदियों में इस वर्ष वर्षाकाल में पानी का प्रवाह बदल जाने से कॉजवे स्थल पर नदियों की चौड़ाई अधिक हो जाने के कारण कॉजवे निर्माण हेतु क्रमशः अतिरिक्त राशि रु. 20.00 लाख एवं 10.00 लाख की आवश्यकता होगी जो कि वर्ष 96-97 की योजना प्रस्तावित है। स्वीकृति होने पर कार्य पूर्ण करवा दिया जावेगा।

खानपुर (सवाई माधोपुर) की सम्पर्क सड़क

6. **श्री हरिसिंह** (महुआ) : **एवं श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति टोडाभीम के गाँव खानपुर (करीरी) को सम्पर्क सड़क से जोड़ने की स्वीकृति जारी हुई है? यदि हाँ, तो किस योजना में?

(2) क्या इस सड़क के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की गयी है? यदि हाँ, तो निविदा खोलने की निर्धारित तारीख कौनसी थी?

(श्री हरिसिंह)

(3) क्या यह सही है कि किसी ठेकेदार ने निर्धारित दिवस को निविदा नहीं देकर साधारण पेपर पर प्रार्थना-पत्र देते हुए सड़क निर्माण बाबत अपनी दरें प्रस्तुत की हैं? यदि हाँ, तो क्या यह नियमानुसार है?

उत्तर

(1) जी हाँ। जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति टोडाभीम के गाँव खानपुर (करीरी) को सम्पर्क सड़क से जोड़ने हेतु ग्रामीण सड़कों के अन्तर्गत वार्षिक योजना 1995-96 में स्वीकृति पत्र सं. एफ2(18)पी.डब्लू/ए.एस/95/डी- 209/एस/ दिनांक 13.6.95 के द्वारा राशि 17.50 लाख रुपये की जारी की गयी है। स्वीकृति का योजना मद 5054 ग्रामीण सड़कें हैं।

(2) जी हाँ। इस सड़क के निर्माण के लिये अधीक्षण अभियन्ता, सानिवि. वृत-सवाई माधोपुर के कार्यालय द्वारा निविदा सूचना क्रमांक 2/95-96 पत्र क्रमांक 1430-62 दिनांक 29.6.95 द्वारा आमंत्रित की गयी थी। निविदा प्राप्त कर खोलने की निर्धारित तिथि दिनांक 17.8.95 नियत थी। जिसे वृत कार्यालय के संशोधित निविदा सूचना क्रमांक 2631-57 दिनांक 14.8.95 एवं 3391-3423 दिनांक 14.9.95 के द्वारा अन्ततः दिनांक 29.9.95 को प्राप्त कर खोला जाना निश्चित किया गया था।

(3) जी नहीं, यह सही नहीं है कि किसी भी ठेकेदार के द्वारा निर्धारित दिवस को निविदा प्रपत्र प्राप्त किये बिना साधारण पत्र पर प्रार्थना पत्र देते हुए सड़क निर्माण बाबत अपनी दरें प्रस्तुत की थीं। परन्तु एक संवेदक ने निविदा प्रपत्र की निर्धारित शुल्क राशि 100/- रुपये जमा करवाकर निविदा प्रपत्र वृत्त कार्यालय से दिनांक 28.9.95 को प्राप्त किया था जिसकी रसीद क्रमांक 3397-36/04 दिनांक 28.9.95 (सहायक अभियन्ता, सानिवि. उपखण्ड द्वितीय (सवाई माधोपुर) है, रसीद की फोटो प्रति संलग्न हैं। परन्तु निविदा प्राप्ति की निर्धारित तिथि दिनांक 29.9.95 को उसके द्वारा ऐन वक्त पर निविदा प्रपत्र ("जी" शिड्यूल) खो जाने के कारण संवेदक श्री प्रहलाद मीणा के द्वारा अपनी दर साधारण पेपर पर यह लिखते हुए दी कि मूल निविदा प्रपत्र खो गया है, इसलिये मैं अपनी दर साधारण पत्र पर प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका ज्ञान अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिनांक 30.9.95 को उपस्थित संवेदकों के समक्ष निविदाएँ खोलने पर हुआ। चूंकि संवेदक द्वारा निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि 28.9.95 (तक) को निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त किया गया था, परन्त ऐन वक्त पर निविदा प्रपत्र गुम हो जाने के कारण संवेदक ने साधारण पत्र पर अपनी अन्य दर संवेदकों के साथ ही यह लिखते हुए प्रस्तुत की कि उससे मूल निविदा प्रपत्र गुम हो गया है, जिसके कारण वो अपनी दरें साधारण प्रपत्र पर प्रार्थना-पत्र के रूप में प्रेषित कर रहा है जो कि अन्य निविदादाताओं के साथ ही सील्ड टेण्डर बॉक्स में से उपस्थित संवेदकों एवं कमेटी के सदस्यों के सामने खोलने पर प्राप्त हुआ था, अतः उस पर विचार करना नियमों के अन्तर्गत था।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

जोधपुर में बाई पास रोड का निर्माण

7. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

(1) क्या हाईवे की सड़कों का मानदण्ड एम.ओ.टी. की विशष्टियों के अनुकूल रखा गया है? यदि हाँ, तो उनकी परीक्षण रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। इस परीक्षण रिपोर्ट को किस स्तर के अधिकारी द्वारा तैयार करवाया जाता है तथा परीक्षण की आवृत्ति क्या रखी जाती है?

(2) क्या यह सही है कि हाईवे रोड़ पर केम्बर बोर्ड द्वारा केम्बर दिया जाना आवश्यक है तथा सड़कों के किनारे कच्चे रखने से टूट जाते हैं तथा दुर्घटना का कारण बनता है? यदि हाँ, तो किन-किन सड़कों पर निर्धारित केम्बर नहीं दिया गया तथा क्यों?

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर में प्रस्तावित बाईपास न बनाये जाने से शहर में भारी वाहनों के आवागमन से आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं? यदि हाँ, तो जोधपुर में बाईपास निर्माण का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा तथा इस पर कुल कितना व्यय आयेगा?

(4) क्या यह सही है कि उक्त बाईपास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा भी सहायता दिया जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कितनी?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय उच्च मार्गों का निर्माण एम.ओ.एस.टी. द्वारा किया जाता है, निर्धारित मापदण्डों के परीक्षण का कार्य सक्षम कर्मचारी/अधिकारी द्वारा समय-समय पर किया जाता है जो कि अलग-अलग कार्यों के लिए परीक्षण रिपोर्ट का उपखंड स्तर पर संधारण किया जाता है, परीक्षण की आवृत्ति एम.ओ.एस.टी. के मापदण्डों के अनुसार ही रखी जाती है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) हाँ, यह सही है कि हमेशा सड़क निर्माण के समय केम्बर बोर्ड द्वारा ही केम्बर दिया जाता है। सड़क के किनारे कच्चे रखने से दुर्घटना का कारण नहीं बनता है। सड़क किनारा कट जाने या टूट जाने पर उसकी मरम्मत का कार्य समय पर किया जाता है।

(3) यह सही है कि जोधपुर में प्रस्तावित बाईपास न बनाये जाने से शहर में भारी वाहनों का आवागमन बढ़ रहा है और इससे दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। जोधपुर बाईपास का निर्माण भारत सरकार के सामरिक महत्त्व की सड़कों के निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इस हेतु प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है। स्वीकृति आने के पश्चात् कार्य करवाना सम्भव हो पायेगा। यह प्रस्ताव करीब 46 करोड़ रुपये के हैं।

(4) जी हाँ। भारत सरकार के सामरिक महत्त्व की सड़कों के निर्माण कार्यक्रम का एक भाग है इसलिये इसके निर्माण पर स्वीकृति होने पर पूर्ण व्यय उनके द्वारा ही वहन किया जायेगा।

(प्रतिलिपि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य के क्वालिटी कण्ट्रोल अधिकारी

8. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग में क्वालिटी कन्ट्रोल शाखा में किस-किस पद के कितने-कितने अधिकारी कार्यरत हैं?

(श्री माधव सिंह दीवान)

(2) जयपुर जिले में माह मार्च, 1994 व मार्च, 1995 में किन-किन कार्यों का कब-कब क्या-क्या निरीक्षण किया गया तथा कहाँ-कहाँ त्रुटियाँ पायी गयीं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग में क्वालिटी कन्ट्रोल शाखा में कार्यरत अधिकारियों की संख्या परिशिष्ट "क" में वर्णित है।

(2) गुण नियन्त्रण खण्ड, जयपुर द्वारा जयपुर जिले के आईडेन्टिफाईड चिन्हित कार्यों का मार्च, 1994 में 12 कार्यों का निरीक्षण किया गया जिसमें 9 कार्य संतुष्ट व 3 कार्य असंतुष्ट पाये गये व मार्च, 1995 में 3 कार्यों का निरीक्षण किया गया जिसमें एक संतुष्ट व 2 असंतुष्ट पाये गये जिसका विवरण परिशिष्ट "ख" में वर्णित कर दिया गया है। असंतुष्ट कार्यों जिन पर कमी पायी गयी साथ संलग्न तालिका के विवरण में अंकितानुसार कार्यवाही की गई।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर शहर में सड़क निर्माण

9. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में वर्ष 1989-90 में नगर निगम क्षेत्र की सड़कों के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई, उसके अन्तर्गत शहर क्षेत्र में कौन-कौनसी सड़कों पर निर्माण कार्य करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा कौन-कौन सी सड़कों पर 1 मार्च, 1990 से 31 दिसम्बर, 1995 तक डामरीकरण एवं मरम्मत का कार्य करवाया गया एवं कितनी राशि खर्च की गयी है? 31 मार्च, 1996 तक कौन-कौनसी विचाराधीन सड़कों पर डामरीकरण कर दिया जायेगा एवं उन पर कितनी राशि खर्च कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में 1989-90 में नगर निगम क्षेत्र की 7 सड़कों के लिये नगर परिषद् द्वारा रुपये 4 लाख की राशि जमा करायी गयी एवं उसके अन्तर्गत निम्न सड़कों पर डामरीकरण का कार्य करवाया गया : —

1. बंग हाऊस से नया तालाब
2. माहेश्वरियों का न्याति नौहरा से कोरणा हाउस
3. थलियों का वास वार्ड सं. 30
4. दीवानों की हवेली
5. शम्भू भवन रोड़
6. वार्ड संख्या 17 की सड़कें (लायकान मोहल्ला) ।
7. हर्टड़ियों का चौक (पूंगलपाड़ा) से चाँदी हाल वाया व्यास पोल ओसवाल न्याति नौहरा, बागर हरिजन बस्ती से अजय चौक ।

(2) विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में विभाग द्वारा नगर निगम क्षेत्र की 4 सड़कों का रख-रखाव किया जाता है जिस पर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

डामरीकरण एवं मरम्मत के लिये व्यय निम्नानुसार किया गया : —

	वर्ष 1.3.90 से 30.11.93 तक व्यय	1.12.93 से 31.12.93 तक व्यय
1. जालोरी गेट से फतेहपोल सड़क	7.59	—
2. सिवाची गेट से खांडा फलसा सड़क	4.38	—
3. मेड़ती गेट से केदोई बाजार वाया हाथी राम का ओडा	2.30	—
4. सोजती गेट से नागौरी गेट वाया त्रिपोलिया एवं माणक चौक	5.93	0.08
कुल	20.20	0.08

31.3.96 में निम्नलिखित सड़कों पर डामरीकरण करने का प्रस्ताव है जो डामर की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि आवश्यकतानुसार डामर उपलब्ध हो जायेगा तो इन सड़कों पर 3/96 में डामर कार्य सम्भव हो सकेगा।

विचाराधीन सड़कों पर डामरीकरण पर व्यय की जाने वाली राशि इनके सम्मुख अंकित हैं।

1. सोजती गेट से नागौर गेट वाया माणक चौक 2.60 लाख
2. मेड़ती गेट से कदोई बाजार वाया हाथी का ओडा 1.20 लाख

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों का आरक्षण

10. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या प्रदेश में मेडिकल, तकनीकी डिग्री व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों हेतु आरक्षण का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत?

(2) क्या यह आरक्षण संवैधानिक निर्देशानुसार ही है? यदि कम है तो क्या सरकार प्रदेश में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार आरक्षण का प्रावधान करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हाँ। आरक्षण प्रतिशत निम्नानुसार है : —

पाठ्यक्रम	अ.जा.	अ.ज.जा.
(क) इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम (स्नातक)	15 प्रतिशत	$7\frac{1}{2}$ प्रतिशत
(ख) डिप्लोमा	16 प्रतिशत	12 प्रतिशत
(ग) एम.बी.बी.एस. /बी.डी.एस.	8 प्रतिशत	6 प्रतिशत

(2) जी हाँ। उच्च तकनीकी शिक्षा के महाविद्यालयों में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत है। डिग्री एवं डिप्लोमा में आरक्षण प्रावधान कम नहीं है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

मेडिकल पाठ्यक्रमों में वर्तमान व्यवस्था में संशोधन की माँग की जा रही है। इस विषय पर परीक्षण करने हेतु पड़ौसी राज्यों से जानकारी चाही गयी है। तदुपरान्त ही मेडिकल विभाग द्वारा यथोचित निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

तहसील नैनवां (बून्दी) में पटवारघर का निर्माण

11. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह सही है कि धानुगाँव तहसील नैनवां में पटवारी का मुख्यालय वर्ष 1960 से कायम होने के बावजूद अभी तक पटवारघर का निर्माण नहीं करवाया गया है। यदि हाँ, तो पटवारघर निर्माण के लिए अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) क्या उक्त पटवारघर निर्मित करवाने के लिए जिला प्रशासन बून्दी द्वारा राजस्व मंडल अजमेर से बजट की माँग की गयी है ? यदि हाँ, तो कितनी मर्तबा ?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 1 जून, 1990 को जवाहर रोजगार योजना तथा अकाल राहत के अन्तर्गत उक्त पटवार भवन का कार्य प्रारम्भ करवाया गया था ? यदि हाँ, तो कार्य पूर्ण करवाने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब उक्त पटवार भवन का निर्माण किस तारीख तक पूर्ण करवा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हाँ। तहसील नैनवां के धानुगाँव में पटवारघर निर्माण की अकाल राहत के अन्तर्गत जिला कलेक्टर, बून्दी ने स्वीकृति दी थी। यह कार्य दिनांक 7.7.90 तक करना था किन्तु वर्षा की अधिकता एवं मार्ग अवरुद्ध हो जाने तथा स्वीकृति अवधि समाप्त हो जाने के कारण नींव की खुदाई का कार्य ही हो सका।

(2) जी हाँ। जिला कलेक्टर, बून्दी द्वारा वर्ष 1990-91 में 20 अपूर्ण पटवारघरों को पूर्ण कराने हेतु राशि की माँग की जाने पर 4.80 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। वर्ष 1991 से 1994 तक इस कार्य हेतु कोई राशि राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जा सकी। वर्ष 1995-96 में अपूर्ण पटवारघरों को पूर्ण कराने हेतु जिला कलेक्टर, बून्दी को 1.22 लाख रुपये आवंटित किये गये।

(3) जी हाँ, किन्तु वर्षा की अधिकता एवं मार्ग अवरुद्ध हो जाने तथा इस कार्य हेतु स्वीकृति की अवधि समाप्त हो जाने के कारण केवल नींव की खुदाई ही की जा सकी। वर्ष 1990-91 में धानुगाँव में पटवार घर निर्माण हेतु 0.75 लाख रुपये स्वीकृत किये गये।

(4) राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर बूँदी को चालू **वित्तीय वर्ष 95-96 में अपूर्ण** पटवारघरों को पूर्ण कराने हेतु 1.22 लाख रुपये आवंटित किये जा चुके हैं। पटवारघर धानुगाँव को पूर्ण कराने हेतु माँग के अनुसार बजट उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जायेगी।

उदयपुर नगर में कृषि भूमि के रूपान्तरण के तहत जमा राशि

12. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) उदयपुर नगर में कृषि भूमि पर बने मकानों का नियमन करने के लिए किस-किस योजना में कितनी राशि एकत्रित की गयी? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) किस-किस योजना में कितने आवासों/कालोनियों का नियमन कर दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(3) शेष योजनाओं का कब तक नियमन कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) उदयपुर नगर में कृषि भूमि पर बने मकानों का नियमन करने के लिए रु. 5,18,976.00 की राशि विभिन्न आवेदकों द्वारा विभिन्न योजनाओं में जमा कराई गयी। सूची सदन की मेज पर रखदी गयी है।

(2) वर्ष 1991 से 1995 तक जिन आवेदकों द्वारा नियमन हेतु राशि जमा कराई गयी जिसकी सूची परिशिष्ट "क" पर है में मात्र तीन प्रकरणों में नियमन शेष है। क्योंकि उक्त तीनों प्रकरणों में आवेदकों द्वारा स्वत्व सम्बन्धित दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(3) शेष तीनों प्रकरणों में आवेदकों द्वारा स्वत्व सम्बन्धित दस्तावेजात प्रस्तुत करने पर तदनुसार निस्तारण कर दिया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कृषि भूमि रूपान्तरण के तहत जमा राशि

13. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) एवं श्री रिछपालसिंह (डेगाना) : —क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषि कार्यों के लिये काम में लेने के लिये परिवर्तन करवाने के लिये वर्तमान नियमों के अनुसार कुछ राशि जमा करानी होती है? यदि हाँ, तो कितनी राशि? इस सम्बन्ध में बने नियमों की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन नियमों के तहत जो राशि राज्य कोष में जमा होती है उसका कुछ भाग सम्बन्धित पंचायत को दिये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्या पंचायतों को यह राशि दी गई? यदि हाँ, तो कब से?

(3) क्या यह भी सही है कि इन नियमों की पालना अभी तक नहीं की जा रही है? यदि हाँ, तो क्यों और किसके द्वारा? क्या सरकार आदेशों की पालना नहीं करने में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) उपरोक्त नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये? इस सम्बन्ध में यदि कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये हों तो उनकी प्रतियों सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन नियम, 1992 राजपत्र में दिनांक 28.4.92 को प्रकाशित किये जा चुके हैं। नियम, 1992 के नियम 6 में उल्लेखित राशि जमा करानी होती है।

(2) जी हाँ, यह सही है कि नियमों के तहत जो राशि राज्य कोष में जमा होती है उसका आधा हिस्सा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को दिये जाने का प्रावधान है। अभी तक कोई राशि ग्राम पंचायतों को नहीं दी गयी है।

(3) नियम, 1992 के तहत राज्य कोष में रूपान्तरण हेतु जमा राशि का आधा हिस्सा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को देने हेतु नियमों के अन्तर्गत प्रक्रिया सम्बन्धित आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किये जा रहे हैं।

(4) नियम, 1992 के तहत राज्य कोष में रूपान्तरण हेतु जमा राशि का आधा हिस्सा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भी देने हेतु नियमों के अन्तर्गत प्रक्रिया सम्बन्धी आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किये जा रहे हैं।

तहसील पाली की सीलिंग भूमि के विचाराधीन मामले

14. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) सरहद मौजा चौटीला, तहसील पाली की राजस्व भूमि के सिलसिले में सीलिंग के कितने मामले किस न्यायालय में कब से विचाराधीन हैं? सूची मय पक्षकारों के नाम व पता, वाद संख्या, न्यायालय इत्यादि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सीलिंग के विचाराधीन मामलों के सम्मन गत बीस वर्षों से पक्षकारों द्वारा तामील नहीं किये गये हैं, जिसकी वजह से मामलों की सुनवाई प्रारम्भ नहीं हो पा रही है? यदि हाँ, तो किन कारणों से उपरोक्त सम्मनों की तामील नहीं हो रही है एवं सरकार इन सम्मनों की तामील करवाने बाबत क्या सार्थक कार्यवाही कर कब तक सम्मन तामील करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) सरहद मोजा-चौटीला, तहसील पाली से सम्बन्धित 8 रिओपन प्रकरण अतिजिला कलेक्टर, पाली के न्यायालय में 1977-78 से विचाराधीन है तथा वर्ष 1994 में अति. जिला कलेक्टर (सीलिंग) का न्यायालय सृजित होने से वहाँ विचाराधीन है। विस्तृत वादवार सूची, वाद संख्या, पक्षकारों के नाम की सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) जी, नहीं। समस्त आठों प्रकरणों में सम्मन तामील हो चुके हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

नाचना (जैसलमेर) "री-ओपन" भूमि सेटलमेंट प्रकरण

15. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या नाचना क्षेत्र जिला जैसलमेर के पूर्व के भूमि सैटलमेंट को सन् 1975 में दुबारा खोला गया था?

(2) क्या सरकार उसको पुनः "री-ओपन" करने के आदेश को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो क्यों?

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

(3) क्या सरकार मोहनगढ़ क्षेत्र जिला जैसलमेर के पूर्व में किये गये सैटलमेंट को जिस तरह से नाचना क्षेत्र में "री-ओपन" करवाया था, उसी तरह उसको भी जनहित में "री-ओपन" करेगी? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं। जब री-ओपन ही नहीं किया गया तो निरस्त करने की कोई स्थिति नहीं है।

(3) जी, नहीं। नाचना क्षेत्र में री-ओपन नहीं किया गया है, तो मोहनगढ़ क्षेत्र में री-ओपन करने की कोई स्थिति नहीं है।

कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन के तहत जमा राशि

16. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) माह अप्रेल, 1992 से दिसम्बर, 1995 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन नियम, 1992 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोरेडी चाचा तहसील डेगाना जिला नागौर के हिस्से की कुल कितनी राशि तहसील कार्यालय डेगाना में जमा की गई?

(2) क्या सरकार उक्त जमा हुई राशि ग्राम पंचायत गोरेडी चाचा तहसील डेगाना को देने का इरादा रखती है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राशि की जानकारी की जा रही है, शीघ्र ही अवगत कराया जायेगा।

(2) नियम, 1992 के अन्तर्गत जमा रूपान्तरण राशि का आधा हिस्सा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को देने हेतु नियमों में प्रक्रिया सम्बन्धित आदेश जारी किए जा रहे हैं।

पावटा (जयपुर) उप-तहसील की स्वीकृति

17. **श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) सरकार जयपुर जिले में किस-किस स्थान पर उप-तहसील बनाने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील के कस्बा पावटा को उप-तहसील का दर्जा दिये जाने का सरकार विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) फिलहाल जयपुर जिले में किसी भी स्थान पर उप तहसील स्थापित करने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(2) कस्बा पावटा में उप-तहसील स्थापित करने का कोई प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

लोसल एवं धोद (सीकर) को उप-तहसील का दर्जा

18. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि दांतारामगढ़ तहसील की एकमात्र नगर पालिका लोसल है जो तहसील मुख्यालय से काफी दूरी पर स्थित है?

(श्री अमराराम)

(2) क्या सरकार तहसील दांतारामगढ़ एवं सीकर की जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लोसल एवं धोद को उप-तहसील बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हाँ, यह सही है कि तहसील दांतारामगढ़ में एकमात्र नगर पालिका लोसल है, जो तहसील मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

(2) जी नहीं, ऐसा कोई प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

चौमूं (जयपुर) के अन्तर्गत मंदिर की खातेदारी भूमि का प्रकरण

19. **श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या मंदिर श्री सीताराम जी बिराजमान ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं, जिला जयपुर के मंदिर के नाम जो खातेदारी की भूमि थी उसको काश्तकारों ने अपने नाम खातेदारी करा ली थी जिसको पुनः मंदिर के नाम सरकार के नियम के अन्तर्गत किया जाना था ? यदि हाँ, तो उक्त प्रकरण में अब तक सरकारी दिशा-निर्देशों के तहत क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

(2) इस सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों एवं जिन-जिन खातों की खातेदारी वापस मंदिर के नाम दर्ज की गयी उन खातों तथा नामान्तरण व पर्चों की प्रतियाँ सदन की मेज पर रखें।

(3) इस मंदिर के अधीन पूर्व में किन-किन ग्रामों की कितनी-कितनी भूमि थी ? विवरण मय नाम व रकबे के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि भू-प्रबन्ध विभाग शाखा, चौमूं के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण उक्त मन्दिर के अधीन की भूमि जो नारायण पुत्र भूरा एवं सूण्डा पुत्र हनुमान तथा रूडादास वगैरह के नाम दर्ज करदी गयी थी के रकबे की खातेदारी को वापस मंदिर के नाम दर्ज नहीं किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि दर्ज कर दिया गया है तो उसके नामान्तरण व पर्चे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार के उक्त आदेशों के विरुद्ध कुछ खातेदारों ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था ? क्या उन वादों का निर्णय हो चुका है ? यदि हाँ, तो फैसले की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि न्यायालय ने मंदिरों की भूमि को वापस मंदिरों के नाम किये जाने का आदेश पारित किया है ? यदि हाँ, तो क्या इसकी अनुपालना करली गयी है ? यदि हाँ, तो कब-कब और नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या सरकार उक्त मंदिर की भूमि को मंदिर के नाम वापस नहीं किये जाने में किन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी मानती हैं ? यदि हाँ, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? अब उक्त प्रकरण का कब तक निस्तारण कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं में मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2006 के अनुसार खाता सं. 46 कुल किता 7 रकबा 12 बीघा

(37)

(राजस्व मंत्री)

6 बिस्वा माफी मंदिर श्री सीतारामजी वाके देह पुजारी हरीदास चेला राधाकिशनदास कौम स्वामी के नाम दर्ज है (खतौनी बन्दोबस्त की छाया प्रति संलग्न है)।

(2) उक्त भूमि मन्दिर की खुदकाश्त की भूमि है, जो पुजारी हरीदास चेला राधाकिशनदास के नाम हो चुकी थी, बाद में मुताबिक जमाबन्दी सं.2039-2042 के बंशीधर दास पुत्र हरीदास के नाम दर्ज हुई है, जिसको राजस्व अभियान में माफी मन्दिर सीतारामजी के नाम कर दिया गया। वर्तमान पर्चा खाता सं. 110 मंदिर सीतारामजी के नाम दर्ज है (फोटो प्रति संलग्न है)।

इसी ग्राम में खतौनी बन्दोबस्त सं.2006 के खाता सं. 47 व 48 रकबा क्रमशः 15 बीघा 2 बिस्वा व 4 बीघा 09 बिस्सा कुल रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा खतानी के कालम नं. 3 में माफी मंदिर श्री सीतारामजी वाके देह पुजारी हरिदास चेला राधाकिशन दास स्वामी के नाम अंकित है, किन्तु खतौनी के कॉलम संख्या 5 में खुदकाश्त नहीं होकर कृषकों के नाम दर्ज है।

खाता सं. 46 मन्दिर की भूमि थी जो मंदिर के नाम वापस दर्ज कर दी गई। खतौनी बन्दोबस्त सं. 2006 एवं पर्चा सं. 110 की छाया प्रतियाँ संलग्न प्रेषित है।

(3) इस मंदिर के अधीन ग्राम कानरपुरा में मंदिर खुदकाश्त की भूमि खतौनी बन्दोबस्त खाता नं. 46 के अनुसार 12 बीघा 6 बिस्वा भूमि है। खाता सं. 47 में 15 बीघा 2 बिस्वा एवं खाता सं. 48 में 4 बीघा 9 बिस्वा जमीन है। ग्राम दौलतपुरा तहसील चौमूं के खतौनी बन्दोबस्त सं. 2004 से 2023 के अनुसार खाता नं. 23 में अंकित 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि माफी मंदिर सीतारामजी विराजमान कानरपुरा के नाम है। जमाबन्दी की फोटो प्रति संलग्न है।

(4) यह कि मिसल बन्दोबस्त 2006 के खाता सं. 47 व 48 के कॉलम नं. 5 में कृषक के कॉलम में वर्तमान खातेदार या उनके पूर्वज दर्ज थे। यानि उक्त दोनों खातों में कृषक मंदिर नहीं है। जैसा खाता नं. 46 में खुदकाश्त दर्ज है, लेकिन शेष दोनों के सामने सहवन से मंदिर दर्ज नहीं होने से उक्त जमीन को काश्त करने वालों को खातेदार के कॉलम में दर्ज कर दिया गया। हनुमान अहीर तथा रूड़ादास वगैरह की भूमि माफी मंदिर की दर्ज नहीं हो पाई, जिससे उक्त भूमि मंदिर के नाम नहीं होकर कॉलम नं. 5 के कृषकों के नाम पर्चे जारी किये गये हैं। जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

(5) जी नहीं। उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर खातेदारों द्वारा कोई वाद न्यायालय में दायर किया जाना प्रतीत नहीं होता।

(6) यह सही है कि मंदिरों की खुदकाश्त की भूमि मंदिरों के नाम दर्ज करने के परिपत्र के तहत मंदिरों के नाम की जा चुकी है, लेकिन खाता सं. 47, 48 की भूमि माफी मन्दिर के नाम अभी तक नहीं हो पाई है।

(7) इस सम्बन्ध में उक्त प्रकरण में जाँच करवाई जा रही है। दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(प्रतियाँ विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अजमेर पुलिस के उड़न दस्ते और नियन्त्रण कक्ष

20. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) पुलिस विभाग में उड़न दस्ते और नियन्त्रण कक्ष की स्थापना किन-किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अजमेर का पुलिस कंट्रोल रूम विभागीय और प्रशासनिक उच्चाधिकारियों के निजी कार्यों में जुटे रहने के कारण अपने निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहा है? यदि हाँ, तो क्यों?

(3) सरकार नियन्त्रण कक्ष के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के सम्बन्ध में क्या कारगर कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) पुलिस विभाग में उड़न दस्तों एवं कन्ट्रोल रूम की स्थापना का मूल उद्देश्य अपराधों, अप्रिय घटनाओं, उपद्रवों, आन्दोलनों एवं हिंसात्मक कार्यवाहियों की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित गति से कार्यवाही करना तथा स्थिति को नियन्त्रण करना है।

(2) जी, नहीं। अजमेर जिले का पुलिस नियन्त्रण कक्ष जिले में से सूचनाएं प्राप्त करने तथा जनता से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अविलम्ब कार्यवाही करने में सफल रहा है।

(3) वर्तमान में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पर्यवेक्षण में उपलब्ध पुलिस बल एवं संसाधनों द्वारा नियन्त्रण कक्ष निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति पर्याप्त रूप से करने हेतु सक्रिय है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 21

(स्थगित)

थाना मालवीय नगर (जयपुर) में दर्ज मुकदमा नम्बर 91/94

22. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) **एवं श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के थाना मालवीय नगर के मुकदमा नम्बर 91/94 में मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा बिसरा की पैथोलोजी परीक्षण की रिपोर्ट नहीं दिये जाने के कारण अन्तिम तौर पर मुकदमे का निस्तारण नहीं किया जा सका है? यदि हाँ, तो परीक्षण रिपोर्ट इतने लम्बे समय बाद भी नहीं दिये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मुकदमे में मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा बिसरा पैथोलोजी के कुल कितने नमूने अलग-अलग सीलबन्द कर परीक्षण के लिए तत्कालीन थानाधिकारी को सुपुर्द किये गये थे एवं अब कितने शेष हैं?

(3) क्या यह सही है कि थानाधिकारी द्वारा जान-बूझकर विसरा पैथोलोजी के महत्त्वपूर्ण नमूने नष्ट किये गये? यदि हाँ, तो थानाधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है?

(4) उक्त मुकदमे में पैथोलोजी के बिना परीक्षण रिपोर्ट के दोषियों के खिलाफ किस प्रकार कार्यवाही की जायेगी?

उत्तर

(1) जी हाँ। अभियोग की अन्वेषण के दौरान जब्त किये गये समस्त (विसरा) अवयव

(गृह मंत्री)

परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण परीक्षण कार्य में विलम्ब हो रहा है।

(2) अभियोग सम्बन्धित विसरा एक जार (कॉच के बर्तन) में बन्द कर दिये गये थे जिनमें मृतक के दिमाग, फेफड़े, यकृत, तिल्ली, गुर्दे, हृदय के टुकड़े थे। परीक्षण हेतु दिये गये जार के टूट जाने पर उपलब्ध केवल "ब्रेन" का टुकड़ा ही पैथोलोजी विभाग को परीक्षण हेतु भिजवाया गया है।

(3) विसरा के जार के टूटने की विस्तृत जाँच की जा रही है, जिसे शीघ्र पूर्ण कर दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(4) जाँच से उपलब्ध तथ्यों के आधार पर चिकित्सा विभाग के परीक्षणकर्त्ताओं मेडिकल ज्यूरिस्ट की राय एवं वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार आगामी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

छापर जिला चूरू में दर्ज मुकदमा

23. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह सही है कि मुकदमा नम्बर 130/93 थाना छापर जिला चूरू की पत्रावली जाँच के लिये राज्य अपराध शाखा में मंगवाई गयी है? यदि हाँ, तो कब तथा इसकी जाँच कब-कब, किस-किस द्वारा की गयी?

(2) क्या यह भी सही है कि इस मामले को जाँच के बाद पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा अदालत में चालान पेश करने के लिये भेजा गया और वापस भी मंगवा लिया गया? यदि हाँ, तो उसे कब-कब भेजा गया और कब-कब वापिस मंगवाया गया? जाँच पूर्ण करके वापिस भेजने के बाद वापिस मंगवाने का औचित्य क्या था?

(3) क्या इस मामले का चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया? यदि हाँ, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि जाँच पूर्ण हो जाने के बाद भी यह मामला बिना किसी कार्यवाही के पड़ा रहा, यदि हाँ, तो कहाँ, किस के पास और क्यों?

उत्तर

(1) जी, हाँ। अभियोग पत्रावली दिनांक 2.2.94 को अपराध शाखा में ली जाने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सी.बी. रेंज सैल बीकानेर द्वारा इसका अनुसंधान किया गया। इसके पश्चात् कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर अपर पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा मुख्यालय द्वारा दिनांक 28.4.94 से 31.8.94 तक अनुसंधान किया।

(2) जी, हाँ। दिनांक 22.11.94 को पत्रावली पुलिस अधीक्षक, चूरू को भेजी गयी थी। अभियोग के दोनों पक्षों द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने पर पत्रावली दिनांक 3.12.94 को पुनः अपराध शाखा में मंगवाई गयी। परीक्षणोपरान्त दिनांक 2.3.96 को पत्रावली पुलिस अधीक्षक, चूरू को आरोप-पत्र सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु भिजवा दी गयी है।

(3) अभियोग में आरोप-पत्र शीघ्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(4) जी, नहीं।

थाना नरायना (जयपुर) में दर्ज हत्या प्रकरण

24. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(श्री बाबूलाल)

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री गोपाल गुर्जर ग्राम कन्देवली की दिनांक 12 अगस्त, 1994 को कुएं में डालकर हत्या कर मुकदमा थाना नरायना, जिला जयपुर में दर्ज हुआ ? यदि हाँ, तो कब ?

(2) क्या पुलिस द्वारा उक्त लाश का पोस्टमार्टम एवं मेडिकल जाँच कराई गयी ? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या थाने द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये गये हैं ? यदि हाँ, तो क्या-क्या एवं कब-कब ?

(4) क्या यह सही है कि मामले में पुलिस की सांठ-गांठ से इस हत्या के केस को दबाया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार इस मामले में लापरवाह पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो क्या और कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हाँ। मृतका के भाई द्वारा मृत्यु के संदेह प्रकट करने एवं हत्या करने के आरोपों की टाइपशुदा रिपोर्ट पर दिनांक 16.8.94 को अपराध सं. 108/94 धारा 302, 201 भा.दं.सं. के अन्तर्गत थाना नरायना पर पंजीबद्ध किया गया।

(2) जी, नहीं। पुलिस को सूचना प्राप्त होने से पूर्व ही दिनांक 11.8.94 को लाश का दाह संस्कार कर दिये जाने से पोस्टमार्टम नहीं करवाया जा सका।

(3) जी, हाँ। अभियुक्त गोपाल पुत्र सूखा लाल गुर्जर को दिनांक 4.5.95 को गिरफ्तार कर लिया गया है।

(4) जी, नहीं। अभियोग में गहन अनुसंधान किया जाकर दोषी के विरुद्ध धारा 306, 498ए भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोप-पत्र एवं 15 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध इस्तगासा धारा 176, 202, 201 भा.दं.सं. के अन्तर्गत न्यायालय में दिनांक 30.6.95 को प्रस्तुत किया गया।

(5) अपराध के अनुसंधान में प्रथम दृष्टया विलम्ब एवं अनियमितताएं पायी जाने पर पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को जाँच के निर्देश दिये गये हैं जिसके पश्चात् दोषी पाये गये पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

थाना अरावली (अलवर) में दर्ज छात्रावास दुर्घटना प्रकरण

25. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) 14 जुलाई, 1995 को हुई छात्रावास दुर्घटना में बेला शिक्षा समिति तथा उसके मालिक श्री भारत भूषण अग्रवाल के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट किस-किस तिथि एवं किस समय दर्ज करवाई गयी ? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) अलवर के अरावली थाने के उपनिरीक्षक रामनिवास यादव के विरुद्ध सरकार को क्या-क्या एवं कब-कब शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में क्या कोई जाँच चल रही है ? यदि हाँ, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 14.7.95 को बेला शिक्षा समिति के छात्रावास में घटित दुर्घटना के सम्बन्ध में श्रीमती अन्नपूर्णा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर उसी दिन 11 पी.एम.पर अ.सं. 137/95 धारा 304 ए/336 भा.दं.सं. के अन्तर्गत विरुद्ध श्री भारत भूषण पुत्र उमराव लाल अग्रवाल नि. भारत

(गृह मंत्री)

भवन, टाउन हाल के पीछे अलवर एवं श्री भूषण अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर दिनांक 15.7.95 को 5.30 पी.एम. पर अ. सं. 138/95 धारा 448 भा.दं.सं. के अन्तर्गत विरुद्ध श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह, अधीक्षिका काल गृह थाना अरावली विहार अलवर पर पंजीबद्ध किये गये। अभियोगों की प्रथम सूचना रिपोर्टस की प्रतियाँ संलग्न हैं।

(2) थाना अरावली अलवर के उप निरीक्षक श्री राम निवास यादव के विरुद्ध श्री बृज मोहन सरपंच कठूमर द्वारा दिनांक 26.5.95 को एवं श्री हरिसिंह जाटव कठूमर द्वारा दिनांक 6.6.95 को अभद्र व्यवहार एवं मारपीठ के आरोपों के परिवाद राज्य सरकार एवं अन्य को प्रस्तुत किये। जांच करवाने पर परिवाद में अंकित आरोप प्रमाणित पाये गये।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

सार्वजनिक चिकित्सालय उदयपुर में सी. टी. स्केन सुविधा

26. श्री कुबेर सिंह (फलासियां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सार्वजनिक चिकित्सालय उदयपुर में सी. टी. स्केन कब से शुरू किया गया ?

(2) सी. टी. स्केन की मुफ्त सुविधा प्रदान करने संबंधी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) जब से सी. टी. स्केन शुरू किया गया है तब से किस-किस चिकित्सक की सिफारिश पर कब-कब किस-किस रोगी को मुफ्त सी. टी. स्केन किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सी. टी. स्केन करते समय सी. टी. स्केन रूम में ही रेडियोग्राफर द्वारा राशि वसूल की जाती है और सी. टी. स्केन हो जाने के बाद रसीद बनायी जाती है ? यदि हां तो क्या सरकार सी. टी. स्केन शुल्क की राशि सी. टी. स्केन होने से पहले जमा हो, ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) सार्वजनिक चिकित्सालय, उदयपुर में सी. टी. स्केन की सुविधा दिनांक 15.9.95 से प्रारम्भ की गयी।

(2) सी. टी. स्केन की सुविधा प्रदान करने संबंधी आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) जी हां। सी. टी. स्केन "हैड" के मामलों में राशि का निर्धारण एन. सीसीटी/सीईसीटी की जांच पूर्ण हो जाने पर ही किया जा सकता है अतः जांच पूर्ण हो जाने पर ही जांच के अनुसार निर्धारित राशि की रसीद दी जाती है।

सी. टी. स्केन की अन्य जांच के लिये शुल्क की निर्धारित राशि की रसीद सी. टी. स्केन रजिस्ट्रेशन कक्ष में राशि प्राप्त करते ही दे दी जाती है। अस्पताल के कार्य समय के अलावा इमरजेन्सी परीक्षणों में सी. टी. स्केन की राशि ड्यूटी पर उपस्थित रेजीडेन्ट डॉक्टर द्वारा प्राप्त की जाती है एवं अगले कार्य-दिवस पर रसीद बनाकर दी जाती है।

(प्रति एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में जीवन रक्षक औषधियां

27. श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन सी जीवनरक्षक महत्वपूर्ण औषधियां आवश्यक रूप से उपलब्ध रहें, इस संबंध में कोई सूची जारी की है? यदि हां, तो कौन-कौन सी औषधियां कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध कराई जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान वालेण्ट्री हैल्थ एसोसिएशन ने सरकार को ऐसी कोई सूची प्रस्तुत की थी कि अमुक-अमुक प्रकार की 70 जीवन रक्षक औषधियां निश्चित रूप से प्रदेश के अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध कराई जानी चाहिये? यदि हां, तो वह कौन-कौनसी दवाइयां हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान वालेण्ट्री हैल्थ एसोसिएशन द्वारा सरकार को प्रस्तुत सूची के मुताबिक औषधियां अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध कराई जा रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 70 आवश्यक औषधियों की सूची जारी की गई है, जिनमें जीवनरक्षक औषधियां भी सम्मिलित हैं। औषधियों की सूची में से बजट की उपलब्धता के आधार पर आवश्यकतानुसार संबंधित अधिकारी द्वारा क्रय की जाती है। सूची संलग्न है।

(2) राजस्थान वालेण्ट्री हैल्थ एसोसिएशन द्वारा 70 जीवनरक्षक औषधियों की सूची उपलब्ध कराये जाने की जानकारी विभाग को नहीं है।

(3) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

आई.ई.सी. ब्यूरो द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं को देय राशि

28. श्री गोपीचन्द (नगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आई.ई.सी. ब्यूरो द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न कार्यों के लिये धन दिया जाता है?

(2) यदि हां, तो जनवरी, 1993 से 15 फरवरी, 1996 तक प्रदेश में किन-किन गैर सरकारी संगठनों ने राशि हेतु आवेदन किया?

(3) उपरोक्त आवेदनों में से किन-किन गैर सरकारी संगठनों को किस-किस मद से कितनी राशि किस काम के लिये आवंटित की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां यह सही है कि आई.ई.सी. ब्यूरो पंजीकृत गैर सरकारी संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित विभिन्न परियोजनाओं हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं के अनुदान प्रस्ताव स्कोक्स समिति द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् अनुदान की राशि निर्धारित मापदंडों के अनुसार देता है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

(2) जनवरी 93 से 15 फरवरी 96 तक निम्न पंजीकृत संस्थाओं के पूर्ण अनुदान प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

1. गरीब नवाज महिला एवं बाल विकास समितिं, अजमेर

2. ज्ञानदीप वेलफेयर सोसायटी, कोटा

3. संकल्प, बारां

4. रूरल एनेवायरमेन्ट डवलपमेन्ट सोसायटी, जयपुर

5. निर्माण संस्था, जयपुर

6. कैलेंगर विकास समिति, जोधपुर

7. चेतना आरोग्य मंदिर, उदयपुर

8. सीको डी कोन, जयपुर

9. अंकुर, उदयपुर

10. ज्ञान स्वास्थ्य संस्थान समिति, उदयपुर

11. गौरव शिक्षा संस्थान, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर

12. जयपुर रूरल हैल्थ एंड डवलपमेन्ट ट्रस्ट, जयपुर

13. आई. आई. आर. एम., जयपुर

14. जनाधार सेवा समिति, श्योसिंहपुरा, जयपुर

15. ग्रामी भारतीय समिति, जयपुर

16. विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्यूट, उदयपुर

17. मानवीय नैतिक संस्थान, उदयपुर

18. राज शिक्षा समिति, जयपुर

19. डवलपमेन्ट सोसायटी फोर सोशियल एंड हैल्थ अवेयरनेस, जयपुर

20. डी.डी.सी. मैमोरियल हैल्थ ट्रस्ट, जयपुर

21. प्रबन्ध समिति विवेकानन्द विद्यालय, दौसा

22. सहयोग संस्थान, भरतपुर

23. भारतीय युवा संस्थान, डूंगरपुर

24. एक्ट बोधग्राम, नागौर

25. बीना माधुरी स्कूल समिति, चूरू

26. लोग भारतीय प्रतिष्ठान, बडवाई, चित्तौड़गढ़

27. न्यू बोम्बे होस्पीटल, जयपुर

28. ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउण्डेशन, राजगढ़, अलवर

29. आदिवासी महिला विकास परिषद, जयपुर

30. शिक्षा एवं जन कल्याण समिति, फलौदी, जोधपुर

31. रामदेव दलित शिक्षा संघ, पोकरण, जैसलमेर

32. मीरा संस्था, जोधपुर

33. रोजगार संस्थान, उदयपुर

34. डी. डी. सी. मोरारका, फाउण्डेशन, झुन्झुनूं

35. परिवार सेवा संस्थान, उदयपुर

36. परिवार सेवा संस्थान, जयपुर

37. शिक्षित बेरोजगार प्रबन्ध समिति, झुन्झुनूं

38. नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर

39. चिकित्सा जोन, उदयपुर

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

40. इंदिरा बाल विद्यालय, बीकानेर

41. श्रीकृष्ण प्रबन्ध समिति, श्रीगंगानगर

42. मनोहर बाल मंदिर समिति, 5 डी ब्लाक, श्रीगंगानगर

43. भारतीय ग्रामोत्थान संस्थान, चूरू

44. ज्ञान सेवा समिति, अजमेर

45. रेडक्रास सोसायटी, जयपुर

46. राष्ट्रभ्य शिक्षण संस्थान, चूरू

47. वेलकम सेवा समिति, उदयपुर

48. विक्टोरिया मान्टेसरी स्कूल शिक्षा समिति, जयपुर

49. चिरंजीलाल बालचन्द रूंगटा मेमोरियल ट्रस्ट, झुन्झुनूं

50. एस. यू. आर. ई., बाड़मेर

51. मदर पूर्णिमा, जयपुर

52. गजासर खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान संस्थान, चूरू

53. रूरल डवलपमेन्ट सोसायटी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग ओर्गेनाइजेशन, सवाई माधोपुर

54. दृष्टि श्रव्य सेवा सदन, उदयपुर

55. जागरुक महिला विकास समिति, जोधपुर

56. बाल रश्मि सोसायटी, जयपुर

57. दीप शिक्षा एवं बाल विकास समिति, जयपुर

(3) उपरोक्त गैर सरकारी संस्थाओं में से निम्न संस्थाओं को अनुदान की राशि भारत सरकार के परियोजना हेतु वित्तीय मापदण्डों के अनुसार आई. पी. पी. 7 (स्कोवा मद) से स्वीकृत की गई है। प्रत्येक संस्था को अपने क्षेत्र में परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण सेवाओं को उपलब्ध कराने के साथ सन्तानोत्पत्ति योग्य जोड़ों को परिवार कल्याण के स्थाई/अस्थाई साधनों से परियोजना काल में सुरक्षित करना है।

परियोजना का नाम	संस्था का नाम	आवंटित कुल राशि
लघु परिवार कल्याण केन्द्र	1. गरीब नवाज महिला एवं बाल विकास समिति, अजमेर	1,58,117.00
	2. कैलेंगर विकास समिति, जोधपुर	52,117.00
	3. गौरव शिक्षण संस्थान, गंगापुर सिटी	36,850.00
	4. सहयोग संस्थान, भरतपुर	50,716.00
	5. रूरल ऐनवायरमेंटल डवलपमेंट ट्रस्ट, जयपुर	33,865.00
	6. सीको डी कोन चाकसू	60,662.00
	7. प्रबन्ध समिति विवेकानन्द विद्यालय, दौसा	54,217.00
		4,46,544.00

(45)

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

परियोजना का नाम	संस्था का नाम	आवंटित कुल राशि
अभिनव परियोजना	1. निर्माण संस्थान, खण्डेल	20,050.00
लिंक मोडल स्कीम	ज्ञानदीप वेलफेयर सोसायटी कोटा	52,117.00
लघु परिवार कल्याण केन्द्र (रीपेमण्ड)	रामदेव शिक्षण संस्थान, पोकरण	2,15,933.00
मोडल स्कीम नं. 1 अंतराल विधिया	1. ज्ञान सेवा समिति, अजमेर	42,165.00
	2. शिक्षा एवं जन कल्याण समिति, जोधपुर	1,14,187.00
	3. मीरा संस्थान, जोधपुर	80,685.00
	4. आई. आई. आर. एम., जयपुर	2,45,450.00
	5. भारतीय युवा सेवा संस्थान, डूंगरपुर	68,829.00
	6. अधिष्ठा लोक भारतीय प्रतिष्ठान, बडवाई, चित्तौड़गढ़	2,94,102.00
	7. एक्ट बोधग्राम, नागौर	2,91,060.00
	8. वीणा माधुरी स्कूल समिति, चूरू	91,080.00
	9. भारतीय ग्रामोत्थान संस्थान, चूरू	42,165.00
	10. रेडक्रास सोसायटी, जयपुर	4,20,188.00
	11. गजासर खादी ग्रामो उद्योग प्रशिक्षण संस्थान, चूरू	46,485.00
	12. शिक्षित रोजगार प्रबन्ध समिति, झुन्झुनूं	46,485.00
		17,82,881.00
मोडल स्कीम नं.2 6 शयो का वार्ड वत्सल्य कक्ष	जयपुर रूरल हैल्थ एण्ड डवलपमेंट ट्रस्ट, जयपुर	8,23,950.00
	न्यू बोम्बे होस्पीटल, जयपुर डवलपमेंट सोसायटी और	7,26,750.00
	सोशल एण्ड हैल्थ अवेयरनेस	7,16,400.00
		22,67,100.00
	G.Total	47,86,625.00

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य कर्मी योजना हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा आवेदन एवं पूर्ण प्रस्तावों को दिये गये अनुदान का विवरण

दिनांक 26.11.94 को स्कोवा समिति के समक्ष रखे गये प्रस्ताव	स्वीकृत प्रस्ताव मय राशि के
1. इन्दिरा बाल विद्यालय, बीकानेर	—
2. ममता विद्या मन्दिर, नागौर	—
3. लोक भारती प्रतिष्ठान, चित्तौड़गढ़	2,84,173.00
4. एम. आर. मोरारका जी. डी. सी. ट्रस्ट, झुंझुनूं	2,71,006.00
5. ग्राम विकास विज्ञान समिति, जोधपुर	—
6. यूथ आरगेनाइजेशन फार ग्लोबल चेंज, टोंक	—
7. ग्राम सेवा मण्डल, दूदू	1,93,545.00
8. मानव सेवा शिक्षा समिति, बाड़मेर	1,86,291.00
9. आसोपा, बांसवाड़ा	2,31,465.00
10. सेवक डेज चिल्ड्रन स्कूल, बीकानेर	—

(कुल 5 स्वयंसेवी संस्थाओं को उपरोक्त वर्णित अनुदान दिया गया)

दिनांक 30.3.95 को स्कोवा के समक्ष रखे गये प्रस्ताव

1. आई. एस. डी. ई. एस. आर., चूरू	—
2. सैंट ऐंजला एज्यूकेशन सोसायटी, उदयपुर	—
3. अभिनव शिक्षा समिति, उदयपुर	—
4. उदमूल ट्रस्ट, बीकानेर	1,83,575.00
5. देवनारायण ग्राम विकास संस्थान, टोंक	2,84,173.00
6. प्रगतिशील समिति, सीकर	—
7. वेलकम सेवा समिति, उदयपुर	—
8. जनचेतना संस्थान, सिरोही	—
9. यूथ आरगेनाइजेशन फार ग्लोबल चेंज, टोंक	—
10. जयपुर रूरल एण्ड हैल्थ डवलपमेन्ट ट्रस्ट, जयपुर	—
11. गरीब नवाज महिला एवं बाल कल्याण समिति, अजमेर	1,83,575.00
12. शिक्षा एवं जन कल्याण समिति, खीचंन, जोधपुर	—

(कुल 3 स्वयंसेवी संस्थाओं को उपरोक्त वर्णित अनुदान दिया गया)

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

दिनांक 19.9.95 को स्कोवा समिति के समक्ष रखे गये प्रस्ताव	स्वीकृत प्रस्ताव मय राशि
1. रामदेव शिक्षा उत्थान संघ, पोकरन, जोधपुर	—
2. रोयल सेंट्रल स्कूल सोसायटी, उदयपुर	—
3. मोरपा ग्राम विकास समिति, सवाई माधोपुर	1,83,575.00
4. ब्रज मेवात मण्डल संस्थान, नगर, भरतपुर	2,03,049.00
5. जन जीवन कल्याण संस्थान, नगर, भरतपुर	—
6. इन्दिरा बाल विद्यालय, बीकानेर	—
7. भारतीय जन सेवा प्रतिष्ठान, बांसवाड़ा	1,83,150.00
8. ग्राम विकास संस्थान, खामौर, भीलवाड़ा	—
9. एकट बोधग्राम, कुचामन सिटी, नागौर	—

(कुल 3 स्वयंसेवी संस्थाओं को उपरोक्तानुसार अनुदान दिया गया।)

दिनांक 27.10.95 को स्कोवा के समक्ष प्रस्ताव

	जिला	ब्लाक	
1. स्वच्छ	उदयपुर	6	
	डूंगरपुर	5	
	बांसवाड़ा	4	
	चित्तौड़गढ़	2	
		17	32,41,395.00

दिनांक 22.11.95 को स्कोवा के समक्ष प्रस्ताव

1. आदर्श मानव विकास संस्थान, सवाई माधोपुर	—
कुल योग	56,28,972.00

सीकर जिले में सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत विकास कार्य

29. श्री बनवारी लाल भिण्डा (फतेहपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एक जनवरी, 1995 से 31 जनवरी, 1996 तक सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत सीकर जिले में कितनी राशि के क्या-क्या विकास कार्य करवाये गये? पंचायत समितिवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में से कौन-कौन से कार्य अधूरे हैं सरकार अधूरे कार्यों को कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) सीकर जिले में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1995 से जनवरी, 96 तक रु. 1433.35 लाख अनुमानित राशि के 442 कार्य स्वीकृत किये गये, जिनका पंचायत समिति एवं कार्यवार प्रपत्र-"अ" पर संलग्न है।

(2) अभिकरण द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत जनवरी, 95 से जनवरी, 96 तक कुल 442 कार्य स्वीकृत किए गए, जिनमें से 172 कार्य पूर्ण किये गये हैं तथा शेष 270 कार्य अभी पूर्ण नहीं हुए परन्तु प्रगति पर हैं। इन कार्यों को योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि के आधार पर शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कराया जायेगा। अपूर्ण कार्यों का कार्यवार प्रपत्र-"ब" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

अन्त्योदय योजना में चयन प्रकरण

30. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अन्त्योदय योजनान्तर्गत चयनित व्यक्तियों से कम आय वाले व्यक्ति के चयन से वंचित रह जाने पर चयन की त्रुटि को दुरूस्त करने तथा ऐसे व्यक्ति का भी चयन करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी निर्देश एवं नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या चयन प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों तथा त्रुटि की शिकायतों के निराकरण हेतु कोई नीति निर्धारित है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या 1 जनवरी, 1995 से 31 दिसम्बर, 1995 तक के चयन में रही त्रुटियों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो जिलेवार प्राप्त शिकायतों एवं उनके अब तक किये गए निस्तारण सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा निर्देशित चयन प्रक्रिया के अनुसार ही वर्ष 1992 में अन्त्योदय चयन प्रक्रिया के स्थान पर आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराने हेतु राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों का विस्तृत सर्वे करवा कर गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों का चयन किया गया है। उपरोक्त प्रक्रिया में कम आय वाले व्यक्तियों के छूट जाने व वंचित रहने की त्रुटि को दुरस्त कराने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी हां, यदि गरीबी रेखा से अधिक आय के किसी परिवार के चयनित होने का मामला ध्यान में आता है, तो उस पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा नियमानुसार

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

जांच की जाती है। यदि जांच से यह पाया जाता है कि वास्तव में वह परिवार गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन करने वाला परिवार है तो ऐसे परिवार का नाम चयन सूची से हटाने के लिये परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अधिकृत है।

(3) भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.1.95 से 31.12.95 की अवधि में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के सर्वे चयन हेतु विस्तृत सर्वे/सामान्य चयन हेतु कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं इसलिये त्रुटियां रहने एवं तत्सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं है।

सवाई माधोपुर जिले के छात्रावास

31. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाईमाधोपुर में कुल कितने छात्रावास हैं? कितनों के पास स्वयं के भवन हैं एवं कितनों के पास किराये के भवन हैं? अब सरकार किन-किन छात्रावासों के भवन बनाने के लिये राशि दे रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सवाईमाधोपुर में अब तक कितनी राशि छात्रावास हेतु दी गई और किस मद में खर्च हुई? तहसीलवार खर्चे का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में 17 राजकीय एवं एक अनुदानित कुल 18 छात्रावास हैं, जिनमें से 2 राजकीय छात्रावास सरकारी भवन में संचालित हैं एवं एक अनुदानित छात्रावास संस्था के भवन में संचालित है। शेष 15 राजकीय छात्रावास किराये के भवनों में संचालित हैं। 15 किराये के छात्रावासों में से निम्न छात्रावासों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है :—

1. राज. अनुसूचति जाति छात्रावास, गंगापुर सिटी

2. अनु. जनजाति छात्रवास, खण्डार।

(2) सवाई माधोपुर जिले के संचालित छात्रावासों हेतु तहसीलवार की गई राशि का व्यय विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

तहसील खैरवाड़ा में संचालित छात्रावास

32. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में छात्रावास संचालित है? यदि हां, तो कब से और उसमें कितने छात्रों को प्रवेश दिया जाता है?

(2) क्या यह भी सही है कि छात्रा के निवास के लिए भवन नहीं है केवल एक कमरे में और बाहर बरामदे में छात्र रहते हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि छात्रावास भवन बनाने के लिए भूमि आबंटित करवाने की कार्यवाही की थी? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा एक छात्रावास संचालित है, तहसील क्षेत्र में 10 छात्रावास संचालित हैं। 8 बालक छात्रावास व

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

2 कन्या छात्रावास, जिनको स्वीकृत छात्र संख्या क्रमशः 225 एवं 105 है। छात्रावासों के नाम, स्थान तथा कब से प्रारम्भ हैं की सूची संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है कि छात्रों के निवास हेतु भवन नहीं है। खैरवाड़ा तहसील में दो कन्या छात्रावास संचालित हैं, जिनमें से एक कन्या छात्रावास खैरवाड़ा में तथा एक ऋषभदेव में संचालित है। खैरवाड़ा छात्रावास में छात्राओं के लिए आवास की पर्याप्त सुविधा है। ऋषभदेव में छात्रावास आश्रम स्कूल के भवन में संचालित किया जा रहा है, जिसमें दो हालनुमा कमरे व एक रसोईघर है। शेष 8 छात्रावास पर्याप्त भवनों में संचालित है।

(3) यह सही है कि ऋषभदेव में छात्रावास भवन बनाने हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही की गयी थी। इस भूमि पर जनजाति विकास विभाग द्वारा भवन निर्माण कराया जा रहा है, जो नया सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व पूर्ण होने की संभावना है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

पंचायत समितियों में पशुपालन विभाग के चयनित विकास अधिकारी

33. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) एवं **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पिछले महीनों में पशुपालन विभाग के कुछ अधिकारियों को पंचायत समितियों में विकास अधिकारी के पद हेतु चयनित किया गया था? यदि हां, तो जिन अधिकारियों को विकास अधिकारी चयनित किया गया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। माह फरवरी, 96 में चयनित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

पशु चिकित्सालयों में दवाइयों का बजट

34. श्री अमराराम (धोद) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग द्वारा खरीदी जाने वाली दवाइयों का वर्ष 1995-96 का कितना बजट था और उसमें से 31 जनवरी 1996 तक कितना खर्च कर लिया और कितना शेष है?

(2) विभिन्न पशु चिकित्सालयों का दवाइयों का कितना-कितना बजट है तथा उसमें कौन-कौन सी दवाइयां आती हैं?

(3) कितने पशु चिकित्सक दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 95-96 में औषधि हेतु कुल रु. 1,06,45,600 का बजट प्रावधान था जिसमें से 31-1-96 तक 8,91,600 रु. का अबंटन (व्यय) हो चुका है। शेष राशि का आबंटन माह फ़रवरी में किया जा चुका है एवं समस्त राशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाना सम्भावित है।

(2) बजट राशि का आबंटन जिला स्तरीय आहरण वितरण अधिकारियों को किया जाता है जिसमें उनके अधीन कार्यरत संस्था इलाज किये गये पशुओं की संख्या, विभिन्न चिकित्सालयों द्वारा दी गई मांग पर आधारित होकर उपलब्धि अनुसार किया जाता है। विभागीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दवाइयों की खरीद आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा की जाती है। अनुमोदित दवाइयों सूची संलग्न है।

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

(3) वर्तमान में 52 पशु शल्य चिकित्सक एवं 81 सहायक शल्य पशु चिकित्सक दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हैं। सूची संलग्न है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का बहुत ही गम्भीर विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्दर गत दिनों ग्राम राजौर के अन्दर किसान अपना कुआं खोद रहे थे और कुआं खोदते-खोदते जब कुआं बहुत गहरा हो गया तो एक ही परिवार के चार व्यक्ति कुआं खोद रहे थे, उनके ऊपर मिट्टी ढह गयी और चारों व्यक्तियों की मृत्यु वहां पर हो गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं किन्तु माननीय मंत्री महोदय मुस्कुरा रहे हैं। बड़े दुःख की बात है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, चार-चार मौतें क्षेत्र के अन्दर हो गयीं मैं इतने गम्भीर विषय को आपके सामने रख रहा हूं और माननीय मंत्रीजी मुस्कुरा रहे हैं। इससे बुरी बात और क्या होगी। शर्म की बात है यह—

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। हो गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिये मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि प्रशासन जो आज तक वहां पर मौके पर नहीं गया, देखे और जिनके आदमी मरे हैं उनको तुरन्त एक-एक लाख रुपये की सहायता दी जाये। आज उनके जो बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में जो ताला लग गया है—

श्री अध्यक्ष : विराज जाइये। श्री गोपीराम जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : उनके साथ जो अन्याय हुआ है उस ओर सरकार ध्यान देगी और उनको निश्चित रूप से सहायता दिलायेगी ताकि—

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीचन्द जी। श्री गोपीराम जी। दोनों ही।

श्री गोपीराम : बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : दोनों का एक ही बारे में है।

श्री गोपीराम : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र के अन्दर—

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अब वे क्या कार्यवाही इसके बारे में करेंगे? प्रशासन आज तक नहीं गया, उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष : आपकी बात हो गयी। आप विराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं, आपके अधिकारी आज तक नहीं गये, उनका क्या होगा?

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी, विराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या सहायता सरकार देगी उनको, यह निवेदन है मेरा हाथ जोड़कर और सरकार उनके बारे में क्या करेगी?

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : आदमी मर गये, दब गये मिट्टी के अन्दर। प्रशासन ने आज तक ध्यान नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : सरकार उनके बारे में क्या कर रही है, यह मेरा निवेदन है?

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है—

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी, विराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्रीजी इस पर ध्यान दें और एक-एक लाख रुपये की घोषणा की जाये मरने वालों के लिए। एक-एक लाख रुपये उन मरने वालों के परिवार को देने की घोषणा की जाये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री गोपीराम जी

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से निवेदन है—

श्री अध्यक्ष : आप विराज जायं।

श्री रामस्वरूप मीणा : जो लोग मरे हैं उन मरने वालों के परिवार के लिए सरकार क्या सहायता कर रही है और क्या इसकी जांच करायेगी, मंत्रीजी तो कह ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपा करके अब तो विराज जाएं। आपने अपनी बात उठा दी। विराजें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा निवेदन है आपसे, इतना गंभीर मामला हो गया, चार-चार आदमियों की मौतें हो गयी और फिर कोई भी जवाब नहीं दिया जाये सदन की ओर से, बहुत दुःख की बात है, शर्म की बात है। इस काम के लिए उनको + + +

श्री अध्यक्ष :आप विराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : अब कोई भी इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है सरकार की ओर से। जो मर गये क्या उनकी जांच की जायेगी?

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी, विराजें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : कौन जांच करेगा, इस बात का जवाब दिलाया जाये। कौन जांच करेगा उसकी और जांच करने के बाद में—

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। आप विराज जाइये। श्री गोपीराम जी।

श्री गोपीराम : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ज्ञानचन्द गुर्जर का—

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे पास रिकार्ड है, राजोर गांव, तहसील टोडाभीम के अन्दर गंभीर हादसा हुआ है, मेरा निवेदन है माननीय मंत्रीजी इसकी जांच करवायें। मरने वालों के परिवार को क्या सहायता दे रही है, इस बात की घोषणा की जाये।

श्री अध्यक्ष : कृपा करके विराज जाइये आप। रामस्वरूप जी, विराज जाइये।

श्री रामस्वरूप मीणा : जो अधिकारी आज तक वहां नहीं गये हैं मौके पर उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री गोपीराम : माननीय सदस्य, आप जैसा ही विषय मेरा है, आप क्यों मेरा समय खराब कर रहे हैं?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है—

श्री अध्यक्ष : हां, हाथ जोड़ दिये हैं। आपकी सारी बात हो गयी है।

श्री गोपीराम : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ज्ञानचन्द—

श्री रामस्वरूप मीणा : जो मर गये हैं उनके लिए क्या सहायता दिलाओगे? क्या कार्यवाही उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ की जायेगी? माननीय मंत्रीजी जवाब देने को तैयार हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अब विराज जाइये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : अगर आपका बेटा मरता, अगर हमारा भाई मरता तो आपको कितना दुःख होता, यह बताइये और वहां पर चार-चार मौतें हो जायें और कोई दुःख नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब विराजें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : कोई जवाब मंत्रीजी नहीं दें इसका? मेरा विनम्र निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, माननीय मंत्रीजी इस बात का जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : कृपा करके विराज जाइये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : जो कार्यवाही अब तक नहीं की गयी है, क्यों नहीं की गयी है और जो आदमी—(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इतना सीरियसली एजीटेट कर रहे हैं। चार आदमी कुएं में दब कर मर गये। गरीब लोग थे, किसान थे। एक सरकारी ड्राइवर अगर कहीं इन्जर्ड हो जाये उसको तो मुख्य मंत्री जी अपने सहायता कोष में से मनीआर्डर भेज देते हैं, चैक भेज देते हैं और चार किसान मर गये कुएं के अन्दर दब कर, उनके बारे में सरकार नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नोटिस तो, अब आपने ध्यान में लाया है तो बाद में बात कर लेंगे। इसमें बात क्या हो गयी।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, अगर ध्यान में लाये हैं तो बात तो होगी। अब आप विराज रहे हैं, सारा सदन बैठा है, चार किसान मर गये, गरीब आदमी कुआं बना रहे थे—

श्री रामस्वरूप मीणा : जवाब दिलाओ मंत्री जी से।

श्री रामनारायण चौधरी : —और सरकार कोई नोटिस नहीं ले रही है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सरकार इसका जवाब दे क्या जांच करवा रही है? क्या सहायता उनको दे रही है?

श्री अध्यक्ष : देखिये, शून्यकाल का यह मतलब नहीं है, रामनारायण जी। उसी समय मंत्रीजी को उस बात का ज्ञान तो है नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : एक सरकारी ड्राइवर घायल हो जाय, इन्जर्ड हो जाये उसको तो दस हजार रुपये आप सहायता में दे देते हो और—

श्री अध्यक्ष : आपने जो बात उठाई है उस पर अभी विचार कर लेंगे जो भी होगा।

श्री रामनारायण चौधरी : —और चार किसान कुएं के अन्दर दब कर मर गये उनका सरकार कोई नोटिस ही नहीं लेती है इससे ज्यादा + + + सरकार और क्या होगी। (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : इससे ज्यादा + + + सरकार और क्या हो सकती है। किसान कुआं खोद रहे थे और कुएं के अन्दर दब कर चार आदमी मर गये, उसके लिए माननीय सदस्य एजीटेट कर रहे हैं, उनके इलाके की बात है, आप प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। + + +

श्री अध्यक्ष : मैं + + + नहीं ले रहा हूं, माननीय रामनारायण जी। माननीय सदस्य, आप इतने सीनियर मैम्बर हैं__(व्यवधान) 15 मिनट तक एक सदस्य को बोलने दिया और माननीय विधायक, आप कैसी बात कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : बोलने का क्या मतलब निकला यहां ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह तो कोई ठीक बात नहीं हुई।

श्री रामनारायण चौधरी : यह सरकार कोई नोटिस ही नहीं ले रही है।

श्री अध्यक्ष : अब आपने कहा है तो उस पर विचार करेंगे। इतनी जल्दी कैसे हो जायेगा ?

श्री गोपीराम जाट : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दें। मुझे भी मेरी बात कहने का मौका दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : एट रेन्डम कोई बात आयी है, पहले तो कोई नोटिस दिया नहीं इसका। आप विराजिये। कमला जी, विराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : सरकार को नोटिस लेना चाहिये। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (बैराठ) : कोई आश्वासन तो दें मंत्री महोदय खड़े होकर के। संवेदना प्रकट करें, आश्वासन दें। क्या व्यवस्था करेंगे, यह बतायें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजें। ध्यान में आ गया है, बात कर लेंगे। आपने कहा है, आखिर आप इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपने कहा है तो उस पर जरूर विचार होगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या जवाब दिलायेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए आप हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके अधिकारों के लिए ही तो बोलने का अवसर दिया है और दूसरे भी माननीय सदस्य बोलेंगे। आप विराजें।

श्रीमती कमला : आश्वासन दिलवाइये। मंत्री महोदय क्या कार्यवाही करेंगे, इतनी गंभीर घटना हो गयी है और आप कुछ आश्वासन ही नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। विश्नोई साहब कुछ कह रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था जिसमें भारत-पाक सीमा पर अनूपगढ़ में__

श्री अध्यक्ष : मैं अभी देता हूं। मैं अभी व्यवस्था दूंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं, उसके ऊपर कोई आश्वासन दिलवाया जाय, मेरा विनम्र निवेदन है। मेरे चार काश्तकार मर गये और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। कुछ तो आश्वासन मुझे दिलाया जाय। अध्यक्ष महोदय, जब तक आश्वासन नहीं दिया जायेगा यह सदन__

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री गोपीराम जाट : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम टोडी दौलतपुरा के निवासी ज्ञानचन्द—

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : दूसरे माननीय सदस्य और भी हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। रामस्वरूप जी, आप विराजें।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, एक मामला सदन में आया है, सरकार को आश्वासन तो देना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। रामस्वरूप जी विराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी, आप विराजिये।

श्रीमती कमला : हम तो बैठ जायेंगे, आप उनको खड़ा करके आश्वासन तो दिलवाइये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये तो सही। आप किसी की सुनेंगे नहीं। मैं कोई बात कह रहा हूं, अब आप किसी की सुनना नहीं चाहते। मैं यह कह रहा हूं कि किसी नियम के अन्तर्गत कोई नोटिस होगा तो ही वे जवाब देंगे। अभी क्या जवाब देंगे। अब आपने बात उठाई है, सबने नोट किया, मैंने भी नोट किया। आप और हम बात कर लेंगे उसमें क्या हुआ ?

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी गंभीर विषय है और आपके यहां भी आदमी मरे हैं और मेरे क्षेत्र के अन्दर भी कार्यकर्ता की हत्या हुई है। आप मेरा समय खराब कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। अंकित मत करो। कोई तरीका होना चाहिये बात उठाने का।

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। (व्यवधान) माननीय कमला जी, यह कभी होता है क्या कि बिना नोटिस दिये कोई बात आ जायेगी ?

श्रीमती कमला : उसमें कहां जोर आ रहा हैं मंत्री महोदय को—(व्यवधान) जो संभव होगा वो सहायता करेंगे। सहायता करनी है और दो शब्द कहने में क्या जोर आ रहा है ?

श्री अध्यक्ष : यह नोटिस आया है और अब उस पर विचार होगा। अभी की अभी बात कैसे कह देंगे।

श्रीमती कमला : सहायता के लिए मंत्री महोदय को दो शब्द कहने में क्या जोर आ रहा है? यह एक दुर्घटना है इसके ऊपर तो सोच-समझ कर ही कहना चाहिये।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मैं जो सुन पाया हूं, सही है या गलत, चार आदमी कुएं में दबे हुए पड़े हैं या निकाल लिया गया। मर गये तो आप उनके बारे में मुझसे मिलें, जानकारी दें, उनकी सहायता जितनी कर सकता हूं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : बात इतनी सी है।

श्री गोपीराम जाट (आमेर): अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम टोडी दौलतपुरा के ज्ञानचन्द गुर्जर की 6 तारीख को गोली मार कर हत्या कर दी गयी। ज्ञानचंद गुर्जर एक सार्वजनिक धर्मशाला के मामले को लेकर कई दिनों से ग्रामीण जनता की ओर से पैरवी कर रहा था। परसों एक आदमी जाकर के उसको जमीन का सौदा करने के बहाने बुलाकर लेकर गया और विद्याधर नगर में लाकर उसकी गोली मार कर हत्या कर दी। यह सार्वजनिक धर्मशाला 300 साल पुरानी है। इसके अन्दर कई वर्षों तक प्राथमिक विद्यालय चला। उसके पश्चात् विद्यालय को वहां से स्थानांन्तरित कर उदयपुरिया गांव में ले गये। इसी खाली स्थान को देखकर तत्कालीन कलक्टर, लक्ष्मीचन्द जी गुप्ता का एक प्रेशर था, उन्होंने भी इसके ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया लेकिन ग्रामीण जनता के विरोध से वह कब्जा करने में सफल नहीं हो पाये। उसको खाली कराकर गांव के लोगों ने उसको सार्वजनिक उपयोग के लिए रखा। पिछले 5-6 साल में फर्जी डाकुमेंन्ट तैयार करके एक एस.एस. राठौड़ नाम के व्यक्ति ने उसके ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया। लेकिन 1990 और 1991 में हमने उस पर फिर से ताला लगवा दिया, तत्कालीन एस.डी.ओ. और कलक्टर वी.एस. सिंह जी के समय में हमने फिर ताला बन्द करवा दिया लेकिन वापस उसका ताला खोलकर वह लोग आज तक उस पर काबिज हैं। गांव के लोगों का निरन्तर यह प्रयास रहा है कि उसको खाली कराया जाय। उसके परिणामस्वरूप निचले कोर्ट में ग्रामीण जनता की जीत हुई और उसको खाली करने के आदेश हो गये। जब कब्जा लेने के लिए गये तो ऊंचे कोर्ट द्वारा फिर से स्टे दे दिया गया। अभी भी वह स्टे की कार्यवाही चल रही है और कल उसमें तारीख थी। तो कल तारीख पेशी पर नहीं जा सके, इसके पहले ही ज्ञानचन्द की कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। मेरा माननीय गृह मंत्रीजी से यह आग्रह है कि उसके हत्यारों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाय और हत्यारों को ढूँढ़ने के साथ-साथ इसमें मैन अभियुक्त, जो उस धर्मशाला पर काबिज हैं, एस.एस. राठौड़, यह हत्या हुई तो उनकी शह से किसी आदमी द्वारा हुई है तो इसके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाय और जब तक फैसला नहीं हो जाय, उस सार्वजनिक धर्मशाला को धारा 145 में कुर्क कर लिया जाय, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीचन्द जी।

श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी माननीय विधायक ने इसके ऊपर विस्तार से बता दिया है। अफसोस की बात यह है कि पुलिस ने इसको हत्या का मुकदमा ही बड़ी मुश्किल से दर्ज किया।

कितनी ही बार एक्सरे कराया गया। तब तो उसको यह माना। जब कारतूस उसकी पसलियों में गड़ा हुआ मिल गया।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : पाईंट ऑफ आर्डर।

श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) : और उस सबके बावजूद यह बात स्पष्ट है कि राठौड़ ने ही उस व्यक्ति को मरवाया है___

श्री अध्यक्ष : एक मिनट विराजें आप। आप विराजिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पाइंट ऑफ आर्डर उठा रहा हूं मैं। ऐसा है अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, कोई नयी परम्पराएं बनायी जा रही हैं। यहां पर या तो स्थगन, प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो नहीं आया है। अभी—

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 295, द्वारा तत्काल महत्व के प्रश्न उठाये जा सकते हैं। अब हर कोई हरेक प्रश्न उठा ले तो उसका तो कोई अन्त ही नहीं होगा और सरकार भी उसमें क्या करेगी, तत्काल क्या उत्तर देगी। तो जो नियमों के अन्दर प्रावधान हैं, उनके अनुसार सदन की कार्यवाही चलायी जायं।

श्री अध्यक्ष : यही मैं कह रहा हूं माननीय सदस्यों से कि नियमों के अन्तर्गत हो तो उसी पर बात करें।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : नहीं तो आप हैं, अध्यक्ष महोदय, नियम के अन्तर्गत और अध्यक्ष महोदय आपके स्पीकर्स— (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप नाम पुकार रहे हैं, जो सब बोल रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आपके स्पीकर्स डायरेक्शन और नियमों के तहत ही आपने जीरो आवर के अन्दर चिट सिस्टम कर रखा है। उस सिस्टम के हिसाब से ही यह मामला यहां से उठाया गया था। विशेष उल्लेख दूसरा है लेकिन यह आपने एक सिस्टम और कर रखा है कि पहले शून्यकाल में इत्तला दे दो कि इस चीज पर मैं बोलना चाहता हूं। उस पर आप कृपा करके दो मिनट दे देते हो।

श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो नियमों के अनुसार ही बोल रहे हैं, यह समय भी अधिक दूसरे ही प्रतिपक्ष के साथी—

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : यह नियम ही है। अध्यक्ष महोदय, आप ही काल कर लेते हो और फिर उसमें आप ही हमारे को + + + लग जाते हो।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आप भी हमें + + + लग जाते हो।—(व्यवधान) आपके आदेश से ही बोल रहे थे।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, यह कोई नयी व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हां, तो इनको पूरा बोलने दिया न। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : पूरा तो बोलने दिया लेकिन आपने यह जवाब दिया कि सारा हाउस—(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : यह कोई नयी व्यवस्था नहीं है। इस विधान सभा के शुरू से ही ऐसी व्यवस्था चलती आ रही है और मेरे ख्याल से आपके आदेश से माननीय सदस्य कुछ कहते हैं इसलिए नयी व्यवस्था नहीं है और इसको चालू रहने दिया जायं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : —यह तो मुख्य मंत्रीजी ने सुन लिया। नयी व्यवस्था नहीं है, यह तो पुरानी व्यवस्था है, आपके जमाने की।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें अभी।

श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा गृह मंत्रीजी से आपके माध्यम से आग्रह है कि इसके अन्दर हत्या का सुराग राठौड़ से मिलेगा, शिव सिंह राठौड़ से, यह साफ जाहिर है। उसने इसके लिए चैलेंज भी किया था, ज्ञानचन्द जी को पहले। दूसरे कार्यकर्त्ताओं को भी इसने टेरराइज कराने के लिए धमकियां दी थीं। इसलिए निश्चित रूप से राठौड़ की जानकारी में यह हत्या है। और इस व्यक्ति ने धर्मशाला के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है। जब उस धर्मशाला की पैरवी के अन्दर वह व्यक्ति लगा हुआ था, ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति का यदि उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से मर्डर किया तो धारा 302 का मुल्जिम उसको बनाया जाय और इस ज्ञान चन्द गुर्जर के नाम से उस धर्मशाला में एक स्टेच्यू खड़ा करने की भी परमीशन दी जाय और इस मृतक के परिवार के लिए कम से कम एक लाख रुपये दिये जायं। उस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, मात्र 16 वर्ष का एक बालक है, सरकार से उसको नौकरी की सुविधा मिलनी चाहिए और ऐसे अपराधी के प्रति जल्दी से जल्दी कठोर कार्यवाही की जायं। वरना तो इस तरीके से एक माफिया खड़ा हो जायेगा और गरीब लोग सार्वजनिक जगहों पर कहीं भी लड़ाई नहीं लड़ पायेंगे। इसलिए राठौड़ को तुरन्त प्रभाव से गिरफ्तार कर जेल के सींखचों में बन्द किया जाय।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री चुन्नीलाल गरासिया।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गोपी राम जी जाट और गोपीचन्द जी गुर्जर ने जो मसला उठाया है, यह परसों हत्या हुई थी और उसके बाद मेरी जानकारी में भी आ गया। इस मामले में एस.पी., जयपुर को अपनी निगरानी में बिल्कुल सख्त कार्यवाही करने के और जल्दी से जल्दी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये हैं। एस.पी. स्वयं अपनी निगरानी में यह सारी कार्यवाही करा रहे हैं। यह मैं माननीय सदस्य की सन्तुष्टि के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वर्ष 1987 में तत्कालीन सरकार ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय का विभाजन करके कृषि संकाय को अलग किया और एक नया कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में खोला, आज नौ वर्ष हो गये। लेकिन जनजाति क्षेत्र में सुखाड़िया विश्वविद्यालय की जो हालत बनी हुई है, उसको देखकर वहां की जनता, वहां के छात्रों, वहां के कर्मचारियों, वहां के प्राध्यापकों में बड़ा आक्रोश है और उन्होंने आन्दोलन करने का भी निर्णय लिया है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा एक तो विशेष रूप से उनकी सम्पत्ति का जो बंटवारा है। उसके बारे में कि नौ वर्ष होने आये लेकिन अभी तक उनकी सम्पत्ति का बंटवारा नहीं हुआ।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, हरियाणा छोटा सा राज्य है वहां पर दो कृषि विश्वविद्यालय हो सकते हैं तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकते हैं। जनजाति क्षेत्र होने के नाते भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि एक नया कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में खोला जाय या सुखाड़िया विश्वविद्यालय को बहु संकाय विश्वविद्यालय घोषित करके जो कृषि महाविद्यालय वहां चल रहा है, उसको उसी विश्वविद्यालय में मर्ज किया जायं ताकि जो सम्पत्ति का विवाद है वह वहां सुलझ जायं

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

वहां जो सम्पत्ति है, स्थायी सम्पत्ति है, वह सुखाड़िया विश्वविद्यालय को मिले, यह विशेष रूप से वहां का जन प्रतिनिधि होने के नाते मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा। जल्दी से जल्दी समस्या का निपटारा किया जाय ताकि आने वाले समय में वहां की जनता में, वहां के छात्रों में, वहां के कर्मचारियों में, वहां के लैक्चरर्स में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को कम किया जा सके।

श्री अध्यक्ष : विराज जायें अब।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : साथ ही साथ मैं थोड़ा दूसरे विषय पर कहना चाहूंगा। वहां के हमारे वी.सी. अभी अस्थायी हैं। चयन कमेटी बन चुकी है। अभी बोम की मीटिंग हुई थी। उस समय भी वहां के छात्र वर्ग में, प्राध्यापक वर्ग में आक्रोश था कि वी.सी. स्थायी न होने के कारण कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसलिए सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी स्थायी वी.सी. वहां नियुक्त किया जायं ताकि विश्वविद्यालय में सही निर्णय हो सके। वहां कई पद ऐसे हैं जो खाली हैं मैन पावर और संसाधन पूरे नहीं होने के कारण आज विश्वविद्यालय में वास्तव में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, मैं कृषि मंत्री और शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो मैंने मुद्दे उठाये हैं। उनका जल्दी से जल्दी निराकरण करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय रमाकान्त जी।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में एक जो ऐसी वैधानिक स्थिति पैदा हो गयी है, उसके बारे में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर गवर्निंग कौंसिल की जो मीटिंग हैं वह हो ही नहीं रही हैं। बार-बार गवर्निंग कौंसिल के मैम्बर कहते हैं कि मीटिंग बुलवाइये और वहां मीटिंग नहीं होती हैं बिल्कुल ही। यदि विश्वविद्यालय की जो सिंडीकेट जैसी चीज है, उसकी मीटिंग नहीं होगी तो वहां निर्णय कौन ले रहा है। सारे के सारे जो पावर्स हैं वे विश्वविद्यालय के सिंडीकेट अर्थात् गवर्निंग कौंसिल के अन्दर हैं और गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग नहीं होती है। तो एक ऐसा वैधानिक संकट हो गया है और इस समय जो वहां के कुलपति हैं, वह मनमाने ढंग से नियुक्तियां कर रहे हैं, मनमाने ढंग से पदोन्नतियां कर रहे हैं, मनमाने काम कर रहे हैं, जो उनकी शक्ति में नहीं है, उनके पावर में नहीं हैं। यदि इसके बारे में तत्काल कोई जांच नहीं हुई, राज्य सरकार ने इन्टरफियर नहीं किया तो वहां पर बहुत बड़ा घपला हो जायेगा, बहुत बड़ी गड़बड़िया हो जायेंगी, जिनको बाद में ठीक नहीं किया जा सकेगा। यह बात मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल आज यही घोषणा करें कि कोई जांच अधिकारी या कोई जांच समिति वहां नियुक्त की जाय। वरना वहां पर इरेपेबल लोस हो जायेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की पंचायतों की एक समस्या है और मेरे ख्याल से यह समस्या सिर्फ मेरे निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, सम्पूर्ण राजस्थान की पंचायतों की समस्या हैं। राज्य सरकार के अविवेकपूर्ण निर्णयों से, कदमों से यह समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार का पंचायती राज संस्थाओं के प्रति क्या रवैया है और कितनी उपेक्षापूर्ण नीति है यह तो मैं समय आने पर बाद में बतलाऊंगा

(श्री शिवनाथ सिंह)

लेकिन एक बिन्दु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

पिछले साल यहां सदन में चर्चा हुई तब यह निर्णय किया गया था और यहां विश्वास दिलाया गया था कि हर ग्राम पंचायत को एक पूर्णकालिक सचिव मिलेगा। पहले एक ग्राम सेवक के पास 2-3 पंचायत हुआ करती थीं और अब यह निर्णय किया गया था कि हर पंचायत में एक सचिव होगा। उसकी अनुपालना में राज्य सरकार ने एक ग्राम सेवक को एक पंचायत दी और जहां ग्राम सेवक नहीं थे वहां कृषि पर्यवेक्षक जो कृषि विभाग के हैं उनको पंचायत दी और वह भी नहीं मिले तो गांव का प्रधानाध्यापक जो प्राइमरी स्कूल का सीनियर मोस्ट है, उसको दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अधिक समय नहीं लेकर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इससे पंचायतों की स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है। जो कृषि पर्यवेक्षक लगाये गये हैं. उनके लिए कृषि निदेशालय का एक पत्र गया है उसकी 2-3 लाइन मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पत्र में कहा गया है—

"माह में 4 शुक्रवार तथा 2 शनिवार के दिन कुल 6 दिवसों में कृषि पर्यवेक्षक पंचायतों के कार्य का निस्तारण करेगा।"

पूर्णकालिक सचिव दे दिया और महीने में सिर्फ 6 रोज के लिए वह काम करेगा। दूसरी लाइन है—

"पंचायत समिति के कार्य के लिए अगर विकास अधिकारी के आदेश से यात्राएं की जाती हैं तो यह उस स्थिति में यात्रा केवल वर्णित 6 दिवसों में ही की जायेंगी।"

आज कृषि पर्यवेक्षक को पंचायत समिति बुला नहीं सकती। उनको 6 रोज, 4 शुक्रवार और 2 शनिवार दिये गये हैं। पंचायत समिति को वेट करना पड़ेगा कि कब कृषि पर्यवेक्षक आये और कब हम उसका काम करें।

माननीय अध्यक्ष जी, पंचायत समिति के विकास अधिकारी यथासम्भव माह में शक्रुवार या खाली शनिवार को ही आवश्यक बैठक बुलायेंगे। इस स्थिति से राजस्थान में सम्पूर्ण पंचायतों का काम बिगड़ गया है और जो विकास के काम डी.आर.डी.ए. के मार्फत या जे.आर.वाई. के मार्फत हो रहे हैं वे सब अवरूद्ध हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री शिवनाथ सिंह : इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार अपने गलत निर्णयों को सुधारे और पंचायतों को पूर्णकालिक सचिव दे। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : विराजें। श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी का ध्यान जोधपुर में आर्य समाज, रातानाडा की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2 जनवरी को सुबह 8 बजे के करीब आर्य समाज के जो प्रधान हैं रातानाडा के दयालसिंह जी और श्रीमती विद्यावती, जो करीब 60 साल की महिला हैं, और दूसरे साथी वहां पर यज्ञ कर रहे थे तो कुछ लोगों ने, विजयसिंह जी भाटी और अन्य साथियों ने, वहां पर आकर उनके ऊपर हमला किया, सारी तोड़फोड़ की पुलिस वहां मौके पर मौजूद थी, मुख्य मंत्री महोदय, एडिशनल एस.पी. मौजूद थे। उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है। उसके बाद में दयाल सिंह जी के द्वारा उदय मन्दिर पुलिस स्टेशन में 2 तारीख को ही सवा 10 बजे के करीब

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

एफ.आई.आर. लॉज करायी गयी। उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। पुलिस ने एक कार्यवाही जरूर की, अध्यक्ष महोदय, कि विजयसिंह भाटी को बुलाकर शाम को साढ़े 5 बजे उसकी तरफ से एक क्रास केस दर्ज करवाया। इस सन्दर्भ में माननीय उप-मुख्य मंत्री, श्री हरिशंकर जी भाभड़ा को भी जोधपुर के आर्य समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है।

श्री अध्यक्ष : विराजें, यह रीसेन्ट आकरेंस की बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये। यह बहुत गम्भीर बात है। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में प्रशासन की तरफ से रात को यज्ञशाला को बन्द करवा दिया गया है। पिछले 3 महीने से यज्ञशाला बन्द है। वहां पर कोई हवन नहीं हो रहा है। धरने पर आर्य समाज के लोग वहां पर पिछले 65 दिनों से बैठे हैं और भूख हड़ताल कर रहे हैं परन्तु प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, यह बहुत ही शर्मनाक बात है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से चाहूंगा कि इस बारे में जांच की बात करें और सरकार का स्टेटमेंट दें।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, बिलाड़ा से आने वाले माननीय विधायक ने जो रातानाडा आर्य समाज का मसला उठाया है इसकी पृष्ठभूमि और है और एक पृष्ठभूमि यह है कि राजस्थान में राजस्थान प्रादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का सारे आर्य समाजों पर नियंत्रण है और उसमें बंटवारा हो गया, विवाद खड़े होकर झगड़े हो गये और वे झगड़े नीचे तक गये कि आखिर इस आर्य समाज पर किसका कब्जा रहे और किसका नहीं रहे। ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष मेरे पास आये। दोनों पक्षों के आने के बाद मैंने उनसे समझाइश भी की कि आखिर एक धार्मिक संस्था है, आपको आपस में लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन वे लड़ने पर तुले हुए हैं और ऐसी स्थिति यह रातानाडा का 'आर्य समाज किस धड़े के कब्जे में रहे, झगड़ा असली यह है। इस बारे में मुझे पूरी जानकारी है और मैंने डी.आई.जी. को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि इसमें हमको बिल्कुल निष्पक्ष कार्यवाही करनी है। अब आपने कहा कि यज्ञशाला नहीं चल रही है। तो वहां झगड़े होने दें? क्योंकि दोनों ही पक्ष उस पर कब्जा करने पर तुले हुए हैं। झगड़ा ऊपर से नीचे तक गया है। मैं आपको फिर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नियमों की परिधि के अन्तर्गत समझाइश से भी और बिल्कुल निष्पक्ष कार्यवाही करके इस झगड़े को निपटाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसमें कोई प्रश्न की बात नहीं आयेगी। भरत सिंह जी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, मेरी बात सुन लीजिये। ऐसा है कि गृह मंत्री जी ने अपनी बात कही है, मैं इनकी बात का स्वागत करता हूं परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि आर्य समाज के चुनाव 10 तारीख को विधिवत हुए थे, 11 तारीख को आर्य प्रतिनिधि सभा जयपुर के द्वारा उसकी पुष्टि हो गयी, उसके अन्दर कोई विवाद नहीं है। उसके बाद में जो पहले अध्यक्ष थे। उन्हें ऐसा क्या है, आप मुझे बतायें, चुनाव के अन्दर जो जीतता नहीं है और दूसरे लोग जीतते हैं उसमें अध्यक्ष महोदय, मैं आपके कह रहा हूं कि हवन को, यज्ञशाला को कैसे बन्द करवा सकते हैं?

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आर्य समाज का मामला है। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा, गृह मंत्रीजी, यह चुनाव विधिवत् हुए हैं, उनका कांस्टीट्यूशन देख लीजिये, मैं यह चाहता हूं कि यज्ञशाला खुले और जो आर्य समाज के लोग हैं वे अपना यज्ञ करें और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आप कार्यवाही करें। पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया है। मैं यह कहना चाहता हूं, इस पर राज्य सरकार का स्टेटमेंट आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, यह बात सही है कि दो पार्टियां झगड़ा कर रही हैं लेकिन आप उनको हवन से कैसे रोक सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके हवनशाला को खुलवा दीजिये ताकि हवन होता रहे और बाकी लड़ते रहेंगे, केसेज चलते हैं और तफ्तीश जारी रखिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं अध्यक्ष महोदय, जो ज्ञापन है__

श्री कैलाश मेघवाल : आप पंच बन जाओ। जोधपुर का मसला है, मैं खुद चाहता हूं कि धार्मिक मसला है और यह सुलटे। तो किसको यज्ञशाला कब्जे में दी जाय और झगड़ा नहीं हो, ऐसी स्थिति में आप अपने गुड आफिसेज में, माननीय खेतसिंह जी जांच करेंगे तो सरकार को उसमें कोई एतराज नहीं।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : खेतसिह जी, आप हवन करने के लिए चले जाओ वहां।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं आर्य समाजी नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं हो तो हवन करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हवन में जाने में कोई एतराज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जाओ हवन करने के लिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वहां पर यह सही फरमा रहे हैं, बिलाड़ा से आने वाले सदस्य कह रहे हैं कि साहब, झगड़ा है, यह हम मानते हैं, दो पार्टियां हैं, उसके चुनाव भी हुए हैं लेकिन जहां स्वामी दयानन्द जी स्वयं विराजे थे उस हवन शाला को आपने बन्द करवा दिया। हवन तो दोनों ही कर सकते हैं उसमें कहां दिक्कत की बात है। उसमें राजेन्द्र गहलोत जी की राय और ले लीजिये। इन्हीं का क्षेत्र है।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : नहीं, दयानन्द जी जिस स्मृति भवन में विराजे थे, वह स्थान यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह आपको पता भी नहीं है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : वह अलग जगह है।

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं जवान था उन दिनों यह तो पहले ही__(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, इस मामले की पूरी जांच की जायं और पुनः इस मामले की जांच उच्चाधिकारी से करवायी जाय और इस मामले में आपस में शांति कायम की जायं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं, अध्यक्ष महोदय, गहलोत साहब की राय से बिल्कुल सहमत हूं। मेरा सैंटीमेंटल सम्बन्ध है इससे। मैंने पांचवीं तक की एजेकेशन उसी स्कूल के अन्दर की है।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

मेरे सारे परिवार ने उसी के अन्दर एजूकेशन की है।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री जी, आर्य समाज को खुद मान गये हैं, वह देख लेंगे सारा विषय। विराजें आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा संवेदनशील मामला है इसलिए यह बात निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी, नेस्टिक आर्य समाजी हैं। विराजें आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : इसलिए यह ज्ञापन मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्रीजी दोनों को देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : विराजें, श्री भरत सिंह जी।

श्री भरत सिंह (खानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज से 20 दिन पहले 18 फरवरी को सांगोद पंचायत समिति की श्यामपुरा पंचायत के सरपंच सत्यनारायण शर्मा शाम को 5 बजे अपने घर के सामने बैठे थे कि पंचायत चुनावों की रंजिश को लेकर उसी गांव के 10-12 प्रभावशाली व्यक्ति मिलकर उनको पकड़ने भागे। वे अपने घर में गये वो घर में घुसकर, पंच के वृद्ध माता-पिता ने मारपीट को रोकने का प्रयास किया उनके बच्चों की मौजूदगी में, 10-12 लोगों ने उनकी हत्या कर दी।

यह पंच कांग्रेस पार्टी के समर्थक थे और मारने वाले भारतीय जनता पार्टी के थे। पिछले साल फरवरी के महीने में ही पंचायत समिति के एक और सरपंच श्री नरेन्द्र शर्मा जो है एक साल भर भी नहीं हुआ है। उनकी भी योजनाबद्ध तरीके से 10-12 लोगों ने हत्या कर दी। 10-12 लोगों ने सांगोद पंचायत समिति में नरेन्द्र शर्मा की हत्या की। अभी साल भर नहीं हुआ। इसी 20 दिन पहले सत्यनारायण शर्मा की घर में घुसकर हत्या की। खानपुर तहसील में ग्राम सभा की बैठक में कांग्रेस के पंच की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हत्या कर दी। ग्राम सभा में से पकड़कर मार दिया। अध्यक्ष जी, मैं आपका...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी वहां हत्या करने के लिये थोड़ी जाती है। श्रीमान्, ये आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इनको अपनी कार्यवाही से निकाला जायें। यदि किसी क्रिमिनल ने किसी की हत्या की तो वो क्रिमिनल है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जो भी है, क्रिमिनल है। आप विराजिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल : यदि भारतीय जनता पार्टी का इस तरह नाम लिया जाता है तो यह सख्त आपत्तिजनक है और इसलिए इन शब्दों को निकाला जायें।

श्री भरत सिंह : अध्यक्ष जी, इन सदस्यों से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। (व्यवधान) आपने अपनी बात रख दी। माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री भरतसिंह : आपने मुझे बोलने कब दिया ? (व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, शब्दों को निकाला जाय इस कार्यवाही से भारतीय जनता पार्टी हत्या नहीं करती है। हत्या करता है तो क्रिमिनल करता है और क्रिमिनल के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री भरत सिंह : अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुमति दी है तो अपनी बात कहने के लिये— (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने आपकी बात सुन ली है कि एक हत्या हुई है उसकी जांच होनी चाहिए।

श्री शांतिलाल खोईवाल : इस तरह की बात कह कर के उसमें—(व्यवधान) पैदा करना चाहते हैं ये।

श्री भरत सिंह : जांच की बात नहीं कह रहा हूं मैं ... (व्यवधान) कुछ अलग कह रहा हूं मैं। ये अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए बीच में आवाज कर रहे हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूं।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, क्रिमिनल किसी पार्टी का नहीं होता है Criminal itself is a party.

श्री हरिसिंह (महुआ) : बीजेपी का होता है क्रिमिनल

श्री शांतिलाल खोईवाल : नो, नो, यह नहीं होता है। कभी नहीं होता है ये। बिल्कुल बेकार की बातें कह रहे हैं—(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपा करके सीमित और संयत भाषा में बात करें तो अच्छा रहेगा। (व्यवधान) बिना काम के पार्टियों का नाम न लें आप।

श्री शांतिलाल खोईवाल : किसी पार्टी विशेष का नाम न लें। यह बहुत अच्छी बात नहीं है माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : ख्वाह-म-ख्वाह बीच में उलझ रहे हैं आप।

श्री शांतिलाल खोईवाल : ख्वाह-म-ख्वाह मैं नहीं बोल रहा हूं। यह सही कह रहा हूं। यह सत्य है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिये, धारीवाल साहब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मामला दूसरा है।

श्री शांतिलाल खोईवाल : भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हत्या की, भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या लेना-देना है। कोई लेना-देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। (व्यवधान) यदि किसी व्यक्ति ने हत्या की है तो वह क्रिमिनल है and he should be treated as criminal.

श्री भरत सिंह : हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। वे चुनाव लड़े थे। (व्यवधान) वहां चुनाव हुआ—

श्री शांतिलाल खोईवाल : जो कोई भी उसको क्रिमिनल ट्रीट करना है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : मामला यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती है। (व्यवधान) और नेशनल लेवल पर आपका पर्दाफाश हो चुका है।

श्री शांतिलाल खोईवाल : Party is not at all related to this matter.

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। अब यह डिबेट का टाइम नहीं है। आप सब विराजें।

श्री विष्णु मोदी : तिहाड़ में हैं और क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहे हैं।—(व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल : The Criminal who has committed this crime is a criminal.

श्री विष्णु मोदी : हम भी चाहते हैं कि जो क्रिमिनल हो, क्रिमिनल ही हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रही है।

श्री शांतिलाल खोईवाल : क्रिमिनल है तो क्रिमिनल है। क्रिमिनल अपने आप में एक वर्ग है। कोई पार्टी का वर्ग नहीं है यह। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री भरत सिंह : अध्यक्ष जी, आपने मेरी बात नहीं सुनी है।

श्री अध्यक्ष : आपकी पूरी बात सुनली है। गृह मंत्रीजी ने ध्यान दे दिया उस पर।

श्री भरत सिंह : मैंने पूरी बात कही नहीं तो आप सुन कैसे सकते हैं? मैंने कही नहीं।

श्री अध्यक्ष : मैंने पूरी बात सुन ली है कि यह हत्या हुई है, 18 तारीख को हुई है। विराजिये आप।

श्री भरत सिंह : मैंने कही नहीं, पूरी बात कही नहीं तो आप सुन कैसे सकते हैं? आप मुझे अनुमति देते हैं और बात नहीं कहने देते। अध्यक्षजी, मैं आपसे जो बात कह रहा हूं वह अलग है।

मैं यह कह रहा हूं कि गृह मंत्रीजी ऐसे लोगों, जिनके पास हथियार हैं, हथियारों के लाईसेंस निरस्त करें। एक तरफ तो कोटा जिले में, जो संवेदनशील जिला है, नये लाइसेंस देने के लिये लोगों की सी.आई.डी. से जांच की जाती है और दिनों तक कोई रिपोर्ट नहीं आती। जहां 3-3 हत्याएं एक तहसील के अन्दर हो चुकी हों। उसमें संलिप्त लोग-बाग क्रिमिनल हैं, उनके लाइसेंस्ड हथियार हैं, उनको जब्त ही नहीं उनका लाइसेंस निरस्त करें तो उनका साहस इस तरह दुबारा घटना करने का नहीं हो। यह बात मैंने पहले कही नहीं और बैठ जाता तो आप क्या सुनते इसको।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। देखिये, हर माननीय सदस्य से निवेदन है कि अपने आपको रेस्ट्रेन करके ही बात करे।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामकिशन जी वर्मा व चौदह अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से रामगंज मंडी क्षेत्र के ग्राम सुकेत में दिनांक 19.2.96 को पुलिस द्वारा निहत्थी जनता पर अंधाधुंध गोलियां चलाने से वहां की जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(2) श्री पूनमचन्द विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले की अनूपगढ़ तहसील से लगती पाक सीमा स्थित चौकी बिजोर के निकट दिनांक 15.2.96 को सीमा सुरक्षा बल व पाक रेंजरों के बीच हुई गोलीबारी में नायक जाति के कतिपय व्यक्तियों की मौत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री लक्ष्मण सिंह जी एवं सात अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में पुलिस अत्याचारों में लगातार वृद्धि तथा पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु में कथित बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री भीमसेन चौधरी एवं श्री हरजीरामजी बुरड़क, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर के कथित चार फर्जी मुकदमों में जिला पुलिस एवं बी.एस.एफ. के संयुक्त अभियान में टाडा कानून व एन.डी.पी.एस. के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों की जांच सी.बी.आई. से करवाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री शिवनाथ सिंह जी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिनांक 26 जनवरी, 1996 को गणतंत्र दिवस समारोह स्थल पर हुए बम विस्फोट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री बनवारीलाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से निवाई विधान सभा क्षेत्र के 40 गांवों में अत्यधिक ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री परसादीलाल मीणा व पांच अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर, जयपुर एवं दौसा जिले में पिछले दिनों भयंकर ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले की अकाल की स्थिति, राहत कार्यों का अभाव तथा सामग्री मद में पंचायतों को राशि नहीं देने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : मेरा प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। अभी आपने दिया ही है। 295 श्री भीमसेन जी चौधरी

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी) : मैंने जो एडजोर्नमेंट मोशन दिया था उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं आपका रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं। श्री भीमसेन चौधरी—

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, —

श्री अध्यक्ष : स्थगन का?

श्री रामनारायण मीणा : कल ही दिया है। (व्यवधान) कल स्थगन प्रस्ताव दिया है मैंने।

श्री रामकिशन वर्मा : मेरे दोनों अलग-अलग थे। जो कल मैंने दिया था उसमें 18 एम.एल.ए. के साइन थे।

श्री अध्यक्ष : अभी 295 की बात चल रही है।

श्री रामनारायण मीणा : मैंने स्थगन प्रस्ताव कल दिया है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : मैंने कल जो दिया था उसका कोई जवाब नहीं मिला है, साहब।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव आ जाएगा तो उस पर भी व्यवस्था दे देंगे, उसमें क्या हो गया। आप विराजें।

श्री रामकिशन वर्मा : मैं कल वाली बात कह रहा हूं—(व्यवधान)—सुकेत में गोली चली थी। उस पर मैंने एडजोर्नमेंट मोशन आपको दिया था उसका आपने यहां पर कोई वर्णन नहीं किया, साहब। मैंने दो दिये थे। (व्यवधान)—

श्री अध्यक्ष : अब आप विराज जाएं।

श्री रामनारायण मीणा : मेरा प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव होगा तो उस पर विचार करेंगे, आ जाएगा, मेरे पास आयेगा तो।

श्री रामनारायण मीणा : कल मैंने दिया था, आ जाना चाहिए था। स्थगन प्रस्ताव की यह परिपाटी रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, और आसन की व्यवस्था है।—

श्री अध्यक्ष : आज का आज सब आ जायेगा, ऐसा तो सम्भव भी नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा : यह कोई बात नहीं है, साहब।

श्री अध्यक्ष : देख लेंगे, विराजिये। इसी सत्र में आपका उत्तर आयेगा, आपने दिया होगा तो।

श्री रामनारायण मीणा : नहीं, उत्तर नहीं आयेगा।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था आयेगी उस पर।

श्री रामनारायण मीणा : फिर स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था ही क्या हुई ?

श्री अध्यक्ष : 11 तारीख को देख लेंगे, आ जाइयेगा। आ जायेगा तो व्यवस्था जरूर देंगे। आप बिराजिये।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीमान्त क्षेत्र की आबादियों को निर्धारित समयावधि में विद्युतीकृत करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रमाकान्त, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के पंचायत मुख्यालय क्यारा की निर्माणाधीन सड़क को शीघ्र पूरा करवाने तथा अतिक्रमियों को सजा दिलवाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील नैनवां के ग्राम कल्याणी खेड़ा में परिवार नियोजन आपरेशन के फलस्वरूप दिनांक 13.5.86 को पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्ति को आबंटित भूमि का आवंटन पत्र निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री उदयलाल आंजना, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका निम्बाहेड़ा द्वारा पालिका क्षेत्र में स्थित नेहरू उद्यान में दुकानें बनाने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांगानेर निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत पांच सिंचाई बांधों का निर्माण शीघ्र करवाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में व्याप्त अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

(7) श्री महेन्द्र कुमार मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिकराय में वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री एमादुद्दीन अहमद खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील तिजारा में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बांधों की शीघ्र मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश में पंचायती राज की पंगु स्थिति व बिगड़ते हालात के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव आज दिया था। उसको पूरा आज नहीं सुनाया गया है। पुलिस कस्टडी के अन्दर अत्याचार और अभिरक्षा में मृत्यु के साथ-साथ मकराना के अन्दर 26 जनवरी को पुलिस कस्टडी में डैथ हुई है, पुलिस कस्टडी में पुलिस कर्मचारियों के द्वारा जो हत्या की गयी है, उस विषय के ऊपर था और उस विषय को आप गवर्नमेंट के पास भेज रहे हैं। बहुत

(श्री लक्ष्मण सिंह)

छोटा-सा तो सैशन है। इसमें तो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिये विषय की गम्भीरता को देखते हुए, अध्यक्ष महोदय इसलिए मेरी यह मांग है कि मुख्य मंत्रीजी उस पर कब स्टेटमेंट देना चाहेंगे ?

श्री अध्यक्ष : सरकार से जानकारी कर रहे हैं और नहीं तो 16 तारीख को इस पर रख रहे हैं। आप विराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : छोटा सैशन है, अध्यक्ष महोदय, 15 तारीख का तो . . . (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, उस विषय के ऊपर तो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिये। पुलिस कस्टडी में डैथ हुई है . . .

श्री अध्यक्ष : अब 295 पढ़ने दें आप।

श्री लक्ष्मण सिंह : पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिये और उनको गिरफ्तार करना चाहिये। अब यह 10 दिन के अन्दर तो रिप्लाई आयेगा नहीं। उसके ऊपर चर्चा किस प्रकार से करेंगे हम ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : जवाब आयेगा मकराना में।

श्री लक्ष्मण सिंह : जवाब आयेगा, साहब ?

श्री अध्यक्ष : आयेगा, आयेगा। विराजिये आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : तो हम यह समझें कि मण्डे को ले लिया जायेगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : जवाब तो तैयार है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आज गवर्नर एड्रेस पर डिबेट शुरू हो जाय . . .

श्री अध्यक्ष : अभी जल्दी से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सब मामलों में जवाब तैयार है।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर के . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके सभी के आयेंगे, विराजिये आप। श्री भीमसेन जी। राम किशनजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, हमको जवाब की आवश्यकता नहीं है। हम तो यह चाहते हैं कि आप मुल्जिमों को जल्दी गिरफ्तार करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मुल्जिम गिरफ्तार होंगे, सन्देह मत करो आप।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, **बीकानेर** के फर्जी टाडा प्रकरण के बारे में, सी.बी.आई. से जांच कराने की मांग के बारे में, राज्य सरकार ने अपना मंतव्य जाहिर नहीं किया है। हमारा नौ महीनों से धरना बराबर चालू है। राज्य सरकार को इसके बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिये। विदेशी हथियार कहां से आये ? यह देश की सुरक्षा का सवाल है। इसके बारे में सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये और मुझे अपनी बात 16 तारीख को जो बहस होगी उस समय कहने का अवसर दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : भीमसेन जी, 295 है आपका।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका 295 है, वह पढ़िये आप।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि दिल्ली में

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

होली के दिन भारतीय खेल इतिहास में एक काला धब्बा लग गया। राजस्थान के जनजाति क्षेत्र में रहने वाला अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी लिम्बाराम को होली के दिन वहां के असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर कौल ने पीटा। 48 घंटे हो गये। वहां के खेल के मिनिस्टर को लिखकर दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं सदन को उसकी निन्दा के लिये अपना प्रस्ताव रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री भीमसेन जी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अभी जो माननीय सदस्य ने कहा है, आप इसको साधारण नहीं लें। एक आदिवासी लिम्बाराम को पीटा गया है।

यह ध्यान की बात नहीं है, इसके ऊपर विचार होना चाहिये। बहुत सीरियस मामला है। आज की तारीख में आदिवासियों के ऊपर जिस तरह के अत्याचार हो रहे है, इसको लाइटली नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : आदिवासी ही नहीं, अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस ओर . . .

श्री रामनारायण मीणा : अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी है। लोग उसको उभरता हुआ देखना ही नहीं चाहते। देखिये, क्या माहौल हो रहा है ?

श्री चुन्नीलाल गरासिया : सारे अन्तरराष्ट्रीय पदक लेकर आया है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, 295 पढ़ने दें आप। नहीं-नहीं आप मत देखो। आप उसको डाइल्यूट मत करो।

श्री रामनारायण मीणा : नहीं, डाइल्यूट नहीं है, बहुत भयंकर मामला है।

श्री अध्यक्ष : आप विराज जायं, भीमसेनजी को बोलने दें आप।

श्री रामनारायण मीणा : इससे गम्भीर मामला नहीं हो सकता, अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये, 295 पढ़ने दें आप आप।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख सीमान्त क्षेत्र की आबादियों में विद्युतीकरण

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से ध्यान आकर्षित करता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की सीमावर्ती सिंचित चक आबादियों के विद्युतीकरण के लिए राजस्थान विद्युत मण्डल द्वारा अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। बीकानेर जिले के कुल 571 आबाद एवं 102 गैर आबाद गांवों में से 497 व 26 गांवों का विद्युतीकरण मार्च 1992 तक किया जा चुका था अर्थात 87% गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका था लेकिन मेरे क्षेत्र में इन सीमावर्ती क्षेत्र की चक आबादियों के विद्युतीकरण को कोई प्रोग्राम नहीं बनाया गया है। सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा इस क्षेत्र की उपनिवेशन तहसील खाजूवाला, छतरगढ़ एवं पूंगल में क्रमशः 55, 52 व 80 चक आबादियां योजनानुसार बसाई गयी हैं, जिनमें करीब ढ़ाई-तीन लाख जनसंख्या निवास करती है जो बिना विद्युतीकृत आबादियों में निवास करती हैं, जो भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धान्त "समानता" के विपरीत है।

राज्य सरकार ने उपरोक्त चक आबादियों में से 60 चक आबादियों को विज्ञप्ति संख्या प. 9(3) राजस्व/ग्रुप-1/94, दिनांक 18.4.95 व दिनांक 25.5.95 द्वारा राजस्व गांव घोषित किया जा चुका है एवं शेष 127 चक

(श्री भीमसेन चौधरी)

आबादियों को राजस्व गांव घोषित करने की प्रक्रिया जारी है जिनके शीघ्र राजस्व गांव घोषित होने की उम्मीद है।

अतः राज्य सरकार से निवेदन है कि इन सीमावर्ती चक आबादियों के विद्युतीकरण हेतु त्वरित कार्यवाही करके इन्हें जिले के अन्य गांवों के समकक्ष लाया जाय, अर्थात् कम से कम इन चक आबादियों में से 87 प्रतिशत चक आबादियों को एक निर्धारित समयावधि में विद्युतीकृत करने हेतु विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रमाकान्तजी। (अनुपस्थित)

श्री रामनारायण जी मीणा।

परिवार नियोजन के फलस्वरूप आबंटित भूखण्ड का निरस्तीकरण

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्ति श्री गिरराज आत्मज रामनारायण बैरागी बाबाजी, निवासी–करवक को उसके द्वारा करवाये गये परिवार नियोजन आपरेशन के फलस्वरूप दिनांक 13.5.1986 को भू-आबंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा मुकाम माणी में पत्रावली संख्या 626 वर्ष 1986 से भूमि खसरा संख्या 6, रकबा 10 बीघा ग्राम कल्याणी खेड़ा, तहसील-नैनवां की आबंटित की गयी भूमि का कब्जा सम्भलवाया जाने के पश्चात् भू-आबंटन आदेश निरस्त करने का अधिकार तहसील स्तर के राजस्व अधिकारी को नहीं होने के उपरान्त भी आबंटी को परेशान करने तथा नुकसान करने की गरज से पूरी भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने का कारण प्रदर्शित करते हुए नामान्तकरण खारिज किया जाने तथा गरीब आबंटी को प्रभावशाली ताकतवर व्यक्तियों से बचाकर काश्त करने में मदद नहीं करने का कृत्य करने वाले राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने का प्रकरण ध्यान में ला रहा हूं।

मान्यवर, भू-आबंटन के साथ ही आबंटित भूमि ख़ैर खातेदारी में अंकित करने सम्बन्धी प्रावधान नियमों में होने के उपरान्त भी इस प्रकरण में भूमि को गैर खातेदारी में अंकित नहीं किया गया तथा भूमि काश्त का बहाना बनाकर गरीब व्यक्ति को कानूनी दावपेच में उलझा दिया है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आबंटित भूमि पर काश्त करने पर दखलन्दाजी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने तथा आबंटन निरस्त करने का नोट लगाकर आबंटी को परेशान करने में सम्मिलित रहे कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाकर आबंटित भूमि आबंटन आदेश के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी में अंकित करने का आदेश प्रदान करके पालना रिपोर्ट मंगवाने की कृपा करें। आबंटन आदेश यथावत मान्य किया जाने का भी आदेश प्रदान करके गरीब व्यक्ति को कानूनी दावपेच से मुक्ति दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रमाकान्तजी।

क्यारा पंचायत मुख्यालय की सड़क का निर्माण

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख है। विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के ग्राम क्यारा तहसील थानागाजी में पिछले डेढ़ वर्ष से सार्वजनिक निर्माण विभाग सम्पर्क सड़क बना रहा है, जो मात्र एक किलोमीटर है। यह सड़क जहां एक ओर बामनवास सूरतगढ़ सड़क से प्रारम्भ की गयी है, वहीं दूसरी ओर ग्राम क्यारा की ओर से भी बनायी गयी है। बीच में 130 मीटर लम्बाई का कार्य शेष है। विभाग ने माना है कि यह 130 मीटर खसरा

(श्री रमाकान्त शर्मा)

नम्बर 599 सिवाय चक भूमि पर है, जिस पर श्री प्रभू, जयराम मीणा एवं रूपनाथ पुत्र गोविन्दा मीणा ने अतिक्रमण कर रखा है। वास्तव में यह अतिक्रमण सड़क का कार्य प्रारम्भ होने के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों एवं ठेकेदार की मौजूदगी में हुआ है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने जानबूझकर यह अतिक्रमण होने दिया है। मुझे पिछले विधान सभा सत्र में भी यह आश्वासन दिया गया था कि जिला प्रशासन के माध्यम से इस अतिक्रमण को हटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह एक अत्यन्त खेद जनक स्थिति है कि राज्य सरकार जैसी महती शक्ति को अपनी ही सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण हटाने के प्रयास करने पड़ रहे हैं और इस हेतु डेढ़ वर्ष के समय में भी सफलता नहीं मिलती है। यद्यपि यह नितान्त असम्भव सम्भावना है कि इस भूमि पर श्री प्रभूराम मीणा का किसी प्रकार का स्वत्व है परन्तु यदि मान भी लिया जाय तो डेढ़ वर्ष का समय इसको अधिग्रहण करने के लिए भी आवश्यकता से अधिक पर्याप्त है। ऐसा नहीं किया जाना और सड़क को पूरा न करना स्वयं में यह प्रमाणित करता है कि विभाग के अधिकारियों एवं अतिक्रमी के बीच सांठ-गांठ है और उच्च स्तर पर इसकी अनदेखी की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग से निवेदन करना चाहूंगा कि क्यारा, जो पंचायत मुख्यालय की सड़क है, को शीघ्र पूरा करावें और अतिक्रमी को सख्त से सख्त सजा दिलवायी जाय। थानागाजी विधान सभा क्षेत्र में अन्य किसानों को साधारण से अतिक्रमण के मामले में तीन माह की सजा दी गयी है परन्तु इस मामले में राजस्व विभाग किन्हीं दबावों के कारण हाथ पर हाथ धरे बैठा है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल आंजना।

नेहरू उद्यान, निम्बाहेड़ा में दुकानें बनाने से व्याप्त असंतोष

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सरकारी नेहरू उद्यान में दुकानें बनाने से जन-आक्रोश के सम्बन्ध में।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में नगरपालिका निम्बाहेड़ा द्वारा पालिका क्षेत्र में मंडी चौराया के पास ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र के समीप पश्चिम में, न्यायालय के पास वाले आदर्श कॉलोनी के मार्ग से पूर्व में, टेलीफोन टावर वाले आदर्श कॉलोनी मार्ग से दक्षिण में तथा मंडी चौराहा से उदयपुर मुख्य मार्ग पर से उत्तर दिशा में स्थित सरकारी नेहरू उद्यान पार्क में पर्यावरण का नाश करते हुए गुपचुप प्रस्ताव लेकर दुकानों का निर्माण कराये जाने की कार्यवाही से जन-आक्रोश व्याप्त है। दूसरी तरफ प्रदेश की सरकार पर्यावरण के लिए नयी कॉलोनियों के निर्माण में उद्यान का स्थान छुड़ाने हेतु निष्ठा के साथ प्रतिबद्ध है किन्तु नगरपालिका, निम्बाहेड़ा स्थापित उद्यान पर दुकानें बनवा कर उजाड़ने में लगी हुई है। दुकानों के उद्यान में निर्माण को लेकर व्याप्त जन-आक्रोश को देखते हुए यहां प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया गया है तथापि मामला न्यायालय के विचाराधीन है लेकिन चूंकि मैं नियमित रूप से यहां रहता हूं व जनता से मिलता रहता हूं इससे मुझे ज्ञात हुआ कि उक्त उद्यान (पार्क) पर पालिका द्वारा बनायी जा रही दुकानों के पक्ष में कोई नहीं है।

अतः आमजनों का आक्रोश देखते हुए तथा पर्यावरण के मद्देनजर सरकार इस तरफ ध्यान देवे तथा पालिका द्वारा उद्यान में निर्मित करायी जा रही दुकानों के निर्माण पर तुरन्त पूर्ण रूप से रोक लगावे ताकि जन-आक्रोश शांत हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इंदिरा मायाराम जी।

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह भी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी तो थे वह, कहां चले गये।

श्री रामनारायण जी चौधरी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में व्याप्त अव्यवस्था

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मेरा यह प्रस्ताव है।

महोदय, राजस्थान के ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रति भारी असंतोष पैदा हो गया है। राजकीय चिकित्सक कहीं पर भी समय पर नहीं जाते हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तो सात दिन, 15 दिन में एक बार जाकर अपने हस्ताक्षर करके आ जाते हैं। जनता को चिकित्सा सुविधा से वंचित कर दिया गया है। सरकार करोड़ों रुपये की दवा प्रतिवर्ष अस्पतालों में देती है परन्तु गरीब जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। डॉक्टर सरकारी दवा को बेच देते हैं तथा समय पर दवा वितरण नहीं करते हैं। इसके फलस्वरूप दवा की उपयोगिता खत्म हो जाती है तथा एक्सपायरी डेट के बाद उसको नष्ट कर दिया जाता है, जमीन में गाड़ दिया जाता है।

अभी हाल ही में राज्य शासन के विशिष्ट सचिव महोदय ने झुंझुनूं तथा बगड़ आदि अस्पतालों का निरीक्षण किया था। बगड़ के सरकारी अस्पताल में स्टोर में दवा का ढेर एक्सपायरी डेट के नजदीक पहुंचा हुआ पाया गया तथा आपरेशन थियेटर में चपरासी लोग बगड़ अस्पताल में खटिया डाले हुए थे। जो निरीक्षण के समय तथ्य सामने आये वे चौंकाने वाले तथा शर्मनाक थे। डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर नहीं जाकर नजदीक के शहरों में अपनी निजी क्लिनिक चलाते हैं तथा उनके जरिये गरीब पेशेंट्स को लूट रहे हैं। अस्पताल खाली पड़े हैं। बड़े अस्पतालों में बड़े डॉक्टर, प्रोफेसर तथा हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स कभी भी आउट डोर में नहीं बैठते हैं। अपने घरों को ही क्लिनिक बना चुके हैं।

अस्पतालों में सफाई तथा दवाओं की कोई व्यवस्था नहीं है। सभी अस्पतालों में इन्डोर पेशेंट्स तथा आउट डोर पेशेंट्स से दवा मंगवायी जाती है। जबकि सरकार का करोड़ों रुपये का बजट का प्रावधान है। एक्स-रे मशीन छोटे-बड़े अस्पतालों में खराब पड़ी हैं। बाहर से एक्स-रे करवाने तथा दवा खरीद कर लाने में डॉक्टरों का कमीशन निश्चित है इसलिए इस प्रैक्टिस को धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। कोई रोक-टोक नहीं है।

इन्हीं बातों तथा दूसरी इसी प्रकार की अव्यवस्थाओं के कारण जनता में भारी रोष उत्पन्न हो गया है। कृपया मेरे नोटिस को स्वीकार कर सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भिजवाने की मेहरबानी करें। धन्यवाद।

सिकराय में वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान का मुआवजा

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्र कुमार जी मीणा।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के तहत सिकराय विधान सभा क्षेत्र में वर्षा व ओलावृष्टि से फसलों की तबाही व किसानों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि दिनांक 9.2.96 को एवं 24 व 25 फरवरी को आयी भयंकर वर्षा व ओलावृष्टि से मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय, जिला दौसा में ग्राम पंचायत-सिकराय, नामनेर, पांचोली, मोरेड, मूंडियाखेड़ा, डेडांबसेड़ी, नाहरखोरा, मानपुर, ठिकरिया, हींगवा, कुझडेरा डूंगर, जयसिंहपुरा, गढ़ी, गेरोटा, घूमणा, पाटन, बनैयपुरा, गीजगढ़,

(श्री महेन्द्र कुमार मीणा)

कैलाई डव्वी, पीपलकी, सवास, रायपुरा, सिकन्दरा, उदयपुरा, धुलकोट, मुरलीपुर, रामेड़ा, नांदरी, करोडी, पिलोडी, लाका, राणेली, बैरावण्डा, गढ़, मुमानपुरा, मोरेली, टोरडा, जोध्या व तहसील दौसा व निर्वाचन क्षेत्र सिकराय की भांखरी, जोपाडा, वाजेका, बरखेड़ा, कालोखी, अट्टा, खेडली, वालकिशन का वास, गोठड़ा, सराय खारण्डी, नांगलचापा, श्यालावास, रलावता, भाण्डारेज, सूरजपुरा आदि ग्राम पंचायतों में फसल को भंयकर तवाही हुई है व क्षेत्र में सरसों की फसल जो करीव-करीव पक चुकी थी एवं एक-दो रोज में ही कटने वाली थी वह करीव-करीब शत-प्रतिशत ही नष्ट हो चुकी है। इसी तरह गेहूं, जौ एवं चना की तमाम फसलें, जिसमें किसानों ने आधी-आधी रात जागकर सिंचाई की थी, आड़ी गिरकर नष्ट हो चुकी है।

महोदय, आज तक मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसी भी पीड़ित किसान को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। नष्ट हुई फसल का सर्वे भी सम्बन्धित कर्मचारियों ने चाय की दुकानों पर बैठकर किया है और न ही पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की गयी है।

अतः निवेदन है कि किसानों को तुरन्त व्यक्तिगत मुआवजा दिया जावे, पशुओं के लिए निःशुल्क चारे की व्यवस्था की जावे एवं किसानों के बिजली के विलों एवं अन्य ऋणों को माफ कर किसानों को राहत पहुंचायी जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री एमादुद्दीन अहमद खां।

तिजारा में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत

श्री एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, तिजारा विधान सभा क्षेत्र की तहसील तिजारा में अतिवृष्टि के दौरान बांधों के टूटने से काफी नुकसान व तवाही होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन द्वारा तिजारा तहसील को राहत क्षेत्र घोषित न करने पर राहत क्षेत्र घोषित करने एवं शीघ्र राहत कार्य चालू करवाने हेतु नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव है।

महोदय, तिजारा विधान सभा क्षेत्र में बांधों की खस्ता हालत को देखते हुए उनकी शीघ्र मरम्मत करवाने हेतु समय-समय पर स्थानीय प्रशासन एवं मंत्रीजी को पत्र लिखे। मंत्रीजी को लिखे पत्रों का जवाब भी आया कि वह मुख्य अभियन्ता व अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता संभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दे रहे हैं लेकिन वर्ष 1994 से 1995 तक कोई मरम्मत कार्य बांधों का नहीं हुआ। नतीजा भारी वर्षा में कमजोर बांधों का टूटने के रूप में सामने आया। बांध टूटे, बांधों के टूटने से क्षेत्र में अतिवृष्टि एवं टूटे बांध के पानी ने बाढ़ का रूप लिया व काफी तवाही मचायी। किसानों की खेतों में खड़ी फसलें बह गयीं। मकान ढह गये, कच्चे घर वह गये। पक्के मकान भी काफी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। किसानों का अनाज, गेहूं, जौ आदि वह गया। पशुओं का चारा वह गया। अतिवृष्टि से पशु भी प्रभावित हुए, पशुओं की जान भी गयी। क्षेत्र में महामारी, हैजा आदि भी फैला एवं हैजा से कस्बा कोटकासिम में मौतें भी हुई।

तिजारा तहसील का गांव फखरुद्दीन-का में बाढ़ से जंगल का पानी गांव के अन्दर आने से गांव में भारी तवाही हुई। काफी तादाद में मकान गिरे। ग्वालदा गांव में गांव की ढाणी में बांध के टूटने से भारी नुकसान हुआ।

गांव मिल्कपुर तुर्क में अतिवृष्टि से काफी मकान क्षतिग्रस्त हुए। अतिवृष्टि से तिजारा भिवाड़ी मार्ग पर चांवण्डी नदी पर पुल टूटा। गांव रामवास में भी पुलिया टूटी। गांव जैरोली में काफी बड़ा बांध मरम्मत के अभाव में टूट गया। स्कूल भवन भी क्षतिग्रस्त हुआ व गांव में भी भारी तबाही व नुकसान हुआ। इसी तरह पंचायत समिति कोटकासिम में एक पंचायत में केवल एक राहत कार्य ही मंजूर किया जा रहा

(श्री एमादुद्दीन अहमद खां)

है जबकि एक पंचायत में कई गांव आते हैं व सभी गांव बाढ़ की चपेट में आये हुए हैं। उन सभी गांवों के साथ यह अन्याय है वह यह वास्तविक रूप से राहत नहीं मानी जा सकती।

यदि इन बांधों की समय रहते मरम्मत करवा दी जाती तो क्षेत्र में इतनी तबाही नहीं मचती। इस बाबत वर्ष 1994 के बजट सत्र में मांग संख्या 46 के जरिये गौसोली, चावण्डी, निम्बाहेड़ी, विलासपुर, हमलाका, निमली, सादीपुर, ग्वालदा व बाघौर बांधों की मरम्मत हेतु कटौती प्रस्ताव भी दिये गये थे लेकिन कोई विशेष कार्यवाही नहीं हुई।

अब जबकि एक ओर उक्त क्षेत्र में अतिवृष्टि ने काफी नुकसान व तबाही मचायी तो दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन ने उक्त क्षेत्र को राहत क्षेत्र ही घोषित नहीं किया है। राहत क्षेत्र की घोषणा न होने से जिला विकास अभिकरण भी कोई राहत कार्य करवाने की स्थिति में नहीं है। अतः राज्य सरकार को आदेश दिया जाय कि इतनी गम्भीर स्थिति में तिजारा क्षेत्र की तहसील तिजारा को तुरन्त राहत क्षेत्र घोषित कर राहत कार्य चालू करवाये जावें। किसानों को फसलों के नुकसान का मुआवजा दिया जाय। उनके अतिवृष्टि में बहे अनाज भण्डार व क्षेत्र के निवासियों के क्षतिग्रस्त मकानों के नुकसान का वास्तविक मूल्यांकन कर तुरन्त मुआवजा दिया जाय। साथ ही भविष्य में अतिवृष्टि व बाढ़ से बचाव के लिए क्षेत्र के सभी बांधों का तुरन्त मरम्मत कार्य चालू किया जाय। सड़कों एवं सम्पर्क सड़कों पर अतिवृष्टि में जानमाल की सुरक्षा के लिए आवश्यक पुलिया का शीघ्र निर्माण करवाया जाय ताकि भविष्य में पुनः जानमाल के नुकसान से बचा जा सके। धन्यवाद।

(13.00)

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

पंचायती राज की पंगु स्थिति

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायती राज की पंगु स्थिति से बिगड़ते हालात के सम्बन्ध में 295 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, राजस्थान में नयी पंचायती राज व्यवस्था चुनावों के बाद जहां व्यापक स्वरूप के साथ जन कल्याणकारी होकर भागीदारी से सफल होनी चाहिए। वहां राज्य सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव में नये कानून के अन्तर्गत दो वर्ष में नियमों को ही क्रियान्वित नहीं करना पंगु पंचायत राज का द्योतक है।

प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं से धन के घपलेबाजी और घोटालों का दौर जिस गति से नियन्त्रण पर्यवेक्षण के अभाव में है तथा केन्द्रीय प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं के लागू करने में भारी गड़बड़ी तथा विसंगतियों से धन का दुरूपयोग तेजी से हो रहा है।

योजनाओं एवं धन का जहां विनिमय बढ़ा है वहां पंचायत राज में राज्य के प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को विकास अधिकारी नहीं लगाया जा रहा है। उच्च कैडर के विभिन्न विभागों के अधिकारी नहीं लगाया जा रहा है। योजनाओं का विस्तार तथा अधिकता से कनिष्ठ अभियन्ता की उपादेयता नहीं होकर सहायक अभियन्ता लगाकर कार्यों की गुणवत्ता को बढ़ाना आवश्यक हो गया है जिससे गुणवत्ता के साथ-साथ योजनान्तर्गत निर्माण कार्य सही ढंग से तकनीकी मार्ग दर्शन पर्यवेक्षण में हो सके।

ग्राम सभाओं की सार्थकता तथा सर्तकता समितियां एक औपचारिकता और खानापूर्ति मात्र होने से ग्रामीण जनता का विश्वास उठता जा रहा है। जनता के सामने हिसाब-किताब तथा विवरण प्रस्तुत नहीं होने से फर्जीवाड़ा तथा घपलों का व्यापक रूप पंचायत राज को नकारा और पंगु बनाता जा रहा है।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

पंचायतों की तथा पंचायत समितियों की बैठकें अधिनियम के अनुसार नियमित नहीं होती हैं। कार्यवाही विवरण उसी समय तैयार होकर एक सप्ताह में सदस्यों को दिलाने की व्यवस्था प्रभावी नहीं होने से इन संस्थाओं के प्रति जन आकांक्षाएं धूमिल हो रही हैं।

गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों का भौतिक सत्यापन अन्य एजेन्सियों से न होने से यह योजनाएं सार्थक रूप से लागू होने में निरन्तर ह्रास हो रहा है तो जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ सही परिप्रेक्ष्य में नहीं मिल रहा है। जिसके पहले से मकान हैं वे इंदिरा आवास के मकान का अनुदान उठाकर दुरूपयोग कर रहे हैं और जरूरतमंद इन योजनाओं के लाभों से वंचित हैं। पंचायती राज के तालाबों की सिंचाई पेटा काश्त तथा वृक्ष तथा अन्य प्रकार की आय वसूलने की प्रभावी कानूनी प्रक्रिया में लाखों रुपयों का घपला हो रहा है।

भूमि विक्रय अतिक्रमण योजनाबद्ध विकास तथा सुन्दरता में बाधक हो रहा है। पुराने कब्जे बताकर नियमों के अभाव में मनमानी की जा रही है। पंचायतों की मूल्यवान भूमि नियमों के अभाव में घपलेबाजी तथा मनमाने ढंग से हड़प कर पंचायती राज संस्थाएं आय से वंचित हो रही हैं।

जिले में पंजीयक एवं स्टाम्प दरों के निर्धारण की जो रेटें हैं उससे कम पर भूखण्ड कब्जे की राशि वसूलना गंभीर मामला है।

पंचायती राज संस्थाओं का निरीक्षण तथा अंकेक्षण की व्यवस्था पंगु है। भ्रष्टाचार तथा घोटालों को संरक्षण होने से अन्य एजेन्सी जैसे उपखंड अधिकारी को पंचायती राज संस्थाओं के निरीक्षण तथा उसके अन्तर्गत ही दो पंचायत प्रसार अधिकारी रखने और पंचायतों के भूखण्ड तथा प्रशासनिक मामलों की अपील के अधिकार दिये जाने से यंह व्यवस्था काफी सुधर सकती है।

इन वर्णित तथ्यों के आधार विफल होती पंचायती राज व्यवस्था के राज्य प्रशासनिक सेवा के विकास अधिकारी लगाने तथा प्रत्येक पंचायत में अलग से सचिव लगाने और उन पर प्रभावी नियन्त्रण के लिये उप खण्ड अधिकारी तथा जिला कलक्टर को स्थानान्तरण पदस्थापन आदि के व्यापक अधिकार अधिनियम में संशोधन करके देने एवं नियमों को शीघ्र व्यापक बनाकर प्रभावी रूप से लागू करने से पंचायती राज की पंगु स्थिति को दृढ़ इच्छा शक्ति से उभारा जा सकता है। प्रदेश में पंचायती राज भ्रष्टाचार तथा घपलेबाजी से मुक्त हों। अधिनियम, नियम, निर्देशों का प्रभावी नियन्त्रण हो तथा पर्यवेक्षण, अंकेक्षण व निरीक्षण समुचित ढंग से हो। इसके साथ-साथ यह संस्थाएं जनता की भागीदारी से नये स्वरूप के लाभ लें। वित्त आयोग के सुझावानुसार संसाधन बढ़ाने के लिये इन संस्थाओं को उपयुक्त अधिकार थे। संसाधन बढ़ सके इसके लिये पंचायती राज संस्था पुनरावलोकन समय-समय पर करने हेतु संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी की भूमिका निर्धारित कर नियन्त्रण, पर्यवेक्षण व अंकेक्षण का अधिकार प्रभावी तरीके से अधिनियम एवं नियमों में संशोधन कर दिया जाय ताकि पंचायती राज को जन आस्था और सफलता का केन्द्र बिन्दु बनाकर प्रदेश की जनता में फिर से विश्वास कायम कर सकें और सारे धन और योजनाओं में जनता की प्रभावी भागीदारी होकर सदुपयोग हो तथा योजनाएं सही परिप्रेक्ष्य में क्रियान्वित हों। जिसका लाभ गरीब तबके को वास्तविक रूप से मिले। उनका प्रभावी भौतिक सत्यापन विभिन्न स्तर

(श्री रतनलाल ताम्बी)

पर हो। प्रदेश में एक नया स्वरूप, वातावरण बने इसके लिए जन प्रतिनिधियों को इनमें प्रत्येक स्तर पर जोड़ा जाय ताकि ग्राम सभाओं, सतर्कता समितियों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों की सार्थक भूमिका वस्तुतः हो सके। इस आधार पर राज्य सरकार इच्छा शक्ति बनाकर प्रदेश में पंचायती राज की गतिशीलता में बिगड़ते हालातों को रोक कर जनता को सही परिप्रेक्ष्य में लाभान्वित करने में आ रही रुकावटें दूर करे। निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा जन धन का दुरूपयोग और गरीबों को योजना और कार्यक्रमों से लाभान्वित होने से वंचित रखने का कुचक्र समाप्त हो। योजनाओं का सही क्रियान्वयन होकर उनके खुशहाली के लिये कारगर योगदान मिल सके।

मैं इसके माध्यम से सरकार से मांग कर अपेक्षा करता हूं कि पंचायती राज के अधिनियम में परिवर्तन/परिवर्द्धन करेगी। नियमों को दो वर्ष बाद भी लागू न करना पंचायती राज की गतिशीलता में बाधक हो रहा है। उन्हें लागू किया जाय। पंचायत राज संस्थाओं को व्यापक अधिकार एवं वित्तीय संसाधन मिलें। उचित नियन्त्रण के लिए अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकें ताकि प्रदेश की जनता को इससे समुचित राहत मिल सके। ऐसे सार्थक प्रयास कर फिर से जनता में उल्लास का सुखद वातावरण पैदा किया जाये। धन्यवाद।

अनुपस्थिति के लिये अनुमति

श्री नन्दलाल व्यास, सदस्य, विधान सभा को 5.3.96 से 16.3.96 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री नन्दलाल जी व्यास, सदस्य, विधान सभा ने अपने रिश्तेदार के निधन होने के कारण दिनांक 5.3.96 से 16.3.96 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत, मुख्य मंत्री, वित्त विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या 5(4) वित्त/ग्रुप—4/94 दिनांक 12 दिसम्बर, 1995, जिसके द्वारा राजस्थान कराधान अधिकरण नियम, 1995 बनाये गये हैं, तथा

(2) अधिसूचना संख्या प. 4(25) वित्त/ग्रुप–4/92 पार्ट–II–26 एवं शुद्धि पत्र संख्या प. 4(25) वित्त/ग्रुप–4/92 पार्ट–II–27 दिनांक 12 दिसम्बर, 1996 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 में संशोधन किये गये हैं।

उद्योग विभाग

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हरिशंकर जी भाभड़ा, उप मुख्य मंत्री, उद्योग विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उद्योग मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर.एफ.सी/एफ/विधि-3/एल.पी.एम/25, दिनांक 22.12.95 जिसके द्वारा दी राजस्थान फाइनेन्शियल कारपोरेशन (स्टॉफ) रेगूलेशन 1958 में संशोधन किया गया है, को सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्व विभाग

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गंगाराम जी चौधरी, राजस्व मंत्री, राजस्व विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या प. 6(2)राज/6/9/29 दिनांक 9.11.1995, जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है,

(2) अधिसूचना संख्या प. 6(40)राज-4/राज-6/79/26 दिनांक 5.12.1995, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (पापड़खार तथा सब्जी उत्पादन क्षेत्रों का पट्टा) नियम, 1995 में संशोधन किया गया है, तथा

(3) अधिसूचना संख्या पं. 10(1)राज-6/95/31 दिनांक 5.12.1995, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है।

खनिज विभाग

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री कैलाश जी मेघवाल, खनिज मंत्री, खनिज विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये उल्लेख के अनुसार खनिज विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या पं. 14(13) खान/ग्रुप-2/93 दिनांक 5 जनवरी, 1996, जिसके द्वारा राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 65 के द्वारा खनिज विकास के हित में एकल व्हील कटर्स से मार्बल के असमान ब्लॉक्स की चिराई करने वाले व्यक्तियों को अनुज्ञा पत्र देने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है,

(2) अधिसूचना संख्या प. 14(13) खान/ग्रुप-2/95 दिनांक 17 जनवरी, 1995, जिसके द्वारा अधिसूचना दिनांक 5.1.1996 में संशोधन किये गये हैं, तथा

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 15(20) माइन्स/ग्रुप-2/94, दिनांक 20.02.1996, जिसके द्वारा राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 65 के द्वारा खनिज विकास के हित में मार्बल (सरपेन्टाइन/ग्रीन मार्बल इत्यादि) के लिये खनन पट्टा/खदान अनुज्ञप्ति की मंजूरी प्रक्रिया के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना दिनांक 6 अक्टूबर, 1994 में संशोधन किये गये हैं।

श्रम विभाग

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री नन्दलाल जी मीणा, श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री, श्रम विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे। (व्यवधान) (अनुपस्थित)

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री भैरोंसिंह शेखावत।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यहां पर हैं नहीं और किसी को अथोराइज भी नहीं किया गया है।

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 13(4) श्रम/93 दिनांक 23.1.1996, जिसके द्वारा राजस्थान बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनिमय) नियम, 1996 विरचित किये गये हैं, को सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रतिवेदन एवं लेखे राजस्थान लोक सेवा आयोग का 44 वां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत, मुख्य मंत्री, राजस्थान लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोक सेवा आयोग का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रेल, 1993 से 31 मार्च, 1994 तक) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हरिशंकर जी भाभड़ा, उप मुख्यमंत्री कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत 2 प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एवं इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि. का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 1994-95

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत निम्नांकित दो प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एवं इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का 26वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण, वर्ष 1994-95।

राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि. का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1994-95

(2) दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 1994-95।

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल, खनिज मंत्री, कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 48 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1994-95 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 48 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95

श्री अध्यक्ष : श्री रोहिताश्व, परिवहन राज्य मंत्री, सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 35(3) के अन्तर्गत एक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, परिवहन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवहन

(श्री रोहिताश्व)

निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 31 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1993-94

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीकिशन सोनगरा, खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री श्रीकिशन सोनगरा (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 1993-94 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानसिंह चौधरी, भण्डार व्यवस्था निगम के दो प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

माननीय ज्ञानसिंह जी चौधरी, कृषि राज्य मंत्री, कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे।

माननीय ज्ञानसिंह जी चौधरी, कृषि राज्य मंत्री, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा 32(4) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1993-94 एवं 1994-95

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (राज्य मंत्री, कृषि) : अध्यक्ष महोदय, मैं भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 (II) के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1993-94, एवं

(2) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 37 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1994-95,

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि. का वार्षिक प्रतिवेदन व लेखे वर्ष 1993-94

(3) कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड का 25 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 1993-94,

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर की वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993-94

(4) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा 32(4) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, समय बचाने के लिये मंत्रीजी का नाम पुकारना ही काफी है।

श्री अध्यक्ष : मैं बहुत फास्ट चलता हूं। श्री कैलाश मेघवाल।

कोटा जांच आयोग का जांच प्रतिवेदन एवं उस पर राज्य सरकार का कार्यवाही ज्ञापन

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप धारा 4 के अन्तर्गत—

(1) कोटा जांच आयोग का जांच प्रतिवेदन एवं उस पर राज्य सरकार का कार्यवाही का ज्ञापन,

मण्डावरी जांच आयोग का जांच प्रतिवेदन एवं उस पर राज्य सरकार का कार्यवाही ज्ञापन

(2) मण्डावरी जांच आयोग का जांच प्रतिवेदन एवं उस पर राज्य सरकार का कार्यवाही का ज्ञापन, सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन
कार्य सलाहकार समिति का 15वां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 15वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि कार्य सलाहकार समिति जो निर्णय ले लेती है उसको सदन स्वीकार करता है।...(व्यवधान)....एक मिनट मेरी बात तो कह लेने दीजिये, साहब।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले इसको रख तो दूं।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात सुन लेंगे। पहले इसको रखने दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कार्य सलाहकार समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष के वैश्म में दिनांक 7 मार्च, 1996 को मध्यान्ह पश्चात 2.30 बजे हुई। समिति दिनांक 8 मार्च, 1996 से 16 मार्च, 1996 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के बारे में विचार-विमर्श कर सिफारिश करती है कि समय का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाये :—

शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च, 1996	: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद।
शनिवार, दिनांक 9 मार्च, 1996 रविवार, दिनांक 10 मार्च, 1996	: बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 11 मार्च, 1996 मंगलवार, दिनांक 12 मार्च, 1996	: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद।
बुधवार, दिनांक 13 मार्च, 1996	: बैठक नहीं होगी।
गुरुवार, दिनांक 14 मार्च, 1996	: 1 राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद एवं सरकार की ओर से उत्तर। 2. अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) वर्ष 95-96 का उपस्थापन एवं उस पर विचार तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

	3. राजस्थान कराधान अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1996 पर विचार एवं पारण।
शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च, 1996	: 1. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 96-97 एवं लेखानुदान संबंधी विवरण का उपस्थापन। 2. वर्ष 96-97 के लिये लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव का पारण एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं पारण।
शनिवार, दिनांक 16, मार्च, 1996	: 1. राज्य में अकाल, ओलावृष्टि तथा शीत लहर के प्रकोप से फसलों को हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति पर विचार। 2. राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 15वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया, कार्य सलाहकार समिति के निर्णय के ऊपर चर्चा नहीं होती है। लेकिन आपके रूल 23 में स्पष्ट दिया हुआ है कि फ्राइडे के दिन, महीने में कम से कम दो दिन प्राइवेट मैम्बर्स के लिये नियत किये जायेंगे। पिछले सत्र में भी इस बात के लिये सरकार ने आश्वासन् दिया था कि निश्चित रूप से भविष्य में इस बात का ख्याल रखा जायेगा। बड़ी मुश्किल से पिछली बार एक दिन इसके लिये रखा गया और उसमें भी घंटा, डेढ़ घंटा ही इस बात पर चर्चा हो पायी। अध्यक्ष महोदय, या तो इस नियम को आप इस नियम पुस्तिका में से हटा दीजिये और अगर इसको यहां रखते हैं तो यह सरकार का, सदन का और मुख्य रूप से आपका परम कर्तव्य हो जाता है कि हम इस नियम 23 की अनुपालना यहां पर करायें। 16 तारीख अन्तिम दिवस है, उसके पश्चात सदन एडजोर्न हो जायेगा। फ्राइडे के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से प्राइवेट मैम्बर्स को अपने संकल्प प्रस्तुत करने का, बिल प्रस्तुत करने का समय नहीं मिलता है। तो अध्यक्ष महोदय, इस बिन्दु पर गम्भीरता से विचार कीजिये। भविष्य में ऐसा ना हो—

श्री अध्यक्ष : भविष्य में ध्यान रखेंगे। विराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : भविष्य में कब ?

श्री अध्यक्ष : बहुत शार्ट सैशन है। आप भी आगे नहीं चलाना चाहते हैं। आपको खुद को चुनाव में जाना है।

श्री लक्ष्मण सिंह : हम तो चाहते हैं। एक दिन आगे बढ़ाइये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी मिली उस हिसाब से बिजली का विषय भी शनिवार के दिन विचाराधीन आने की बात हुई है। मेरी पार्टी के चीफ व्हिप ने मुझे यह बताया था कि यह तय हो गया है कि बिजली भी कंसीडरेशन में

(श्री रामनारायण चौधरी)

आयेगी। लेकिन मैंने देखा कार्य सलाहकार समिति में आपने जो निर्णय लिया उसमें बिजली का कहीं नाम नहीं है। दूसरे आइटम्स तो ठीक हैं लेकिन बिजली पर भी चर्चा थी हमारे चीफ व्हिप बता रहे थे।

दूसरा, शनिवार के दिन कभी बैठक नहीं होती है। आपने एक दिन हमारा कम करवा दिया। यह शनिवार के बजाय सोमवार को यदि आप रखते तो ज्यादा अच्छा था। कार्य सलाहकार समिति में बिजली की भी बात हुई थी, माननीय खेतसिंह जी बता रहे थे कि बिजली का डिस्कशन स्वीकार कर लिया गया है, गवर्नमेंट उस पर स्टेटमेंट देगी और उस पर चर्चा की जायेगी। वह उल्लेख इसके अन्दर कहीं नहीं है।...(व्यवधान)...

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, अपरिहार्य कारणों से ही सटरडे को मीटिंग रखी जाती है। आप इस पर मण्डे को कीजिये। ऐसी क्या आवश्यकता हो गयी है कि आप सटरडे को मीटिंग रख रहे हैं? एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं वहां विराज रहे थे, आपके सामने ही सारी बातचीत हुई थी और उसमें यही निर्णय लिया गया था कि अकाल को भी ले लेंगे, ओलावृष्टि को भी ले लेंगे और बिजली को भी ले लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, चर्चा तो जो भी हुई थी लेकिन इसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्जा पर भी उस दिन बोल लेंगे, सरकार जवाब दे देगी।

श्री अध्यक्ष : हां, कर लेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : आप संशोधन करके इसकी अप्रूवल ले लीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, नम्बर तीन पर संशोधन–"ऊर्जा पर वाद-विवाद और उसका उत्तर" प्रस्तावित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के यथा संशोधित प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

ऊर्जा पर भी चर्चा होगी। 16 तारीख की बात हुई है।

श्री लक्ष्मण सिंह : आपने फरमाया कि...

श्री अध्यक्ष : आप स्वयं विराजे थे वहां, मदेरणा साहब भी विराजे थे। वह कह रहे थे इसको ज्यादा लम्बा मत करो, हमको सबको जाना है।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, आपका शासन तो जिस दिन विधान सभा चलती है उस दिन ही चलता है, आप क्यों इसको कम कर रहे हो?

श्री अध्यक्ष : मैं तो माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी का बहुत सम्मान करता हूं उन्होंने कहा कि 16 को भी चलाओ आप।...(व्यवधान)...

श्री लक्ष्मण सिंह : ...कार्यक्रम रख लेते हैं, मीटिंग रख ली, हमारे दिक्कत हो जाती है। हम तो शनिवार की छुट्टी मानते हैं।

श्री अध्यक्ष : वापस आना जाना पड़ेगा इसलिये है।

श्री लक्ष्मण सिंह : बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग है। यहां से ऐसे आदेश

(श्री लक्ष्मण सिंह)

निकले हैं, विधान सभा से ही ऐसे आदेश निकले हैं कि...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : शनिवार को छुट्टी रखी जाय यह जरूरी है।

श्री लक्ष्मण सिंह : अब आपके डी. आर. डी. ए. की मीटिंग शनिवार को है। अब शनिवार को...(व्यवधान)...यहां पर रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, सटरडे को डी. आर. डी. ए. की मीटिंग में...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, शनिवार को जिले की बैठकें होती हैं और माननीय सभी विधायकों को उस जिला बैठक में जाना अनिवार्य होता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सभी ने सहमति व्यक्त की है।

एक माननीय सदस्य : ...इसलिये शनिवार को नहीं रखी जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री रमाकान्तजी शर्मा।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो एक गलत परम्परा डाली जा रही है। विदाउट एनी राइम एण्ड रीजन आप सैटरडे को मीटिंग रख रहे हैं। What is the importance?

श्री अध्यक्ष : मैं आपको क्या अर्ज करूँ? वहां सारे ही माननीय सदस्य विराजे हुए थे।

श्री लक्ष्मण सिंह : विधान सभा से आदेश प्रसारित हुए हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की सारी मीटिंग्स शनिवार को रखी जायेगी। हमारी तीन इम्पोर्टेंट मीटिंग सैटरडे के दिन है।

श्री अध्यक्ष : इस शनिवार को नहीं रखवायेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : वह तो मीटिंग रख ली गयी है। (व्यवधान) आप अपवाद कोई करते हैं तो इसका कोई वेलिड रीजन होना चाहिए। कोई एक्सप्लेशन करते हैं तो उसको कोई वेलिड ग्राउण्ड होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पक्ष और विपक्ष दोनों के ही माननीय सदस्य उसमें विराजे थे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी ने यह तय किया था।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सदन सर्वोपरि है तो फिर कारण बताया जाय कि शनिवार को क्यों रखी जा रही है।

श्री अध्यक्ष : मैं तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से बंधा हुआ हूं, जैसा आप कहो मैं तो करने को तैयार हूं। मुझे क्या दिक्कत है।

श्री लक्ष्मण सिंह : कारण बताइये कि शनिवार को क्यों रखी जा रही है? यह परम्परा क्यों तोड़ी जा रही है? गवर्नमेंट की अगर कोई मजबूरी हो तो उसको बतायें।

श्री अध्यक्ष : अभी आपको जल्दी है इसलिए...

श्री लक्ष्मण सिंह : हमें कोई जल्दी नहीं है। आप 18 को रखिये।

श्री शिवनाथ सिंह : हमें कोई जल्दी नहीं है।

श्री लक्ष्मण सिंह : आप 19 तारीख को रखिये, प्राइवेट मैम्बर्स डे है। 19 तारीख को रखिये, मंगलवार को।

श्री अध्यक्ष : मुझे पता है आप ऐसे ही कह रहे हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह गलत परम्परा पड़ रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसी कोई परम्परा नहीं रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी कार्य सलाहकार समिति यदि तय करती है तो शनिवार को भी और रविवार को भी चल सकती है।

श्री लक्ष्मण सिंह : मुख्य सचेतक महोदय, आप रिकार्ड देख कर बता दीजिये कि विधान सभा शनिवार को कितनी बार चली है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं अभी थोड़ी देर बाद बता दूंगा।

श्री लक्ष्मण सिंह : एक्सेप्शन कैसेज के अन्दर ही ऐसा हुआ है। —(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जहां तक जिला हैडक्वार्टर की मीटिंग्स का सम्बन्ध है यह डायरेक्शन दे दिये जायेंगे—(व्यवधान)—यह स्टेण्डिग आर्डर्स भी हैं कि शनिवार को विधान सभा चलेगी इसलिए शनिवार को होने वाली बैठकें आगे की जायेंगी।

श्री लक्ष्मण सिंह : नहीं, वह बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह आपने सहमति प्रदान कर दी है।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, वह बात नहीं है।—(व्यवधान)—

श्री महावीर प्रसाद जैन : कभी भी चर्चा नहीं हुई है यहां पर सदन में। यह परम्पराओं के विपरीत है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप मीटिंग तो करवाओ आगे। जो जिलों के अन्दर मीटिंग्स तय हैं उनको तो आप आगे रखवाओ। जो मीटिंग है 16 तारीख की उसको तो आगे करवा दो।

श्री अध्यक्ष : अभी बात कर लेते हैं।

एक माननीय सदस्य : कोई भी जिलों में बैठक नहीं रखें 16 तारीख को।

श्री लक्ष्मण सिंह : (व्यवधान) पालन करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आगे के लिए ध्यान रखा जायेगा कि शनिवार को नहीं रखें।

श्री लक्ष्मण सिंह : बी. ए. सी. के अन्दर आपने तय कर लिया हम उसका सम्मान करते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आगे के लिए आपके अमूल्य सुझावों को ध्यान रख करके शनिवार को नहीं रखा जायेगा पर अब तो आपने स्वीकृति दे दी है।

श्री लक्ष्मण सिंह : लेकिन बी. ए. सी. से ऊपर भी यह सदन है। सदन मालिक है किसी भी चीज का। फाइनल निर्णय सदन में ही लिया जाता है। सदन के उस तरफ के सदस्य और इस तरफ के सदस्य चाहते हैं कि शनिवार को मीटिंग नहीं हो। एक दिन में फर्क क्या पड़ता है। अगर इस बात को माननीय मुख्य सचेतक महोदय कृपया इसको अपने ईगो का प्रश्न नहीं बनायें और बिलकुल व्यावहारिकता पर आयें—

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसमें कोई ईगो का सवाल नहीं है। यह तो कार्य सलाहकार समिति में सभी नेता महोदय उपस्थित थे उन्होंने तय किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री रमाकान्त जी शर्मा। सभापति, विशेषाधिकार समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, शनिवार को कोई मीटिंग रखते हैं तो आप जिला

(श्री जुबेर खान)

कलेक्टरों को निर्देश दीजिये कि शनिवार को कोई मीटिंग नहीं रखेंगे क्योंकि पहले से ही अलाटमेंट कमेटी और दूसरी कमेटी की मीटिंग्स रखी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : तुरन्त कर देंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : 10 मिनट में आपके आदेश जारी हो जाने चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जिलाधीश महोदय को कहें कि वह मीटिंग तुरन्त पोस्टपोन करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राज्यपालजी के अभिभाषण पर कुछ कहना होगा। आप विराजें।

श्री रमाकान्त जी शर्मा, सभापति, विशेषाधिकार समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री जगदीप धनखड़, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

श्री रमाकान्त शर्मा (सभापति, विशेषाधिकार समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री जगदीप धनखड़, सदस्य विधान सभा के विरुद्ध श्री शिवकिशोर सनाढ्य एवं अन्य 15 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने रखा उसका मतलब और परपज हल हो गया और अब उसको लम्बा खींचने का कोई मतलब नहीं होता। आप माननीय सदस्य को बारबार एक्सटेंशन लेकर सदन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा है, वह इस सदन के आनरेबल मैम्बर हैं। माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव दे दिया, यह ठीक है बहुमत के आधार पर आपने उसको पास करवा लिया लेकिन ऐसी कौनसी बात थी जिसको अब तक माननीय रमाकान्तजी तय नहीं कर सके। आपकी जो विशेषाधिकार समिति है, यह दोनों पक्षों की है। आपने उसमें कोई प्रस्ताव पास नहीं करवाया कि इसकी अवधि बढ़वायी जाये। आपने कोई प्रस्ताव पास नहीं करवाया और आप बहैसियत चेयरमैन उस कमेटी के यह प्रस्ताव रख रहे हो जो नियमानुसार नहीं है। सदन में जब तक आप विशेषाधिकार समिति के प्रस्ताव पास करवा कर पेश नहीं करोगे तब तक हम इसका अनुमोदन नहीं कर सकेंगे, नम्बर–एक। नम्बर–दो।

ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप उसको बढ़वायें। जगदीप जी धनखड का क्या अपराध था, क्या कसूर था? माननीय सनाढ्य साहब ने और 15-20 माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिये वह परपज आपका हल हो गया। आप चाहते थे जो हो गया, अब आप इसको क्यों आगे खींचना चाहते हैं। मेरा आपसे प्रस्ताव है, अध्यक्ष महोदय, कि इसकी अवधि नहीं बढ़ायी जाये। मैं माननीय सनाढ्य साहब से निवेदन करूंगा कि वह इसको विथड्रा कर लें इसी में सदन की परम्परा, महानता, गरिमा और जो स्वरूप है, विशाल स्वरूप वह ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा निखरेगा, न कि छोटी-छोटी बातों के लिए आप प्रस्ताव पास करवा कर एक्सटेंशन लेकर के विशेषाधिकार समिति के सामने...(व्यवधान)...

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे जरा बोलने का मौका दें तो प्रश्न आयेंगे ही नहीं आपके। आपके प्रश्न ही नहीं आयेंगे अगर मुझे एक मिनट का समय दे देंगे तो।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, मेरा इसमें निवेदन यह है कि सदन के विशेषाधिकार हनन का जो मामला है वह बहुत बड़ी बात है। यह सदन सर्वोपरि है, इसको तो बहुत अधिकार है और इसके अधिकारों का तो कभी हनन हो ही नहीं सकता। एक माननीय सदस्य, जो इस सदन के हैं, अपने ही अधिकारों का हनन करेंगे यह सम्भव नहीं है। इस सदन में गरमा-गरमी में किन्हीं कारणों से कई बातें हो जाती हैं। उन बातों को एक साल से अधिक का समय हो गया। उस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है और आगे किन कारणों से आप इसको बढ़ाना चाहते हैं यह समझ में नहीं आता है। यह बिलकुल एक बिना मतलब की बात होगी। माननीय अध्यक्ष जी, एक भी विशेषाधिकार समिति का निर्णय ऐसा नहीं होता जो आखिर में इस लाइन से समाप्त नहीं होता हो कि अब उसमें आगे कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। अभी 2-3 रोज पहले दूसरी रिपोर्ट पेश हुई है उसमें माननीय सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार का जो प्रश्न रखा गया है, उन्होंने आखिर में यह कह दिया कि मेरी सदन का अपमान करने की मंशा नहीं थी। इसलिए, माननीय अध्यक्ष जी, इस बात को सोच कर और जैसा कि माननीय श्री रामनारायण जी ने कहा है, सनाढ्य साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा, सदन से भी निवेदन करना चाहूंगा और हमारे मुख्य सचेतक महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह मामला गम्भीर नहीं है, ऐसा नहीं है, इसलिए इस मामले को समाप्त किया जाय। इस मामले में आगे इस तलवार को कितने दिन लटकाये रखना चाहते हैं? पांच साल तक लटकाये रखो। माननीय सदस्य के लिए जो पीड़ा आप दे सकते थे वह आपने दे दी। उसके बाद मैं आपका परपज हल हो गया। आपको कुछ करना नहीं है। अन्त में जब यह लाइन लिखनी है कि इससे आगे कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है तो उस मामले को आज ही क्यों नहीं समाप्त किया जाय। आनरेबल सदस्य को कहा जाये कि ठीक है, इनके खिलाफ कोई मामला नहीं होता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और हमारे मुख्य सचेतकजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले को यहीं समाप्त किया जाय, कोई समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे यदि एक मिनट का समय दे दें तो कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होगा। __(व्यवधान)__ नहीं प्रश्न पैदा ही नहीं होगा। आप सन्तुष्ट हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपने जो प्रश्न उठाया है उसका जवाब तो दे दें।

श्री रमाकान्त शर्मा : आपने जो प्रश्न उठाये हैं, आप सन्तुष्ट हो जायेंगे।

एक तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सम्भवतः पहली विशेषाधिकार समिति है जिसने 10 वर्ष के सारे मामलों को निपटा दिया। आज विशेषाधिकार समिति के पास में एक भी मामला पैण्डिग नहीं है। इसलिए विशेषाधिकार समिति की कोई इच्छा नहीं है कि किसी मामले को पैण्डिग रखा जाये या देरी की जाये। मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय धनखड़जी को बार-बार निवेदन किया गया है कि वह पधारें, अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें लेकिन वह कार्यों के अन्दर अत्यन्त व्यस्त होने से बार-बार फैक्स से, बार-बार टेलीफोन से, बार-बार पत्रों से समय लेते रहे। उनके प्रत्येक बार समय लेने के कारण से यह मामला निर्णीत नहीं हो सका। उनकी बड़ी कृपा है कि उन्होंने अभी लास्ट जो हमारी मीटिंग हुई थी पिछले महीने के अन्दर उसके लास्ट दिन के एक दिन पहले वे पधार गये। चूंकि उन्होंने

(श्री रमाकान्त शर्मा)

साक्ष्य इतना लम्बा दिया है, काफी पेजेज हैं इसलिए उस सबमें रिपोर्ट बनाने में देरी हो रही है। न तो उनको कोई बुलाना है, न हमने कोई दूसरी मीटिंग करनी है। अब चूंकि समय समाप्त हो गया, रिपोर्ट बनाने में दो-तीन दिन लगेंगे।

और यह सत्र आपका कुल मिला करके 5-6 दिन चल रहा है सारा का सारा, इसलिए अगली मीटिंग के लिए समय मांगा है। न तो यहां पर कोई लटकाने की बात है, न कोई देरी करने की बात है, न इसके अलावा हमारे पास कोई मामला पेंडिंग है।

श्री शिवनाथ सिंह : आप तो निर्णय सुना दीजिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : एक मिनट में निवेदन करना चाहता हूं। विशेषाधिकार हनन किन परिस्थितियों में हुआ है, उन परिस्थितियों से तो मैं परिचित नहीं हूं लेकिन एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के अधिकार बहुत बड़े हैं। बहुत ही स्पेरिंगली, बहुत ही कम अवसरों पर जब कोई व्यक्ति जान-बूझकर बार-बार उल्लंघन करे तो ऐसी नौबत आती है। यहां पर सबका अनुभव बराबर नहीं है, सबकी बुद्धि बराबर नहीं है। हमको हमारा पक्ष जोरदार ढंग से रखना होता है। कई बार जबान फिसल जाती है। आवेश में कुछ बात कह देते हैं। ठीक है जो अनुभवी माननीय सदस्य हैं, लम्बे समय तक रहे हैं, वे तो इसकी सीमा को जानते हैं लेकिन नये माननीय सदस्य अगर यह सोचने लग जायेंगे तो वह हमेशा बहुत सतर्क और डरे हुए रहेंगे कि क्या कह देंगे और क्या नहीं कह देंगे तो क्या आगे हो जायेगा। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि सदन को बहुत ही स्पेरिंगली ऐसा करना चाहिये।

मैं आपको उदाहरण दूं—एक दफा हाउस आफ कामन्स के बारे में एक किसी छोटे अखबार ने बहुत ही आपत्तिजनक और अपमानजनक बातें कह दीं तो किसी माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि यह इतना छोटा मामला है और इसका अगर हम कांग्नीजेंस लेते हैं और बात का बतंगड़ बनाते हैं तो छोटी बात और एक छोटा सा मामला है वह बड़ा तूल पकड़ जायेगा और वह आदमी यूं ही महत्त्वपूर्ण और हो जायेगा। इसलिये कि इसमें बहुत ही सतर्कता बरत करके देखना है कि और बार-बार सीमाएं नहीं लांघे, उल्लंघन नहीं हो, छोटी-छोटी बातों के अन्दर, हम कोई डिबेटिंग सोसायटी थोड़े ही हैं। हमको तो अल्प समय के अन्दर हमारा पक्ष रखना है, सरकार से वायदे प्राप्त करने हैं, हमारी जनता की आशाएं और आकांक्षाएं हैं उनको यहां पर रखना है, न्याय पाना है। तो ऐसी गरमा-गरमी में अगर कोई बात हो जाती है तो मैं समझता हूं सतर्कता रखनी है। आपको याद होगा, मुख्य मंत्रीजी, हमारे सदस्य जो अब भी सदस्य हैं माननीय मंत्री हैं एक कोई कपड़ा पहन कर आ गये और आपत्तिजनक बात थी उस पर ले आये कि इनको सदन से निष्कासित किया जाये और बहुत जोर लगाया मुझ पर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उस समय आप अध्यक्ष थे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : बहुत जोर लगाया। किसने जोर लगाया, किसने नहीं लगाया, यह मैं नहीं कहूंगा लेकिन बहुत ज्यादा जोर लगाया और हमको तरह-तरह की धमकियां दीं। मैंने कहा, मैं अपने हाथ से किसी को सदन से निष्कासित करने की कार्यवाही कदापि नहीं कर सकता। अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं है तो आप अविश्वास प्रस्ताव तो क्यों, अगर सदन का नेता कह देते हैं तो हम इस्तीफा भी दे

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

देंगे। तो परिस्थितियां देखकर कि भई, आदतन करते हों, शरारतन करते हों, बार-बार करते हों, सदन को नीचा दिखाने के लिये ऐसा करते हों तो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव होना चाहिये वरना इन बातों पर ज्यादा ध्यान देना ही नहीं चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चौधरी साहब ने और विश्नोई साहब ने जो बात कही कि माननीय जगदीप जी धनखड़ के विरुद्ध विशेषाधिकार समिति के पास में जो इश्यू है, इसको यहीं पर ड्राप करना उचित है, उसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र के अन्दर, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अन्दर फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज है और इस सदन के माननीय सदस्यों के पास में यही सबसे बड़ा प्रविलेज है। यह अवश्य होता है कि कई बार गरमा-गरमी के अन्दर इस प्रकार की बातें निकल जाती हैं जो कि संभवतः कहने का माननीय सदस्य के आशय नहीं होता है। लेकिन जैसा कि एक कहावत है, Opposition will have their say and rulling party will have their way. राज तो आपको करना है, शासन आपको करना है लेकिन इस प्रजातंत्र में हमको सिर्फ अपनी बात कहने का अधिकार है। उस कहने के अधिकार पर भी अगर कोई रोक लगायी जाती है तो डेमोक्रेसी ठीक ढंग से नहीं चल पायेगी। आजकल लोकसभा के अन्दर क्या हो रहा है? लोक सभा कई दिनों से बिलकुल ठप्प पड़ी हुई है लेकिन फिर भी वहां पर इस प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही कि विपक्ष के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई प्रिविलेज इश्यू रेज किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, काफी समय से इस इश्यू को खींच लिया गया है, मेरे ख्याल सें अपने आप में ही यह एक महत्त्पूर्ण बात है और सदाशयता बरतते हुए माननीय मुख्यमंत्रीजी, मुख्य सचेतक महोदय और प्रिविलेज कमेटी के अध्यक्ष महोदय, कृपया इस बात को यहीं ड्राप करें जिससे कि गवर्नर महोदय ने जो अपने भाषण में फरमाया था कि समन्वय का वातावरण बना हुआ है, भविष्य में भी वह समन्वय का वातावरण बना रहे, सामंजस्य का वातावरण बना रहे और उस वातावरण को बनाने में मदद मिले।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : इनकी सहृदयता थी। उस सहृदयता के बाद भी इनका हृदय पसीजा नहीं। हमारे पक्ष के नेता महोदय भी गये थे। माननीय धनखड़ साहब को जो हार्दिक वेदना हुई थी, सबको उसने टच किया था और माननीय मुख्यमंत्रीजी तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। उसके बाद भी आपका हृदय, हृदय नहीं होकर पत्थर बना हुआ है। आपने गवर्नर साहब से कहलवा दिया कि सामंजस्य रहे। सामंजस्य कहां हैं, आप तो हमें बरख्वास्त कर रहे हैं। सामंजस्य कहां है। हम चुन करके आये हैं उस पांच साल के पीरियड को आप पहले टर्मिनेट करना चाहते हैं। इसमें तो आप टर्मिनेट भी कर सकते हैं तो अगर आपका टर्मिनेट करने का ही इरादा है तो क्यों इंक्वायरी बैठा रहे हो? आप प्रस्ताव रख दीजिये कि टर्मिनेट कर दिया जाये। हम उसको फेस कर लेंगे। हम टर्मिनेट हो जायेंगे तो कोई दूसरा रास्ता तलाश करेंगे। जो तलवार लटकायी जा रही है माननीय सदस्य पर, इस तरह से मुझे बोलने का अधिकार नहीं है लेकिन मैं Whatever I feel, मेरे दिल में, इस समय मैं द्रवित हूं, मुख्य मंत्रीजी कि आपका बड़प्पन

(श्री रामनारायण चौधरी)

और सदन का बड़प्पन, अध्यक्ष महोदय, आपकी महानता और सदन की गरिमा इसी में है और आपने कल ही जो भाषण पढ़वाया है उसकी भी गरिमा यही है कि आप इसको आगे नहीं बढ़वायें, इसको विथड्रा कराने की मेहरबानी करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : दरियादिली का मामला है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, धनखड़ साहब के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव हमारे सनाढ्य साहब जो लाये हैं उस बारे में मुख्यमंत्रीजी कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं आपकी इजाजत से उनके बोलने के पहले सिर्फ चार लाइन बोलना चाहता हूं। शायद वह इस बात को, हमारी सबकी भावनाएं हैं, कई ऐसे सदस्य हैं आपकी तरफ भी जिनकी आत्माएं हमसे जुड़ी हुई हैं और वह यह चाहते हैं—

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : एक मिनट। आपकी तरफ ऐसे ज्यादा हैं जिनकी आत्माएं मेरे से मिली हुई हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मान लिया। हम स्वीकार कर रहे हैं।

वह यह चाहते हैं कि आपके व्यक्तित्व को, जो आपने आज तक बनाया है, कुछ और महान् बनाया जाय। इन छोटी-छोटी बातों को पकड़ करके न बैठा जाय और बात को यहीं खतम किया जाय। दाग दहलवी, आपने नाम सुना होगा, कहते हैं कि

"फलक देता है जिनको ऐश उनको गम भी होते हैं और जहां बसते हैं नक्कारे वहां मातम भी होते हैं। गिले शिकवे कहां तक होंगे अब, वक्त फैसले का है, मुख्यमंत्री जी फैसला आपको आज ही करना है, परेशां तुम भी न हो और परेशां हम भी न हों।"

श्री रामस्वरूप मीणा (टोड़ाभीम) : एक शेर है, बिलकुल छोटा सा है। मेरा यह निवेदन है, किसी शायर ने कहा है,

"वो कत्ल भी करते हैं तो न होते बदनाम,
हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।"

हमने आहें ही तो भरी हैं, कर दो साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : यह कौन से शायर ने कहा है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : शायर राम टोडवी। टोडाभीम के हैं तो टोडवी।

श्री शिवनाथ सिंह : उस बात को याद रखकर कहें जब हम साथ-साथ गये थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब गये?

श्री रामनारायण चौधरी : अपन सभी साथ-साथ गये थे और सुझाव भी दिये थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वह सही है लेकिन जाने के उपरान्त भी आप यह कहते हो कि मेरा हृदय पत्थर जैसा है।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं हृदय पिघल गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : पिघल नहीं गया, उस समय भी पिघला हुआ था। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, माननीय श्री पूनमचन्द जी विश्नोई यहां बैठे हैं, सदन की कुछ परम्पराएं हैं। मैं नहीं कहता कि परम्पराओं क उल्लंघन करने पर विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव नहीं लाया गया हो या नहीं लाया जाता हो। लेकिन एक परम्परा है कि एक बार कोई विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव यदि किसी कमेटी को दे दिया जाय तो कमेटी उस पर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

विचार करेगी। आज ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि कमेटी के सामने जो प्रस्ताव रखा हुआ है उसको विथड्रा किया जाये। मैं ऐसा समझता हूं कि कमेटी के माननीय सदस्य भी इस सदन के माननीय सदस्य हैं, आपकी भावनाओं को उन्होंने सुना है, मेरी भी व्यक्तिगत भावना आपके साथ है। कमेटी का समय एक्सटेंड कर दिया जाय, आपकी सबकी इच्छा उसी प्रकार से पूरी हो।

श्री रामनारायण चौधरी : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री जगदीप धनखड़, सदस्य विधान सभा के विरुद्ध श्री शिवकिशोर सनाढ्य एवं 15 अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

नियत समय में वृद्धि का प्रस्तावं स्वीकार किया गया।

श्री लक्ष्मीनारायण जी, सदस्य, जनलेखा समिति, 1995-96 के चार प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

जनलेखा समिति, 1995-96 का 66वां 67वां 68वां एवं 69वां प्रतिवेदन

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (सदस्य, जनलेखा समिति) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जनलेखा समिति 1995-96 के चार प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :--

(1) जनलेखा समिति, 1991-92 के पैंतालीसवें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में खनिज एवं भूगर्भ विभाग से संबंधित समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 66वां प्रतिवेदन;

(2) जनलेखा समिति, 1992-93 के 80वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 67वां प्रतिवेदन;

(3) जनलेखा समिति, 1992-93 के 85वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में वन विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 68वां प्रतिवेदन; एवं

(4) वर्ष 1981-82 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति का 69वां प्रतिवेदन।

विधायी कार्य : पुरः स्थापित विधेयक

मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1996

श्री अध्यक्ष : श्री रोहिताश्व कुमार, प्रभारी मंत्री, मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1996 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1996 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1996 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1996 को पुरः स्थापित करता हूं।

राजस्थान कराधान अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1996

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार जैन, प्रभारी मंत्री, राजस्थान कराधान अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1996 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन एवं एकीकृत ग्रामीण विकास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं, राजस्थान कराधान अधिकरण (संशोधन), विधेयक, 1996 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1996 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरः स्थापित करेंगे।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राजस्थान कराधान अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1996 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान कराधान अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का अध्यादेश संख्या–1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे। प्रभारी मंत्रीजी।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंप्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान कराधान अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का अध्यादेश संख्या–1) को जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लिए समय का बंटवारा

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए समय का आबंटन अध्यक्षीय व्यवस्था के अनुसार इस प्रकार किया गया है।

कुल 16 घंटे का समय उपलब्ध है उसमें सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा इस प्रकार है :—

भारतीय जनता पार्टी	–7.40 घण्टे
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी	–6.05 घण्टे
जनता दल	–0.30 घण्टे
सी.पी.एम.	–0.10 घण्टे
निर्दलीय	–1.35 घण्टे

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद। श्री रमाकान्तजी शर्मा, सदस्य विधान-सभा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

धन्यवाद प्रस्ताव

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नलिखित रूप में धन्यवाद प्रस्तुत किया जाये।

इस सत्र में एकत्रित हम राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने जो अलब्ध उपलब्धियां प्राप्त कीं और उसके फलस्वरूप महामहिम राज्यपाल महोदय ने यहां पर अपना अभिभाषणप्रस्तुत किया उस सबका उन्होंने सार आखिर के अन्दर दो लाइनों में जो श्लोक पढ़ा है उसमें है। मैं उस श्लोक को दुबारा पढ़ना चाहता हूं :—

सर्वस्तरतुं दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतुं।
सर्वः कामानवाप्नोतु सर्व : सर्वत्र नन्दतु॥

इस श्लोक के अन्दर सारी की सारी जो उपलब्धियां हैं उनकी बहुत ही सुन्दरतम तरीके से अभिव्यक्ति है। श्लोक में कहा गया है कि—प्रत्येक जो नागरिक है राज्य का, उस नागरिक को कोई कठिनाई नहीं आये, कोई भी काम करना चाहे तो उसके बीच में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आये। प्रत्येक नागरिक अपनी आर्थिक उन्नति के लिए, अपनी बहबूदी के लिए काम कर सके उसके अवसर प्रदान हो। प्रत्येक नागरिक की जो आकांक्षाएं हैं उन आकांक्षाओं की पूर्ति हो और प्रत्येक नागरिक प्रसन्न हो, आनन्दित हो। प्रसन्न शब्द सही नहीं है, प्रसन्न तो एक मानसिक टेम्प्रेरी स्थिति है परन्तु आनंदित हो। जिसका इंगलिश के अन्दर है हैप्पीनेस। आकांक्षा की गयी कि प्रत्येक नागरिक के सिर पर छत हो, खाने को उसके पास रोटी हो, पहनने को उसके पास वस्त्र हो, उसके पास दुधारू पशु हों, उसके खेत के अन्दर अच्छी फसल पैदा हो। बहुत ही मृदु स्वभाव की पत्नी हो या पति हो, एक सन्तान हो तो वह आदमी बहुत आनंदित होता है। हैप्पीनेस की जो चरम सीमा है वो उसको मिलती है। इस श्लोक के अन्दर राज्य सरकार जो अब तक काम कर रही है, यह बताया गया है कि वो किस प्रकार के काम हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गांव का आदमी हो, चाहे शहर का आदमी हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे जनजाति का हो, चाहे गांव का हो, चाहे ढाणी का हो, उनके लिए राज्य सरकार के जो विकास के कार्यक्रम हैं राज्य सरकार का जो एक प्रकार से नीतिगत कार्य चल रहा है, प्रत्येक कार्य के अन्दर नीति का आधार लिया गया है। ऐसा आधार नहीं है जैसा पहले हो जाया करता था कि उसने वोट दिये हैं तो वहां स्कूल खोल दो और उसने वोट नहीं दिये हैं तो स्कूल मत खोलो। चाहे स्कूल खोलने की बात हो, चाहे सड़क बनाने की बात हो, नीति है कि जहां पर गांव के 250 लोग रहते हैं, राजस्व गांव हैं उस राजस्व गांव के अन्दर स्कूल खुलेगा।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : शिक्षा की स्कूल खोलने की जो नीति है ...

श्री रमाकान्त शर्मा : क्षमा करें, मैंने तो अभी बोलना शुरू ही किया है। सारी नीतियां बताऊंगा।

श्री परसराम मदेरणा : आपकी जानकारी में नहीं है इसलिए मैं कह रहा था कि अगली साल की 96-97 की सीनियर सैकण्डरी स्कूल और सैकण्डरी स्कूल 6 महीने पहले खोल दीं। बजट में पैसे का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार की नीति-कुनीति और बिगड़ी हुई व्यवस्था है उस सम्बन्ध में तो कोई बात करें आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : नहीं, यह कुनीति नहीं है। लोगों की इच्छा के अनुसार, लोगों के कन्ट्रीब्यूशन के आधार पर इस प्रकार की नीति बनायी गयी है।

श्री परसराम मदेरणा : कन्ट्रीब्यूशन कहां हुआ है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कन्ट्रीब्यूशन हुआ है तभी खुले हैं। अगर लोग चाहें ...

एक माननीय सदस्य : लोग क्या करेंगे, रोयेंगे क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम प्रायोरिटी जम्प करना चाहते हैं .. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तो क्या करें सरकार।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये, रामनारायण जी, अगर जनता पैसे देकर स्कूल खुलवाती है तो ये जमाना आपके सामने भी था।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, वो जमाना तो आयेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आयेग नहीं, आकर गया।

श्री परसराम मदेरणा : देखो, मुख्यमंत्री जी, आप टैम्पर लूज मत कीजिये। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप पैसे भी ले रहे थे, कान्ट्रीब्यूशन भी ले रहे थे तो कोई जानकारी ही नहीं है, हमको तो मालूम ही नहीं। हम तो सोच रहे थे कि कोई कान्ट्रीब्यूशन ही नहीं है जो स्कूलें अपग्रेड हुई हैं ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लीडर ऑफ दी अपोजिशन को जानकारी नहीं हो ...

श्री परसराम मदेरणा : आपके जो आदेश निकले हैं उसमें कोई कांट्रीब्यूशन की बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपके आदेश बता दूंगा खैर, आपको जानकारी भेज देंगे। एक रिक्वेस्ट है इनको बोलने दिया जाय। आप जैसे आदमी इन्टरफियरेंस करेंगे तो हमारा टिकाव कहां होगा।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो इन्टर फियरेंस करूंगा ही नहीं बिल्कुल। आप बोलेंगे तब मुझे कुछ कहना पड़ेगा तो कहना पड़ेगा।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : डिबेट को सजीव, लाइवली बना रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जितना डिस्टर्ब करना चाहो, कर लेना।

श्री परसराम मदेरणा : डिस्टर्ब नहीं करूंगा जहां पर यह मोड़ते-मोड़ते अबाऊट टर्न हो गये वहां तक। (व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि उस श्लोक के अंदर एक आकांक्षा है। वह यह बताता है कि राज्य सरकार का सोच क्या है, राज्य सरकार के विचारों का केन्द्र बिन्दू क्या है। वह इस सारे के सारे श्लोक में बताया गया है। यह बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि यह सोच यकायक इस साल के अंदर नहीं आया है। पिछले पांच वर्ष से जिस मुख्य मंत्री के नेतृत्व में सरकार चल रही है वह वही आदमी है जिसने बहुत पहले अंत्योदय की बात कही थी। अंत्योदय की बात करने वाला आदमी जिसने सारे अन्तर राष्ट्रीय जगत के अंदर एक नयी चीज पैदा कर दी थी। उसके पीछे सोच यह थी कि गरीब से गरीब आदमी को किस प्रकार से लाभ दिया जाय। तो वही एकात्मकता, वही एकरूपता यहां आज भी है। पहले भी कहा गया था कि गरीब को गणेश मान करके काम किया जायेगा। उसमें भी बात यही थी कि प्रत्येक नीति, प्रत्येक योजना जो

(श्री रमाकान्त शर्मा)

बनायी जाए, किसी भी प्रकार का कोई काम किया जाए, उसके अंदर यह देखा जाए कि बिजली की बात है तो गरीब आदमी का क्या होने जा रहा है, खेती के बारे में कोई नियम बनाया जा रहा है तो उस गरीब आदमी का क्या होगा, यदि कोई सड़क बनायी जा रही है तो उस गरीब आदमी को लाभ होगा या नहीं होगा। अर्थात् जिस प्रकार से प्रत्येक काम के अंदर हम गणेश की बात सबसे पहले सोचते हैं, उसी प्रकार से . . .

श्री पूनमचंद विश्नोई (फलौदी) : योग्यता और अनुभव को महत्व नहीं देते, नहीं तो आपको आज इस से ही संतुष्टि करनी पड़ रही है, प्रस्ताव है राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने का__

(13.50)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रमाकान्त शर्मा : क्षमा करना, मैं अपने अन्तर्मन से बता रहा हूं, जो कुछ बोल रहा हूं, यहां पर किसी चीज का प्रश्न नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : प्रशंसा कर रहे हो।

श्री रमाकान्त शर्मा : यदि इसमें कहीं मैं गलत बात बोल रहा हूं तो वह आप अपने भाषण में बता देना।

श्री परसराम मदेरणा : अंत्योदय के युग में जब हमारी सरकार थी तो आपकी बहुत ज्यादा इज्जत और सम्मान था। हम सोच रहे थे कि आप उधर बैठेंगे और आपको उधर तो बैठाया नहीं और + + +

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मुझे थोड़ा बोलने दिया जाए ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : हम आपके शुभचिंतक हैं, हम आपको ट्रेजरी बैचेंज में बैठाना चाहते थे। मैं नम्बर दो पर बैठाना चाहते थे लेकिन टपक करके भाभड़ाजी आ गए नहीं तो आपकी बारी थी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : आप क्या चाहते थे, यह जानते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आई.ए.एस. बहुत काबिल और योग्य है उनको आपने लिया ही नहीं, मुख्य मंत्रीजी, केबिनेट के अंदर। आपको यही बात विश्नोईजी कह रहे हैं कि योग्य व्यक्तियों को ट्रेजरी बैचेंज में रखिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आपने इनको बहुत ही योग्य माना, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : देखिये, यह बात बाहर की है। यह सैक्रेटरी भी रहे, दूसरे भी रहे, उस वक्त जब कभी भी मीटिंगों में आये हैं तो हमेशा मैंने देखा है कि यह आदमी बहुत काबिल है और बहुत प्रिपेयर होकर यह मीटिंगों में आते थे। इसलिए मैं योग्यता का सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट ही नहीं, थोड़ा ही मेडुला आब्लेगेंटा में ग्रे मेटर नहीं होता तो ये तहसीलदार होता, आई.ए.एस. थोड़े ही होता।

श्री रमाकान्त शर्मा : क्षमा करना, आप मेरे नम्बर कटवा रहे हैं। (व्यवधान) . . . यदि कहीं कभी कुछ मिलने वाला होगा भी तो वह भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह कहेंगे कि यह तो विपक्ष से मिला हुआ आदमी है . . . (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : नम्बर कटेंगे, एक ही बात से कटेंगे कि मैंने आपकी तारीफ क्यों की। मुख्य मंत्रीजी, मैं इसको विथड्रा करता हूं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं विथड्रा नहीं करने देऊंगा, आपका यह भाषण तो इनकी कांस्टीट्यूएंसी में बाटूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : बिल्कुल बांटना।

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा है वह 25 पृष्ठों का है, मैं नहीं समझता कि उनमें से कुछ पृष्ठ मैं यहां दोहराऊं और आपका समय लेऊं। जो 81 बिन्दू हैं उन 81 बिन्दूओं के अंदर मैं कह सकता हूं कि राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं वह सारी की सारी उसमें नहीं आ पायी हैं, नहीं आ सकतीं। इस प्रकार के जो काम हुए हैं। परन्तु मैं उन सारे के सारे बिन्दुओं पर अपनी प्रतिक्रिया यहां व्यक्त नहीं करूंगा। क्योंकिवह समय लेगा। मैं यह निश्चित रूप से कहूंगा कि जो कार्य इस सारे अभिभाषण के अंदर आये हैं वे एक साहसपूर्ण राज्य सरकार के हैं, दूरदर्शिता के साथ किये गये हैं सारे के सारे कार्य। इस अभिभाषण के पढ़ने से मैं समझता हूं कि राजस्थान के जन-जन को इस बात का पता लगेगा कि इसके अंदर सर्वांगीण विकास की कल्पना है। इसके अन्दर किसी एक व्यक्ति या एक वर्ग या किसी एक गांव या किसी एक शहर के बारे में चर्चा नहीं है। चाहे वह कारीगर हो, चाहे वह उद्योगी हो, चाहे वह गवर्नमेंट सर्वेन्ट हो, चाहे वह साधारण आदमी हो, हर व्यक्ति के लिए किसी न किसी प्रकार की बात सोची गयी है। एक सर्वव्यापी विचार किया गया है। एक बहुत अच्छी बात है इस सारे के सारे अभिभाषण के अंदर, प्रथम बार इस प्रकार के अभिभाषण में आया है जिसमें कांसीक्यूटिव, सक्सेसिव जो दो पांच वर्ष हैं उनकी तुलना की गयी है। यह नहीं कि प्रथम योजना के समय से तुलना की गयी हो कि 52 में तो कुछ नहीं था, देखो, हमने यह काम कर दिया या 67 में तो कुछ नहीं था, हमने यह काम कर दिया साथ में रखा है, 85 से 90 और 90 से 95। एकदम बराबर-बराबर। फिर बताया गया है कि जो सातवीं योजना थी वह 3 हजार करोड़ रुपये की और कहां आठवीं योजना 11 हजार 5 सौ करोड़ की। यह इतना बड़ा क्वेंटम जेम्प, जिस आदमी में साहस है, सारे के सारे रिसोर्सेज के बारे में देखने का कि यह रिसोर्सेज में प्राप्त कर लूंगा वही आदमी कर सकता है, प्रत्येक आदमी नहीं कर सकता है, इस काम को। इन दोनों के देखने से एक बात है, मन में प्रोत्साहन पैदा होता है कि राजस्थान के लोग-बाग अब वह पिछड़े कहलाने वाले प्रदेशों में से नहीं है। देश के अन्य लोग जैसा कहा करते थे कि राजस्थान तो पिछड़ा हुआ प्रदेश है, राजस्थान के बारे में क्या बात करना, वह तो पुराने रजवाड़ों का प्रदेश है और वहां पर कोई नयी बात नहीं है। इन आंकड़ों से आपके सामने स्पष्ट है कि प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, आज हिन्दुस्तान के अंदर जो प्रगतिशील प्रान्त हैं, उन प्रगतिशील प्रांतों को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बराबर साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत शीघ्र इस प्रकार का एक समय आयेगा जब हम उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर के ही नहीं, उनसे आगे हो जायेंगे। क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास विपुल प्राकृतिक सम्पदा है। हमारे पास जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, सब जगह, चाहे वह खेती का मामला हो, चाहे हमारे लोगों के टेलेंट का मामला हो उद्योग लगाने के लिए, उसमें कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। आवश्यकता थी उन सारे के सारे लोगों को एक्सप्लायट करने की और इनको एक्सप्लायट किया गया है। 90 से 95 के बीच किया गया है।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

मैंने जैसा आपसे निवेदन किया, उन 81 बिन्दुओं में एक-एक बिन्दु में क्या कहा गया है, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त न करके, मेरे उद्धेलित मन में प्रसन्नता पैदा होती है वह बात है बिजली की। आदमी के जीवन के अंदर बिजली का बहुत बड़ा स्थान है। मैं समझता हूं, यूं तो तुलना नहीं की जा सकती कि किस का बड़ा स्थान है, किस का नहीं है। परन्तु मेरे विचार से शिक्षा और बिजली दो बातें जरूरी हैं। शिक्षा के बिना बिजली भी काम नहीं कर सकेगी। परन्तु यदि शिक्षा हो, बिजली नहीं हो तो न किसान ज्यादा पैदावार कर सकता है, न छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज लगायी जा सकती हैं। कुटीर उद्योग भी नहीं लगाये जा सकते। आज के जमाने के अंदर, न विज्ञान में हम प्रगति कर सकते हैं, न हम कहीं किसी भी प्रकार का विकास का काम कर सकते हैं। इसलिए बिजली बहुत जरूरी चीज है। बिजली के मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस रेगिस्तान के अंदर घास तक पैदा नहीं होती थी, जिस रेगिस्तान को कहते थे कि यह रेगिस्तान तो हमारे लिए श्राप है। आज उस रेगिस्तान के अंदर घास, बाजरा या गेहूं या चावल ही नहीं पैदा होगा, उसके अंदर बिजली पैदा होगी। और वह बिजली पैदा होगी जो चावल से कहीं महंगी होगी या जो बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी फसल से महंगी होगी। वह रेगिस्तान आज हमारे लिए वरदान साबित होगा।

श्री परसराम मदेरणा : रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी है, वह पानी कहां से आयेगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बता देंगे।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं अभी निवेदन कर देता हूं सब आपको।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो मुख्य मंत्रीजी से बात करूंगा, आपसे नहीं।

(14.00)

श्री रमाकान्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हम रेगिस्तान के अन्दर बिजली लगाने जा रहे हैं, हम इसका लाभ तो शीघ्र ही उठायेंगे ही किन्तु इसने हमें विश्व के मैप पर फिर दुबारा ला दिया है। सारी की सारी दुनिया के अन्दर सौर ऊर्जा केवल कैलीफोर्निया में पैदा की जा रही है। हमसे बहुत ताकतवर प्रान्त ही नहीं, देश मौजूद हैं। दक्षिण अमेरिका में भी इसी प्रकार की धूप उपलब्ध है, सूर्य की गर्मी उपलब्ध है। चाहे आस्ट्रेलिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे स्पेन हो, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे इटली हो, चाहे मलेशिया हो सारे के सारे देशों के अन्दर इसी प्रकार की स्थिति है। जैसा कि हमारे राजस्थान में थार डेजर्ट की है। लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अमेरिका के साथ में मिलकर खड़े होने वाले हैं। अमेरिका में अभी जो सदर्न कैलीफोर्निया के अन्दर केवल मात्र 354 मेगावाट प्रोड्यूस हो रही है, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आशय पत्रों पर दस्तखत किये गये हैं, जिस प्रकार से एग्रीमेन्ट्स साइन किये गये हैं, राजस्थान 300 मेगावाट तक बहुत जल्दी आ जायेगा। परन्तु खुशी की बात तो यह है कि प्रोग्राम यह बनाया गया है कि अगले 15 साल के अन्दर 10 हजार मेगावाट बिजली वहां पर पैदा की जायेगी सूर्य से। यह कोई छोटा-मोटा कदम नहीं है, बड़ा साहसिक व्यक्ति इस बात को सोच सकता है। जिस चीज को दुनिया का बड़े से बड़ा ताकतवर देश नहीं सोच सका उसको राजस्थान ने सोचा है कि हम यहां पर 10 हजार मेगावाट बिजली पैदा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही पते की बात में और इस सदन को निवेदन करना

(श्री रमाकान्त शर्मा)

चाहता हूं कि हमारे यहां पर सूर्य की इस रेगिस्तान के अन्दर धूप है, उससे 6.4 किलोवाट पर ऑवर अर्थात् यूनिट पर स्कवायर मीटर पैदा हो सकती है। परमात्मा की कृपा है कि इस प्रकार की स्थिति, इजिप्ट का जो सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान है, उसकी भी नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाहर के जो लोग हैं उन्होंने आकर के यहां पर सौर ऊर्जा बनाने की बात सोची है। उनको इस बात ने बहुत भारी अट्रेक्ट किया है और इसीलिए यह बात कही गयी है कि यहां पर 10 हजार मेगावाट बिजली पैदा की जायेगी। सारा का सारा जितना हमारे पास रेगिस्तान है उसका एक प्रतिशत ही काम में लिया जायेगा जिसमें 10 हजार मेगावाट बिजली पैदा होगी।

आप कल्पना कीजिये, जितना हमारे पास थार का रेगिस्तान है यदि उस पूरे के अन्दर हम इस बात को करें। तो हम सारे विश्व को बिजली दे सकते हैं, हिन्दुस्तान की तो बात ही क्या है। सीमा है धनराशि की। तो 10 हजार मेगावाट वहां पर पैदा होने वाली है।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्री जी, इंडस्ट्री के मामले में तो अब कमी रहने वाली है नहीं। मुख्य मंत्री जी तो कह रहे थे कि मैं एक्सपोर्ट करूंगा दूसरे राज्यों को और यह संसार . . .

श्री रमाकान्त शर्मा : जब तक दिमाग के अन्दर विचार नहीं होगा, जब तक इन्सान के सामने उद्देश्य नहीं होगा, जब तक उस उद्देश्य की स्ट्रेटेजी नहीं बनायेंगे तब तक हाथ पर हाथ रखकर लोग बैठे रह जायेंगेऔर बैठे रहे हैं हम पचास वर्ष। इसलिये आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि पहले हम विचार कर उद्देश्य बनायें।

श्री पूनम चन्द विश्नोई (फलौदी) : संसार का ध्रुव सत्य है,

"सोना घड़े सुनार, कन्दोई खाजा करे।
भोगे भोगनहार कर्म पराणे किश्निया॥"

तो उस वक्त राज किसका होगा, जब पैदा होगी? खैर, यह कौन जानता है। आप बहुत 15-20 साल आगे की बात कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा :

"भैंसा ढोवे भार, सुंडाला बघा चरे।
चिट्ठी लिखी करतार, कर्म पराणे किश्निया॥"

श्री रमाकान्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है। यह नहीं बताया जा रहा है कि 40 वर्ष बाद क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष : यह आपको एनकरेज कर रहे हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : यह तो काम चालू हो गया। वहां पर काम शुरू हो गया है। मैं सदन को एक और इंटरेस्टिंग बात बता देना चाहता हूं कि सोलर एनर्जी के अन्दर भी कई प्रकार के तरीके हैं। सोलर एनर्जी पानी को गरम करके सूर्य की धूप से, उससे भाप बनाकर पैदा की जा सकती है। फोटो वोलटेक सैल होते हैं, फोटो वोलटेक सैल के अन्दर गर्मी मैगनेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में कनवर्ट होती है। उससे भी सोलर एनर्जी प्राप्त होती है। सोलर एनर्जी एक प्रकार की चिमनी बनाकर उसके ऊपर मैकेनिकल एक्शन से सूर्य की धूप की गर्मी की वजह से भी पैदा हो जाती है। मैं आपको निवेदन यह करना चाहता हूं कि इन तीनों की तीनों जगहों जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के अन्दर तीनों टैक्नोलॉजी काम में ली जाने वाली हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि हमारे यहां पर इस प्रकार की सारी टैक्नोलॉजी हमारी आंखों के सामने होगी। जिससे हम आगे जाकर विकास करके राजस्थान और हिन्दुस्तान के जो अन्य प्रान्त हैं, वहां भी सौर ऊर्जा का विकास कर सकेंगे।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपको और निवेदन करना चाहता हूं, लिबरलाइजेशन के अन्दर हमने हिन्दुस्तान के दरवाजे खोले हैं। लोगों को आने के लिए कि आप यहां पर किसी प्रकार का विनियोजन कीजिये। दूसरे लोगों ने क्या किया? पोटेटो चिप्स, अंकल चिप्स बनाओ, अचार, चटनी बनाओ, कोका कोला ले आओ, पेप्सी कोला ले आओ। राजस्थान में पहली बार हाइएस्ट टैक्नोलॉजी, मोस्ट माडर्न टैक्नोलॉजी, जो हमें प्राप्त नहीं है, उस टैक्नोलॉजी के आधार पर हमने अपने दरवाजे खोले हैं जो कि हमारी पार्टी का लिबरलाइजेशन के बारे में मुख्य ध्येय है, मुख्य विचार है कि हम बाहर के लोगों को बुलायें, स्वदेशी की बात तो दूसरी है, स्वदेशी की बात अवश्य करें, बाहर के लोगों के विनियोजन के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे, हमारी तरक्की हो नहीं सकेगी। हर जगह पर कुछ न कुछ काम हुए बिना हम आर्थिक प्रगति कर नहीं सकेंगे। परन्तु उसके अंदर यदि हम हमारे यहां पर जो चीजें बन रही हैं। उसको बनाने के लिए फॉरनर्स को लाइसेन्स दे देंगे तो उससे हमारे लोग प्रगति नहीं कर सकेंगे बल्किवह बेरोजगार हो जायेंगे। हमने एक पहल की है। हम अपने यहां के खिलौने बनाने के लिये नहीं बुला रहे हैं, अपने यहां पर जो बन्धेज की साड़ियां बन रही हैं। उसके लिए यहां पर विदेशियों को हम नहीं आने देना चाहते। परन्तु हमने उनको आने दिया है जो संसार के अन्दर जो लेटेस्ट टैक्नोलॉजी है उस टैक्नोलॉजी के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : कोका कोला आपके तो नहीं आ रही है?

श्री रमाकान्त शर्मा : कोका कोला लेकर दिल्ली में आ गये, यहां नहीं आयेंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : + + + ने ठेका लिया, पेप्सी का आ गया।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम केवल मात्र सोलर एनर्जी पर ही निर्भर करते हों ऐसी बात नहीं है। (व्यवधान) बिजली के बारे में सारा राजस्थान चिन्तित है, बिजली के बारे में सदन चिन्तित है, बिजली के बारे में भैरोंसिंह जी की सरकार, जब से बनी है, तब से चिन्तित है। यह बात दूसरी है कि किन्हीं कारणों से जो कदम 5 साल पहले उठ जाना चाहिये था भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण से कभी मगरमच्छ बताने की बात करते हैं कभी किसी पर्यावरण की बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बार-बार व्यवधान नहीं करें, माननीय सदस्य। बार-बार व्यवधान नहीं। आप बिराजें ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भारत सरकार से प्राथमिक शालाओं के लिए पैसा आता है, उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए आता है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजें...। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बिराजें...।

(व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब 1990 के अन्दर सरकार आयी तो उस समय बहुत ज्यादा व्यग्रता के साथ में कोशिश की गयी थी कि धौलपुर के अन्दर पावर हाउस हम लगा दें। धौलपुर के अन्दर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह राजस्थान का मामला है। अलवर का मामला नहीं है।

+ + + नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रमाकान्त शर्मा : साहब, मैं यहीं का मामला कह रहा हूं, आप ही के हित कीं बात कह रहा हूं। आप ही के लिए बिजली की बात कर रहा हूं। यदि भारत सरकार कहीं गलती कर रही है तो आपको और हमको दोनों को मिलकर प्रयास करना चाहिये कि भारत सरकार जिन कार्मो में देरी कर रही है, उस स्वीकृति को जल्दी लावें। वरना हम इसी बात को सोचकर कि भारत सरकर के अन्दर किसी दूसरी पार्टी का राज है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप आसन की तरफ देखें।

श्री रमाकान्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कांग्रेस सरकार नहीं कहा, मैंने भारत सरकार कहा है। बिजली पैदा करने के लिए जहां हम एक ओर सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं दूसरी ओर जो किसी प्रकार के लिक्विड फ्यूअल हैं चाहे वह नेफ्था हो, चाहे वह डीजल हो, यहां तक कि लिक्विड फ्यूअल के बजाय कोयले की बात है, चाहे कोयला हो और चाहे लिग्नाइट हो, सभी चीजों पर आधारित बिजली लगाने की बात हो रही है। आप सबको पता है कि सूरतगढ़ के अन्दर जो नम्बर वन स्टेशन है, फेज वन है वह शायद अगले साल के अन्दर बिजली पैदा करने लग जायेगा। जोधपुर, भिवाड़ी, नीमराणा, शाहजहांपुर आदि जगह पर 40 से 50 मेगावाट के स्टेशन लगाये जा रहे हैं। सूरतगढ़ की द्वितीय स्टेज और धौलपुर की भी शीघ्र ही आशा है। बरसिंहसर की भी शीघ्र ही आशा है। ऐसा एक विचार है। राजस्थान सरकार को, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को इस बात पर मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस द्रुत गति से बिजली के मामले में कार्यवाही चल रही है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कोयले पर और डीजल पर या अन्य किसी प्रकार के फ्यूअल हैं। इन फ्यूअल पर आधारित जो बिजली होगी, दुनिया जानती है कि 50 वर्ष, 60 वर्ष के अन्दर दुनियां के अन्दर सब जगह कोयला निपट जायेगा, सब जगह डीजल निपट जायेगा, सब जगह पर नेफ्था अवेलेबल नहीं होगा, यह रिफाइनरीज बन्द हो जायेंगी परन्तु इसके बाद में सूर्य भगवान अनन्त रूप से चमकते रहेंगे और उससे जो हमने बिजली का आधार बनाया है। वह निरन्तर आने वाले अनन्त समय के लिए, राजस्थान के लिए ऊर्जा का साधन बनेगा। इसलिये मैंने सौर ऊर्जा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया था . . .

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : यह तो नहीं है कि बी. जे. पी. वालों को सौर ऊर्जा ज्यादा दे रहे हो ?

श्री रमाकान्त शर्मा : आपको भी मिलेगी। विपक्ष के नेता चले गये, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के अन्दर सौर ऊर्जा होगी तो वहां के प्रत्येक नागरिक के घर में बिजली होगी। वहां का प्रत्येक नागरिक जो आज खेती नहीं कर सकता, पिछड़ा हुआ कहा जाता है, जब उसके पास में बिजली होगी, घर-घर के अंदर किसी न किसी प्रकार का कुटीर उद्योग होगा राजस्थान के अन्दर सबसे आगे जो बढ़ने वाले लोग-बाग होंगे वह बाड़मेर, जैसलमेर के लोग-बाग होंगे। यह कल्पना कोई बहुत दूर की कल्पना नहीं है। यह चन्द सालों में होने वाला है और वह हम देखेंगे। यह सारी की सारी चीजें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया था कि बिजली अत्यंत आवश्यक चीज है, आधुनिक जीवन के लिए आधारभूत चीज है, परन्तु शिक्षा उससे भी बड़ी है। शिक्षा के बिना

(श्री रमाकान्त शर्मा)

बिजली का हम यूज नहीं कर सकते। कोई भी समाज, कोई भी देश अशिक्षित रहकर प्रगति नहीं कर सकता। शिक्षा के माध्यम से हमारा मानसिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, भौतिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है और आर्थिक विकास होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी चीज के अन्दर आधारभूत कोई आवश्यकता है तो वह शिक्षा है। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय और राजस्थान सरकार को इस बात का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी कदम उठाये गये हैं। जिस प्रकार से बिजली के अन्दर क्रान्तिकारी कदम उठाये गये हैं उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर भी क्रान्तिकारी कदम उठाये गये हैं। इस बारे में मैं राजस्थान सरकार की जितनी भी प्रशंसा करूं, वह कम है। मैं निवेदन करना चाहूंगा . . . (व्यवधान) . . . आपका सैक्टर मैं बाद में लूंगा, मान्यवर। अभी आता हूं आपके सैक्टर पर।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह कोई कम बात नहीं है। यहां पर 1990-95 की अवधि में 5955 प्राथमिक शालाएं खुली हों, 1659 उच्च प्राथमिक शालाएं खुली हों और 19 नये महाविद्यालय खोले जायं, यह साहसिक कदम है।

इसके साथ-साथ केवल मात्र यही कार्यक्रम नहीं है कि आगे स्कूलों के अन्दर जाने वाले बच्चे हैं उनकी पढ़ाई की बात हो, सम्पूर्ण साक्षरता का कार्यक्रम लिया हुआ है कि 16 जिलों के अन्दर सम्पूर्ण साक्षरता होगी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एक ऐसा लाभ मिलने वाला है और इच्छा यह है कि चन्द आने वाले वर्षों के अन्दर . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठे-बैठे नहीं बोलें, माननीय सदस्य। व्यवधान नहीं डालें।

श्री रमाकान्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब चीजों पर नहीं जाऊंगा . . .

श्री राजेन्द्र पारीक : महिला महाविद्यालय नहीं खोले हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : आठ-आठ महिला महाविद्यालय खोले हैं। आपके इतिहास में नहीं है।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं सब बता दूंगा आपको। मैंने बताया है कि बात तो बहुत लम्बी चौड़ी है, न जाने कितने विद्यालय खोले गये हैं उन सब की बात को छोड़िये।

श्री परसराम मदेरणा : आपने याद किया और मैं आ गया।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं निवेदन कर रहा था कि केवल मात्र स्कूल ही नहीं खोले गये हैं, केवल मात्र बालिकाओं के लिए महाविद्यालय ही नहीं खोले गये हैं या बालकों के लिए या सह शिक्षा के अन्दर महाविद्यालय नहीं खोले गये हैं बल्कि निःशुल्क पुस्तकें भी दी गयी हैं। किसने विचारा था आज से पहले कि निःशुल्क पुस्तकें देने का क्या अर्थ है? निःशुल्क पुस्तकें देने का अर्थ है कि वर्ष 1994-95 के अन्दर ही 2 लाख 14 हजार बालिकाओं ने अपना नाम लिखाया है। फ्री में पुस्तकें देने का अर्थ है कि जब 1994-95 में 2 लाख 14 हजार बालिकाओं ने नाम लिखाया, 1995-96 के अन्दर एक लाख 87 हजार ने और नाम लिखाया है। यह राजस्थान सरकार की शिक्षा के मामले में सोच है कि हम किस प्रकार से सर्वांगीण तरीके से प्रत्येक नागरिक, जिसके अन्दर महिलाओं को भी आगे लेकर आये, महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर के व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र के अन्दर साथ हों, उसके लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है, पहले

(श्री रमाकान्त शर्मा)

लाइट तरीके से उधर से आवाज आयी थी कि महिलाओं के लिए क्या खोले हैं। महिलाओं के लिए मैं बताऊंगा कि क्या क्या किया है। बहुत ही प्रशसंनीय कार्य किया है। मैं यह भी बताना चाहूंगा, थोड़ा मैंने बताया था कि स्कूल खोले गये हैं तो बिल्कुल नीतिगत तरीके से खोले गये हैं, राजनीतिक कारणों से नहीं खोले गये हैं और एक-एक स्कूल के मामले में नीति स्पष्ट है। चाहे किसी स्कूल को क्रमोन्नत किया गया है तो यह देखा गया है कि उसके अन्दर कि लड़कों या लड़कियों के लिए स्कूल खोलते हैं, गांव के लिए नहीं। यदि वहां पर 250 लड़के हैं और आखरी कक्षा के अन्दर 35 लड़के हैं तो वहां पर क्रमोन्नत कर दिया गया है। इसी प्रकार से चाहे सैकण्डरी में क्रमोन्नत किया गया हो, चाहे सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत किया गया हो, छात्रों की संख्या देखकर के, आखिरी कक्षा के छात्रों को देखकर आधार लिया गया है। यह आधार नहीं लिया गया है कि हम आपसे राजी हैं, हम आपसे नाराज हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, केवल मात्र प्योर शिक्षा, जिसे प्योर एजूकेशन कहते हैं, उसी पर नहीं, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। आज राजस्थान के अन्दर महिलाओं के लिए केवल मात्र बी.एड. कॉलेज हैं जिनमें 2 हजार लड़कियां पढ़ रही हैं। दो हजार लड़कियां प्रतिवर्ष टीचर बनेंगी। जहां दो हजार लड़कियां प्रतिवर्ष टीचर बनेंगी उस प्रान्त की महिलाओं के विकास के बारे में जो अच्छी कल्पना कर सकते हैं वही इस बात की प्रशंसा कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आई.टी.आई. खोले गये हैं। मुझे नम्बर देने की आवश्यकता नहीं है। जो डिप्लोमा दिया जाता है वह खोले गये हैं। इन सब का एक स्वरूप यह है कि सब प्रकार की शिक्षा पर पूरी तरह से ध्यान दिया गया है। अभी बात चल रही थी, मैंने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, पिछले दो वर्षों के अन्दर महिलाओं के लिए 8 महाविद्यालय खोले गये हैं। आज सारे राजस्थान में सिर्फ राजसमन्द को छोड़कर कोई ऐसा जिला नहीं है जहां स्नातकोत्तर महाविद्यालय नहीं है क्योंकि राजसमंद नया जिला है और वहां शिक्षा का नेटवर्क नहीं बन पाया है।

राजकीय क्षेत्र के अलावा जो निजी क्षेत्र हैं उनको भी शिक्षा के अन्दर पूरी तरह से प्रोत्साहन दिया गया है। पिछले दो वर्षों के अन्दर 20 महाविद्यालयों को अनुदान की सूची में सम्मिलित किया गया है। पिछले 30 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। 1984-85 के अन्दर थोड़ा अनुदान दिया गया था परन्तु आज 20 महाविद्यालयों को अनुदान की सूची में नया सम्मिलित किया गया है और आज 68 अनुदानित महाविद्यालय हैं।

इसी के साथ में नीति में भी यह किया गया है, आप चाहे निजी क्षेत्र में कोई बात हो या सरकारी क्षेत्र में कुछ धनराशि देकर महाविद्यालय खोल सकते हैं और नतीजा यह है कि आज इस नीति के आधार पर राजस्थान में 194 महाविद्यालय बन जायं; यह शिक्षा के अन्दर एक क्रान्ति आयी है जो आपके सामने स्पष्ट है।

महिला शिक्षा के बारे में छोटी-सी बात और निवेदन करना चाहूंगा। जो सरस्वती शालाओं का प्रोग्राम लिया गया था, अभी चन्द दिनों पहले, पिछले साल यह बात सामने आयी थी और उसकी उपलब्धि यह है कि आज 90

(श्री रमाकान्त शर्मा)

सरस्वती विद्यालय चल रहे हैं और 90 सरस्वती विद्यालयों में 1500 छोटी बालिकाएं, जिन्हें स्कूल में जाने का समय नहीं मिलता, जिनके पास में समय नहीं है, जिनके पास में पैसा नहीं है वह अपने पड़ौस के अन्दर जो बहनजी पढ़ा सकती हैं उनके घर के अन्दर बैठकर पढ़ रही हैं। इस प्रकार से यह कार्यक्रम आगे आने वाले समय में बहुत लाभदायक कार्यक्रम होगा।

मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान कुछ गिने चुने प्रदेशों में है जहां पर बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए स्नातकोत्तर स्तर तक कोई शुल्क नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के साथ . . .

श्री परसादी लाल मीणा : समाज कल्याण की बात भी करो।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं सब पाइंट्स पर नहीं बोल सकूंगा। बहुत लम्बा मामला है, फिर लोग छोड़ जायेंगे।

मैं निवेदन कर रहा था कि सुदृढ़ राष्ट्र बनाने के लिए, ताकतवर प्रान्त बनाने के लिए जितनी शिक्षा आवश्यक है उतना ही स्वास्थ्य का कार्यक्रम भी आवश्यक है। स्वास्थ्य के कार्यक्रम के अन्दर, आजादी के बाद कोई ऐसा वर्ष नहीं हुआ, इस वर्ष 89 पी.एच.सी. प्राइमरी हैल्थ सेण्टर खोले गये हैं। 89 प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, 89 अस्पताल जिन्हें गांव के लोग कहते हैं डाक्टर का अस्पताल, एक साल के अन्दर खोल देना, इससे बड़ी उपलब्धि कोई दूसरी सरकार कर नहीं सकती।

मैं जानता हूं कि कितने सालों से यह प्रयास किया जा रहा है, यह आप का ही कार्यक्रम था, आप ही ने बताया था कि गांव के अन्दर सब-सेन्टर होना चाहिये, प्रत्येक पंचायत हैड क्वार्टर पर सब-सेन्टर होना चाहिये। लिखते-लिखते थक गयी है सरकार तो भी वहां से स्वीकृति नहीं आयी है। अभी कोई माननीय सदस्य बोल रहे थे कि सब-सेन्टर के लिए वहां से पैसा आता है। अभी तक नहीं आया है। आना चाहिये, लेकर रहेंगे। परन्तु राजस्थान ने अपने बजट से, अपनी धनराशि से 700 सब-सेन्टर इस साल के अन्दर खोले हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : . . . आपको तो इस मामले में पूरा ज्ञान है नहीं।

श्री रमाकान्त शर्मा : मुझे ज्ञान है। मैं इस राज्य का स्वास्थ्य सचिव रह चुका हूं, इसलिये मुझे जितना ज्ञान है उतना बहुत कम लोगों को ज्ञान होगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : . . . इसलिये आपको ट्रेजरी बैंचेज की तरफ नहीं बैठाया। स्वास्थ्य सचिव भी रहे, सारी बातें रहीं, हमारी तरफ से नेता महोदय ने बता दिया, सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी सीट (व्यवधान) बैंक बेंचर्स की तरह से है।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैंने वह समय देखा है जब भारत सरकार को निवेदन करते थे कि हम सब-सेन्टर खोल रहे हैं, हमारे पास में ए.एन.एम. नहीं हैं, इनका खुलना चाहिये उसके अन्दर दे दिया। ए.एन.एम. की ट्रेनिंग नहीं है। उसके बाद खोलने की बात हुई—

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं तो माननीय सदस्य से इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आपके जितने भी प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन बने हैं, वह किस पैसे से बने हैं, कृपया आप इतना सा बता दें।

श्री रमाकान्त शर्मा : देखिये, बिराजिये आप, मैं तो मेरे आब्जर्वेशन दे रहा हूं। यह तो आप मंत्रीजी से जाकर जवाब लीजिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : यह पैसा, पारीक साहब, पहले क्यों नहीं लाये आप अभी क्यों आ रहा है ? (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : सीकर से नहीं आया है, सीकर से। राज्य सरकार की गाढ़ी कमाई जमा होती है। (व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी बहुत महत्वपूर्ण बातों पर आने वाला हूं इसलिए यह मेरा समय बरबाद न करें। मैं यह निवेदन कर रहा था कि 700 सब-सेन्टर राज्य सरकार ने अपने बजट से खोले हैं। टी.बी. एक बहुत ही ज्यादा जानलेवा बीमारी है। उस टी.बी. के मामले में आज राज्य सरकार ने गांव-गांव के अन्दर कैम्प लगाये हैं। गांव-गांव के अन्दर कैम्प लगा कर के प्रत्येक प्रकार का परीक्षण किया है और 334 करोड़ रुपये की दवाइयां उन लोगों को मुफ्त बांटी हैं।

फैमिली प्लानिंग का जो कार्य हो रहा है वह आज तक टारगेट के माध्यम से हुआ करता था। पहले कैम्प खोले जाते थे और किसी न किसी प्रकार का प्रोत्साहन देकर के सारे टीचर्स को, ग्राम सेवकों को तंग किया जाता था कि आप केस लेकर आओ, आप यह लेकर आओ। आज इस कार्यक्रम को मौजूदा सरकार ने जन-जन का कार्यक्रम बना दिया है। जनता के अन्दर एक इस प्रकार की भावना पैदा कर दी है कि उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी आगे की प्रगति के लिए, उनके परिवार के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। जनता खुद मांग करती है। जनता आज स्वयं आगे आकर कह रही है कि हमारे यहां पर कैम्प लगाओ। मैं भी 2-3 दिन पहले अलवर के सी.एम.एच.ओ. को दरख्वास्त देकर आया हूं कि मैं उस फलां गांव में गया था, उस गांव के अन्दर 50 महिलाएं इकट्ठी हुई थीं और उन 50 महिलाओं ने कहा कि हम नसबंदी कराना चाहती हैं। प्रोवाइडेड हमारे यहां पर कैम्प लगाया जाये। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह रखा है कि, जो पंचायत समिति हैड क्वार्टर हैं उससे नीचे कैम्प लग नहीं सकता। वे महिलाएं वहां आ नहीं सकतीं। मैंने कहा सी.एम.एच.ओ. से कोई रास्ता निकाल लो। निकाल लेंगे वो रास्ता। परन्तु मैं उदाहरण देकर आपको निवेदन कर रहा हूं कि आज वह स्थिति आ गयी है कि जिसके अन्दर गांव की महिलाएं, जो पढ़ी-लिखी नहीं हैं, साक्षर नहीं हैं, उन्होंने भी आज यह महसूस करना शुरू कर दिया है। जो हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी हैं, ऐसा मैंने उनका कोई भाषण नहीं सुना पिछले पांच वर्ष के अन्दर, जिसके अन्दर इसके बारे में चर्चा नहीं करते हों और उसका आज परिणाम यह है कि गांव-गांव तक यह संदेश पहुंच गया है कि परिवार नियोजन अत्यन्त आवश्यक है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 1977 में माननीय मंत्री जी का भाषण सुना था। मोटरों में करते थे बैठे-बैठे यूं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने इस कार्यक्रम को 10 साल पीछे कर दिया। इसलिये मुख्य मंत्री जी जनता जो चाहती थी . . . (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : बीस साल बाद में आप हमारी बात पर अब आये हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब नहीं आये हैं। वह कार्यक्रम उस समय भी पापुलर हो जाता लेकिन जिस प्रकार का अन्याय, अत्याचार और लाठियों के दम पर, पुलिस के बल पर और कुंआरों, बूढ़ों और आप जैसों को काट दिया है, यह है गड़बड़।

श्री रमाकान्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा था परन्तु कार्यक्रम की—

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप जानते हैं कि ललित किशोर जी ने यह कहा कि हम तो आये ही नसबंदी के कारण हैं। इनके सामने कहा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आये हैं, आपकी गड़बड़ी के कारण ही आये हैं।

श्री रमाकांत शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इतनी सी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है, किसी भी देश के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि उसकी जनसंख्या नियन्त्रित रहनी चाहिये। पहले भी यह बात थी, आज भी यह बात है। उस समय जो कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया, बिना जनता को सहभागी बनाये हुए, बिना जनता को अपने साथ में लिये हुए, कार्यक्रम बनाया गया था। आज अंतर यह है कि आज की जो राज्य सरकार है वह लोगों को साथ लेकर चल रही है।

श्री राजेन्द्र पारीक : उस वक्त हैल्थ सैक्रेटरी थे आप।

श्री रमाकान्त शर्मा : अब मैं हैल्थ सैक्रेटरी की बात नहीं करूंगा। मैं हैल्थ सैक्रेटरी के समय में एक करोड़ रुपये का इनाम लेकर आया था दिल्ली से और भूतो न भविष्यति हुआ था उस समय तो (व्यवधान) खैर, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मैं राज्य सरकार को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, भूरि-भूरि प्रशंसा करूंगा कि एम्बुलेंसेज की बहुत भारी कमी थी, हमारे सारे चिकित्सालयों के अन्दर, 169 एम्बुलेंसेज उन्होंने जगह-जगह पर दी हैं। इसका बहुत बड़ा हमको लाभ मिलने वाला है।

अब मैं कुछ ऐसे मामलों पर आने वाला हूं जो हमारी राज्य सरकार के लिए, हमारे प्रांत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिनके बारे में राज्य सरकार बड़ी जागरूक है, राज्य सरकार बड़ा प्रयास कर रही है परन्तु सारे के सारे सदन को प्रयास करने की आवश्यकता है। पहले तो मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे थानागाजी क्षेत्र के अन्दर जो 144 खानें बंद हो गयी थीं, उन खानों को दुबारा चालू करने के आदेश 22 फरवरी को दे दिये गये हैं। (व्यवधान) मेरी बला से, यह खानें लिस्ट हैं कि किनकी हैं, चाहें ये खानें प्रदीप पारीक की हों और चाहे यह विजय कुमार की हों, चाहे रतनदेवी काला की हों परन्तु अतयन्त आवश्यक बात यह है कि वहां पर 8000 मजदूर बेराजगार हो गये थे। 8000 मजदूरों को कोई काम नहीं रह गया था और सारा का सारा वह जो इलाका है ऐसा हो गया था कि जैसे सब सो गये हों सारे के सारे। एक ऐसी स्वयं सेवी संस्था है, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, वह स्वयं सेवी संस्था चली गयी सुप्रीम कोर्ट के अन्दर और भारत सरकार की कृपा से उस मामले को 3-4 साल हो गये और अभी भी जितनी खानें बंद हुई हैं सारी की सारी चालू नहीं हुई हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पर्यावरण अत्यन्त आवश्यक चीज है। पर्यावरण के बिना हम लोगों का जो भावी जीवन है वह सुरक्षित नहीं है, स्वस्थ नहीं है। परन्तु पर्यावरण की आज जो अत्यन्त आवश्यकता है, तो अमरीका के लोगों की आवश्यकता है जहां पर गांव-गांव के अन्दर चिमनियां ही चिमनियां खड़ी हुई हैं। आज जर्मनी को आवश्यकता है इस चीज की। आज इंग्लैण्ड को आवश्यकता है इस चीज की। हमारे यहां तो अभी शुरूआत भी नहीं है किसी चीज की और यदि पर्यावरण की दिक्कत भी है तो शहर के अन्दर जो टैम्पों चल रहे हैं

(श्री रमाकान्त शर्मा)

उनको बंद करो जिनकी वजह से कार्बन मोनो आक्साइड फैल कर के लोग मर रहे हैं। गांव में पर्यावरण की बात करते हैं, गांव में तो कुछ है ही नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मंत्री जी ने पढ़ा होगा कि Jaipur is one of the most polluted city in the country. अभी मैं दिल्ली में था, हिन्दुस्तान टाइम्स या पायोनियर में आया था कि दिल्ली सिटी जो कैपिटल ऑफ दी कन्ट्री है, गैस चेम्बर बन गयी है। अमरीका की भौगोलिक स्थिति यह है कि आप से ढाई गुना बड़ा है और पापुलेशन वहां पर आपसे आधी से कम है, 1/4 है और अमरीका में धुंआ, कभी चिमनी से निकल रहा है, कभी नाक से निकल रहा है। उस अमरीका की कम्पेरीजन मत करो। एक केलिफोर्निया से आपने कम्पेरीजन किया है। मैं उसको बहुत डिटेल में देख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने यात्राएं की हैं अमरीका की।

श्री परसराम मदेरणा : ऊर्जा में अमरीका से हम कदम होकर आगे निकल जायेंगे।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा था कि कभी-कभी यह जो बाहर के लोग बाग हैं हमारे कामों के अन्दर प्रगति नहीं देखना पसंद करते और किसी न किसी प्रकार का वहम डालकर के ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं। मैं अभी आपको चूंकि बात आ गयी है इसलिये उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले तीन वर्ष से हमारे यहां की एस्वॅस्टस की खानें बंद हैं। 100 खानें हैं। 100 लीज हैं। भारत वर्ष का 95 पर्सेण्ट एस्बस्टस राजस्थान में पैदा होता है। किसी सिरफिरे ने यह बात कह दी की एस्बेटस से तपेदिक होता है। होता है सही है। परन्तु उसका सरटेन डस्ट पर्सेन्टेज है कि इतनी उसकें अंदर डस्ट की पर्सेन्टेज हो, डस्ट का लेवल इतना हो तो यह चीज पैदा करता है। हमारे यहां एक कमेटी बैठी। उस कमेटी ने बैठकर अपनी रिपोर्ट दे दी। मार्च, 1993 में रिपोर्ट दे दी और फाइनल रिपोर्ट दे दी उन्होंने कि हमारे यहां पर माइनिंग का जो डस्ट लेवल है वह बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम है, उस स्तर का नहीं है। उसके बावजूद हम वहां के वहां बैठे हैं और राजस्थान का एस्वस्ट्स उद्योग ठप्प है। अमरीका में भी यह बात पैदा हुई थी और अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के अंदर, ठीक 6 महीने बाद यह फैसला कर दिया कि नहीं, यह बकवास है और सारी की सारी चालू की जायं। वहां की खानें चालू हो गयीं। जिस अमरीका ने हमारे जीव को यह परेशानी पैदा की, जिस अमरीका ने यह बात पैदा की कि हमारे यहां पर इससे तपेदिक पैदा हो जायेगा। उनके मन के अंदर इच्छा कोई दूसरी है। वे नहीं चाहते कि हमारे यहां एस्बस्टस हो या हमारे यहाँ माइका पैदा हो या हमारे यहां लाइम स्टोन पैदा हो या हमारे यहां सीमेंट के कारखाने लगें। वह एक अजीबोगरीब तरह की चीज पैदा कर देते हैं, पेश कर देते हैं और उसका यह नतीजा होता है कि हमारे मीडिया और हम लोग बहाव में बह जाते हैं और बहाव में बहकर इस तरह की चीज पैदा हो जाती है कि जो हमारा आर्थिक विकास है जो हमारी आर्थिक प्रगति है वह रुक जाती है।

मैं इसी बारे में निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक हजार मिनियन टन लिग्नाइट इस जमीन के नीचे, जो

(श्री रमाकान्त शर्मा)

प्रूवन है, हो सकता है। दो हजार मिलियन हो, तीन हजार मिलियन हो, अभी पूरा सर्वे राजस्थान का हुआ नहीं है। परन्तु हम उस सब का भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सालों से परेशान हैं उपयोग करने के लिए, क्योंकि भारत सरकार की यह नीति है कि वह उन ग्यारह मिनरल्स में आता है जिसके ऊपर उनकी बिना परमिशन के हम किसी को लीज नहीं दे सकते। मजे की बात देखिये कि जो शत-प्रतिशत राजस्थान सरकार के दो उपक्रम हैं, राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड और राजस्थान स्टेट माइन्स डवलपमेंट कार्पोरेशन, उन्होंने लाइसेंस के लिए एप्लाई कर रखा है, सालों हो गये, उनको लाइसेंस नहीं दिया जा रहा। हम यदि लाइसेंस वहां से प्राप्त करने के लिए दो-दो चार-चार पांच-पांच साल बैठे रहेंगे और इस प्रकार की स्थिति रहेगी तो हम राजस्थान को आगे प्रगति पर ले जा कैसे सकेंगे। यह क्यों आवश्यक है, इसके लिए लीज तो हम ही देंगे परन्तु लीज देने के लिए पहले हम उनसे पूछेंगे, फिर उसके बाद सालों तक वह चली जाय, ऐसी क्या बात है?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप समय सीमा का ध्यान रखिये।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं प्रस्तावक हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : जी हां।

श्री रमाकान्त शर्मा : प्रस्तावक के लिए आज तक की परम्परा यहां पर रही है कि सीमा नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तो वह रखिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : यह ओपनिंग बैट्समैन है, खुलकर खेलने दो।

श्री रमाकान्त शर्मा : तो मैं निवेदन आपसे कर रहा था कि आवश्यकता इस बात की है कि यह जो भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच में कुछ ऐसी चीजें पैदा हो गयी हैं, होना तो यह चाहिए था कि ओवर द पीरियड, समय जब हो गया, उसके बाद में जो चीज सैन्ट्रल लिस्ट में थी वह चीज स्टेट लिस्ट में आ जानी चाहिए, जो कांकरेंट लिस्ट में है वह चीज स्टेट लिस्ट में आ जानी चाहिए। हो उल्टा रहा है और उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। राजस्थान जितना भुगत रहा है उतना शायद देश का कोई प्रांत नहीं भुगत रहा।

हम लाइम स्टोन के आधार पर सीमेंट के प्लान्ट लगाना चाहते हैं, इतनी जल्दी लगा नहीं पाते, हमें वहां से स्वीकृति लेनी पड़ती है। हम यदि कोई मार्बल की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो पर्यावरण बीच में आ जाता है। एक जब ऐसा टाइम आ गया था पिछले दो-तीन साल पहले ही, जिसके अन्दर इटली घबरा गया था कि राजस्थान के अन्दर इतना मार्बल उद्योग पनप गया है, इटली का उद्योग शायद समाप्त हो जायेगा, किसी आदमी के द्वारा, किसी स्वयंसेवी संस्था के द्वारा एक इस प्रकार की स्थिति पैदा करवा दी गयी . . .

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपके शिष्य हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : और वह स्थिति समाप्त नहीं हुई है। बड़े ताज्जुब की बात है, मैं पर्यावरण की लिस्ट देख रहा था, उस पर्यावरण के अन्दर यह कहा गया है कि मार्बल का जो प्रोसेसिंग होता है उसमें जो पानी निकलता है उससे प्रदूषण पैदा होता है। मुझे साइंस का कुछ ज्ञान है, उपाध्यक्ष महोदय। वह तो एकदम न्यूट्रल वाटर होता है, उसके अन्दर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वह कहीं रिएक्शन कर नहीं सकता।

श्री परसराम मदेरणा : इसका ज्ञान है या नहीं, आप थे न इंचार्ज डीडवाना में? वह प्रोजेक्ट फेल कैसे हुआ?

श्री रमाकान्त शर्मा : मैंने तो चलाया था, फेल तो बाद के लोगों ने कर दिया। मैंने तो उसको चलाया था, जो जर्मन्स नहीं चला सके, वह मैंने चलाया था और बड़ा सक्सेसफुल चलाया था। दुर्भाग्य की बात है, जो दूसरे लोग थे, अब वह कौन लोग थे मैं उनके बारे में ज़िक्र नहीं करना चाहता।

श्री परसराम मदेरणा : दुर्भाग्य उनका है या नहीं, राजस्थान का जरूर दुर्भाग्य है।

श्री रमाकान्त शर्मा : मान्यवर, मैं जैसा आपसे निवेदन कर रहा था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सैण्ट्रल लिस्ट से आनी तो चाहिए थीं स्टेट लिस्ट के अन्दर, परन्तु वह उलटी स्टेट लिस्ट से सैन्ट्रल लिस्ट में चली गयीं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वें संशोधन के तहत जो फोरेस्ट है, खनिज है, यह कांकरेंट लिस्ट में चले गये। नतीजा क्या हुआ? लिस्ट में जाते ही उन्होंने एक तो फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट पास कर दिया और दूसरे। एनवायर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास कर दिया। उनको इन्हीं दो एक्ट्स से तसल्ली नहीं हुई। इन दोनों एक्ट के तहत हमारा माइनिंग पिछड़ा, हमारे वन विभाग की जो सारी की सारी चीजें थी वह पिछड़ीं। मैं कहूंगा, होना तो यह चाहिए था कि इससे प्रोटेक्शन हो, परन्तु वह पिछड़े और वह इसी से संतुष्ट नहीं हुए। अब वह एक फोरेस्ट एण्ड नेचुरल ईको सिस्टम एक्ट और बनाने जा रहे हैं, जिसको सर्क्यूलेट किया है और होगा क्या इस एक्ट के तहत?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : राजस्थान की तरफ से आप जैसा योग्य आदमी वहां जाकर सब बातें समझायें तब तो हो। आप तो यहां बैठे हमको कह रहें हो। ऐसे स्थान पर पहुंचो आपकी पार्टी में कि वहां जाकर यह बहस कर सको।

श्री रमाकान्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो फोरेस्ट एण्ड नेचुरल ईको सिस्टम एक्ट है, आ रहा है, यह हमारे लिए बहुत डेन्जरस होगा। इसके अन्दर तीन बातें बड़ी डेन्जरस हैं। इसके अन्दर एक तो बात यह डेन्जरस है कि फोरेस्ट की जो डेफिनेशन दी गयी है, वह बड़ी अजीब है। उसके तहत कभी जरूरत पड़े तो किसी सड़क को भी फोरेस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। कहीं पर किसी का मकान बना हुआ है उसको भी फोरेस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। इस तरह की उसके अन्दर डेफिनेशन है। दूसरी बात, उन्होंने अपने अन्दर पावर ले लिए हैं कि जिस किसी जगह को चाहें, वह प्रोटेक्टेड फोरेस्ट डिक्लेयर कर देंगे। जिस किसी जगह को चाहेंगे तो रिजर्व फोरेस्ट डिक्लेयर कर देंगे। यदि एक दफा किसी जगह पर रिजर्व फोरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया, प्रोटेक्टेड फोरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया तो मेरे तो दिक्कत यह हो जायेगी, थानागाजी तो बहुत ज्यादा प्रभावित है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि थानागाजी से अलवर के लिए मुझे आकाश मार्ग से जाना पड़ेगा। बीच के अन्दर जो सरिस्का का जंगल है वह शायद मेरे को जाने के लिए उपलब्ध नहीं हो। वहां की जो सड़कें हैं वह भी सारी की सारी तोड़ कर उसको वह फोरेस्ट डिक्लेयर कर देंगे और इस प्रकार से सारे क्षेत्र की जो आर्थिक स्थिति है वह करीब-करीब समाप्त हो जायेगी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : स्टेटस बढ़ जायेगा आपका तो। आकाश मार्ग से जायेंगे तो स्टेटस बढ़ जायेगा।

श्री रमाकान्त शर्मा : जी हां, आकाश मार्ग से उड़ कर भी जाया जाता है। तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मैं यह क्यों मेंशन कर रहा हूं। राज्य सरकार बराबर इसके लिए जागरूक है, पत्रों पर पत्र लिख रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां पर बराबर जाकर इस बारे में चर्चाएं करके आते हैं। हमारे यहां के जो अधिकारी हैं वह चर्चा करके आते हैं, चीफ सैक्रेटरी चर्चा करके आते हैं, परन्तु उसके बावजूद भी यह चीज है। हमारे वन विभाग और खनिज विभाग की प्रगति में इसके कारण से बहुत बड़ी रुकावट चल रही है। इसके लिए अत्यन्त आवश्यक है, बल्कि मैं तो सदन से निवेदन करूंगा कि सदन सारा का सारा एकमत होकर इस चीज के अन्दर कोई रिजोल्यूशन पास करे और रिजोल्यूशन पास करके भारत सरकार को कहे—

श्री परसराम मदेरणा : सदन एकमत इस मामले में नहीं होगा, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह डिस्प्यूटेड मैटर है। लेकिन सदन इस मामले में एकमत हो सकता है कि आप लोग सब वहां पर चुनाव लड़कर जाओ। यह पत्रों की कोई गिनती नहीं करता। पत्रों के पत्र, पत्र पर पत्र, कोई वह गिनता है वहां पर? आप जाइये और लोकसभा के प्रांगण में इस बात को रखिये। आप बुद्धिमान और योग्य आदमी हैं, सब लोग सुनेंगे, उस वक्त यह सब मामला ठीक हो जायेगा। अपने थानागाजी का भी शामिल है।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो एक्ट पास करने जा रहे हैं, इसमें मैंने यह तो बताया कि प्रोटेक्टेड फोरेस्ट और रिजर्व फोरेस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, इस एक्ट के तहत जो नियम बनेंगे और राजस्थान सरकार जो नियम बनायेगी, उन नियमों के अन्दर भी कोई संशोधन करना पड़ा या बनाने पड़े तो भारत सरकार से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और भारत सरकार से परमिशन नहीं आयी तो हम उन नियमों के तहत प्रगति का काम, रास्ता देखना चाहते हैं, तो प्रगति का रास्ता नहीं मिलेगा। मैं सड़क की बात नहीं कर रहा था। बड़े अफसोस की बात है, पुस्तक के अन्दर मैंने पढ़ा है, मेरे सामने ही है यहां पर, मैं पढ़ रहा हूं उसमें से कि यदि किसी जंगल में नहर जा रही है तो वह नहर भी बंद कर सकेंगे अधिनियम के तहत।

श्री परसराम मदेरणा : सरकार, सरकार कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय। एक तरफ तो बी. जे. पी. यह कह रही है कि सरकार हम बनायेंगे। तो सरकार ही बनाने जा रहे हो, अब क्या है? दो-चार महीने में खटाखट बनाओ।

श्री रमाकान्त शर्मा : ठीक है, अंत में वही बात कहूंगा, आप निश्चिन्त रहिये।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : दो-चार महीने के बाद में कर लेंगे।

श्री रमाकान्त शर्मा : दो-चार महीने की ही बात है।

श्री परसराम मदेरणा : क्या?

श्री मदन दिलावर : दो-चार महीने के बाद सब ठीक कर लेंगे।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : कौन-सा डिपार्टमेंट होगा आपका?

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं यह निवेदन कर रहा था, पहले भी मैंने निवेदन किया है कि माइनिंग की जो स्थिति है, जो 11 मैटल, नॉन मैटल उन्होंने लिस्ट के अन्दर रख रखे हैं, उसके अन्दर लिग्नाइट के होने से ऊर्जा के क्षेत्र में जो हम बहुत बड़ी प्रगति करना चाहते हैं वह प्रगति हम कर नहीं सकेंगे। यदि शीघ्रातिशीघ्र इस

(श्री रमाकान्त शर्मा)

बारे में राजस्थान सरकार की जो रिक्वेस्ट है वह रिक्वेस्ट भारत सरकार नहीं मानेगी तो एक प्रकार से राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के जो रिलेशन हैं उन रिलेशन के अन्तर्गत राजस्थान, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित खानों और वनों के मामले में है, की प्रगति के अन्दर बहुत बड़ी तकलीफ आने वाली है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अकाल पर चर्चा करना चाहता था परन्तु अकाल पर चर्चा अलग से होने वाली है, और भी चीजों पर अलग से चर्चा होने वाली है__(व्यवधान)__ अकाल, ओलावृष्टि पर अलग से चर्चा होने वाली है इसलिए मैं उस पर कोई निवेदन नहीं कर रहा।

आखिर में सिर्फ एक शब्द और मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं राज्यपाल महोदय और राजस्थान सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो ये मामले मैंने निवेदन किये हैं, खान और बिजली के, इन सब के अन्दर वह बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है परन्तु मैं एक शब्द में यह भी बता देना चाहता हूं जो वित्तीय मामले हैं। बजट के मामलों में एक बहुत छोटा-सा उदाहरण देकर बात बताना चाहता हूं। कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 268 के तहत कुछ ऐसे टैक्सेज हैं जो लगाती तो भारत सरकार है और रियलाइज करती है राजस्थान सरकार और वह राजस्थान सरकार की ही आय हो जाती है। यदि किसी प्रोविंशियल सरकार की आय हो जाती है तो भारत सरकार को क्या जरूरत पड़ी है कि उसको बदले। पचासों साल हो गये स्टाम्प ड्यूटी का जो 50 पैसे था अब जाकर उसको एक रुपया किया है तो ये इस तरह की जो चीजें हैं। सरकारिया कमीशन ने इन सब चीजों को लम्बे-चौड़े तरीके से लिया है। आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान सरकार जिस प्रकार से मेहनत के साथ इन मामलों में भारत सरकार से निवेदन कर रही है, सदन की भी एक प्रकार से यह प्रतिक्रिया पहुँचे कि इन मामलों में भारत सरकार जो एकाधिकार का रूप लिये बैठी हुई है और जो प्रांतीय सरकारों की उपेक्षा कर रही है वह उपेक्षा नहीं हो।

अन्त में मैं राजस्थान सरकार का, आपका और खास तौर से महामहिम राज्यपाल महोदय का अपने हृदय से बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी प्रस्ताव का समर्थन करेंगी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रमाकान्त शर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय द्वारा दिया गया अभिभाषण वास्तविक रूप से राज्य के विकास का दस्तावेज है। यह अभिभाषण मात्र अभिभाषण ही नहीं राजस्थान की प्रगति का प्रतिबिम्ब है। उपाध्यक्ष महोदय, यह अभिभाषण राजस्थान के विकास की ओर बढ़ते चरणों का परिचायक है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे लिये बहुत ही गौरव की बात है पिछले 6 वर्षों में हमारी सरकार ने प्रदेश में जो विकास की गंगा बहायी उसी के कारण आज राजस्थान विकास की दृष्टि से विकसित राज्यों की श्रेणी में आगे आकर खड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछड़ेपन के नाते राजस्थान को पिछड़ा माने जाने वाले प्रदेश के दृष्टिकोण को आज देखा जाय तो आज

(श्रीमती तारा भण्डारी)

राजस्थान इस चुनौती के लिए तैयार है कि राजस्थान को कोई अब पिछड़ा नहीं कहेगा। भारत के मानचित्र पर आज राजस्थान विकास के नये सोपानों की ओर अग्रसर हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी की गहरी सूझबूझ एवं क्षमता के कारण पिछले 6 वर्षों में बिना किसी प्रकार का कर भार लगाये, जनता पर बिना किसी प्रकार का टैक्स लगाये राजस्थान का सर्वांगीण विकास हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, बजट की 60 प्रतिशत से अधिक राशि ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करके ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, दस्तकारी एवं अन्य तकनीकी क्षेत्र में प्रगति करके हमारे मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान को एक अग्रणी श्रेणी में लाकर खड़ा किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी, श्रीमान् भैरोंसिंह जी शेखावत के नेतृत्व में राजस्थान का आर्थिक सुदृढ़ीकरण और समृद्धि हुई है, योजना के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा योजना में जो राशि स्वीकृत हुई उसका उपयोग समयबद्ध किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी खनिज एवं उद्योग की सुस्पष्ट नीतियों के कारण राजस्थान देश के ही नहीं, विदेश के उद्योगपतियों में भी आकर्षण का केन्द्र बिन्दु बनता जा रहा है। यही कारण है कि पिछले 3-4 वर्षों में हजारों करोड़ों रुपयों का देशी एवं विदेशी विनियोग राजस्थान में हुआ है। मैं हमारे उप मुख्य मंत्रीजी तथा राजस्थान के उद्योग मंत्री जी एवं हमारे मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन्होंने अपने अथक प्रयासों से राजस्थान में प्रवासी बंधुओं को आने के लिए प्रेरित किया है, उद्योगों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है तथा आज कोई यह नहीं कह सकता कि राजस्थान में उद्योग लगाने में हमें यह डर है या हमारा काम रुका हुआ है। हमारे उद्योग मंत्री जी स्वयं गुरुवार के दिन अपने नियमों के अनुसार उद्योग भवन में बैठते हैं तथा जनता की बात को सुनते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के उप मुख्य मंत्रीजी को मैं इस बात के लिए भी बधाई दूंगी कि उन्होंने सभी वर्गों के लिए और उससे भी आगे बढ़कर कहूं तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के विकास के लिए, उन्हें आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए राजस्थान में अनेक कार्यक्रम, अनेक योजनाएं प्रारम्भ की हैं। विशेष तौर से पिछले वर्षों में नगरपालिकाओं में, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बंधु-बहनों को आरक्षण देकर पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, नगरपालिका के अध्यक्ष एवं अन्य संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, राज में भागीदारी दी है। आज मेरा यह मानना है कि इस प्रकार से आरक्षण देकर अनुसूचति जाति और जनजाति के लोगों को राज्य के विकास की मुख्य धारा में जोड़ा तथा एक राजनीतक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया। उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग जड़ जमाकर बैठे थे कि इसका नाम तो अब प्रधानजी ही हो गया, यह तो गांव के सरपंच जी ही कहलायेंगे या यह गांव के जिला प्रमुख हैं, इस प्रकार आरक्षण देकर जन-प्रतिनिधियों के पदों को भरने से यह जो बपौती थी, यह जो ठेकेदारी थी वह समाप्त हुई है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने कानून बनाकर निष्पक्षतापूर्वक चुनाव करवाये हैं, एक भी पद खाली नहीं रखा। आप अन्य प्रदेशों में जाइये, आपके चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए और अनेक पद आज भी खाली पड़े

(श्रीमती तारा भण्डारी)

हैं। यह हमारे चुनाव की प्रक्रिया, निष्पक्ष चुनाव और प्रशासन की क्षमता और राजस्थान के मुख्य मंत्री के नियंत्रण का प्रभाव है कि राजस्थान के सभी जन प्रतिनिधियों के पद चाहे वह पंचायत राज संस्थाओं के हों, चाहे वह नगरपालिका के हों, भरे हुए हैं।

श्री अमराराम (धोद) : को-आपरेटिव में भी भरे हुए हैं?

श्रीमती तारा भण्डारी : को-आपरेटिव में भी बहुत उल्लेखनीय काम किया है। आपने कल अभिभाषण पढ़ा है। मैं अभिभाषण के सारे बिन्दुओं पर नहीं जाऊंगी लेकिन को-आपरेटिव के नाम से राजस्थान के मुख्य मंत्री को, को-आपरेटिव मिनिस्टर को बधाई देना चाहती हूं कि इन्होंने चुनौतीपूर्वक को-ऑपरेटिव्ज का भ्रष्टाचार समाप्त किया और उनको स्वायतत्ता प्रदान करने के लिए कानून बनाये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर) : जन प्रतिनिधियों के बगैर प्रशासक बना दिये।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का मैं बहुत आदर करता हूं, मुझे माफ करेंगी। अभी आप चुनाव की बात कह रही थीं, जिला प्रमुख सिरोही का पद रिक्त पड़ा हुआ है।

श्रीमती तारा भण्डारी : परमात्मा की कृपा के कारण हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, मेरी कृपा से नहीं है, भगवान की से। वह तो हार्ट फैल हो गया सूरमाराम जी का। वह शिडयूल्ड कास्ट की, जनजाति की रिजर्व सीट है। आपका उपाध्यक्ष वहां पर उप प्रमुख बैठा हुआ है। इसलिए आप चुनाव नहीं करवा रहे हो।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता जी को यह जवाब देना चाहती हूं कि ये चुनाव की बात तो कर रहे हैं, चुनाव होने चाहिए लेकिन जो उप प्रमुख की सीट पर बैठा है वह भी इन्हीं का जीता हुआ प्रत्याशी है। परन्तु मैं दूसरी बात कहना चाहती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिला प्रमुख की जिन संदिग्ध कारणों से मौत हुई है, जिस प्रकार से दिल्ली में उनकी मौत हुई है, उस मौत की जांच कराने के लिये हमारे नेता महोदय को आगे आना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज वहां का आदिवासी बहुत विचलित है।

श्री प्रभूराम गरासिया : उनको कोई अटैक नहीं था।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जांच क्यों नहीं कराते हो?

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो आगे आया हुआ हूं। इससे आगे आऊंगा वैल में तो डिप्टी स्पीकर अभी मुझे डांट देंगे। जब आप कहती हैं तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, चलो जांच कराओ।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक भी स्टेटमेंट अगर नेता महोदय का राजस्थान के कांग्रेस-इ के नेता होने के नाते पढ़ा होता कि सूरमाराम की मौत के संदिग्ध कारणों की जांच होनी चाहिये तो मैं आज तहे दिल से उनका धन्यवाद करती। उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी की मौत कोई मौत नहीं होती? हमारे जिला प्रमुख हमारी विकास की योजना के लिये, हमारे क्षेत्रीय सांसद बूटासिंह जी को मिलने गये थे और मैं वह कारण भी बता दूं, हमारे जिला प्रमुख चाहते थे कि हमारे सांसद का जो एम. पी. फण्ड होता है वह एम. पी. फण्ड सिरोही जिले के लिये रिलीज करें क्योंकि वे सिरोही जिले से चुनाव जीते हैं

(श्रीमती तारा भण्डारी)

परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है कि हमारे क्षेत्रीय सांसद के लिए कहीं + + + नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में हमारे जिला प्रमुख की मौत हुई.। हमारे सांसद ने न तो उनकी डैड-बॉडी भिजवाने की कोई चिन्ता की, न डैड बॉडी के साथ आये और न ही उनके यहां शोक प्रकट करने के लिये वे गये।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विषय के ऊपर आ जाइये। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आप धन्यवाद प्रेषित कीजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद का समर्थन मैं कर रही हूं। हमारे नेता महोदय को चुनाव की चिन्ता है परन्तु जिस घर का व्यक्ति चला गया, जिसकी पत्नी रो रही है, जिसके बच्चे रो रहे हैं, राजस्थान के उप मुख्य मंत्रीजी अभी विराजमान हैं, इनके माध्यम से मैं यह अनुरोध करना चाहती हूं कि सूरमारामजी की मौत की जांच करवाई जाये और सी.बी.आई. से मामला स्पष्ट करवाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, शेर-ए-राजस्थान के नाम से जाने वाले विख्यात हमारे मुख्य मंत्रीजी, श्रीमान् भैरोंसिंह शेखावत का ही यह साहस है कि इन्होंने आर. पी. एस. सी. के चेयरमैन जैसे महत्वपूर्ण पद पर अनुसूचित जाति के बंधु श्रीमान हनुमान प्रसाद जी को नियुक्ति देकर एक अनोखा कार्य किया है।

श्री राजेन्द्र पारीक : उनकी नियुक्ति उनकी योग्यता के नाते हैं या उनके अनुसूचित जाति के होने के नाते हैं? हमें इस बात पर सख्त एतराज है। वे योग्यतम व्यक्ति हैं, योग्यता के नाते उनको पद दिया गया है, न कि अनुसूचित जाति के नाते। योग्यतम व्यक्ति के नाते उनको पद दिया गया है।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : वे योग्य नहीं हैं? आप यह सिद्ध करना चाहती हैं कि वे योग्य नहीं हैं?—(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, इनको सहनशक्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप कहती हैं कि उनको पद दिया गया, अनुसूचति जाति के नाम पर दिया गया।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : नहीं-नहीं, यह भिक्षा नहीं दे रहे हैं आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, योग्यतम व्यक्ति को पद दिया गया है।

श्री दयाराम परमार : भिक्षा मानकर हमको दे रहे हैं क्या? (व्यवधान) हमारी बेइज्जती करते हैं हमें ऐसा कहकर—(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचति जाति और जनजाति के विकास के नाम पर + + + वोट लेने वाले कांग्रेस-इ के लोग आज इस बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनके गले नहीं उतरती। भूले नहीं होंगे जब ये योग्यता की बात करते हैं, मैं पूछना चाहती हूं राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमान जगन्नाथ पहाड़िया को क्यों हटाया? वे योग्य नहीं थे? (व्यवधान) गृह मंत्री राजस्थान हैं।

श्री अमराराम (धोद) : अब भैरोंसिंह शेखावत की जगह कैलाशजी को बनायें ना आप मुख्य मंत्री।

श्री लक्ष्मण सिंह : कैलाश जी मेघवाल को मुख्य मंत्री क्यों नहीं बनाया?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अमराराम (धोद) : मुख्य मंत्री बनाओ आप, हम मान लेंगे, क्यों नहीं बनाते? शेखावत साहब * को क्यों बैठा रखा है?

श्री लक्ष्मण सिंह : कैलाशजी मेघवाल को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, इसका जवाब दीजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, ये जो बात कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्रीजी की आज राजस्थान की सर्वोच्च सीट पर हमारे गृह मंत्रीजी विराजमान हैं। मैं इनका, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी का और महामहिम राज्यपाल महोदय का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहती हूं कि इन्होंने हमारे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के खाली पद पर योग्यता के आधार पर वाल्मिकी समाज से एक व्यक्ति को चुनकर के एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया।

उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए और भी कई प्रकार के कार्यक्रम हमारी सरकार ने किये हैं। उनको आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिये रोजगार के अवसर बनाये। उपाध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्रों में ड्राइवर, लिपिक, कांस्टेबल, चपरासी और अध्यापक के पदों पर जो 12 प्रतिशत आरक्षण था उसको बढ़ाकर आज 45 प्रतिशत किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आर. ए. एस. की परीक्षाओं में सीटों के मामले में 10 गुना लोग ज्यादा जाते थे, हमारी इस सरकार के प्रयासों से आज अनुसूचित जाति के बंधुओं के लिये यह 15 गुना अधिक किया है। इससे अनेक छात्र लाभान्वित होंगे और प्रवेश ले सकेंगे तथा उच्च पदों पर आ सकेंगे।

मैं हमारे खान मंत्रीजी, जो स्वयं अनुसूचित जाति से हैं, उनका—

श्री लक्ष्मण सिंह : हमने तो जगन्नाथ पहाड़िया जी को मुख्य मंत्री बनाया, आप बनाइये ना आपमें अगर हिम्मत हो तो—(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : आप चिन्ता मत करो, आप फिक्र मत करो। आप जाकर दिखाओ। अब जायेंगे कहां, चुनाव सामने आये हैं, सारे घोटाले बाहर आने वाले हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : आ जाने दो, आ जाना।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्षजी, मैं खान मंत्रीजी का इसलिये धन्यवाद करना चाहती हूं—

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : आज अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिये महिला से मत भिड़ये।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रेनाइट और मार्बल की खानों के जो पट्टे दिये जाते हैं, मैं माननीय खान मंत्रीजी का धन्यवाद करती हूं कि ये पट्टे देने में इन्होंने 20 प्रतिशत पट्टे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित किये हैं। एक नहीं, अनेक सरकार द्वारा किये गये काम में गिना सकती हूं परन्तु इतना ही कहूंगी कि सरकार की सूझबूझ, दूरदर्शिता, संवेदनशीलता, कर्मठता और कुशल प्रबंधन के कारण आज हमारे राज्य में तरक्की-दर-तरक्की होती चली जा रही है और सभी वर्ग मिलकर यह कार्य कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस है।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने भी यह भाषण लिखा है, उनकी योग्यता निश्चित रूप से आंकी जाये।

---

* शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : शायद आप इनकी योग्यता को अभी तक नहीं पहचान पाये हैं। अभी पहचान लेंगे थोड़ी देर में।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, शायद हमारे बंधु भूल गये कि आज अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस पर एक महिला अपने उद्‌गार प्रकट करे यह मेरे बंधुओं से सहन नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं हमारे मुख्य मंत्री, हमारी सरकार और हमारे केबिनेट के सदस्यों को हार्दिक बधाई देना चाहती हूं कि इन्होंने अपने इन 5-6 वर्षों में महिलाओं के उत्थान के लिये, आत्मनिर्भरता के लिये और साक्षरता के लिये अनेक कार्यक्रम किये। शिक्षा के बारे में हमारे माननीय सदस्य रमाकान्तजी ने बहुत विस्तार से बताया है। मैं तो केवल इतना ही बताऊंगी कि राजस्थान में महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत बहुत चिन्ताजनक है, इसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों का महिला शिक्षा प्रतिशत कहीं-कहीं पर तो 10 प्रतिशत से भी कम है। इस बात को चुनौतीपूर्वक लेते हुए कि महिलाएं और बालिकाएं कैसे शिक्षित हों, किस प्रकार से उनके काम के समय में से समय निकालकर पढ़ने को जायं, बालिका कैसे प्रोत्साहित हों और उनका नामांकन कैसे बढ़े, इसके लिये हमारे मुख्य मंत्रीजी ने अनेकानेक योजनाएं बनायी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज गांव के गरीब की बेटी, गांव के निर्धन की बेटी, गांव के किसान की बेटी, गांव के मजदूर की बेटी निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें लेकर राजस्थान सरकार को आशीषें देते हुए स्कूल जा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं में आत्मनिर्भरता लाने के लिये हमारी सरकार ने पिछले वर्ष चार महिला बैंक खोलने के लिए प्रोत्साहित किया, आज हमारे यहां चार महिला बैंक कार्य कर रहे हैं।

राजस्थान सरकार ने फैमिली प्लानिंग के जो थोपे हुए कार्यक्रम चलते थे, ये नाकारा सिद्ध हो गये, इन थोपे हुए कार्यक्रमों को समाप्त करके और जनचेतना तथा जनजागरण के लिये प्रयास किया। उपाध्यक्ष महोदय, आज बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे सारे विकास के मापदण्डों को खराब कर रही है, हमारे विकास को निगलती जा रही है, यह हम सबके लिये चिन्ता का विषय है।

(15.00)

इस चिन्ता के विषय को दूर करके आबादी पर नियंत्रण पाने के लिये राजस्थान सरकार ने राजलक्ष्मी योजना शुरू की। आज यह राजलक्ष्मी योजना बहुत ख्याति प्राप्त की हुई है। चालीस हजार से अधिक बालिकाएं इस राजलक्ष्मी योजना में लाभान्वित हुई हैं। और तो और उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने भी इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है तथा अन्य राज्यों को राजलक्ष्मी योजना को अपनाने के लिये सुझाव दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजलक्ष्मी योजना वास्तव में हमारी बालिका को राजलक्ष्मी बनाने वाली है। उसके सुखद भविष्य के लिये है।

उपाध्यक्ष महोदय, महिला उत्पीड़न को रोकने के लिये हमारी सरकार ने तीन नये महिला थाने खोले हैं, मैं इसका स्वागत करती हूं। महिला उत्पीड़न को रोकने के लिये और भी कई कारगर उपाय हमारी सरकार ने किये हैं। कहने को राष्ट्रीय महिला आयोग बना हुआ है लेकिन यह आज बिलकुल नाकारा सिद्ध हो चुका है। मैं तो कहूंगी कि राष्ट्रीय महिला आयोग अपंग है। आज हमारे प्रधानमंत्री की

(श्रीमती तारा भण्डारी)

नाक के नीचे और देशभर में महिलाओं का शोषण हुआ, अत्याचार हुए। नैना साहनी को जीवित तन्दूर में भून दिया गया। ऐसे शर्मनाक काण्ड पर भी न तो हमारे + + + प्रधानमंत्री कुछ बोले और न ही इस महिला आयोग ने कोई रिपोर्ट दी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस महिला दिवस के उपलक्ष में मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को अनुरोध करना चाहती हूं कि वे महिला उत्पीड़न को रोकने के लिये राज्य में राज्य महिला आयोग का गठन करें और उसको संवैधानिक शक्तियां देते हुए सशक्त बनायें तभी महिला उत्पीड़न रुकेगा।

श्री नरेन्द्र बुढानिया (सरदार शहर) : अडवाणी से पूछो + + + हैं क्या ? (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : बना देंगे। आप चिन्ता काहे को करते हो। आपको नहीं बनाया जायेगा। महिला आयोग की अध्यक्ष महिला ही बनेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को एक निवेदन करना चाहती हूं कि महिला उत्पीड़न के मामले हों, महिला अत्याचार के मामले हों, महिला बलात्कार के मामले हों, महिला के साथ ब्लैक-मैलिंग हो, महिला का शोषण हो तो कृपा करके इसको राजनीति में न डाल कर महिलाओं को न्याय मिले, ऐसे प्रयास हम सबको करने चाहिये। उपाध्यक्षजी, मैं हमारे गृह मंत्री और मुख्य मंत्रीजी को सुझाव देना चाहती हूं कि इसके लिये वे अधिक से अधिक महिला जजों की नियुक्ति करें, महिला कोर्ट बनायें, महिला कांस्टेबल की भर्ती करें और महिलाओं का जो बलात्कार का मामला हो उसकी बन्द कमरे में सुनवाई हो। महिला दहेज-हत्या के प्रकरणों में भी (व्यवधान) इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसको मजबूती से लागू किया जाना चाहिये तभी महिलाओं को प्रोटेक्शन मिलेगा।

उपाध्यक्ष-महोदय, सरकार ने महिलाओं की बहबूदी के लिये और महिला स्वास्थ्य के लिए भी बहुत कदम बढ़ाये हैं और मैं अगर छोटे में यह कहना चाहूं तो पिछला वर्ष हमारा चिकित्सा को समर्पित रहा। मैं चिकित्सा मंत्री का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने समय रहते जो भी उन्हें राजस्थान में करना था, उप केन्द्र खोलने का कार्य हो, मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र का कार्य हो, पी. एच. सी. का कार्य हो, चाहे नये भवनों की मंजूरी देनी हो, चाहे पुराने भवनों की मरम्मत हो अथवा कोई भी कार्य हो वह किया। और तो और काफी समय से रुकी हुई डाक्टरों की विशिष्ट योग्यता की जो पदोन्नति थी, तुरन्त पदोन्नति देकर डाक्टरों के पद भरने के जो प्रयास किये हैं, उसके लिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद और शुभकामना देती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गांवों में लोग समझते नहीं थे कि डॉक्टर क्या होता है। पी. एच. सी. तो खुल गये किन्तु पी. एच. सी. खुलने के बाद वहां कभी डॉक्टर नहीं आया था। आज गांवों में महिला चिकित्सक हैं। आज गांवों में चिकित्सक जा रहे हैं और चिकित्सा के प्रति जो जन-चेतना हुई है वह भी एक उल्लेखनीय कार्य है। उपाध्यक्ष महोदय, यह विकलांगता जो है, हमारे लिये अभिशाप है, कलंक है। इस अभिशाप को मिटाने के लिये जो पल्स पोलियो कार्यक्रम था, उसको राजस्थान सरकार ने अपनी दूरदर्शिता से, कड़े

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

प्रशासन से, प्रचार तंत्र से और अनेकानेक तरीकों से जन-चेतना पैदा करके बहुत ही सुचारू रूप से सफल कराया, इसके लिए राजस्थान सरकार बधाई की पात्र है।

उपाध्यक्ष महोदय, पुराने जमाने में अगर कोई सार्वजनिक भवन बनते थे, अस्पताल परिसर बनते थे या कुछ और चीज बनती थी तो उसके उद्घाटन के लिये महीनों नहीं वर्षों चक्कर काटने पड़ते थे कि कब मंत्री महोदय पधारें और कब हमारी इस सार्वजनिक सम्पत्ति का शुभारम्भ हो लेकिन आज राजस्थान सरकार ने ग्रामीण और शहरी विकास के लिये अपना गाँव अपना काम योजना, सहभागिता योजना, तीस जिले तीस काम योजना एवं अनेक ऐसे काम प्रारम्भ किये हैं जिनसे गांवों में, शहरों में सार्वजनिक संसाधन बढ़े हैं और साथ ही साथ सार्वजनिक सुविधाएं और विकास को गति मिली है, यह तो प्रमाणित है। इसके साथ अपना गांव अपना काम और सहभागिता योजना के तहत जन-मानस को इन कार्यक्रमों से जोड़ा इससे कार्य की प्रामाणिकता बढ़ी है, साथ ही काम में समयबद्धता, स्पष्टता-पारदर्शिता भी आयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के आखरी सिरे गुजरात की सीमा से आती हूं। पूर्व सरकार ने कई सारी थोथी घोषणाएं की थीं। एक ढपोर शंख होता है, उसकी वाणी जिस प्रकार से थोथी होती है, ऐसी ही पूर्व सरकार ने घोषणाएं की थीं, 1985 तक राजस्थान में सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ दिया जायेगा। क्या हुआ उस घोषणा का? आज मैं राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण मंत्री, जो उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने एक मानसिकता बनाकर राजस्थान में सड़कों और पुलों का निर्माण किया और समयबद्ध तरीके से जो पुरानी सड़कें हैं, टूट गयी हैं, फूट गयी हैं, उनकी मरम्मत भी एक पर्टिकुलर तारीख देकर करवायी। आज जब हम राजस्थान के आखरी छोर से आते हैं तो हमको यह सुनने की जरूरत नहीं कि ऊंघता-ऊंघता गुजरात गया और हचका खाता राजस्थान आया। अब बात उलटी हो गयी। अब राजस्थान में इस प्रकार के पेवर रोड बनाये हैं कि जो पर्यटक जो गुजरात से राजस्थान में प्रवेश करते हैं, राजस्थान में घूमते हैं, राजस्थान के दर्शन करते हैं वे हमारी इस सड़क नीति, हमारी सड़कों, हमारे निर्माण के लिए बहुत आभार मानते हैं, धन्यवाद देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार का देश की जनता की ओर से भी आभार प्रकट करना चाहूंगी कि जो गाय कटने को जाती थी, गोवंश समाप्त होता जा रहा था उसके लिए राजस्थान की धर्म-परायण जनता के धर्म परायण संस्कारों और भावनाओं की कद्र करते हुए राजस्थान सरकार ने अधिनियम बनाया। गायों की सेवा के लिये गो-सेवा आयोग का गठन किया।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे स्कूलों में और हमारे छात्रावासों में पढ़ाई किस प्रकार से हो रही थी, कैसे पाठ्यक्रम थे, सभी लोग जानते हैं। जब तक बालकों में संस्कार नहीं आयेगा, तब तक उसकी पढ़ाई-लिखाई व्यर्थ है। आज राजस्थान सरकार के अनुसूचित जाति के समाज कल्याण मंत्री एवं शिक्षा मंत्री दोनों ने मानस बनाया है कि स्कूल मात्र स्कूल नहीं रहकर संस्कार केन्द्र बने और यहां से बच्चों को संस्कारयुक्त शिक्षा मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, यह वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का भी वर्ष रहा। मानसून समय पर

(श्रीमती तारा भण्डारी)

नहीं आया। आया तो जल्दी चला गया। एक तरफ तो सूखा पड़ गया और दूसरी तरफ जहां आया वहां इतना आया कि भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर आदि में भयंकर बाढ़ आ गयी। एक तरफ बाढ़ से तबाही हुई, दूसरी तरफ हमारे जिलों में सूखा है और इसमें भी जो कसर रह गयी थी वह रही सही कसर इस ओलावृष्टि ने निकाल दी। आज हमारे किसान की कमर टूट गयी। उपाध्यक्ष महोदय, किसी की फैक्ट्री में आग लगती है तो उसको पूरा मुआवजा मिल जाता है। किसी की गाड़ी टूट-फूट जाती है, जल जाय, पूरा मुआवजा मिल जाता है। इन दिनों तेज हवाएं चल रही हैं, लोगों की फसलें खलिहानों में पड़ी हुई हैं और उन खलिहानों में जब आग लगती है तो किसान की सारे वर्ष की कमाई समाप्त हो जाती है। ऐसा ही प्रकोप तीन दिन पहले मेरे क्षेत्र में एक गांव में हुआ। सारी फसल काट कर खलिहान में रखी थी, आग लगी और जल कर स्वाहा हो गयी। इनको राहत देने के जो मापदण्ड हैं वह बहुत पुराने हो गये। एक किसान पर आश्रित पूरे परिवार की वर्ष भर की कमाई जल कर स्वाहा हो जाये उसके लिए आप जो राहत देते हैं वह मात्र पांच सौ या हजार रुपये है। इससे उस किसान के जख्मों पर नमक ही लगता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस पवित्र सदन से, हमारी सरकार से, हमारे मुख्य मंत्रीजी से, उप मुख्य मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि आज राजस्थान में कहीं पर सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गयी और जहां सूखा और बाढ़ नहीं है वहां ओलावृष्टि हो गयी और इस सब से बच गया तो आग ने पूरी क्षति कर दी, इन सारे मापदण्डों पर विवेचन किया जाये और किसान टूट नहीं जाये, किसान मर नहीं जाये, किसान समाप्त नहीं हो जाये इस प्रकार की किसान पोषक नीति बना कर उन्हें अधिक से अधिक राहत दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का पुनः तहेदिल से समर्थन करते हुए इस पवित्र सदन से आग्रह करना चाहती हूं कि वह भी व्यर्थ का वाद-विवाद न करके इस धन्यवाद प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करे। धन्यवाद।

जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद (अभिभाषण) प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित जोड़ दिया जाये, का प्रस्ताव करता हूं :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में—"

(1) प्रधानमंत्री की आश्वासित योजना के सम्बन्ध में,

(2) प्रधानमंत्री की विद्यालय छात्रों को दोपहर का भोजन मुफ्त मुहैया कराये जाने की सम्पूर्ण प्रदेश में प्रारम्भ की गयी योजना के सम्बन्ध में,

(3) महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में,

(4) प्रदेश में ओलावृष्टि से किसानों को हुई भयंकर क्षति का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में, तथा

(5) प्रदेश में शीतलहर से किसानों की सरसों तथा चने की फसल को हुई भारी क्षति के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसमें निम्न संशोधन पेश करता हूं।

"प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये :—

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्रान्त की ज्वलंत समस्याओं, यथा—बिजली, पानी तथा कानून एवं व्यवस्था के निराकरण के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।"

श्री उपाध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी। (अनुपस्थित)

श्री भीमसेन चौधरी। (अनुपस्थित) श्रीमती कमला।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : रामनारायण मीणा का भी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आदरणीय कमलाजी, एक मिनट।

श्री रामनारायण मीणा। श्री भीमराज भाटी।

श्री रामनारायण मीणा। बोलिये।

श्री शिवनाथ सिंह : भाभड़ाजी की मेहरबानी है जो याद दिला दिया। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : वाद-विवाद में नहीं हैं, आपने वह अमेंडमेंट मूव किया है अब उसको मूव कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपने संशोधन दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : आप रीड करो इसको, इतना ही करना है आपको।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : कॉपी नहीं दी मेरे को। मुझे याद है, मेमोरी है जो दे देता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्तुत करिये।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंत में निम्नांकित जोड़ा जाय :—

"किन्तु खेद है कि केन्द्र सरकार से राज्य को विभिन्न योजनाओं हेतु प्राप्त राशि का दुरुपयोग रोकने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख प्रस्ताव में नहीं है।" इसे जोड़ा जाने का मैं संशोधन प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमलाजी।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष की तरफ से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और उसका समर्थन भी किया गया है। उस प्रस्ताव को पारित कराने के पक्ष में दोनों ही माननीय सदस्यों ने अपनी ओर से काफी बातें कहीं। अति महत्वपूर्ण, अति उपयोगी और कीर्तिमान कायम करने वाली बातें कह कर सारे सदन से अपील भी की गयी है कि उन पर बिना चर्चा करे ही उसे पारित कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वह एकेडेमीशियन तो नहीं हूं जो आंकड़ों को अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरीकों से जैसा जहां उपयोगी हो वहां वैसा इण्टरप्रेट करके, एनेलाइज करके प्रजेंटेशन करने में माहिर होते हैं और मैं उन महान नेताओं में भी नहीं हूं जो अपनी बात को इस प्रकार से कह सकने में सामर्थ्यवान हैं कि उसका जब चाहें जैसा अर्थ निकाल लें। एक अर्थ निकाल लें, अनेक अर्थ निकाल लें और अर्थ नहीं निकालना हो तो न भी निकालें। लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता और एक जन

(श्रीमती कमला)

प्रतिनिधि होने के नाते इतना दायित्व निभाने में मैं अपने आपको जरूर सक्षम मानती हूं कि इस प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में चुने हुए प्रतिनिधियों को जिस सोच के साथ, जिस दायित्व के साथ, जिस निष्ठा के साथ और जिस परिश्रम के साथ अपने काम का निर्वहन करना चाहिए वह मैं अवश्य करूंगी और जहां नहीं किया गया है उसके बारे में पुरजोर ढंग से सदन को भी कहूंगी। समाज, नागरिक, मतदाता, जिसने हमें बनाया है, तक उस बात को हम ले जाते हैं और ले जाते रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अभिभाषण को आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। जब महामहिम राज्यपाल महोदय पढ़ रहे थे तब भी बहुत गौर से हम सब लोगों ने सुना। इसमें जितना आंकड़ों का मायाजाल भरा हुआ है उसके साथ लगे हुए शब्द उतने अर्थहीन और निर्जीव हैं। उन सब को देखते हुए इसमें जिस रफ्तार के साथ सरकार की तारीफ किये जाने की व्यवस्था की गयी है, कीर्तिमान कायम किया है, एक अविस्मरणीय, उल्लेखनीय प्रगति का दावा है, शायद मुझे याद नहीं हो तो हो सकता है कहीं होगा, लेकिन मैंने किसी भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बात नहीं देखी वह इसमें देखी कि सरकार खुद की पीठ खुद के ही हाथों से सिर्फ राज्यपाल महोदय से बुलवा करके जोर-जोर से थाप रही है और कह रही है हमारे जैसी शाबासी का काम करने वाला धरती पर कोई नहीं है। राज्यपाल महोदय के माध्यम से स्वयं को धन्यवाद दिलवाने वाला यह अनूठा उदाहरण तो मैंने इसमें ही देखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमने तो बहुत देखा है उदाहरण।

श्रीमती कमला : नहीं, वह मैंने इसलिए ही कह दिया कि हो सकता है होगा लेकिन—

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : उस समय पढ़े ही नहीं आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण।

श्रीमती कमला : हैं, सुने ही नहीं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : पढ़े ही नहीं। (व्यवधान)—

श्रीमती कमला : पढ़े क्यों नहीं? उस वक्त मेरी बजाय आपने पढ़ लिये, यों?— (व्यवधान)— अच्छा ठीक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से आपने अपनी उपलब्धियों की, अपनी कारगुजारियों की बात की है कि पिछले पांच वर्षों में विशेष तौर पर जो योजनाएं क्रियान्वित कीं उससे राजस्थान राज्य जो पिछड़ा हुआ कहलाता था अब वह विकसित हो गया। विकासशील नहीं, वह विकसित हो चुका है और उसका कारण, उसका जरिया और एकमात्र कर्ता-धर्ता आपकी सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी यह इन्होंने दावा किया। इनके जो प्रस्तावक महोदय थे उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि 50 वर्षों में भारत सरकार ने इस देश को बरबाद कर दिया। हद है सोचने की, विचारने की, रहने की। यह ठीक है पार्लियामेंट के चुनाव आ रहे हैं, उन चुनावों में आप अपनी शाबासी दिखाने के लिये इतने एक्साइटेड हैं कि आपको जितने धीरज से, जितने अर्थपूर्ण ढंग से और वास्तविकता से ऊपर खड़े होकर धरातल को देखकर बात कहनी चाहिए और रखनी चाहिए उसको आप भूल रहे हैं।

आप पार्लियामेंट के चुनावों के लिये इतने व्यग्र हैं, इतने उतावले हैं और आपको लग रहा है कि दिल्ली यह रही। दिल्ली बहुत दूर है

(श्रीमती कमला)

और बहुत कष्टदायक रास्ता है और बहुत असंभव है लेकिन फिर भी कोशिश करना फर्ज है, मैं आपको मना थोड़े ही कर रही हूं। यह पार्लियामेंट के चुनावों का उतावलापन, एक्साइटमेंट और कुछ कर गुजरेंगे और ले बैठेंगे, यह सब चीज आप अगर इस पूरे भाषण को पढ़ें तो इसमें आपको सब साफ नजर आयेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन बातों को कहते वक्त यह भी भूल जाते हैं, चाहे सरकार के प्रतिनिधि हों जो मुख्य मंत्रीजी के रूप में बैठे हैं और चाहे प्रस्तावक और समर्थक हों कि इतने बड़े नियोजित निवेश के लिये इतना हमने पैसा प्राप्त किया वह कहां से प्राप्त किया। कभी लिखा दिया उसमें कि बड़ा जबरदस्त मुख्य मंत्री महोदय ने दबाव डालकर अपनी साहसिक क्रियान्विति दिखाई कि हम इतनी बड़ी योजना बताकर ले आये। उस योजना का पैसा कहां से आया, उसको मेंशन करने की जरुरत नहीं है? भारत सरकार ने इस राजस्थान राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए, राजस्थान राज्य के विकास को देखते हुए और यहां के त्वरित विकास की जरूरत को समझते हुए जिस उदारता के साथ में राजस्थान की योजनाओं को पैसा दिया वह आप लेकर आये हैं, ले आये आप...(व्यवधान) क्यों देते थे पहले। वह मैं बता रही हूं। आप सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : पहले + + + थे, + + + करते थे।

श्रीमती कमला : हां, आपका बड़ा भारी अचीवमेंट है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, क्या बिना योजना राजस्थान चला? आपसे पूछना चाहती हूं कि आजादी से लेकर आज तक राजस्थान का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया है, राजस्थान को आज प्रगति के पथ पर लेकर आये हैं, राजस्थान में तमाम क्षेत्रों में जो विकास हुआ है क्या बिना योजना के ही हो गया? क्या बिना पैसे के ही हो गया? क्या हम लोग वह लेकर नहीं आये? हमने वापस फेंक दिया था? मैं आपको बताना चाहती हूं कि 48-50 वर्षों में राजस्थान की कांग्रेस की सरकारों ने नींव डाली है विकास की और उस नींव को डालने के बाद में उसके विकास के आयाम खड़े किये हैं और उन खड़े किये हुए आयामों के ऊपर आप तो दीवार के ऊपर खड़े होकर झांक रहे हो। यह टेक ऑफ की, इतनी बड़ी प्लंज लगाने की स्थिति आयी है वह कांग्रेस सरकारों की बदौलत आयी है जिन्होंने इसकी नींव रखी है। आज आप उड़ने की स्थिति में अपने आपको देख रहे हैं लेकिन उड़ने के लिये स्टेज किसने लाकर बनायी है, वह हालात किसने पैदा किये हैं, वह काम किसने किया है? जब देखो तब आपकी भाजपा की तरफ से या आपके दूसरे पक्षों की तरफ से या आपके सदस्यों की तरफ से या सरकार की तरफ से कहा गया कि इस देश को पिछले 50 वर्षों में बरबाद कर दिया। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जिस विकास के लिये और देश के जिस गौरव की कल्पना के साथ में, देश की राष्ट्रीय सरकार चली और राज्य स्तरीय सरकारें चलीं और जिस राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण से जिन योजनाओं की क्रियान्वित पिछले 50 वर्षों में की गयी, यह उसका परिणाम है कि आज आप उसकी शावासी ले रहे हैं और जिनको परिणामस्वरूप ले रहे हैं। यह आपकी सोच का और आपके जेहन का फर्क है और एक क्षण के लिये भी उसको याद करके कि आधार तो आपने ही दिया उसी पर हम आ रहे हैं, यह भी

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती कमला)

कहने की आपको खुशहालता नहीं है। इसकी जरूरत भी नहीं है। आम समाज जनता है। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : बहुत लम्बे समय रहे हैं, आप अपनी उपलब्धियां बता दें तो अच्छा रहेगा।

श्रीमती कमला : आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपको असलियत बता रही हूं इसलिये तकलीफ हो रही है। मैं सुझा रही हूं कि नीचे नींव की तरफ देखो, आपके सिर के ऊपर जो ऊंची दीवारें खड़ी हैं उनको देखो, आसमान पर मत देखो।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : उपलब्धियों का तो जो है आकड़ों के मायाजाल के अंदर सबको गूंथकर रख दिया है, मुख्य मंत्रीजी ने एम्ब्राइड किया है। टेक आफ स्टेन की बात कह दी और उसमें मूल बात आधार की कह दी कि इस स्टेज पर लाकर आज राज्य की प्रगति को और राष्ट्र की प्रगति को जोड़ा है। आपको ऊपर उठने का ही काम था, रनवे ही हमने बना रखा था।...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब तो बोलने जैसी स्थिति में नहीं हैं इसको पढ़ने के बाद ...(व्यवधान) यह राजस्थान नहर का काम कब शुरू हुआ था, कब पूरा होना था?

श्री परसराम मदेरणा : यह मायाजाल नहीं है।

श्रीमती कमला : इसके लिये भी मुख्य मंत्रीजी से पूछ लीजिए। इसके मैन कैनाल का जो आखिरी छोर का समापन है वह मैं मंत्री थी उस वक्त पूरा किया है और उस वक्त से डिस्ट्रीब्यूटरी चल रही है। आप लोगों ने तो विपक्ष के रूप में बार-बार इस इंदिरा गांधी नहर, परियोजना के काम को नुक्स निकाल-निकालकर, आरोप लगा-लगाकर रोकने का लाख प्रयत्न किया लेकिन उसके बाद भी राजस्थान सरकार ने इसको आखिरी छोर तक पहुंचाया, इसकी वितरिकाएं पहुंचायीं और आज राजस्थान का जैसलमेर-बाड़मेर का इलाका क्या बनने जा रहा है जिसमें आप लोगों ने पहले से जमीनें भी लेकर रख लीं...(व्यवधान) आपकी मेरी कोई अन्ताक्षरी हो रही है क्या? बाद में कर लेना देखें कैसे करते हो। आपको तो बहुत उतावलापन हो रहा है। मैंने अन्ताक्षरी भी बहुत खेली हुई है, आ जाना कभी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के नाम से चल रही इस व्यवस्था से पूछना चाहती हूं। आपने जो इतनी सारी बातें गिनाई, इतने सारे आंकड़े दिये हैं, इतने सारे विश्लेषण लगाकर अपनी तारीफ की हैं और अगले 20 वर्षों में जाने कहां से कहां पहुंचा देंगे, उसकी आपने धरोहर रख ली है, मैं पूछना चाहती हूं आप सरकार तो हैं क्या? येन-केन-प्रकारेण कुछ संख्या जुटाकर राज कायम कर लेना, सरकार बना लेना और फिर चतुराई का परिणाम निकालकर उसको कायम रखने की चेष्टा करते रहना और बड़ी ऊंची-ऊंची बातें कहकर लोगों से वादे कर-करके इस आसन पर आकर बैठ जाना, यह सरकार नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। सरकार वह होती है जिसे जन विश्वास और जन आस्था की मान्यता प्राप्त हो।

सरकार खुश हो सकती है इतने बड़े दस्तावेज पेश करके। खुश हो सकती है इतनी बातें गिरा करके खुश हो सकती है ट्रेजरी बैंचेज पर बैठकर। लेकिन धरातल पर जाकर देखिये, जन विश्वास और जन आस्था किस तरह से आपके विपरीत खड़ी है। जिस सरकार के साथ जन आस्था और जन विश्वास नहीं है, वह सरकार सरकार कहलाने लायक नहीं है। उसे सरकार नहीं कहा जा सकता। इसके उदाहरणों

(श्रीमती कमला)

से इतिहास भरा पड़ा है। सरकार की शक्ति, सरकार के प्रबंध, सरकार की व्यवस्थाएं इतनी भारी भरकम और भंयकर होने के बावजूद भी जब जन आस्था और विश्वास उठ गये तो दुनियां में क्रांतियां हुई हैं और बड़ी-बड़ी हस्तियां और सरकारें उठती नजर आयी हैं और यह आपके सामने है कि जन विश्वास और जन आस्था नहीं है तो डेमोक्रेसी में चुनावों के अन्दर जाते हुए भी नजर आये हैं। आपको कहां जन विश्वास मिला था, कहां जन आस्था मिली थी? हमारी गलती से और आपके खरीद फरोख्त से, बाडा बंदी के जरिये से आपने सरकार बनायी है। यह सरकार है? न जिसकी सोच एक है, न जिस सरकार के रास्ते एक हैं, न जिस सरकार के प्रति लोगों की जन आस्था और विश्वास है वह कहते हैं हम सरकार हैं। आप सरकार मान्यता से नहीं हैं। आप चतुराई और जोड़ तोड़ से सरकार हैं। आप वैधानिक रूप से, तार्किक रूप से, तकनीकी तरीके से जरूर सरकार हैं लेकिन प्रजातंत्र की जो सरकार होती है वह सरकार आप नहीं हैं और इसलिये नहीं हैं कि जन आस्था और विश्वास आपमें नहीं हैं और वह हो भी नहीं सकता और वह जन आस्था और विश्वास आप में क्यों नहीं है? किस चीज में जन आस्था और विश्वास होता है? आदमी में, पार्टी में? नहीं जन आस्था और विश्वास किस चीज का होता है? नीयत का। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे आप उन्हें बिना पढ़ा लिखा समझें, चाहे पिछड़ा हुआ समझें लेकिन आम आदमी यह जानता है कि मेरा हित-चिन्तक कौन है, मेरे लिये सचमुच कौन दिल से चाहता है और इस देश के आम समाज को एक अच्छा धरातल, एक अच्छा सुखद जीवन, एक अच्छा विकसित होने वाला रास्ता, सचमुच में समर्पण के साथ, भावना और निष्ठा के साथ देने वाले कौन लोग हैं। वह नीयत आपकी आम आदमी के अन्दर साफ नहीं है। बल्कि आपके प्रति यह है कि आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अन्तर है। और यह खेदजनक स्थिति उन्होंने नहीं बनायी है, उनके मन में जो आपकी तस्वीर बनी हुई है, छवि बनी हुई है वह उन्होंने अपने आप नहीं बनायी है। वह आपकी कथनी और करनी में जो भारी भेद है, धरती पर आपका जो चलन है, आपका जो स्वरूप है उसके कारण से बनी है।

दूसरा कारण, इसलिये भी आपकी नीयत उनके मन में नहीं बैठती है, नहीं जमती है क्योंकि आपकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है और आप जिस तरह से राजनीति में आये हैं और इस देश के प्रजातांत्रिक ढांचे के कारण दलों का निर्माण होता है उसके फलस्वरूप जैसे आप खड़े हो गये हैं, उसके कारण भी आपके प्रति लोगों की जन आस्था नहीं बन सकी। आजादी के संघर्ष के वक्त आप कहां थे? क्या थे? आजादी के बाद देश के निर्माण के समय अपने आपको समर्पित करके देश के गौरव की कल्पना के साथ योजनाबद्ध विकास करके आज इस देश और राज्य के तमाम विकास के महल खड़े करे हैं, इतनी बड़ी इमारतें खड़ी करी हैं, यह किसने खड़ी करी हैं। जिन्होंने आजादी का संघर्ष किया, देश को आजाद कराया, एक मृत अवस्था में छोड़कर गये अंग्रेजों से लिये हुए देश को इतना शक्तिशाली गौरवमय बनाया जिसका आज दुनिया में डंका बजता है। उसके लिये आप अपने गले में बहुत जबरदस्त ताबीज डालना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं आपका जन्म हुआ आजादी के बाद। प्रजातंत्र में चूंकि विभिन्न दल बनते हैं, इसलिये सत्ता हासिल करने के लिये। तो आपकी नीयत के साथ सत्ता हासिल करने का काम जुड़ा हुआ है। आपकी नीयत के साथ कथनी और करनी के भारी भेद

(श्रीमती कमला)

का स्वरूप जुड़ा हुआ है और कांग्रेस के साथ आजादी का संघर्ष करने वाली, बलिदान करने वाली, देश को बनाने वाली, देश के लिये समर्पित भाव से जी जान लगाकर काम करते रहने वाली एक संस्था का स्वरूप जुड़ा हुआ है। इसलिये जिस सरकार के साथ जन आस्था नहीं, जिसकी नीयत पर भरोसा नहीं और जिसके प्रति अपने हित रक्षक का एक आश्वासन होता है, वह नहीं, वह सरकार सरकार कहलाने लायक नहीं होती। ठीक है, जिस तरीके से सरकार बनी है वह सरकार चल रही है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : इसीलिये तो संबोधन पार्टी और सरकार को थोड़े ही किया है, भैरोंसिंह जी शेखावत को किया है राज्यपाल महोदय ने।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आ जाइये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : यह कौनसी कांग्रेस सरकार की बात कह रही हैं? कई कांग्रेस हैं अभी। इन्दिरा कांग्रेस की बात कर रही हैं या किसी और की?

श्री महावीर प्रसाद जैन : + + +

श्रीमती कमला: यह आपके सोच का फर्क है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : जिस कांग्रेस के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव हैं, जिसके प्रेसीडेंट पी.वी. नरसिम्हा राव हैं वही कांग्रेस है...(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : टाटा समूह है, टाटा समूह। टाटा समूह का मालिक कौनसा टाटा है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नारायण दत्त तिवाड़ी नहीं थे क्या?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कांग्रेस तो वो की वो है। आपका तो इतना ही कन्ट्रीब्यूशन है—एक कवि थे चारण, उनके यहां मेहमान आ गया, घर खिलाने को कुछ था नहीं तो चौधरी के पास गये, मुझे कांसीका बाटका दे दो, बाटका दे दिया। दूसरे के पास गये थोड़ा सा इसमें दूध डाल दो, दूसरे ने दूध डाल दिया। तीसरे के पास गये, दूध में थोड़ा घी डाल दो, घी घाल दिया? महाजन के पास गया, थोड़ा शक्कर डाल दो, शक्कर डाल दी। अंगुली फेरते हुए ले जाकर मेहमान को पेश किया। मेहमान ने कहा, आ हा, क्या सरबरा हुई है, ऐसी तो राजाओं के भी नहीं होती। उन्होंने कहा, मेरी तो इसमें अंगुली है खुद की।

तो आपकी तो अंगुली है। भारत सरकार की माया है। कांग्रेस की देन है। जो जितने दिन चलता है, गाजर वाली पूंगी है, बजा लो और बाद में जीम लेना, दो-ढ़ाई साल से जीमते रहे हो वैसे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो एक ध्यान रखिये, इस अंगुली से सावधान रहिये।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जन आस्था विश्वास इसलिये भी नहीं है कि कितने नामों से, कितने झंडों से, तरह-तरह की यात्राओं से, कितने तरह-तरह के प्रोग्रामों को बदल-बदल कर और कुछ नाम दे देकर के जिस तरह से यह पनपी है और उम्र में बड़ी हुई है उतनी ही ज्यादा इसकी काया विकृत होती गयी है। इस तरह की जो संस्था हो, इस तरह का जो दल हो, जिसके नाम, जिसके झंडे और जिसके कार्यक्रम और शकल-सूरत बार-बार बदलती रही हों। आज यह बड़ा भारी ऊंचा नारा दिया था, यह नहीं चला तो अगली बार यह नया निकालो। अगली बार यह बिल्कुल भस्म हो गया तो तीसरा निकालो। तीसरा भी रद्दी में गया तो अब चौथा निकालो। तो

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार आपलोपित की गयी।

(श्रीमती कमला)

तरह-तरह की चीजें निकालते हैं।, किस लिये? सिर्फ वोट लेकर कुर्सी पर आने के लिये। अगर यह दल और सत्ता में बैठे लोग यह सोचते कि हमें प्रजातंत्र का रक्षक और प्रहरी बना कर के, प्रतिनिधि बना कर के भेजा है तो हमें सरकार में भी बैठकर उसी तरह काम करना है और अगर यह जन हितकारी होते, अगर यह देश के सच्चे सेवक होते, अगर प्रजातंत्र के प्रति निष्ठावान होते तो लोगों को आपस में लड़ाकर वोट लेने की कभी हरकत नहीं करते। लेकिन वोट लेने के लिए लोगों का अगर खून-खराबा भी हो जाए, तो हो जाए सत्ता लेनी है और गद्दी पर आने की जरूरत है। रथ यात्रा करके हिन्दुत्व और मुस्लिमत्व और क्या-क्या....

श्री उपाध्यक्ष : यह आप राजनीतिक भाषण दे रही हैं या राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रही हैं?

श्रीमती कमला : नहीं, मैं सरकार की व्याख्या कर रही हूं। इसलिये यह जिस तरह का स्वरूप, जिस तरह के इनके तौर तरीके और जिस तरह का इनका बढ़ता हुआ राग रंग है, यह सारा का सारा सरकार जैसी चीज के प्रति जन आस्था का बिल्कुल खात्मा है और इनकी नीयत के प्रति लोगों को विश्वास नहीं है। विश्वास क्यों नहीं है, जैसा मैंने कहा कथनी और करनी में जमीन आसमान का अन्तर है।

आपने कृषि के बाबत, किसान के बाबत, ग्रामीण विकास के बाबत कितनी बड़ी-बड़ी बातें कहीं। आपने चुनावों के दौरान में कितने वायदे और क्या-क्या वायदे किये थे और उन वायदों को सरकार में आने के बाद आपने कहां मटियामेट कर दिया तो उनको जो वायदे करके आये थे वह आज वहीं मौजूद हैं और आज उनको आपने टार्चर करने में कोई कसर नहीं रखी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 100 दिन में महंगाई कम की है?

श्री रामनारायण चौधरी : भ्रष्टाचार को नाक में से निकालेंगे उसका क्या हुआ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार ने यह कहा कि हमने इतना अनाज पैदा किया, इतनी गांठें तैयार कीं, इतना यह किया, इतना वह किया। यह तो बढ़ता हुआ सिलसिला है। हमारी खुद की सरकारें भी जब साल दर साल अभिभाषण और बजट पेश करती रहीं हैं तो पिछले सालों से और ज्यादा आ जाये और अगले साल का और अगले साल से भी ज्यादा होता जाता है। यह तो एक अन्तर से बढ़ने वाली प्रक्रिया है। आपको भारत सरकार की उदारदिली से कुछ पैसा ज्यादा मिल गया तो आपने कुछ ज्यादा चीजें कर ली होंगी। उसका बखान आप इस तरह करें कि हमने यह कर लिया वह कर लिया, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहती हूं कि आप उसकी शाबासी लेने के बजाय आपने जो गुनाह किया उस गुनाह की किसान से माफी मांगें। आपने अगर अपने वादे को पूरा किया होता तो आज राजस्थान में जितना पैदा हुआ उससे डेढ़ गुना ज्यादा पैदा होता। लेकिन 12 घंटा दिन में बिजली देने के बजाय आपको पता ही नहीं कि 2 घंटा आ रही है तो वह भी कब आयेगी। रात को यह पता ही नहीं कि 8 बजे आयेगी कि 9 बजे आयेगी कि 2 बजे आयेगी। जब लोग सो जाते हैं तब बिजली आ रही है। 15 मिनट आ रही है फिर 2 घंटा जा रही है। फिर आधा घण्टा आ रही और फिर एक घंटा जा रही है। 8 घंटे का इस सदन में वादा करवाया हंगामा करके, बहुत तकाजा करके। उसके बावजूद भी, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, लोगों को आठ घंटे बिजली नहीं मिली। रात में भी नहीं मिली। दिन का तो जाने दीजिये।

(श्रीमती कमला)

दिन को बिजली का देखने का सवाल ही नहीं हुआ रात में भी नहीं मिली। (व्यवधान) वह भी मैं बता रही हूं कि कैसे हो गया। आप लोगों की भावनाओं का शोषण करके, उनके उद्‌गारों को ऊंचे से ऊंचा खड़ा करके वोट लेकर आये थे जिन बातों के साथ में उनमें एक बिजली की बात थी। आपने क्या बिजली दी? इस तरह से उसको रौंदा। यह कह रहे हैं कि पैदावार कहां से हो गयी? पूछ लीजिये, अगर दो बार इन्द्र भगवान की बरसात नहीं होती तो इस साल की खेती के अन्दर कुछ भी नहीं था। वह तो भगवान दो बार राजी हो गया लेकिन इनके कोई लक्षणों से वह वापस नाराज हो गया तो उसने ओले पटक दिये। अगर दो बार प्राकृतिक वर्षा नहीं होती तो इस फसल का कहीं कोई ठोर-ठिकाना नहीं (व्यवधान) दूसरी तरफ, हां अशुभता का तो कोई अंत ही नहीं है।

दूसरी तरफ आपने कहा कि हम जो भी चाहेगा उसको दबादब कनेक्शन दे देंगे। आपने कैसे कनेक्शन दिये? यह आपका मण्डल तो जैसे कोई किसानों की खाल उधेड़ने में लग रहा था। मैं आपको सही कहती हूं, ऐसी भावनाएं, ऐसी शक्ल-सूरत और बोली ऐसी बातें किसानों की अपनी उम्र में नहीं सुनी। हम लोग कहते थे कि तुम सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ, हमको क्यों कहते हो। तो यों ही टाल देते थे। लेकिन अभी मार दिया, कोई कसर ही नहीं रखी और क्या करा है कि मण्डल की जो घाटा पूर्ति है वह किसान से किस तरह से की गयी है वह आपको भी पता होगा। आप तो मुख्य मंत्री हैं, शायद अध्यक्ष महोदय ने पूरा नहीं बताया, पिछले सदन में घोषणा के बाद कनेक्शन जो दिये हैं वह किस तरह से दिये हैं, जो नर्सरी में कर दिया वह तो कर ही दिया, जो लूट हुई सो तो हुई और वन पोल, टू पोल में नर्सरी बदल दी वह हुई सो हुई—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके कहने से।

श्रीमती कमला : मेरे कहने से हां-हां मैं कह रही हूं ना, मैं क्या मना करती हूं। मैं भैरोंसिंह शेखावत नहीं हूं जो बोल जाऊं कुछ और करके ले जाऊं कुछ। मैं बता रही हूं, मैंने कहा। और मैंने क्या कहा वह भी बताऊंगी। इन्होंने ने भी कहा, मैंने भी कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कहा, मैं नर्सरी बन्द करता हूं। कहा था? आपने कहा, बन्द मत करो। मैंने कहा, वन पोल, टू पोल स्कीम बन्द मत करो।

श्रीमती कमला : किसलिये? यह जो आपको इन्टरप्रिटेशन का महारथ है ना, मैंने इसीलिए पहले वह लाइन बोल दी है। मैं वह नेता नहीं हूं जो बात को कितनी ही तरह से मोड़ तोड़ करके कह दे जिसका अर्थ निकले भी और नहीं भी निकले। यह पहले ही कह दिया मैंने। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपसे हमने यह कहा था कि जो लोगों की सिक्योरिटी चाहे नर्सरी में जमा है, चाहे वन पोल टू पोल में जमा है और चाहे आर्डिनरी कैटेगरी में जमा है उनको सबको आपको कनेक्शन देना पड़ेगा और आप जो बन्द करना चाहते हैं वह बन्द मत करिये। जिसका हक आर्डिनरी में बनता है उसको आर्डिनरी में दें, वन पोल, टू पोल में जिसका हक बनता है उसको दें और उन एप्लीकेशन्स को प्रायोरिटी पर रखते हुए जो लोग नर्सरी में शिफ्ट आन करना चाहते हैं वह करें इसलिए आप बन्द मत करिये, यह हमने कहा आपको और आपने उसका अर्थ लगा करके पत्रिका में निकाल दिया कि, कमला जी ने यह कह दिया और रामनारायण जी ने यह कह दिया, यह कांग्रेस वाले सब तुम्हारे खिलाफ हैं। आपने आर्डिनरी कोटे में एक भी कनेक्शन दिया? एक भी नहीं दिया अभी तक।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 7 हजार दिये हैं।

श्रीमती कमला : काहे के 5 हजार दिये हैं। (व्यवधान) अब तो दीजिये। जितना आर्डिनरी कोटा पड़ा है उसको पूरा कर दीजिये। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपको और बताना चाहती हूं कि आपकी घोषणा के बाद में मण्डल वालों ने जिस तरह की ज्यादतियां की हैं वह सुनने लायक हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सामान्य कोटे में, यह पीछे जो गवर्नमेंट चीफ व्हिप हैं लबाक से बोल रहे हैं 5 हजार, 5 हजार हैं? उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। (व्यवधान) थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है इसलिए मैं कह रहा हूं। आप इनको यह कहिये कि यह अलटप्पे नहीं बोलें। यह 5 हजार, 5 हजार कर रहे हैं यह क्या है? मुख्य सचेतक को तो सब जानकारी होनी चाहिये। यह यूं ही बैठे बैठे जो हैं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : 7 हजार।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जैसे यह अलटप्पे बोलीं कि एक भी कनेक्शन नहीं हुआ तो जवाब चीफ व्हिप को देना था, दे दिया।

श्रीमती कमला : मैंने कब कहा कि एक भी कनेक्शन नहीं हुआ? मैंने कहा, आपने यह कहा था कि हरेक को कनेक्शन देंगे। यह तो कहा ही नहीं कि दिये कि नहीं दिये। मैं तो ब्यौरा दे रही हूं अभी तो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी के भाषण के और घोषणा के बावजूद भी जो बाद में कनेक्शन दिये गये हैं उनके अतिरिक्त धनराशि इकट्ठी की गयी है। किसी से पोल एक्स्ट्रा के नाम पर किसी से कुछ नाम पर और हालत यह है कि जो साढ़े सात हार्स पावर की मोटर लग रही हैं उनको अपने मनमाने ढंग से इंजीनियर्स ने कह दिया कि यह तो 10 हार्स पावर की हैं, पिछली तारीखों से इतना रूपया और जमा कराओ। जो 10 हार्स पावर की थी उनको अपनी मनमर्जी से 15 हार्स पावर करके उनसे मनमाने ढंग से लाखों रुपया ऐंठा है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह कि शहर में क्या और देहात में क्या, खेत पर क्या और घर में क्या, पिछले वर्षों से लगातार जो लोग बिल चुकाते चले आ रहे हैं उनको भी यह कह दिया कि पिछले सालों का वोल्टेज रेगुलेशन का इतना पैसा अधिक बनता है इसलिये तुम सिक्योरिटी और जमा कराओ। किसी से 15 हजार, किसी से 23 हजार, किसी से 25 हजार। यह क्या तमाशा है? यह सरकार है? जिन लोगों को आप इतने बड़े-बड़े आश्वासन दे करके और इतने ऊंचे-ऊंचे सपने दिखा कर के और अपने दिल का टुकड़ा बता करके वोट लेकर आये, इस राज में बैठने के बाद में आपने उनको इस तरह से कुचला है कि आज वह सांस लेने की स्थिति में नहीं हैं? और ऊपर से पिछले वर्ष अतिवृष्टि ने किसान को तबाह कर दिया। पिछली जो अतिवृष्टि हुई उसमें ज्यादातर हमारे उधर के सारे गांव अकाल में आ गये और बाद में अभी जो रबी की फसल बोयी गयी, शीत लहर चली तो क्या तो सरसों की फलियों में क्या गेहूं और जो की बालियों में बीज पर मार कर दिया। उसमें बीज ही नहीं पड़ा। भगवान को न जाने क्या इस सरकार के मंसूबे और पूरे करने थे, यहां पर जो ओलावृष्टि हुई है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जौ का हो गया। जौ सूखने पर आ गया, तैयार हो गया था, सारा जौ खत्म। गेहूं जो हरा खड़ा था उसकी सारी टहनियां तोड़ तोड़कर लटका दी है या एक-एक बालिश्त ऊपर से उनको कतर कर डाल दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने इलाके में एक जगह गयी हूं, इतने बड़े-बड़े ओले तो पड़े ही हैं लेकिन इतनी बड़ी-बड़ी खापें भी

(श्रीमती कमला)

खाय में बरसती है और खेत में यों है ऊपर से नीचे सारे पौधे छिन्न करके जैसे किसी ने रोलर चलाया हो। इस तरह से खेतों की हालत हो रही है। पिछली फसल अतिवृष्टि से खत्म हुई थी और आज दूसरी फसल ओलावृष्टि से खत्म हो गयी है लेकिन इस सरकार ने क्या-मजाल कि जो कहीं एक अकाल राहत का कार्य खोला हो। यानि यह सरकार है? यह आम आदमी, गरीब आदमी, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के आंसू पोंछने लायक है? उनकी हमदर्द है? उनके लिये बैठी है यहां पर? क्या कर रही है? सोचिये, जवाब दीजिये। एक साल पहले जब इसी फसल के अन्दर ओले पड़े थे तो मुख्य मंत्रीजी को श्री घनश्यामजी तिवाड़ी अपने इलाके में नुकसान दिखाने ले गये थे मेरा इलाका साथ लगता था इसलिये मैं भी गयी थी, उनको चौली से लेकर सैपटपुरा, चौसिंगपुरा, नयावास, खोरा, ठारसां, गोणाकासल, कोई दसियों गांवों के अन्दर दस-बीस खेत दिखाये उस वक्त उन्होंने दुख प्रकट किया और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को बताते हुए दरअसल बहुत तकलीफ है कि एक सरकार-सरकार कहलाने लायक कैसे है? जिसने किसी को दस रुपया दिया, किसी को बीस दिया, किसी को पचास दिया, ज्यादा से ज्यादा किसी को आठ सौ, नौ सौ दिया और उसमें से भी न जाने क्या खर्चा निकाल लिया। यानि आप कल्पना करिये कि यह सरकार है और वह भी प्रजातंत्र की, गरीब आदमी की और आम आदमी की हितकारी सरकार है। आप बताइये, अभी तक भी अकाल राहत के कोई काम नहीं खोले। ओलावृष्टि तो गयी सो गयी। हमारे लोगों से मैंने कह दिया कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की तस्वीर मंढा करके घरों में रख लो कि यह ओलावृष्टि का हमें मुआवजा दे गये थे, अब फिर देंगे। अब जो ओलावृष्टि हुई है उसने तो पचासों गांवों को यों समेटा है जैसे तूफान आया हो। मैं जब सारे खत्म हुए खेतों के पौधे, कोई सरसों, कोई जौ, कोई गेहूं का लेकर गयी तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हंसी में कह दिया, कमला जी, आप तो जहां जाओगे वहां ऐसे ही होगा, आप ऐसा करो आप झुंझुनूं चले जाओ। मुझे उस वक्त तो बात समझ में नहीं आयी। बाद में मुझे समझ आया कि झुंझुनूं क्यों कहा? हालांकि उस वक्त तो मैंने जवाब दे दिया, बताऊंगी अभी। तो मैंने सोचा कि यह इतनी बार झुंझुनूं गये पर झुंझुनूं इनके काबू नहीं आया। अब इसको यह गयी हुई जगह मान रहे हैं इसलिये मुझे यह कह रहे हैं कि आप झुंझुनूं चले जाओ, इसको तो मैं काबू कर लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उनसे कहा कि मेरा इलाका तो एक मेरा है लेकिन ठेठ भीलवाड़ा से लेकर अलवर इन्क्लूडिंग घनश्याम तिवाड़ी का इलाका, आमेर का इलाका और इससे आगे का इलाका, यह तो भैरोंसिंह जी शेखावत का है। मैं तो राजस्थान छोड़ जाऊंगी पर आप भी राजस्थान छोड़ जाओ। तो यह ठीक है, मौके पर कोई मजाक हो गया, हो गया लेकिन कुछ कार्यवाही तो करनी चाहिये। आज उनके मुआवजे का कहीं कोई हिसाब किताब बैठना चाहिये। उनके ऋण माफ होने चाहिये। आगे आने वाले समय में कैसे वह जीयेंगे? तो जिन लोगों की फसलें लगातार खत्म हो गयीं और कुछ भी नहीं बचा, उन लोगों के लिये आज तक कोई काम शुरू नहीं, उनके लिये मुआवजा नहीं, उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं। किसको जाकर रोयेंगे? सरकार तो सरकार होती है उसी के पास तो जायेंगे। यह काहे की सरकार है? और फिर कहते हैं हम सरकार हैं। दो आदमी गिना दिये तारा जी ने कि हमने उनको देखो वह बना दिया, यह बना दिया। अपनी काबलियत से बनने थे, वह बन गये। आपका कितना दर्द है

(श्रीमती कमला)

उनके लिये और किसान के लिये ? तो कथनी और करनी का जो फर्क है वह जन आस्था बनाता और बिगाड़ता है और वह आपके शासन में चल रही है।

आप कब से कह रहे हैं हम कृषि नीति बनायेंगे, कब से कह रहे हैं हम फसल योजना बनायेंगे। अभी तक कृषि मंत्रीजी का नम्बर ही नहीं आया कि कृषि नीति को रखें। अब कृषि नीति में आप क्या करेंगे वह तो आप जानें लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। बिजली का तो मैंने आपको बता दिया, आप सौर ऊर्जा में डोमेस्टिक एक्सपोर्ट भी करेंगे, फोरेन एक्सपोर्ट भी करेंगे, रमाकान्त जी के मुताबिक, तो वह तो आप करिये, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है आगामी बीस वर्ष के लिये। योजनाएं तो लम्बी होनी चाहिये लेकिन पेट वाले की खातिर गोदी वाले को तो फेंक दो, जलने दो, मरने दो, उसका कोई इंतजाम नहीं और आप बीस वर्ष आगे की बात कर रहे हो जब आप होंगे, नहीं होंगे। कौन होगा, क्या होगा, प्रजातंत्र जरूर होगा। यह बात मान ली, जो आप योजनाएं और ला रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, एग्रीमेन्ट्स कर रहे हैं वह तो ठीक बात है लेकिन साथ में यह भी तो करिये, एक तरफ आप उदारीकरण की आलोचना कर रहे हैं दूसरी तरफ स्वदेशीकरण का झंडा उठाये हैं, स्वदेशी और लिबरलाइजेशन के बीच में आप कहां खड़े हो ? मुंह में तो आपके स्वदेशी है और करने को एनरान है। तो एक सत्य के ऊपर, तथ्यात्मक चीज के ऊपर, ठोस धरातल पर खड़े होकर बात करो। विश्वास करने योग्य व्यवस्था और दल के लिये आप काम करो जिससे लोग सोचें कि यह जो कहते हैं वही हैं। अब इनमें से आधे तो स्वदेशी बोल रहे हैं। कुछ नहीं, यह साबुन भी बायकाट, यह फलां भी बायकाट, यह भी बायकाट और इनके सारे मुख्य मंत्रीजी भाग-भाग कर विदेश जा रहे हैं। कभी कोई देश में जा रहे हैं, कभी कोई देश में जा रहे हैं। फिर उनको यहां ला रहे हैं। फिर एग्रीमेंट कर रहे हैं तो फिर वह स्वदेशी कहां चली गयी ? अगर भारत सरकार कहीं से देश में न्यू टेक्नोलाजी, एडवांस टेक्नोलॉजी ला रही है या फोरेन इन्वेस्टमेंट करके देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर और लेटेस्ट डवलपमेंट के काम कर रही है तो वह तो मल्टी नेशनल हो गया, देश को बेचना हो गया, प्रभुसत्ता का हनन हो गया और आप जब करते हैं तो वह बिल्कुल स्वदेशी हो जाता है एनरान भी खादी का कुर्ता पहन कर तो यह जो आपका बोलना और करना—

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पैंठ तो मत उड़ाओ वहां जाकर के और भिखमंगों की तरह उनसे भीख मांगे जाकर कि यह दो, यह दो। कौनसी संसार की चीज है जो भारत में पैदा नहीं होती ? कौनसी चीज भारत में उपलब्ध नहीं है ?

श्रीमती कमला : जो बात कहते हो वह अमल में भी लाओ। आप फिर उनको उपयोग में क्यों लेते हो ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केन्द्र सरकार को समझाओ जिसने अब गवर्नमेंट सैक्टर में बिजली उत्पादित करने का काम बन्द कर दिया है और प्राइवेट सैक्टर को दे दिया और प्राइवेट सैक्टर के लिये सरकार सारे संसार में घूम रही है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मान लीजिये कि मेरे बच्चे, बेटे, पोते सब मांगने जावें तो मैं जाकर इकट्ठा करके कह दूंगा कि यूं पैंठ मत उड़ाओ, हमको देना हो राज्य का, हमसे कर लो, हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हम तो गाडगिल की तरह कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : विश्नोई जी यह बात कह रहे हैं कि यह चौफ मिनिस्टर सब दौड़े दौड़े जा रहे हैं, इनके कहने से एक ही मल्टीनेशनल या एक ही इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं आ रहा है तो इस देश की और राज्य की पैंठ खराब क्यों कर रहे हो? भारत सरकार ने अगर यह निर्णय लिया है कि प्राइवेट सैक्टर में बिजली का उत्पादन करेंगे तो लोग दौड़े हुए यहां आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने आप। वहां प्रोपेगेण्डा करो, वहां पर जाकर कन्वेंसिंग करो और कन्वेंसिंग के लिए कभी लालू जी जाएं, कभी आप जाओ, कभी ज्योति बसु जावें, वहां सुने आपकी कोई नहीं और खाली हाथ वापस आओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारी सुनें या नहीं सुनें लेकिन विश्नोई जी तो इसी का ही विरोध कर रहे थे कि बाहर जाते ही क्यों हो?

श्री परसराम मदेरणा : जाकर कुछ लाओ तो सही। वहां जाओ और हाथ जोड़ो, कोई आपके साथ आवे नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मांगने की आवश्यकता तो—

श्री अमराराम (धोद) : भर गये हवाला से—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके ज्योति बसु जी जाकर आये हैं इनका टेंशन मत बनिये आप।

श्री अमराराम (धोद) : ज्योति बसु तो जाकर आये हैं मगर हाथ तो दोनों तरफ से आपने और आपने हवाला से भर रखे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, सारी समस्या तो पैसा है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसमें किसी को हाथ नहीं आया तो यह समझ लो दिल्ली में उस आदमी की कोई कीमत नहीं। जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था और वही नाप तौल से हुआ है, किसी को दो लाख मिला है तो समझ लो कि बिलकुल लोमड़ी का मुंह था, जो लोमड़ी के में दस ग्राम चाहिये। शेर का मुंह है तो 15 किलो उठाता है।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि एक जिम्मेदार दल को, एक जिम्मेदार सरकार को बोलने में और काम करने में बहुत जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। यह कहते कुछ हैं और कर कुछ रहे हैं। इसलिए इनकी साख खत्म हो रही है और खत्म हुई पड़ी है। लेकिन फिर भी हमारी गलतियों का लाभ उठा कर यह उसको जमाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि उदारीकरण का लाभ सारे देश को मिल रहा है और मिलेगा और हमारा यह राज्य भी उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें इसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। लेकिन आप दोनों बातें एक साथ एक मुंह से नहीं बोलें जिससे कि बार-बार इसको एक कदम आगे, एक कदम पीछे चलाने की नौबत न आये।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि आप अपने आपको बहुत साफ, बहुत स्पष्ट, बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर के ऊपर जताते रहे और पिछली पार्लियामेंट हुई, अभी जो खत्म हुई वह नहीं, पिछली पार्लियामेंट को इसलिए नहीं चलने दिया कि भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार और आपने सोचा था कि पार्लियामेंट में मुद्दा ही इसको बना लें और इसी मुद्दे पर जैसे बोफोर्स के ऊपर हम जीत कर आ गये वही काली छाया बिखेर करके उसमें भी आ जाएंगे लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सारे के सारे उच्चस्थ नेता वहां बिराजमान हैं और हमारे जो प्रधान मंत्री हैं उनसे कह रहे हैं कि आप भी इस्तीफा दो। क्यों?

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अब आप तो सी.बी.आई. से इन्क्वायरी की मांग करते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप जल्दी समाप्त कीजिये।

श्रीमती कमला : प्रधान मंत्री ने साफ कहा है कि मेरे केबिनेट के कितने ही मंत्री हों, कितने ही वरिष्ठ हों, कोई भी हो, मैं प्रजातंत्र के इस सारे वातावरण को सही कर रहा हूं, सी.बी.आई. का इसमें कहीं हस्तक्षेप नहीं करूंगा और law should take its own course. लेकिन आपके लोग बार-बार यह कह रहे हैं कि—

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) : सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया ?

श्रीमती कमला : आप अखबार पढ़ते हो कि नहीं ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मैं बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी से डायरेक्शन ली इसका मतलब सीधा प्रधान मंत्री के ऊपर आक्षेप है।

श्रीमती कमला : जी नहीं।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : एक बात कही है कि आपने 13 दिन तक पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई बेईमानी नहीं हुई है, पालिसी के अन्दर टेली कम्युनिकेशन के ठेके दिये गये हैं।

श्रीमती कमला : जो सही किया है उसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। आप जो कह रहे हो उसका भी जवाब खुद प्रधान मंत्री ने दिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से सरकार को गाइड करने का या जो आम समाज के लिए काम कर रहा है उससे हम सहमत हैं, इससे सहमति जाहिर की है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप राव साहब की माया को नहीं समझ सकते। वह माया और वह बात ही कुछ और है आपकी समझ में नहीं आयेगी।

श्री परसराम मदेरणा : आप यह कैसे कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्शन प्रधान मंत्री के लिए दिया है। होम सैक्रेटरी के लिए हो सकता है, कैबिनेट सैक्रेटरी के लिए हो सकता है, स्टेट सी.बी.आई. का मिनिस्टर है उनके लिए हो सकता है। कहीं प्रधान मंत्री का नाम लिया है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सुप्रीम कोर्ट ने सी.बी.आई. को यह कहा है कि आप जिनसे डायरेक्शन लेते हैं उनके डायरेक्शन मान लीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : प्रधान मंत्री जी ने आज सुबह पार्लियामेंट में वक्तव्य दिया है उसको पढ़ लेना अखबारों में आज रात को टी.वी. पर, रेडियो पर सुन लेना। वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी है। जो कुछ हो रहा है वह तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से हो रहा है इसमें कहां प्रधान मंत्री हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई सवाल ही नहीं है यह तो हम भी मानते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। आपने 13-15 दिन तक पार्लियामेण्ट को जाम रखा उसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अगर प्रधानमंत्री की नॉलेज में था और 1991 में घटना हुई और अब तक आप लोग दबाते रहे—

श्री उपाध्यक्ष : कमला जी, आप समाप्त कीजिये।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में कहीं कोई एम्बीग्युटी नहीं है। सम्बन्धित मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से कहा है कि हम कहीं उसमें इन्टर फियरेंस का मन नहीं रखते और न किया है। जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वह बिल्कुल सही कर रहा है। हम उनके इस फैसले को मानते हैं।

इसलिए समाप्त करते हुए मैं एक बात और कहना चाहती हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी, खेती और किसान एक तरफ जहां बिजली से जिन्दा रहते हैं, उसके साथ सारा ग्रामीण समाज जिन्दा रहता है और उसके साथ सिंचाई, बांध और एनीकट भी जुड़े हुए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि 1993 से लेकर आज तक जितनी बार विधान सभा सत्र हुए हैं मैंने लिख कर भी आपको भेजा है, सम्बन्धित मंत्री को भी भेजा और बार-बार सदन में भी कहा है कि वर्षों पहले जो एनीकट बने थे उनकी मरम्मत नहीं होने से वे सारे के सारे खस्ताहाल हो चुके हैं। इसलिए उनकी मरम्मत करायी जाये और जो शेष काम बचे हैं उनको पूरा किया जाय।

एनीकट बनाने के नाम पर कई बार जब मैं बोलती हूं खास तौर से, तो हमारी शहर के कुछ विधायक साहिबान यह सोचते हैं कि मैं शायद जमवारामगढ़ बन्धे का कैचमेन्ट रोक रही हूं। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि जितने मेरे बांध हैं। उनके लिए अभी अकाल राहत के लिए मैंने प्रस्ताव दिया है क्योंकि न तो सिंचाई विभाग ने उनको लिया है, न डी.आरडी.ए. में लिया गया है, न किसी और व्यवस्था में आये और अभी तक यों के यों पड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा तो टूट गये हैं। उनसे रेत और पानी बहकर खेती को बरबाद कर रहा है। उनसे जो खेती होती थी या उनसे सिंचाई होकर कुओं का जलस्तर ऊंचा उठ रहा था वह सारा का सारा बरबाद हो गया है। अकेले मेरे ही इलाके में कम से कम इस तरह के पन्द्रह-बीस हैं और बाकी तमाम राजस्थान भर में कितने ही होंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर समचुच आप गहराई से या आपके मंत्री इतनी गहराई से देखें कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सरसब्ज किया जा सकता है, खुशहाल किया जा सकता है तो उसमें यह एक बहुत बड़ी चीज होगी। लेकिन आज तक एक पैसा भी इनके ऊपर नहीं लगा है। वे आगे से आगे और बरबाद होते चले जायेंगे। इस सम्बन्ध में मेरा आपसे यह निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको कोई हिसाब-किताब नहीं है। आज

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अतिवृष्टि से सारी फसल खत्म हो गयी है, ओलावृष्टि से सारी खत्म हो गयी है और लोगों को कोई सहारा नहीं है। ऐसे समय में गांवों में न कोई सहकारी दुकान है और अगर है तो जो लाते हैं उसको बेच कर खा जाते हैं। इसका कुछ अंदाज नहीं, कोई मानीटरिंग नहीं है, कोई देखभाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहां आपके दिल में जगह है, उनके लिए क्या भला कर रहे हो, उनके लिए क्या सोच रहे हो ? एक तरफ तो आपने कर्जा माफ कर दिया तो उसको आप बड़ी भारी उपलब्धि बता रहे हैं। तो करने को बहुत कुछ काम है परन्तु उसके लिए योजना में कहीं पैसा नहीं है।

इसी तरह से इन इलाकों के अन्दर डी.आरडी.ए. ने जो सड़कें बनायी थीं, पिछली दफा मैंने आपसे कहा था, ललित किशोर जी बिराजमान थे, डी. आर. डी. ए. ने जितनी सड़कें

(श्रीमती कमला)

बनायी हैं, किसी के ऊपर भी डामर नहीं किया जा रहा है बल्कि कोई तो एक किलोमीटर या 800 मीटर बाकी रह गयी है। आपने जो सड़क नीति बनायी उसमें यह था कि डामर भी वहीं से दिया जायेगा। यानी जो पंचायत मुख्यालय हैं, 1971 में जिनकी आबादी एक हजार है, अभी 96 चल रहा है परन्तु 96 की आबादी आप नहीं गिनना चाहते हैं, 1971 के अन्दर जिसकी एक हजार आबादी होगी सिर्फ वहीं पर सड़क बनायेंगे और बनायेंगे ही नहीं बल्कि हम वहां पर डामर भी करेंगे।

श्री शांतिलाल खोईवाल : 1991 को आप क्यों काउन्ट कर रहे हो ?

श्रीमती कमला : आपके कहने से कैसे मान लूं ? आप इसमें बहस मत करिये मैंने रात को ही बात करी है चीफ इंजीनियर से। इसलिए आप इसकी चिन्ता मत करो।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मेरा कहना है कि यह सड़क नीति के अंतर्गत आपने 1971 या 1981 की जनसंख्या के हिसाब से__(व्यवधान)__ मुझे रात को बताया है, चिट्ठी मेरे पास पड़ी है, सड़क नीति के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए यह जो पाबंदियां लगी हुई हैं इनको हटाइये और जो सड़कें बन चुकी हैं, जिनमें पैसा बरबाद हो रहा है उनको डामर कराने के लिए विशेष फण्ड कायम करिये जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की सुचारू रूप से व्यवस्था हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे भयानक, कष्टदायक हैं दैवी आपदाएं। कभी अतिवृष्टि, कभी अग्नि काण्ड, कभी ओलावृष्टि, कभी बिजली से पशु और आदमियों का मरना। मैंने पिछले दिनों में भी आपसे कई बार कहा, चिट्ठी भी लिख कर भेजी है। चूंकि इन आपदाओं के लिए कलेक्टर के पास कुछ भी नहीं है, मामूली-सा है, जो आये हुए को एक गिलास पानी पिला दे इतना, बाकी कोई भी व्यवस्था नहीं है।

गर्मियों में इतने अग्निकाण्ड होते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि पिछले दो वर्ष में मैंने कम से कम 10 घटनाओं के ब्यौरे तैयार करके फार्वर्डिंग लैटर के साथ, तहसीलदार की रिपोर्ट की फोटो कॉपी लगा करके आपके पास भेजे हैं लेकिन एक जगह भी कोई पैसा, मुझे चीफ मिनिस्टर फण्ड से नहीं मिला जबकि पूर्व के मुख्य मंत्री तत्परता से दे देते थे और राहत पहुंचाते थे। इसलिए मेहरबानी करके दैवी आपदा एक्ट या कोई भी है, उसमें संशोधन करिये और उसके माध्यम से कलेक्टर के डिसपोजल पर सब्स्टेंशियल फण्ड्स रखिये जिससे कि आम लोगों को राहत मिल सके और आये दिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की जो दर्दनाक घटनाएं होती हैं उनसे कुछ न कुछ राहत प्राप्त की जा सके।

एक और निवेदन करना चाहती हूं। वृद्धावस्था, अपंग और विधवा पेंशन हमने भी कर रखी थी, आपने भी उसको चालू रख रखा है। लेकिन आपसे मैंने पहले निवेदन किया, अब भी करना चाहती हूं कि एस.डी.ओज. और तहसीलदार घर बैठे यह चाहते हैं कि वे लोग आयें और उनके पास आकर के खानापूर्ति करें और तब जाकर के हम लोग उनको देवें। आप कल्पना करिये कि वृद्ध आदमी और स्त्री अपने पेंशन के कागज तैयार कराने के लिए उनके पास जा सकती हैं क्या ? क्षमता है क्या ?, इसी तरह से अपंग है, वह जा सकता है क्या ? इसी तरह से विधवा महिलाएं है वह जा सकती हैं क्या ? इनको कहिये कि वे कैम्प लगायें, गिरदावर स्तर पर जाकर के, फोटोग्राफर को भी

(श्रीमती कमला)

साथ ले जाएं। तहसीलदार और एसडी.ओ. नहीं जा सकें तो गिरदावर को वहां भेजें और जो भी खानापूर्ति करनी है, वहां कैम्प में बैठकर के उनको देवें। आज आपने इसके नाम के लिए एक योजना बना रखी है, बाकी कितनों को इससे राहत मिल रही है, वह नगण्य है। यह तो न हुए के बराबर है। इसलिए मेरा निवेदन है_(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : पेंशन चार लाख लोगों को मिल रही है।

श्रीमती कमला : अब हैं कितने? आप यह देखिये कि कुल कितने हैं, साहब, आप क्या पर्सेन्टेज गिना रहे हैं। यह मैं सुझाव दे रही हूं, गलत है? यदि नहीं करना है तो मत करिये। आपको यह लग रहा है कि यह सब तहसीलदार और एसडी.ओ. के यहां फिरते-फिरते अपने आप फार्म भर लेंगे, अपने आप ले लेंगे तो मत करिये। आपकी नीयत फिर साफ है ही उसमें क्या_(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कैम्प लगा करके पहली बार 25 हजार विकलांगों को राहत पहुंचायी है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : इसमें आप जो कर रहे हो, इसके उदाहरण की जरूरत नहीं है।

श्री मदन दिलावर : राजस्थान पूरे देश में अग्रणी है जहां विकलांग कल्याण के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह तुलना करना बंद करो और यह कहना बंद करो कि आपने क्यों नहीं किया। जो चलती आ रही है सरकारें वो अगर वहीं रहना चाहती हैं तो वहीं खड़े रहें। हम कहां कह रहे हैं कि चलो। लेकिन चलना धर्म है, चलना एक फर्ज है सरकार का, इसलिए आप आगे चलिये। हमको यह कह करके कि हमने कुछ नहीं किया। (व्यवधान) यह सोच ही आपका खोटा है, इसलिए सरकार नहीं हो आप। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप अनुसूचित जाति की महिलाओं की बात कर रही थीं_(व्यवधान) साढ़े पांच लाख लोगों को_(व्यवधान) छात्रवृत्ति दे रहे हैं।

श्रीमती कमला : यह गिनती मत गिनाओ। यह तो राज्यपाल महोदय गिना गये।

श्री मदन दिलावर : (व्यवधान) अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों से बार-बार आवेदन पत्र लेने बंद कर दिये, एक बार आवेदन पत्र लेने के बाद_(व्यवधान)

श्रीमती कमला : गिनती तो राज्यपाल महोदय आपके निर्देश पर बहुत गिना गये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : निरंतर छात्रवृत्ति दी जाती रही और आप अटकाने के लिए उनसे प्रति वर्ष आवेदन पत्र मांगते थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : आप लोगों को देना नहीं चाहते थे, आप लोग भ्रष्टाचार करना चाहते थे। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपके गिनती के दिन आ गये इसलिए गिनते रहो।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : आप गवर्नमेंट की तरफ से उत्तर दे रहे हैं क्या?

मैं, उप मुख्य मंत्रीजी, यह कह रहा था कि यह जो खड़े हो रहे हैं और बीच में अपनी बात कह रहे हैं गवर्नमेंट को उत्तर देने का समय

(श्री परसराम मदेरणा)

मिलेगा। अब चाहे ओल्ड एज पेंशन हैं, चाहे वह अपंग है, इस दुनिया के अंदर आपको मालून होना चाहिए, संसार भर में सबसे ज्यादा अपंग हिन्दुस्तान में हैं। यह आपको पता है क्या? (व्यवधान) आप 25 हजार की बात कह रहे हैं_(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : उनमें सबसे ज्यादा राजस्थान में हैं।

श्री परसराम मदेरणा : पंचायती राज को पंगु बना दिया_(व्यवधान) और मैं दूसरी बात यह कह रहा था कि_(व्यवधान) आप ठहरिये। मैंने दूसरा प्रश्न यह पूछा था कि आप क्यों बीच-बीच में इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। 25 हजार के बाद एक भी अपंग राजस्थान में बिना सहायता के या बिना पेंशन के बचा नहीं है, यह आप कह सकते हैं?, आप घोषणा कर सकते हैं?

श्री मदन दिलावर : हमने ऐसा संकल्प किया था, प्रयास कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : + + + बात कर रहे हो। मैं यह कह रहा था कि अभी तो बहुत अपंग बैठे हैं, बहुत बूढ़े हैं, बहुत लोग यहां बाकी हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हमने अजमेर, जोधपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, भरतपुर में दस-दस, बारह-बारह हजार लोगों को_(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपको जवाब नहीं देना है, जवाब तो देने वाले देंगे। आप तो बिराज जाओ। (व्यवधान) आपको मैं शाबासी देती हूं कि आपने बहुत अच्छा किया। आपको तो बधाई है कि आपने इतना संकल्प करके काम किया_(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जो महिलाएं युवावस्था पार कर रहीं थीं_(व्यवधान) उनकी शादी करके उनका पुनर्वास किया है। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : कमला जी, लीडर ऑफ अपोजीशन तो चले गये।

श्रीमती कमला : मैंने जो सुझाव दिया है, इस सरकार को पसंद नहीं आएगा क्योंकि आपकी यह सोच ही नहीं है कि कमजोर, अपाहिज और असमर्थ आदमी को आप खुद पहुंच करके सहायता करें। आप तो बहाना बनाना चाहते हैं कि हमने तो कैम्प कर रखा है, कोई आये ही नहीं, हम क्या करें। आपने एक जगह कर लिया तो क्या उससे धन-धन हो गया, हो गया नौ मन राई का पहाड़।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहती हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय से इस सरकार ने रोजगार के लिए कुछ नहीं लिखवाया न कहलवाया है, न बताया है कि इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, क्या योजनाएं बनायी और क्या हुआ। आज ग्रामीण क्षेत्रों के, शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार नवयुवकों की कतारें बढ़ती चली जा रही हैं और कोई व्यवस्था नहीं है कि उन्हें रोजगार मिलने का उपाय किया जाय? सबसे बड़े दुःख और सोच की बात यह है कि प्रधान मंत्री स्वरोजगार योजना और दूसरी केन्द्र प्रवर्तित स्वरोजगार योजना और इनकी खुद की स्वरोजगार योजना में कितने लोगों ने ऋण लेकर अपने आपको एस्टेब्लिश किया, वह पैसा कहां गया, किसको रोजगार मिल रहा है। मैं फिर मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि आप पंचायत समितियों और एस.डी.ओज. को निर्देश दीजिये कि वह रोजगार मेले लगायें। उनमें जो एजेंसीज हैं_

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बातें न करें।

श्रीमती कमला : चाहे उद्योग विभाग हो, चाहे वित्त निगम हो, चाहे खादी ग्रामोद्योग हो, चाहे प्रधान मंत्री की योजना हो, उन योजनाओं के बारे में, रोजगार मेलों में वह एजेंसीज जाकर के बतायें उन लोगों को जो रोजगार चाहते हैं। उनके फार्म भरायें और उनको लोन, अनुदान दिलाने के लिए व्यवस्था करें। जब तक खुद सरकार इस काम को, इस दायित्व को निभाने का काम नहीं करेगी तब तक रोजगार के लिए, आइये साहब, हमको बताइये कहां जगह खाली है, हम आपकी मदद कर दें, खाली जगहों पर तो पहले से बैन लगा रखा है—

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : समाप्त करें या बोलती रहें, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार सो रही है।

श्रीमती कमला : अब जितना अभिभाषण उन्होंने दिया है उसका जवाब तो देना है ना। तो मेरा निवेदन है कि रोजगार दिलाने के लिए सिर्फ योजनाओं के आंकड़े इकट्ठे करके और इनका बोरा भर करके धरती पर पटक देने से कोई उपलब्धि नहीं होगी। आपकी सरकार यह समझती है कि हमने इतने आंकड़े जुटा दिये, इतना पैसा बता दिया, इतनी धनराशि बता दी, इतना पर्सेन्टेज यह ज्यादा हो गया। इतना पर्सेण्टेज यह ज्यादा हो गया, तो धरती पर क्या उगा, वह तो देखिये, जाकर के कितने लोगों को रोजगार मिला है। इसलिए उसकी विधिवत ठोस योजना बनाकर और साल दर साल जब तक इसको साथ लेंगे नहीं, इसका निराकरण नहीं हो सकता और तो और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्राइसम ट्रेड आई.टी.आई. ट्रेंड कर करके वहां से निकाल देते हैं, वे बच्चे सड़कों पर घूमते फिरते हैं और सरकार के दरवाजे खटखटाते रहते हैं। बहुत पहले यह तय किया गया था। जब मेरे पास एस.एस.ओ. का विभाग था कि जो ट्रेनी निकलेगा वहां से ट्रेनिंग लेकर, उसके निकलने से एक महीने पहले वहां के लीड़ बैंक को वहां के कलेक्टर, एस.डी.ओज. को, वहां के उद्योग प्रसार अधिकारी को और वहां के जो वित्त निगम वाले हैं उनको बैठाकर यह तय किया जायेगा कि जिस आदमी ने इस ट्रेड में ट्रेनिंग ली है वह इस ट्रेड को करने के लिए कहां बैठना चाहता है, जयपुर में बैठेगा, चौमूं में बैठेगा, सामोद में बैठेगा, शाहपुरा में बैठेगा या चाकसू में बैठेगा-कहीं भी बैठेगा। तो उसको कितना पैसा चाहिए अपना रा-मैटीरियल लाने के लिए, कहां उसको जमीन या दुकान मिलेगी और कहां उसको टैक्नीकल नो हाऊ मिलेगा और कहां वह इन्टर्नशिप करने के लिए भेजा जायेगा। यह सारी बातें तय करके फिर उसको वहां से बिदा करना चाहिये विद टूल्स किट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। यह मेरे खुद के हाथों से तैयार करके व्यवस्थाएं कायम की हुई हैं। यह जब तक आप नहीं करोगे, यह जो ट्रेण्ड हैं इनको भी कहीं रोजगार मिलने वाला नहीं है लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग भूत भरेड़े होकर आधा पहने, बिना पहने घूमते रहें? क्या है? शहरों में चकाचौंध होनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायती राज की तरफ आपका ध्यान दिलाऊं। माननीय तारा भण्डारी जी ने क्या जबरदस्त पैरवी की है जानते बूझते। जिस तरह का सत्यानाश इस सरकार ने पंचायती राज का किया है वह माफ किये जाने योग्य नहीं है। एक सरकार जो प्रजातंत्र की दुहाई देकर और यह कहकर सरकार के नाम से बैठी है कि हम आम आदमी को बड़ी भारी ताकत देने जा रहे हैं, उसे

(श्रीमती कमला)

अधिकार देने जा रहे हैं, उसे नेतृत्व के लिए खड़ा करने जा रहे हैं और समाज के स्त्री, पिछड़ा वर्ग, शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स सबको हम इतना ताकतवर बताना चाहते हैं उस सरकार ने इस तरह की हरकतें कीं, आपको सबको मालूम है। मैं इसको लम्बा इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि पिछले सत्र में काफी इसका गुणगान हुआ था लेकिन जिस तरह से इन्होंने लाटरी से रिजर्वेशन किया है ऐसा अनूठा उदाहरण प्रजातंत्र में देखने को नहीं मिलेगा और किया किसलिये। जो-जो लाटरी निकाली, कलेक्टर को कोई पूछने वाला है कि कलेक्टर साहब इसमें आठ नम्बर वार्ड है या सात नम्बर वार्ड है, मुझे दिखाओ। उन्होंने दिखा दिया कि यह वार्ड रिजर्व होने हैं। दिखा देते, आप कुछ भी लिख देना इनको, कर दिया।

(16.24)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

नतीजा यह हुआ कि जहां पर शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स या अन्य पिछड़ा वर्ग के बहुतायत में मतदाता थे उनके बजाय जहां दो-चार घर थे वह रिजर्व हो गये लाटरी के कारण से

श्री पूनम चन्द विश्नोई : हैं ही नहीं।

श्रीमती कमला : हैं ही नहीं तो खाली रह गये।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : मेरी कांस्टीट्यूएंसी में चारणासी एक पंचायत है जिसके अन्दर बैकवर्ड क्लास का किया है, पूरे के पूरे मुसलमान हैं इसलिए उधर भी कोई नहीं मिल रहा है सरपंच को।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदया, इसका नतीजा यह निकला है कि जहां पर—(व्यवधान) मैं बोल रही हूं, आप क्यों बोल रहे हैं, मुझे अभी बहुत कहना है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (आसीन्द) : आप जो भी कहेंगी आपकी सब बातें मान लेंगे, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है।

श्रीमती कमला : किसी सरकार में कहीं पर तो आपके बी.जे.पी. वालों ने लाठे मारे हैं लोगों के तो आप डबल लाठे लेकर के मारो ना नकल ही करनी है तो।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : एम.एल.एज. के पास इन्वीटेशन गयी थी, आप तो जाते हैं नहीं।

श्रीमती कमला : आपने तो जितनी धोखाधड़ी की है इस पंचायती राज के साथ इतनी किसी ने भी नहीं की। वहां पर कमेटी में कुछ बात करके आये हैं, दिल में कुछ ले आये हैं और विधान सभा में कुछ कह रहे हैं। इसलिए आप तो शांति रखो।

मेरा यह निवेदन है, कि हमने यह सुझाव दिया था कि जहां पर जिस वर्ग की सर्वाधिक आबादी है प्राथमिकता से रिजर्व कर दिया जाय और दूसरे नम्बर पर, दूसरे राउण्ड में जो आबादी आती है उसको कर दिया जाय तो उसमें उनके लोग आराम से जीत कर भी आते। तीसरे जो जनरल बनाना चाहते थे वह जनरल भी बनते तो जनरल कार्यकर्ता भी चुनकर आते लेकिन लॉटरी में इतनी बेईमानी हुई—

श्री सभापति : लाटरी में कैसे बेईमानी हुई?

श्रीमती कमला : आप सफाई लगा रही थीं ना कि मेरे तो मुख्य मंत्री जी ने बड़े सुन्दर ढंग से और बड़ा कल्याणकारी चुनाव कराया। यह कल्याणकारी और प्रजातांत्रिक चुनाव कराया?

(श्रीमती कमला)

पहले वार्डों के चुनाव करा दिये फिर वार्ड के लोगों को खरीदने के लिए लम्बी अवधि डाल दी—

श्री नाथूसिंह : पाइंट ऑफ आर्डर, सर। आपने आरोप लगाया इसलिए जरूरी है कि मैं तुरन्त इसका खण्डन करूं। राजस्थान में लॉटरी निकालने में हमारे पास ओ.बी.सी. के आंकड़ें नहीं थे। क्या आप यह चाहते थे कि ओ.बी.सी. को रिज़र्वेशन नहीं देते ?

श्रीमती कमला : आपको तो कुछ न कुछ + + + कहनी है इसलिए पाइन्ट ऑफ आर्डर उठा रहे हैं। यह कोई पाइंट ऑफ आर्डर नहीं है। यह स्पष्टीकरण है। पाइन्ट ऑफ आर्डर कुछ नहीं है।

श्री नाथूसिंह : एक भी शिकायत आप बता दीजिये कि लाटरी में धांधली हुई है। पूरे राजस्थान में एक भी उदाहरण बता दीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : ओ.बी.सी. के आंकड़ें आपके पास नहीं थे? आपके पास पैराफरनेलिया है, तहसीलदार है, एस.डी.ओ. है उनसे मंगवा लेते।

श्री नाथूसिंह : जब तक सैन्सस नहीं हो उसको कानूनी रूप से नहीं माना जा सकता।

श्रीमती कमला : चुनाव से छः महीने पहले हमने आपको भी और आपकी सरकार को भी यह कहा था कि आप तमाम रेवेन्यू सर्कल्स को पाबन्द कर दीजिये कि ओ.बी.सी. की कहां-कहां कितनी आबादी है इसको वह सर्वे करके रिपोर्ट दे दें। लेकिन आप नहीं चाहते। वार्डों के चुनाव और सरपंचों के चुनाव के बीच में आपने लम्बा गैप डाला, खरीद-फरोख्त हुई, अटैचियां अदला-बदली हुई, दबाव डाले, इतना हुआ और फिर चुनाव कराये प्रमुख और प्रधानों के कलक्टरों से। चुनाव आयोग से नहीं कराये। यह आपने क्या चुनाव कराये ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पंचायती राज की यह हालत है कि पहले तो खरीद-फरोख्त हुई और तीन-तीन लाख रुपये खर्च करके जो जिला पंचायत और पंचायत समितियों के मैम्बर बने उनको टके में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्रीमती कमला : अब पूछिये, कहां है पंचायती राज के नियम? कहां है वह आयोजना समिति, कहां है वह फण्ड्स जो पंचायती राज को मिलने वाले हैं, कहां हैं वह अधिकारों की सूची जो उनको दिये जाने वाले हैं? कहां है? पंचायतों में जाकर कोई संभालने वाला नहीं है। ट्रेनिंग दिला रहा है तो एक जना। पटवारी जाकर ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। मजाक बना दिया है सारे पंचायती राज को। पंचायती राज को ऐसा भ्रष्ट किया है कि जिसके ऊपर देश को रोना आता है। इसलिए इस सरकार को सरकार कहना शर्म की बात है।

श्री नाथूसिंह : पंचायती राज को तो नहीं कांग्रेस को जरूर डुबो दिया।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदया, थोड़ा समय और लूंगी। पेयजल के बारे में आपने काफी कुछ माननीय राज्यपाल महोदय के मार्फत कहलाया। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं कि अगला बजट आप पेयजल को समर्पित करने वाले हैं ऐसा मुझे पता लगा है और किसलिये करने वाले हैं कि भारत सरकार राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत देश की तमाम ढाणियों में

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती कमला)

एक-एक ढाणी में चाहे उसमें पांच की आबादी है या दस की है या सौ की है या पचास की है, हरेक ढाणी में हैण्ड पम्प लगाने वाली है।

श्री सभापति : भारत सरकार बदलने वाली है।

श्रीमती कमला : आप तो सपने देखते रहिये। छत को देखिये ऊपर। इसलिए यह सपने मीठे हैं लेकिन जब कूद पड़ोगे ऊपर से तो बहुत खट्टा लगेगा। तो जो राजीव गांधी पेयजल योजना के तहत भारत सरकार के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक पूरा प्रोग्राम बनाकर के देश को दिया है उसके तहत भारत सरकार अभी भी पैसे दे रही है और बाद में तो और भी ज्यादा देने वाली है। आपको पैसे देगी भारत सरकार और अभी भी दे रही है लेकिन आप हैं कि आपका जो सदा का चला आ रहा है कि यह हम कर रहे हैं। पेयजल योजना में आपका कुछ नहीं लग रहा है लेकिन मेहरबानी करके इतना तो करिये जो आप नहीं कर रहे हैं कि तमाम, आपके अधिकारियों को पाबन्द कीजिये कि वह गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जाकर एक-एक ढाणी का सर्वे करके उनके नाम, उनकी आबादी लिखकर कम से कम वह रिपोर्ट तैयार करके दें जिस तरह की राजस्थान की जरूरत है। उनकी सूचियां जल्दी से जल्दी भारत सरकार को पहुंचायें ताकि राज्य में पेयजल का सबसे जल्दी प्रबन्ध होने की व्यवस्था हो सके।

आपके जो डी.आर.डी.ए. के कार्यक्रम हैं, जो जवाहर रोजगार योजना है और जो दूसरे ग्रामीण विकास के काम हैं उनको तो ऐसा खतम करके रखा है और आपका राज आने से पहले जो आपने सचिवों का नामिनेट किया था उन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार फैलाया, ऐसी हालत कर दी कि आज उन योजनाओं पर काम करने का कोई हिसाब ही नहीं है। जो पैसा दिया जा रहा है, ठेकेदारी सिस्टम से काम कर रहे हैं। कोई जे.ईएन. एस्टीमेट बनाकर देने को तैयार नहीं है और आप तारीफ कर रहे हैं कि हम गांव के लोगों के लिए कितने हमदर्द हैं। आपको मालूम है, सभापति महोदया, आपका शासन आने से पहले जे.आर.वाई. में 30 पर्सेंट राज्य सरकार देती थी और 70 पर्सेंट भारत सरकार देती है। आपका जब शासन आया तो सबसे पहले आपने कह दिया कि 30 पर्सेंट राज्य सरकार नहीं देगी, जनता देगी। इतना भला किया है, इतनी राहत दी है आपने। आज 30 पर्सेंट आप जनता से मांग रहे हो जो आपको देना चाहिए था जबकि डी.आर.डी.ए. के प्रोग्राम का सारा पैसा भारत सरकार दे रही है। वह आप सारा का सारा जीम रहे हो यहां बैठे हुए। और कहीं कोई काम नजर आ रहा है तो बताइये क्या मानीटरिंग है, क्या असेसमेंट है, क्या इवेल्यूएशन है? यह आपने ग्रामीण विकास कर रखा है।

अब महिलाओं के बारे में आपने बहुत दर्द से कहा, मैं भी कहना चाहती हूं। हमने शिक्षा का, महिला बाल विकास का महकमा खोल रखा है लेकिन बताइये कि महिला शिक्षा के लिए क्या किया है? महिला शिक्षा के लिए मैंने एक योजना भरपूर ढंग से बनाकर माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्रीजी को दी थी कि अगर आज भी आप लागू करोगे तो अगले 10 वर्ष में आपको न तो फैमिली प्लानिंग के लिए कहने की जरूरत पड़ेगी, न आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत लगानी पड़ेगी और न आपको अंधविश्वास छोड़ने के लिए कहने की आवश्यकता पड़ेगी। 10 वर्ष बाद जो महिलाएं पढ़ लिखकर तैयार हो जायेंगी वह खुद ही ज्योति की एक कतार होगी। लेकिन आपको समझ नहीं आ रही।

(श्रीमती कमला)

मैंने कहा था कि आप पंचायत मुख्यालय पर लड़कियों की एक प्राइमरी स्कूल खोलिये, दो-तीन पंचायतों के बीच में एक लड़कियों की मिडल स्कूल खोलिये और एक ब्लाक में 4-5 सैकण्डरी स्कूल विथ हॉस्टल लड़कियों की खोलिये और एक सब डिविजन बना है तो उसमें नहीं तो जिला हैडक्वार्टर पर एक कालेज खोलिये। आपने ऊपर की चीजें तो खोलनी शुरू कर दीं लेकिन नीचे का इन्फ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपके साथ इस बात को जोर से कहना चाहती हूं कि जो पूरा का पूरा नीचे का इन्फ्रास्ट्रक्चर है इसको लागू करने का कम से कम आज संकल्प लें और करें तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ आप काम कर सकते हैं।

महिलाओं के लिए सेवाओं में रिज़र्वेशन करिये। कौन मना कर रहा है आपको? कानून कायदे में कभी होगा तो होगा लेकिन आप क्यों नहीं करते, आप करिये। महिलाएं आज पढ़ती जा रही हैं, अगर उनको आप सेवा में जगह देंगे तो और ज्यादा पढ़ने की इनमें ललक होगी।...(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) ...
पंचायती राज में पहले हमने पढ़ा हुआ जो नहीं रखा था फिर बाद में उसको कतई तौर पर निकाल दिया। मैंने लिखा है, उसको हां भी की है मुख्य मंत्रीजी ने, कि आप पढ़ा लिखा तो रखिये जिससे जो बिना पढ़ा लिखा है वह पढ़ने की चेष्टा करे। जो आगे बढ़ना चाहे वह पढ़कर के तैयार हो जायं।

श्री सभापति : माननी सदस्या, आप भी तो देखें, आप कितना समय ले चुकी हैं और भी माननीय सदस्यगण हैं। कन्क्लूड करिये।

श्रीमती कमला : मैं समाप्त कर रही हूं। यह महिला दिवस है। अब आपने कितनी जोर से अपनी सरकार की पैरवी की। मैं पूछना चाह रही हूं कि महिला आयोग की फाइल कब से घूम रही है? भारत सरकार ने हरेक राज्य से तकाजा कर रखा है कि आप राज्य स्तर पर महिला आयोग स्थापित करिये लेकिन आपकी सरकार है कि कुण्डली मारकर बैठी है, महिला आयोग बनाना नहीं चाहती है इसलिए आप जितनी महिलाएं हैं, कम से कम आपकी पॉर्टी है...

श्री सभापति : आप समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती कमला : चाहे आप ही अध्यक्ष बनिये लेकिन आयोग तो बनाइये कम से कम।

श्री सभापति : श्री भंवर सिंह जी।

श्रीमती कमला : आंगनबाड़ी और प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, इन सब का सर्वे कराकर तो देखिये कि सरकार की योजनाओं का पैसा कहां कितना खाया जा रहा है, खतम हो रहा है। एक डिपार्टमेंट की कोई मूल्यांकन रिपोर्ट आपने ली क्या? प्रगति रिपोर्ट सारे विभागों ने दी है, किसी एक डिपार्टमेंट की मूल्यांकन रिपोर्ट या असेसमेंट रिपोर्ट देखी है? इतना खा पीकर नक्की कर रहे हैं पैसे को। भैरोंसिंह जी साहब तो इतने खुश हो रहे हैं कि मेरा धन का बोरा इतना बड़ा है कि मुझसे उठ ही नहीं रहा है लेकिन जब उसको बिखेरते हैं तो ऊबड़-खाबड़ जमीन में जहां उगता ही नहीं है और उगता है तो कांटे ही कांटे उगकर रह जाते हैं। तो वह समाज को कहां पहुंचा रहे हैं?

अंत में मैं आयुर्वेद के बारे में...

श्री सभापति : माननीय सदस्या, अब कन्क्लूड करिये।

श्रीमती कमला : यह बहुत जरूरी आइटम है।

श्री सभापति : जरूरी है तो आप समय भी देखिये। आप अपनी घड़ी देखिये कब से बोल रही हैं। दूसरे सदस्यों का भी समय आना चाहिए।

श्रीमती कमला : मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि उदारीकरण, गैट और डब्ल्यू.टी.ओ.जो हैं.....

श्री सभापति : यह आपकी पार्टी का समय जा रहा है।

श्रीमती कमला : आपने बहुत ज्यादा नकारा लेकिन राजस्थान के लिए गैट और डब्ल्यू.टी.ओ., उदारीकरण खेती और आयुर्वेद के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। आप खेती में ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट की चीजें तैयार कराने के लिए साधन जुटाइये। उनकी सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं और जो बाहर अनाज बेचने की बात है उसके लिए बड़े पैमाने पर आप लम्बे समय की योजना बनाइये और ज्यादा से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज दीजिये, पैकिंग की सुविधाएं दीजिये, एक्सपोर्ट की सुविधाएं करिये। आज टोकरियां लिये-लिये शाम तक बैठे रहते हैं और एक धेले के अन्दर खरीद कर ले जाते हैं। यह आप किसान के लिए काम कर रहे हैं। आपने किसान का एक कर्ज माफ कर दिया, उसको बेईमान बना दिया और जो उसके उपयोग की चीज है उसको आप लाना ही नहीं चाहते हैं जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। इसलिए आपको निवेदन है.....

श्री सभापति : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या।

श्रीमती कमला : इसी तरह से आयुर्वेद में आप हर्बल फार्म्स बनाइये, फार्मेसीज बनाइये, औषधि निगम बनाइये, प्रमाणीकरण के लिए लेबोरेट्रीज कायम करिये और हिन्दुस्तान में सबसे पहले इस हिस्से में जहां मैं देश का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद लेकर आयी थी उस आयुर्वेद इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप दुनिया में हर्बल मेडिशंस का भण्डार खड़ा कर दीजिये। यह आपके लिए बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट्स बनने वाला है। क्यों नहीं इन चीजों को लेते हैं?

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री भंवर सिंह जी डांगावास।

श्रीमती कमला : इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जितना आपने आंकड़ों और शब्दों से भरा है उसके बजाय धरती पर कुछ करके दिखाइये जिससे आपकी नीयत पर भरोसा हो और आप सरकार कहलाने लायक हों। अभी आप सरकार नहीं हैं। जबरदस्ती बने रहिये, जनमानस में नहीं हैं। इसलिए सरकार को सरकार बनना प्रजातंत्र में जरूरी है। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : माननीय सभापति महोदया, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

जब-जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है तब चहुंमुखी विकास की ओर राजस्थान को आगे बढ़ाया।—

श्री पूनमचन्द विश्नोई : क्यों बुढ़ापा बिगाड़ रहे हो। (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह गुर्जर : आपने बिगाड़ दिया।

श्री भंवरसिंह डांगावास : यह तथ्य अभिभाषण में दिये हुए तथ्यों व आंकड़ों से पूर्णरूपेण प्रमाणित हैं।

सभापति महोदया, कुछ समय पूर्व प्रतिपक्ष की एक वक्ता ने सरकार की व्याख्या की, विश्वास और आस्था का नारा बोला। 1993 में राजस्थान की सरकार बनने जा रही थी उससे पहले चुनाव जब हुए तो जनता ने इधर बैठे व्यक्तियों में विश्वास और आस्था प्रदर्शित की और आपमें नहीं की। यही सरकार है जिसने विश्वास प्राप्त किया। तत्पश्चात् पंचायत और नगरपालिका, नगर निगमों के चुनाव हुए, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता ने आस्था और विश्वास प्रकट किया। यह प्रमाणित है कि यह सरकार है।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : निर्दलीयों की सरकार है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इस सरकार में निर्दलीयों ने खूंटा ठोक रखा है।

श्री भंवरसिंह डांगावास : माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मैं किसी तरह से कोई इंट्रप्शन नहीं करता हूं, न बीच में बोला हूं, कृपया जब मैं बोलूं तो शांत रहें तो मैं आपका आभारी रहूंगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : निर्दलीयों की सरकार है आपकी।

श्री भंवरसिंह डांगावास : इस सरकार ने—

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : आपकी तो पांचों घी में है। अभी तो पांचों घी में हैं।

श्री भंवरसिंह डांगावास : एक बात और आयी कि हमने विकास की नींव रखी, हमने विकास का ढांचा बनाया, कैसा विकास? नागौर जिले में सड़कों का अभाव, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य का अभाव। यहां तक कि मेरे क्षेत्र में 1964 में बनी हुई स्कूल आठवीं को मैंने आकर 1994 में, 30 साल बाद में दसवीं करायी। यह आपका विकास है। यह आपने विकास किया गांवों का शिक्षा के सम्बन्ध में।

स्वास्थ्य की बात करते हैं, एक भी चिकित्सालय पिछले 10 सालों में आपने नहीं खोला। इस सरकार से पहले 10 सालों में एक भी चिकित्सालय मेरे क्षेत्र में नहीं खोला है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : आपके क्षेत्र में नहीं खोला होगा, राजस्थान में तो खोले हैं।

श्री भंवरसिंह डांगावास : हां, मेरा क्षेत्र राजस्थान के अन्दर है और वह जो मैं दे रहा हूं आपको, ये एक ही आंकड़े सब जगह हैं।

सड़कों के निर्माण की बात करूं। हमारे दो नेता बड़े-बड़े नाम नहीं लूंगा, वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके गांवों में भी सड़क भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाई। यह स्थिति है। प्रतिपक्ष के सदस्य, सिर्फ अच्छे भाषण देने से विकास नहीं होता, कर्म करना होता है। (व्यवधान) 1971, 1981, 1991 की बात कही गयी। आपने कहा, मेरे यहां सड़क है, मेरे यहां स्कूल है, यह आपने पक्षपात किया। अपने-अपने गांवों में सड़कें पहुंचाने में आपने चेष्टा की, हमने एक नीति निर्धारित की, चाहे कहीं भी गांव हो, पहले 1971 की

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

आबादी लेंगे, फिर 1981 की आबादी लेंगे और फिर 1991 की आबादी लेंगे, यह पक्षपात रहित कार्य था। (व्यवधान) आप बोलें, आपका सम्मान है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये क्या बोलेंगे, ये तो शर्माते हैं।

श्री भंवरसिंह डांगावास : राजस्थान में शिक्षा वर्ष के अन्दर अगर आप देखें तो आज ढाणी वाले लोग इस ओर देख रहे हैं कि हमारा राजस्व गांव बने और हमें प्राथमिक पाठशाला मिले। आज एक प्रतिशत गांव ऐसे रहे हैं जिसमें प्राथमिक पाठशाला नहीं है और मेरे क्षेत्र में तो एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें प्राथमिक पाठशाला नहीं हो। यह हमारी प्रगति है। गांव-गांव हमने स्कूल पहुंचायी। स्कूल की मंजूरी के साथ-साथ उसी शाला के लिए मंजूरी निकलती है कलक्ट्रेट से, डी.आर.डी.ए. से दो लाख दस हजार रुपये, दो कमरे, आफिस और बरामदे के लिए मंजूर होते हैं। मैं माननीय हरजीराम जी बुरडक से कहता हूं, मैंने पिछले जाजम शिविर में यह सुना कलक्टर के मुंह से कि मेड़ता और लाडनूं विधान सभा क्षेत्र में 1991 तक की जनसंख्या के गांव जोड़ दिये हैं। ऐसा बाकी विधान सभा क्षेत्र में नहीं है। काम करते हैं उनका काम होता है। आपको मैं बधाई देता हूं, मेरे साथ में आप मेरे से होड़ लगा रहे हैं लेकिन ये काम क्यों हो रहे हैं? सरकार की चेष्टा है चहुंमुखी विकास की, स्वास्थ्य की, पानी, शिक्षा, आवागमन के साधन बढ़ाने की। ये सारी चीजें योजनाबद्ध की जाकर की जा रही हैं और उसका परिणाम धीरे-धीरे गांवों तक पहुंच रहा है। (व्यवधान) नहीं, बोलने दो अच्छा है, हमें कोई कष्ट नहीं, मैं किसी का उत्तर नहीं दूंगा लेकिन मैं एक बात कहूंगा। जिस वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है तब से पेवर नाम की चीज गांवों में घुसी है। सड़कें बनी थीं, छोटी-छोटी सड़कें बनी थीं, टूटी हुई थीं। मरम्मत होती है तो पेवर के साथ होती है और चौड़ाई करने के साथ होती है। ये सारे काम योजना के अनुसार है और अगर योजना हम अच्छी बनायें तो विकास होता है। (व्यवधान)

बहुत बातें आती हैं कि राजस्थान सरकार को भारत सरकार पैसा देती है ठीक है, भारत सरकार पैसा देती है। कहां से आया भारत सरकार के पास पैसा? हमारा पैसा है। पूरे हिन्दुस्तान का पैसा एकुमुलेट होता है और एकुमुलेट होकर उसको वापस डिस्ट्रीब्यूट कराना हमारा अधिकार है, हम पैसा वहां से लेते हैं। भारत सरकार खुद कमाती नहीं है। जितने भी केन्द्र सरकार ने उपक्रम लगाये सारे घाटे में गये, उलटा उन्होंने पैसा गंवाया है लेकिन हमारी कमाई है, हमारे राज्यों की कमाई है, प्रति व्यक्ति की कमाई है वह वहां जाकर इकट्ठी होती है और वह वापस विकास के लिए हमें मिलती है। कोई भारत सरकार का पैसा नहीं है। वह हमारा पैसा है और हम लाये हैं। आपमें ऐसी क्षमता अगर थी तो यह योजना का आकार क्यों नहीं बढ़ा? आपने बढ़ाया? आप बढ़ा लेते, आपको किसने मना किया था। आप और पैसा ले आते, आपकी खुद की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार केन्द्र में थी और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, और ले आते पैसा। लेकिन हमारे में क्षमता है, हम योजना ऐसी बनाते हैं जो योजना आयोग समझता है और उसके अनुसार पैसा मिलता है। (व्यवधान) अभी खंखारने की जरूरत नहीं है।

मैं एक निवेदन कर दूं, अन्तिम निवेदन है। किसान की ओर हमें ध्यान देने की और

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

आवश्यकता है। करोड़पति अपनी सम्पत्ति बेच सकता है शहर के अन्दर रजिस्ट्री के अनुसार क्योंकि वह उसका मालिक है, लखपति अपना मकान बेच सकता है रजिस्ट्री के द्वारा क्योंकि वह उसका मालिक है और एक काश्तकार पीढ़ियों से उसी जमीन के ऊपर काश्त करते हुए, अपना पेट भरने के लिए मजदूरी करते हुए आज भी कृषक ही है, मालिक नहीं है। मैं मेरी सरकार से और विशेषतः मेरे मुख्य मंत्रीजी से यह आग्रह करूंगा, पंजाब में मालिकाना हक आज से कई वर्षों पहले काश्तकार को मिले, चार माह पूर्व गुजरात में काश्तकार को मालिक बनाया गया, जहां खातेदार का नाम आता है वहां पर नाम किसान का आयेगा, कृषक का नाम उठ जायेगा, ऐसा करना परम आवश्यक है।

दूसरा काश्तकार के लिए माफ करना, मुझे वाकई दुःख है, प्रभु ने वर्षा दी, साथ में अतिवृष्टि भी दी। पूरे राजस्थान में सावन में फसल नहीं के बराबर हुई या अकाल पड़ा। रबी की फसल पकने को आयी, दूध पौधों में पड़ने लगा, कुछ में पकने लगा, शीत लहर चली। मेरे क्षेत्र में 30 प्रतिशत ही फसल रही है, 70 प्रतिशत हानि हुई। मैं मानता हूं, पूरा का पूरा मुआवजा कोई सरकार नहीं दे सकती लेकिन मुआवजे की दर बढ़ायी जाय और आग्रह करूंगा कि अगर यह सरकार कर सकती है; क्योंकि सरकार ने बड़े-बड़े काम किये हैं, यह भी कर सकेगी, किसान की फसल की बीमा योजना अगले सत्र से लागू करे तो अति कृपा होगी। इतना ही निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शांतिकुमार धारीवाल। माननीय सदस्यों से मेरा एक निवेदन है कि जिस प्रकार से माननीय भंवर सिंह जी ने उदाहरण पेश किया, सभी सदस्यों को बोलना है, वह ध्यान में रखते हुए बोलें तो ज्यादा फायदा होगा।

श्री चन्दनमल बैद : आपने जो उदाहरण पेश किया उसको मानेंगे। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : उनका उदाहरण मैं कहां से पेश करूंगा, उनके तो ये मूंछें हैं।

श्री सभापति : वह तो कमला जी बहुत बोल चुकी हैं। अब जरूरत नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : ये तो आपका उदाहरण पेश करेंगे क्योंकि ये क्लीन शेव्ड हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, मैं क्लीन शेव्ड हूं। सभापति महोदया, सरकार के—

श्री नाथूसिंह : आपके पीछे हैं मूंछें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पीछे है सरकार, मेरे आगे नहीं है मूंछें, पीछे भी नहीं हैं मूंछें। पीछे तो जो आपके हैं, वे भी मेरे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदया, सरकार के हवाले से राज्यपाल महोदय से जो अभिभाषण पढ़वाया गया, मेरा उसके बारे में यह निवेदन है कि ऐसा नीरस, ऐसा दिशाहीन और ऐसा बेजान भाषण—

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : क्या हिन्दी आती है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आज तक मैंने कहीं पर नहीं सुना। न लोक सभा में सुना राष्ट्रपति को देते हुए और न इस विधान सभा में कभी राज्यपाल महोदय को देते हुए सुना। इसका अन्दाज आप इस बात से लगा सकते हैं

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

कि कल जब सदन की बैठक हो रही थी और राज्यपाल महोदय अभिभाषण पढ़ रहे थे तो उनके बताये हुए 70 या 80 बिन्दु—

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : 81.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 81 बिन्दुओं में ट्रेजरी बैंचेज की तरफ से सिर्फ तीन या चार बार से ज्यादा ताली नहीं बजी। हम तो ताली बजाते ही क्यों, मर्द हैं।

श्री नाथूसिंह : पहले बहुत बजा ली, कोटा पूरा हो गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रिपीटिशन, वही रिपीटिशन, जो सन् 1994 में था, 1995 में था, वह का वह 1996 में था। आपने तुलना काहे की करवायी ? विकास के कार्यों की। 1985 से 90 में हम थे और 1990 से 95 में आप। विकास की तुलना करवा रहे हैं आप। बजट का एलोकेशन कौनसी स्टेट का नहीं बढ़ा ? 26 स्टेट हैं, 26 की 26 स्टेट के बजट का एलोकेशन बढ़ा है और जब बजट का एलोकेशन बढ़ा है, पैसा ज्यादा आया है तो डेफिनेटली विकास के काम ज्यादा हुए होंगे। तारीफ तो सरकार की जब थी कि वह जो विकास के कार्य हैं, जिन पर सरकार पैसा खर्च कर रही है, उसकी गुणवत्ता पर यहां पर बहस होती। यह बताया जाता कि कितने शानदार काम राजस्थान में इस सरकार ने करवाये हैं। उन कार्यों का उल्लेख उस अभिभाषण में होता तो मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में अपना भाषण शुरू करता। मैं उसका विरोध करता हुआ—

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : तो भी नहीं करते।

श्री नाथूसिंह : तो भी नहीं करते। यह तो असत्य बोल गये आप, यह तो, धारीवाल जी, असत्य बोल गये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगली साल देखना। आप, करवाना (व्यवधान) यानि की घोर भ्रष्टाचार विकास के कार्यों में पनप रहा है, पूरे राज्य में इतना जबरदस्त पनपा है जिसको रोकने के बाबत एक शब्द इस अभिभाषण में राज्यपाल महोदय से नहीं कहलवाया। कितनी शर्मनाक बात है। इसलिए, सभापति महोदया, मैं पुरजोर शब्दों में उस अभिभाषण का विरोध करता हुआ—

श्री गुलाबचन्द कटारिया : बैठता हूं।

श्री मदन दिलावर : अच्छी तरह पढ़ लो, धारीवाल जी, उसमें कितने लोगों को सस्पैण्ड किया, कितने लोगों को बरखास्त किया, इसमें पढ़ा नहीं क्या ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपको तो मंत्रिमण्डल से निकाला ही नहीं अभी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मदन दिलावर, मुझे प्रवोक मत करो। मेरे पास फिर यह कितनी मोटी फाइल है।

श्री मदन दिलावर : इसी को ओपन करवाना चाहता हूं, मैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप ओपन करवाना चाहते हैं ?

श्री मदन दिलावर : हां।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो कर दूंगा।

श्री मदन दिलावर : 19 मार्च, 1965 का—

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अभी कर दूंगा। 19 मार्च को क्या कहते हो। + + +

श्री मदन दिलावर : 19 मार्च, 1965 का फोटो भी है न इसमें।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 19 मार्च को, ले गया था, ले गया था। क्या कहलवाना चाहते हो, 19 मार्च का?

श्री मदन दिलावर : क्या ले गये थे आप?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दम था।

श्री मदन दिलावर : क्या ले गये थे?

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक लड़की...(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : धारीवाल जी, अब दम निकल गया क्या?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : प्लीज डोन्ट डिस्टर्ब, भाई साहब। मजा ही नहीं आया, यह क्या मतलब हुआ, बताओ। आप लोग बोलते हो, हम कभी बीच में हेकल करते ही नहीं हैं।

सभापति महोदया, हमारे नियमों में 60 दिन का प्रोविजन है कि 60 दिन विधान सभा का सत्र चलेगा एक कलेण्डर वर्ष में। क्या मजाक उड़ायी जाती है, 30-30, 35-35 दिन के सैशन होते हैं। जनता ने हमें चुनकर भेजा है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : शेषन से भी नहीं डरते।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको सरकार में बिठाया है। देखिये, उप मुख्य मंत्री महोदय, जिस रोज संसद का या विधान सभा का आम सड़क से रिश्ता टूट जायेगा, उस रोज चाहे आपकी सरकार हो, चाहे हम जन प्रतिनिधि हों...

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : मैं आपके पक्ष में हूं इस मामले में।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सब अप्रासंगिक हो जायेंगे। हम यहां पर आते हैं तो उसके 15 रोज पहले कुछ न कुछ तैयारी करते हैं। जाते हैं तो यहां के अधिवेशन का भूत हमारे ऊपर कम से कम एक-डेढ़ महीने रहता है। जनता हमारे पास आती है कि अधिवेशन चालू होने वाला है आपको यह-यह समस्याएं उठानी हैं, हमें जागरूक रखती है जनता। और क्या कारण है, यह बताओ आप, कि इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद और इतने ऊंचे स्तर पर जाने के बाद आज भी लता मंगेशकर रोज रियाज करती है?

श्री नाथूसिंह : 65 साल में भी, और आपकी तरह।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्यों करती है? आप तो फिल्म नगरी के आदमी हो, फिल्मों में काम किया है आपने, आज कई गीत गाने वाले, गीत गाने वाली गायिकाएं गीत गाने की फैक्टरियां लगा-लगाकर बैठी हैं और इस बात पर आश्चर्य करती हैं कि यह 65 साल की बूढ़ी आज भी क्यों रियाज करती है। वह इसीलिए रियाज करती है क्योंकि वह उस फील्ड में बनी रहना चाहती है। जिस रोज यहां पर अधिवेशनों की बैठकें कम हो जायेंगी, मैं आपके दुबारा अर्ज करना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार को अर्ज करना चाहता हूं, इन बैठकों की संख्या बढ़ाइये वरना हम और आप दोनों वाकई जनता के सामने अप्रासंगिक हो जायेंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप तो इतना ही मत बुलाओ।

श्री नाथूसिंह : भजनलाल जी तो एक दिन ही बुलाते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और भाजपा का तो-देखिये, नाथूसिंह जी, आप लोग तो हवाला की प्रसव पीड़ा से पीड़ित हो रहे हो, आपका तो ऐसा हाल हो रहा है...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप भी डूब गये उसमें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कि जवाब दिये नहीं बनता। हम तो डूबेंगे या पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन आपको तो ऐसी पीड़ा हो रही है, प्रसव पीड़ा, मैंने बोला न आपको—

श्री मदन दिलावर : धनखड़ जी की तरफ मुंह करके कहो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ठीक उसी तरीके से पीड़ा हो रही है और आपके नेतृत्व का यह हाल है—

श्री मदन दिलावर : धनखड़ जी की तरफ देखकर कहो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : धनखड़ जी की तरफ तो आप देखो, हमने तो मर्द खड़ा कर दिया है।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : यह तो शैलेन्द्र महतो से पूछो।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : किसने कहा यह ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह मदन दिलावर ने।

श्री सभापति : नहीं, यह तो यह कह रहे हैं कि आपको प्रसव पीड़ा का मालूम है क्या ?

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, जरा उनसे कहिये कि ज्यादा उल्लेख करें।

श्री मदन दिलावर : मैंने तो आपकी तरफ देखने को कहा है, कुछ नहीं कहा।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं, आपने 26 जनवरी को जो कुछ तांडव नृत्य किया, उसकी बात अलग है। जगदीप धनखड़ दूर भगने वाला नहीं है, आपके मन में कोई बात हो, साफ कहिये।

श्री मदन दिलावर : मैं तो आपकी बात समझ नहीं रहा हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : बताइये।

श्री मदन दिलावर : मैं समझ नहीं रहा आपकी बात।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : धनखड़ साहब, छोड़ो माफ करो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : आपकी ललाई को देखने के लिए कहा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपकी पार्टी का नेतृत्व, जब कभी सत्ता की गंध आने लगती है न तो करतब दिखाने की कोशिश करता है और राजनीतिक सर्कस में वह वोट खींचने के लिए करतब दिखाना चाहता है। लेकिन यह याद रखिये कि सर्कस में काम करने वाला जोकर कभी सर्कस का हीरो नहीं बन सकता। कभी नहीं बन सकता।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : फिर डर किस बात का है, काहे का डर है यह, आराम से बोलो न।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : डर किसका है ? कहां डर रहे हैं हम ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : इन दिनों कुछ भूत उतर गया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप संस्कृति की बात करते हैं। कटारिया साहब, आपसे ही निवेदन करता हूं, आप नेकर ज्यादा पहनते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : बिल्कुल सही बात है।

श्री सांवरलाल (राज्य मंत्री, अकाल सहायता एवं पुनर्वास) : आपने कब देखा? धोती में नजर आते हैं यह तो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या देखूं मैं? आप लोग संस्कृति के झण्डाबरदार बनते हैं। आपको यह समझ लेना चाहिए कि इस देश में इस तरीके की मान्यताएं रही हैं कि कोई भी अलौकिक शस्त्र, मंत्र, विद्या तब तक उस आदमी को नहीं सौंपी जाती जब तक कि उसकी बौद्धिक, नैतिक रूप से जांच पड़ताल न हो जाय। आचार्य द्रोण को ले लीजिये, सभापति महोदय, एकलव्य को भी शिक्षा दी, अर्जुन को भी शिक्षा दी, लेकिन श्रेष्ठ शिष्य उसने अर्जुन को ही माना। इस देश की जनता ऐसे थोथे झण्डाबरदारों को खूब जानती है। वह कभी आपके हाथ में इसलिए दिल्ली की सत्ता नहीं सौंपने वाली, यह मुंगेरीलाल के सपने आपको मुबारक हों।

श्री नाथूसिंह : देखते रहो सपने, यह सपने हैं मुंगेरीलाल के, देखते रहो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कभी नहीं सौंपने वाली। अब मुख्य मंत्री महोदय हैं नहीं और वह जो दूसरे घोषणा मंत्री हैं, हमारे यहां से आते हैं, निर्माण मंत्री महोदय, वह भी नहीं हैं।

(17.00)

यह निर्माण मंत्री जी दो रोज से गायब हैं। सभापति महोदय, यह कौन से जाल का निर्माण कर रहे हैं? यही पता नहीं है।

श्री सभापति : निर्माण मंत्री जी बीमार हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बीमार हैं?

श्री सभापति : हां।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सॉरी। मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। कटारिया साहब विराजमान हैं। कटारिया साहब, आप तो छोटी शिक्षा के मंत्री हैं और बड़ी शिक्षा के मंत्री प्रोफेसर ललित चतुर्वेदी साहब हैं। अब फर्क देखिये आप, सरकार की नीति देखिये आप। वहां पर प्रतिनियुक्तियां ही प्रतिनियुक्तियां हैं, आप प्रतिनियुक्तियां समाप्त कर चुके हैं। धन्यवाद है आपको। हालत यह है उच्च शिक्षा की, सभापति महोदय, कि प्राध्यापकों में हमारे मंत्री जी, घोषणा मंत्री जी के नाम से जाने जाते हैं, अगर कोई प्राध्यापकों से यह कह दें कि आज अपने शहर में शिक्षा मंत्री आये हुए हैं तो वे यह पूछेंगे कि शिक्षा मंत्री जी आये हुए हैं या घोषणा मंत्री जी आये हुए हैं। शिक्षा मंत्री से तो समझेंगे वे कटारिया जी के लिए और घोषणा मंत्री से समझेंगे वे चतुर्वेदी के लिए। हालत यही है। अच्छा, आप यह देखिये उन्होंने घोषणाएं की।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : कोटा के कौन से चतुर्वेदी जी?

श्री मदन दिलावर : भुवनेश चतुर्वेदी जी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह तो टॉप पर जा रहे हैं, उनका क्या है? सभापति महोदय, उन्होंने घोषणाएं कीं। अच्छा, उप मुख्य मंत्री जी भी चल दिये अब? किसको बैठा गये?

उन्होंने घोषणाएं कीं कि विद्यार्थियों की कक्षाओं में उपस्थिति के लिए प्राचार्य जवाबदेह रहेंगे। निर्धारित न्यूनतम कक्षाएं लेने सम्बन्धी प्राध्यापकों के दायित्व उन्होंने निर्धारित किये। सभी विश्वविद्यालयों के लिए समान कानून बनाने की उन्होंने घोषणाएं कीं। अब क्या हुआ, हुआ क्या कुछ? आपने तो हां भरी है जवाब वही आकर देंगे शायद। आप यह देखिये कि उनके कार्यकाल में एक तिहाई, पूरे राजस्थान की कह रहा हूं मैं आपसे, एक तिहाई प्राध्यापकों का स्थानान्तरण हो चुका। इतनी वेदनाएं भुगती हैं प्राध्यापकों ने। कई तो

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

सेवानिवृत्ति पर बैठे हैं। कई पति-पत्नी बिल्कुल अलग हैं। वह वेदना अलग है और कई ऐसे रोग से पीड़ित हैं जिसकी हद नहीं और पचासों केसेज में हाई-कोर्ट ने वहां पर स्टे दिया है। हालत यह हो गयी कि एक जगह तो उन्होंने एस.डी.ओ. को वायरलैस किया और वायरलैस करके जिसका ट्रांसफर हो चुका था उसका ट्रांसफर रुकवाने के लिए, उसको कालेज में जाने के लिए पाबन्द किया। क्या आशा रखेंगे हम, इस शिक्षा में कुछ सुधार हो पायेगा और वह भी ऐसे व्यक्ति से जो खुद प्रोफेसर रह चुके हैं? आप अच्छे हैं। प्रतिनियुक्तियों की हालत मैं बताता हूं आपको। संगीत नाटक अकादमी, महाराजा आर्टस कालेज, भाषा विभाग, साहित्य अकादमी, इन्हीं में प्रतिनियुक्तियां हैं, क्योंकि उनको जयपुर रखना है, जगह खाली पड़ी हुई हैं दूसरी जगह कालेजेज की। खैर, जो भी है।

अब न तो यहां पर राजस्थान सरकार के मैन स्वीच मौजूद हैं और न ही कट-आउट हैं। कट-आउट बिजली मंत्री जी और मैन स्वीच, वह आ गये कट-आउट आ गये हैं। मैन स्वीच नहीं हैं, कट-आउट आ गये।

अब साहब, यह फरमाओ आप तो, मेरी दो चार शंकाएं हैं, इन पर मेरा ख्याल है आप जरूर मुझे जवाब देने की कोशिश करेंगे। अभी नहीं देंगे फिर दे देना और नहीं बने तो प्राइवेट में दे देना। पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए और कई मेरी पार्टी के लोग मुझसे इस बात से नाराज हैं कि आप इस बात का धन्यवाद नहीं दोगे। मैंने कहा कि मैं तो दूंगा, और कौन देगा? और मैंने मेरे नेता महोदय से भी परमिशन ले ली। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में। मतलब उन्होंने न की न हां की। 9 हजार रुपये प्रति पोल लेते हो आप। बिल्कुल वाजिब लेते हो। जब मदनलाल खुराना एस.के. जैन के फार्म तक 10 पोल पहुंचाने के 5 लाख रुपये ले सकता है तो 50 हजार रुपये प्रति पोल पड़ा, साहब। लाहोल बिला कूबत।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : ऐसा लगता है कि यह सौदा कराने में आप थे वहां। यह सौदा आपने करवाया था वहां।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सारे जैन मेरे ही माथे हैं? तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। अपनी ईमानदारी से—

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नहीं, जाखड़ साहब का भी बता दीजिये। वह सौदा कितने में करवाया था? वह भी साथ साथ बता दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : आडवाणी जी का आप बता दें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हम तो कह ही नहीं रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक बात की शिकायत मैं दर्ज करवाना चाहता हूं आपसे। मुख्य मंत्रीजी ने पहला बिजली का सौदा किया। चार रोज रूक भी जाते तो क्या फर्क पड़ जाता? कौशल साहब की माताजी का देहान्त हो चुका था।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कौशल साहब से पूछें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या पूछें? पूछ लो यह बैठे हुए हैं। चार रोज रूक जाते तो इनके सामने होता सौदा। मैं तो आपसे शुरू दिन से कह रहा हूं कि ये कुछ नहीं करने वाले, इनके बस के रहोगे तो एक मेगावाट पैदा नहीं होगी, 10 हजार मेगावाट के ख्वाब कहां देख

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

रहे हो आप? ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर दिये, यह कर दिये, वह कर दिये और इससे लैटर ऑफ इंटेंट जारी हो गया। कितने आदमियों के पैसे जमा हो गये? और कहां गयी वह ब्रिटिश पावर कम्पनी जिसको आप 40-40 मेगावाट के 10 प्लाण्ट दे रहे थे।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : माननीय सदस्य, पैसे जमा हो गये हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ब्रिटिश पावर कम्पनी के?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : हां।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कौन सी तारीख है? वह फरमा दें आप।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : तारीख मैं बता दूंगा लेकिन पैसे जमा हो गये हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कितने दिन बाद?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अब कितने दिन बाद, इससे क्या मतलब हुआ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं बताता हूं आपको। देखिये, यह लैटर ऑफ इंटेट जारी किया है और यह लेटर ऑफ इंटेट जारी किया है 15 नवम्बर को और इस लैटर आफ इंटेंट के बिन्दु नम्बर 4 पर लिखा हुआ है, डवलपमेंट सिक्योरिटी। आप अपनी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं न कि हम कितनी तेजी से 10 हजार मेगावाट तक पहुंच जायेंगे और पहुंच ही क्या जायेंगे, राजस्थान ही नहीं पूरे देश को बिजली दे देंगे। आपकी प्रोग्रेस की बात कर रहा हूं। इधर तो सुप्रीम कोर्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट देख रहा है और इधर हम आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखेंगे। डवलपमेंट सिक्योरिटी चौथे नम्बर पर है। साफ लिखा हुआ है। —Within 30 days of the receipt of this L.O.I.-letter of intent.

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कोई आपकी भी प्रोग्रेस देख रहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी खूब देखिये न आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये तो हिण्डोली जाते ही नहीं हैं, प्रोग्रेस देखते हैं वहां हिण्डोली को तो बाई-पास कर जाते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी तो खुली किताब है। वह कौन सी मार्च थी? 9 मार्च (व्यवधान) और फाल्गुन का—(व्यवधान) और यह लैटर आफ इंटेंट और इसको देखकर आपने 2 रुपये और 10 पैसे तय किये। जबरदस्त इसका पूरे देश में प्रचार किया, माहौल बनाने की कोशिश की। कोई गलत काम नहीं किया। बनाना चाहिये माहौल ताकि दूसरे लोग भी आवें। लेकिन आपकी प्रोग्रेस देखिये आप। नवम्बर के महीने में 19 नवम्बर को लैटर आफ इंटेट जारी हुआ। एक महीने के अन्दर अन्दर उसको पैसा जमा कराना चाहिए था लेकिन पैसा उसने जमा करवाया होगा तो अब 2-4 रोज में करवाया होगा। यह मेरे पास उसकी कांफिडेंशियल रिपोर्ट भी मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है, आर.एस.ई.बी. की तरफ से लिखा हुआ है कि किसी ने पैसे आज तक जमा नहीं करवाये। यह जो रिपोर्ट है यह 1.1.96 की है। जब तक पैसे जमा नहीं हुए थे। (व्यवधान) चोर कर लाया हूं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : 25 लाख जमा हो गये, 75 लाख की बैंक गारण्टी है। माननीय बैदजी, आपको तकलीफ हो रही है कि ये प्रोजेक्ट क्यों आ रहे हैं। आप इसकी

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

आलोचना करेंगे। इतना फास्ट प्रोग्राम कहीं नहीं हुआ।

श्री चन्दनमल बैद : महाराष्ट्र ने एक रुपये 85 पैसे में कांट्रेक्ट किया है, नेफ्था पर आधारित आपने दो रुपये 10 पैसे में किया है। आपने कितना बड़ा नुकसान राजस्थान का किया है। कितने पैसे का मोलतौल किया है, यह बताएंगे हम?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : एक रुपये 85 पैसे में जो हुआ है, यदि 2 रुपये 10 पैसे से भी रेट कम गये हों इसमें (व्यवधान) इससे कम रेट कहीं नहीं आए हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सरकार की करोड़ों रुपये की हानि होगी। (व्यवधान) राजस्थान की जनता को इसको भुगतना पड़ेगा, मंत्री महोदय (व्यवधान) आपके पास कोई जवाब नहीं है इसका। आप 2.10 की गलत दुहाई दे रहे हो।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आपको तो तकलीफ यह हो रही है कि प्रोजेक्ट क्यों आ रहे हैं। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : हमको तकलीफ इस बात की हो रही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट 1 रुपये 85 पैसे में बिजली के कांट्रेक्ट कर रही है और आप 2 रुपये 10 पैसे में कर रहे हैं। राजस्थान की जनता का पैसा आप लुटा रहे हैं। हमको तकलीफ यह है। (व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आपको तकलीफ यह है कि 2 रुपये 10 पैसे में कहीं पड़ता नहीं खा रहा है (व्यवधान) वह 2 हजार मेगावाट का है यह 50 मेगावाट का है। दोनों में अन्तर आता है। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आप भी 2 हजार कीजिये। जनता को लुटा क्यों रहे हो? आप भी 2 हजार कीजिए।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : वहां की नेफ्था की कॉस्ट में और यहां की नेफ्था की कॉस्ट में अन्तर है। आज सारा देश तो यह कह रहा है कि यह वायबल नहीं है सारा देश तो इस बात को कह रहा है और आपको तकलीफ इस बात पर हो रही है कि ये प्रोजेक्ट क्यों आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : तकलीफ इस बात की है कि 25 पैसे यूनिट का आपने राजस्थान की जनता को धोखा दिया है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जहां 1 रुपये 85 पैसे कास्ट आती है वहां आप 2 रुपये 10 पैसे का करार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आपको तकलीफ यह भी है कि यह सोलर एनर्जी का प्लाण्ट क्यों आ गया। पहले क्यों नहीं आया था, अब कैसे उसका शिलान्यास हो गया।

श्री चन्दनमल बैद : हमारी तकलीफ को समझने की कोशिश कीजिए। राजस्थान की जनता का 25 पैसे यूनिट के हिसाब से 20 साल में 15 सौ करोड़ रुपये का नुकसान होगा। यह तकलीफ है हमको।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : 2 रुपये 10 पैसे की रेट किसी कीमत पर ज्यादा रेट नहीं है बिल्कुल सारे हिन्दुस्तान में, दिग्विजय सिंह जी, चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश, यह पूछने आये थे कि 2 रुपये 10 पैसे की रेट पर आपके पास पार्टी कैसे आयी। उनको तकलीफ हो रही है। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : फिर महाराष्ट्र में जहां आपके सहयोग से सरकार बनी है, वहां एक

(श्री चन्दनमल बैद)

रुपये 85 पैसे में कांट्रेक्ट कैसे हो गया? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या, बैदजी 1.85 में (व्यवधान) नेफ्था पर आधारित बिजली बनाने के लिये तैयार हैं? (व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : एक रुपये 85 पैसे की कण्डीशंस पढ़ी हैं आपने? एक रुपये 85 पैसे की कंडीशंस क्या हैं? (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : हां। एक रुपये 85 पैसे में महाराष्ट्र में कांटेक्ट् हुआ है एनरान कम्पनी से।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उसकी और शर्तें भी देखिये। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, नहीं, यह सही है। अगर यह गलत साबित हो जाए या तो आप गलत साबित कीजिये या मैं गलत साबित करता हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अच्छा, आप धैर्य रखिये। मैं यहां पर भी करवा दूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : एक रुपये 85 पैसे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट कांट्रेक्ट करे, उसी नेफ्था पर आधारित आप 2 रुपये 10 पैसे में करें और हमको तकलीफ ही नहीं हो?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यदि आप एक रुपये 85 पैसे करवा देंगे तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। राजस्थान की जनता की तरफ से आपको धन्यवाद दूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमको तकलीफ कैसे नहीं होगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप यह व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि 1.85 पर राजस्थान में आप बनवा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : महावीर जी, आपको मालूम नहीं है कुछ (व्यवधान) एक कोने में जाकर बैठ जाओ + + + (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप जिम्मेदारी से कोई बात तो करो। (व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : एक रुपये 85 पैसे में आप करवा देंगे तो आप राजस्थान की जनता के साथ में बहुत बड़ा उपकार करेंगे। बहुत बड़ा उपकार करेंगे आप।

श्री चन्दनमल बैद : राजस्थान की जनता के साथ में आपने बहुत बड़ा धोखा किया है। 25 पैसे प्रति यूनिट आपने उसको नुकसान पहुंचाया है। (व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : बैदजी, आप तो राजस्थान को अंधेरे में रखना चाहते हो लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस महीने में कितने प्लाण्ट आते हैं और कितने काम शुरू होते हैं। आपको यही तकलीफ है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : ये उदारीकरण की नीतियां हैं। ये उदारीकरण की नीतियां हैं, आपका क्या लेना-देना है। (व्यवधान) आप क्या कर रहे हैं?

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 25 पैसे में किस-किस का हिस्सा है? (व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। राजस्थान को अंधेरे में डुबो दिया और जब

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

प्लाण्ट आ रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हां, तकलीफ हो रही है, एक रुपये 85 पैसे में बिजली महाराष्ट्र ने एनरान से ली है। महाराष्ट्र को 1.85 में बिजली दी है और आप 2.10 में ले रहे हैं। (व्यवधान) राजस्थान के 15 सौ करोड़ रुपयों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : हरिसिंह जी, एक रुपये 85 पैसे, 2 रुपये 10 पैसे समझने की आपके बस की बात नहीं है। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मंत्री महोदय, ये आपकी + + + हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये + + + बंद करो। यह + + + बंद करो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप मध्य प्रदेश के आपके मुख्य मंत्रीजी से पूछिये, वहां क्या हाल है। बिजली नहीं मिल रहीं है मध्य प्रदेश में। पूछिये आपके मुख्य मंत्रीजी से, क्या हालत हो रही है। _(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं आपकी भावना समझ रहा हूं। आपको तकलीफ हो रही है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ये आपकी + + + हैं। (व्यवधान)__

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आप एक मेगावाट भी नहीं कर सकते और आज बिजली के प्लाण्ट आ रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आप राजस्थान को लूट रहे हैं, इस बात की तकलीफ हो रही है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं समझता था कि आपको प्रसन्नता होगी किन्तु आपको तो तकलीफ हो रही है।

श्री चन्दनमल बैद : अगर आप जनता को लूटेंगे तो हम नहीं लूटने देंगे आपको।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापतिजी, आप इन लोगों के हाथ राजस्थान की भोली जनता को_(व्यवधान)__

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप असत्य घोषणाएं करते हैं कि मार्च में 1760 मेगावाट बिजली पैदा कर देंगे। यह मार्च खत्म हो गया और 1760 मेगावाट की जगह एक मेगावाट भी पैदा नहीं कर सके आप।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, ये जनता को लूट रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ये राजस्थान का विकास नहीं चाहते हैं, अवरोध पैदा करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मंत्री महोदय असत्य बोलते हैं, राजस्थान सरकार असत्य बोलती है। ये मार्च तक 1760 मेगावाट बिजली पैदा कर देंगे इसके बजाय एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं की गयी है। (व्यवधान) इस तरह राजस्थान की जनता को धोखे में रखा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह (महुआ) : + + + दूसरे_(व्यवधान) गिरवी रखी है।

श्री सभापति : विराजिये, बिराजिये, माननीय सदस्य।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप ऐसे बिजली पैदा करेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आपकी भावना समझ रहा हूं मैं।

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

श्री परसादीलाल मीणा : आप किसानों को बिजली किस भाव देंगे? किस भाव देंगे आप बिजली? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलने दीजिये। आप बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मार्च, 96 तक प्रदेश में 1760 मेगावाट बिजली पैदा कर देंगे। माननीय सभापति महोदय, इस तरह राजस्थान को धोखे में रखा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये आप। आप ही के सदस्य बोल रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मार्च, 96 तक 1760 मेगावाट बिजली पैदा कर देंगे। कहां है वह पैदा की हुई बिजली? (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) : मंत्रीजी कह रहे हैं कि इस बात की भी प्रशंसा हुई है। (व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि प्रशंसा नहीं राजस्थान का यह प्रश्न खड़ा हुआ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक रुपये 85 पैसे में किया है और यहां पर इतने पैसे में किया है। जवाब देना चाहिये था आपको। तकलीफ की क्या बात हो गयी हमारी। आपको जवाब देना चाहिये इसमें। आप मंत्री हैं, हमें बताना चाहिये, राजस्थान की जनता को कि इसलिए हुआ।

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री चन्दनमल बैद : प्रोजेक्ट बन रहा है वह भी नेफ्था पर है। आपका भी नेफ्था पर है। वे 1.85 में कांट्रेक्ट कर रहे हैं, आप 2.10 में कर रहे हैं। हम बोलेंगे नहीं? आप पैसे खा जाएंगे और हम बोलेंगे नहीं? यह दूसरा हवाला काण्ड है जो राजस्थान में हो रहा है। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : आप बता सकते हैं, महाराष्ट्र में आपकी सरकार ने किस रेट पर किया था?

श्री मदन दिलावर : माननीय बैदजी, ओपन टेण्डर काल किये थे, ओपन टेण्डर। क्यों नहीं वह पार्टी एक रुपये 85 पैसे में आयी? ओपन टेण्डर किये थे, आपकी तरह छिपा कर के नहीं किये। बैक-डोर से टेण्डर नहीं, ओपन टेण्डर हुए थे। कहां गयी थी वह पार्टी? आप कहां गये थे? (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये आप। माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : शरद पवार ने कितने में टेण्डर किया था? (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : इसकी सी.बी.आई. से इंक्वायरी होगी और हम करवायेंगे इसको। (व्यवधान) छोड़ेंगे नहीं आपको। (व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : धारीवालजी को कहने दो। (व्यवधान) एक रुपये 85 पैसे की शर्तें किसी ने पढ़ी हैं क्या? क्या शर्तें हैं? फॉरेन एक्सचेंज का मामला है। राजस्थान में फॉरेन एक्सचेंज का मामला है क्या? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : साहब, मैं समझ रहा हूं। सभापति महोदया—

एक माननीय सदस्य : आप घबराइये मत, सी.बी.आई. से जांच होगी। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : महाराष्ट्र का कांट्रेक्ट हो गया है।

श्री नाथूसिंह : महाराष्ट्र में आपकी सरकार ने किस रेट पर किया था ?

श्री चन्दनमल बैद : यह मैं नहीं कह रहा हूं।

श्री नाथूसिंह : क्यों नहीं कह रहे हो ? क्यों नहीं कह रहे हो ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : इसका भी जवाब हम देंगे। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : उन्होंने 1.85 में किया था, आपने 2.10 में क्यों किया ? आप 25 पैसे नाथूसिंह जी क्यों खा गये ? (व्यवधान) यह बताइये। जनता के 25 पैसे का हिसाब दीजिए आप। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : बाम्बे में नेफ्था लाने में कितना खर्च हुआ और राजस्थान में कितना हुआ, इसको देखा है क्या आपने ? आपने 1.85 और 2.10 पढ़ लिये। क्या है ?

श्री चन्दनमल बैद : यह एक्टिंग नहीं है, यह फिल्म नहीं है, जवाब देना पड़ेगा आपको। (व्यवधान) और आज नहीं तो कल सी.बी.आई. की इंक्वायरी तो होगी ही।

श्री मदन दिलावर : इस बात का जवाब दीजिये, ये टेण्डर कॉल किये तो यह पार्टी क्यों नहीं आयी ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इससे सस्ती रेट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कहीं हुई है ? 2 रुपये 10 पैसे से सस्ती रेट कहीं हुई है ? महाराष्ट्र का फॉरेन एक्सचेंज का है।

श्री चन्दनमल बैद : महाराष्ट्र में हुई है 1.85 में।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : बात यह है कि ये रेट इतनी कम हैं कि हिन्दुस्तान में और जगह नहीं जा रही हैं और इतनी सस्ती रेट आने के कारण आपको तकलीफ हो रही है कि यहां आ क्यों रही है इतनी सस्ती। मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : यह तकलीफ मेरे को है कि महाराष्ट्र में 1.85 में हो और यहां 2.10 में हो। यह तकलीफ मुझे ही नहीं, सारे राजस्थान की जनता को है। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप कटघरे में खड़े हुए हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कई प्रदेशों में इनका कमीशन मारा जा रहा है, इसलिए चक्कर पड़ रहा है। ये पहले बैक-डोर से टेण्डर लेते थे। इनका कमीशन मारा जा रहा है। कांग्रेस वालों को इसमें__(व्यवधान)__ हो रही है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मंत्री महोदय, हम आपके शुभचिन्तक हैं। अच्छा होगा, अब आप यहां पर अग्रिम जमानत करवा लो। (व्यवधान) अभी से ही अग्रिम जमानत करवा लो, नहीं तो जाओगे सींखचों में।

श्री सभापति : आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : फॉरेन एक्सचेंज में और रुपये में फर्क है कि नहीं ? (व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : जमानत के लिये तो नरसिंह रावजी से कहिये कि वे करवाएं। नरसिंह रावजी के लिये बयान दिया है, उनसे कहो कि वे जमानत करवाने के लिये तैयार रहें। हमारी जमानत करने के लिये तो कोई नहीं मिलेगा। नरसिंह रावजी की जमानत कराओ। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अभी तो आडवाणी जी की अग्रिम जमानत हुई है।

श्री मदन दिलावर : अपने गिरहबान में झांक कर देखो। (व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं आपके नेता पर विश्वास करता हूं। अगर आपके नेता रेट देख कर के यह कह दें कि रेट ज्यादा हैं तो आप कहें सो करने के लिये तैयार हूं मैं। आपके नेता पर विश्वास करते हैं।

श्री नाथूसिंह : अब तो, धारीवालजी, आपको पता लग गया न कि कट-आउट हैं या खम्भा हैं। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदया, बिजली मंत्रीजी इतना गुस्सा कर रहे हैं, बिजली का करन्ट तो लगा हुआ नहीं है अभी। मैं एक बात कह रहा हूं कि यह तकलीफ नहीं हो रही है—

श्री रघुवीरसिंह कौशल : जिस दो रूपये 10 पैसे के लिये सारे देश में यह चर्चा है कि यह वायबल नहीं है, जब यह चर्चा चल रही है—(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मेरी बात नहीं सुन रहे हैं आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पूरे देश की जनता में चर्चा है कि राजस्थान में भयंकर कमीशन है। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : लंग्स पावर से जोर से बोलने से इस पाइण्ट के ऊपर अपन किसी परिणति या निर्णय पर नहीं जा सकते इसलिए मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं।

जो एग्रीमेंट जिस रा-मैटेरियल को, गैस को आधार मानकर के उस वक्त की महाराष्ट्र सरकार ने किया था, एक तो यह है मेरी बात। जिस नेफ्था को रा-मैटेरियल मान कर के अभी की वर्तमान सरकार ने किया है—दो। अभी जो फैसला किया है वह फर्स्ट और सैकण्ड स्टेज दोनों का सम्मिलित किया है या अलग-अलग किया है? उन्होंने केवल फर्स्ट स्टेज का किया था। तीन, कैपीटल इंवेस्टमेंट बताकर के जो आज बात की गयी है, जैसा कि मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं उसमें कैपीटल इंवेस्टमेंट करीबन तीन हजार करोड़ या चार हजार करोड़ का उन्होंने इसमें बताया नहीं है और आपने जो किया है यहां पर, दूसरे राज्यों में कह रहे हैं, आप, तो अन्य राज्यों में भी नेफ्था पर आधारित बिजली उत्पादन के कुछ तो लैटर ऑफ इंटेंट या यह हो गये होंगे। आप उनकी भी जरा हमको जानकारी दे दीजिये ताकि हम बैठकर के किसी निर्णय पर पहुंच जायं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं आपके विचारों का स्वागत करता हूं और आपने जो कुछ कहा, यह सूचना आपको देकर आपसे वार्ता करने के लिये मैं सहर्ष तैयार हूं।

श्री परसराम मदेरणा : हां, तो कोई बात ही नहीं रह गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदया, मैं तो सिर्फ इस सरकार से चार या पांच बातें जानना चाहता हूं बिजली के सम्बन्ध में। कोई ज्यादा लम्बा नहीं ले जाना चाहता इसको।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : सभापति महोदया, अभी विपक्ष के नेता ने जो कहा अब चूंकि हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहे थे तो इसमें जो सही स्थिति है, वह स्पष्ट नहीं हो पायी। असल में महाराष्ट्र में जो एनरान का समझौता एम.ओ.यू. से हुआ था, पहले 2.40 की रेट पर हुआ था, बाद में उसको रिजेक्ट किया, झगड़ा हुआ, आर्बिट्रेशन हुआ, आपस में बात करके वह 1.85 पर आये क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा इंवेस्टमेंट वहां कर दिया। इसके सिवाय और किसी भी स्टेट में, हिन्दुस्तान में 2.10 की रेट अभी तक नहीं आयी। 1.85 की बात छोड़िये आप। 2.10 की भी रेट नहीं

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

आयी। लेकिन यह हमने यहां पर जो टेंडर काल किये, वह एम.ओ.यू. नहीं था, ग्लोबल टेंडर थे। 1.85 की रेट आती तो हम उसको स्वीकार करते। मगर निम्नतम रेट 2.10 की ही आयी और उसके बारे में भी शंकाएं हुई कि यह 2.10 की रेट वायबल नहीं है, यह जो रेट आयी है, इसमें लोग आयेंगे नहीं क्योंकि रेट तो दे दी है उन्होंने लेकिन इसमें होगा नहीं। यह शकाएं अभी तक भी चल रही हैं। अभी भी चल रही हैं और पैसे जमा करने में जो डिले हुई, उसके पीछे भी यह शंका का ही था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमने तो यहां पर जो मिनिमम रेट हो सकती थी उस पर किया जो हिन्दुस्तान में कहीं नहीं है। महाराष्ट्र का अलग केस है। महाराष्ट्र में टेंडर कॉल नहीं हुए। 1.85 की रेट टेंडर में नहीं आयी। एम.ओ.यू. में 2.40 की रेट से कम करके 1.85 आपसी समझौते से उन्होंने की है क्योंकि उस कम्पनी ने वहां हजारों करोड़ रुपये इंवेस्ट कर दिये थे। यह आपको पता है। इसलिए महाराष्ट्र के आधार पर तो इसकी तुलना हो नहीं सकती। बाकी हिन्दुस्तान में यदि कहीं पर भी 2.10 से कम की रेट आयी है तो बताइये। (व्यवधान)

श्री सभापति : इसे बहस का मुद्दा नहीं बनायें कृपया। माननीय सदस्य, बोलिये।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी बात सुनिये, यह पाइंट मैंने उठाया है। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इसका क्लेरीफिकेशन__(व्यवधान)

श्री सभापति : क्लेरीफिकेशन आपको नहीं देना है। बिजली मंत्रीजी दे देंगे। आप बिराजें। माननीय, बोलने दीजिये उनको।

श्री चन्दनमल बैद : मैंन यही कहा केवल कि महाराष्ट्र में आपकी सरकार ने 1.85 में समझौता किया आप 2.10 में कर रहे हैं। 25 पैसे का राजस्थान की जनता को नुकसान हो रहा है। यह मैंने कहां गलत कहा है? (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : या तो आप दूसरों को नहीं बोलने दें या फिर मैं भी बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : कहां गलत कहा?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बिल्कुल आपने गलत नहीं कहा है लेकिन हमारे पास 1.85 की रेट आयी ही नहीं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप इनको बोलने दीजिये। बिजली मंत्री जवाब देने को तैयार हैं। आप बोलने दीजिये अब इनको। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : उप मुख्य मंत्रीजी क्यों बोल गये बीच में? उनका क्या झगड़ा था। गलतफहमी क्यों पैदा कर रहे हैं? (व्यवधान) यह टाइम खराब कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : 1.85 की रेट आती और हम स्वीकार नहीं करते तो घाटा था। रेट नहीं, हमने तो टेंडर कॉल किये। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : एम.ओ.यू. हो या __(व्यवधान)

श्री सभापति : बोलिये-बोलिये

श्री चन्दनमल बैद : ग्लोबल टेंडर हो या कोई भी टेंडर हो लेकिन राजस्थान की जनता को 25 पैसे का नुकसान हुआ। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : 1.85 की रेट आती तो हम मानते पर आयी नहीं। रेट ही नहीं आयी। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : वह 2.10 से ज्यादा पड़ती है महाराष्ट्र की, क्योंकि उसमें फोरेन एक्सचेंज इन्वाल्व है। वह 2.10 से ज्यादा पड़ती है महाराष्ट्र की। फिर कैसे बता रहे हो_(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : जो कंडीशंस उनकी हैं, वही कंडीशंस आपकी हैं। आपको नहीं मालूम है। यह मुझे मालूम है। जो कंडीशंस उनकी हैं, वही कंडीशंस आपकी हैं।

श्री नाथूसिंह : नहीं-नहीं, फारेन एक्सचेंज का_(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि आपको जानकारी नहीं है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सदस्य, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी रेट से ज्यादा रेट पड़ रही है। फॉरेन एक्सचेंज मिलाकर नेफ्था की कीमत लगाकर वह ज्यादा पड़ रही है। मैं विरोधी दल के नेता ने जो कुछ कहा है, उन विचारों का स्वागत करता हूं। सारे फैक्ट्स उनके सामने रख कर के, यह जो कहेंगे उसे स्वीकार करने को तैयार हूं।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा है, सभापति महोदया, कल बिजली के सम्बन्ध में चर्चा का प्रसंग उस वक्त आया था तो मैंने मुख्य मंत्रीजी से कहा था कि जिसको आप एम.ओ.यू. कह रहे हैं, आप भी बैठे हुए थे, उसकी प्रतिलिपि और अभी जो एनरान से पावर परचेज एग्रीमेंट वर्तमान महाराष्ट्र सरकार ने किया है, इन दोनों की प्रतिलिपियां अगर आप उपलब्ध करा सकें तो हम इसको थोड़ा स्क्रूटनी करने में_(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, हो जायेगा। करवा देंगे

श्री परसराम मदेरणा : और किसी निर्णय पर पहुंचने के अन्दर वह कम्पेरीजन हो। उनहोंने कहा था कि कापियां दे देंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : करवा देंगे

श्री परसराम मदेरणा : मुझे कहा था, मेरे पास कापियां हैं और इसलिए मैं बोल नहीं रहा था कि मेरे पास में आथेंटिक पेपर्स आ जायं। पेपर आने के बाद में आपका जो है, लैटर ऑफ इंटेंट की भी मेरे पास कापी है। (व्यवधान) मेरी बात सुनिये। और तीन प्रोजेक्ट्स के साथ में आपने जो पावर परचेज एग्रीमेंट किया है, उसकी भी प्रतिलिपि मेरे पास है फिर उन्होंने कहा कि आप पहले बैठ कर के बात कर लीजिये। मैंने कहा नहीं, यह प्रलिमिनरी डाकूमेंट है, आप हमको दे दीजिये उसको देख कर के उसके बाद में आप कहेंगे उसी दिन बैठक कर के बात कर लेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : अब आपने जवाब दे दिया, पूरे हिन्दुस्तान में कहीं पर भी नहीं है दो रुपये दस पैसे। लोग कहते हैं राजस्थान में कैसे दे दिया। इसलिए सिक्योरिटी नहीं दे रहे थे। आप हमको स्टडी करने दीजिये। आप यूं जो है_

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप बिना स्टडी किये ही बोलेंगे? बिना स्टडी किये ही कोई बोलेगा तो जवाब तो देना ही पड़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, आपने जवाब तो दिया (व्यवधान) आप मुझे यह बता दीजिये कि (व्यवधान) नहीं-नहीं, अब आपको यह बताना पड़ेगा। अगर आप यह जवाब देना चाहते हैं और आप सरकार की तरफ से दे रहे हैं जवाब_(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां-हां, बिल्कुल दे रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : पूरे हिन्दुस्तान में नेफ्था बेस्ड जितनी भी दूसरी राज्य सरकारों ने पावर परचेज एग्रीमेंट किये हैं, उसकी कापी लाइये। आप दो कापी दे दीजिये। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : वह हम आपको...(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : कौनसे स्टेट में दो रूपये...(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : आपको हर स्टेट की जहां पर नेफ्था के एम. ओ. यू. हुए हैं...(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : 2.10 से ऊपर एम.ओ.यू. किस-किस स्टेट ने किया है? किस-किस स्टेट ने किया है?

श्री हरिशंकर भामड़ा : एम.ओ.यू. हुए हैं वे बता देंगे और उससे ...(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : यह आप बात कर रहे हो यहां बैठ कर के...(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : हां-हां, मैंने जिम्मेदारी के साथ बात की है। सारे फिगर्स आपको देंगे और आप उसमें से निकाल कर बता दीजिये कि कहां कम हुई है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं तो एक ही मिनट लूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : बात हो गयी, बिराजिये आप। हो गयी बात, बिराजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सब लोग बोले हैं। मैं भी बोलूंगा। सभापति महोदया, जो एक गलतफहमी चल रही है...(व्यवधान)

श्री सभापति : देखिये, यह अभिभाषण पर वाद-विवाद हो रहा है। बैठिये। बिजली पर वाद-विवाद नहीं है, बिराजिये आप।

श्री विजेयन्द्रपाल सिंह : इस वक्त पाइंट आफ क्लेरीफिकेशन पर मैं एक दो चीज बोलना चाहता हूं। पाइंट आफ क्लेरीफिकेशन यही है कि जो कम्पेरीजन हो रहा है, एनरान के साथ में। एनरान को आप कम्पेयर, जो एक थर्मल पावर स्टेशन है उससे कर रहे हो। डीजल जनरेटिंग से। यह जब डीजल जनरेटिंग सैट है, हण्ड्रेड मेगावाट का कम्पेयर कैसे कर सकते हैं? डीजल जनरेटिंग सैट आपके दो साल में लग जायेंगे। वह पांच साल में लगेगा और जो डीजल जनरेटिंग सैट नेफ्था लिक्विड फ्यूल पर बेस्ड है उसका तो रेट हाई आयेगा ही। उससे आप कम्पेयर कैसे कर सकते हैं। यह इसमें एक पाइंट रहा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह दूसरी बात कर रहे हैं। रेट यहां सोलर का हाई जा रहा है। वह 45 आ रहा है। यहां पर रेट सोलर का हाई आ रहा है। उल्टी बात हो रही है। 2.45 आ रहा है, 2.10 के बजाय।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो ऐसा समझ रहा था कि माननीय सदस्य अमरीका का ज्यादा ज्ञान रखते है, केलोफोर्निया के सम्बन्ध में कुछ बात करेंगे।

श्री वियेन्द्रपाल सिंह : नेशनल...(व्यवधान) हिन्दुस्तान से लिया।

श्री परसराम मदेरणा : डीजल बेस्ड जो प्रोजेक्ट लगाने की बात कही सौ-सौ मेगावाट की, उसमें तो आप दो साल से बराबर झांसापट्टी करते रहे और लोगों को गलतफहमी में रखते रहे। अब नेफ्था की बात है...(व्यवधान) नेफ्था और डीजल एक नहीं है। इसका भी कचरा आया, आपका बिटुमिन का भी। बिटुमिन से बचने वाला जो है, वह नेफ्था है और इसलिए...(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : डीजल जनरेटिंग सैट या तो नेफ्था पर चलते हैं या लिक्विड फ्यूअल पर चलते हैं या एल.एस. एक्स्ट्रेक्ट (L.S. extract) पर चलते हैं और आप कम्पेयर कर रहे हो एनरान, जो दो हजार मेगावाट का थर्मल पावर स्टेशन लग रहा है उससे।

श्री परसराम मदेरणा : You are a Generalist. शेक्सपीयर की बात करो। आपको कुछ पता ही नहीं है You are not technocrat.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदया, अभी विद्युत मंत्रीजी ने फरमाया कि ब्रिटिश पॉवर कम्पनी ने सिक्योरिटी डिपोजिट करवा दी। यह कल का अभिभाषण है राज्यपाल महोदय का, उसमें लिखा है, चालीस से पचास मेगावाट विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिये पांच कम्पनियों ने जोधपुर, भिवाड़ी, नीमराना, शाहजहांपुर के लिये आशय पत्र जारी करने के बाद आवश्यक धनराशि जमा कर दी है।

वह दस प्लांट लगा रहे हैं, दस अलग-अलग जगहों पर और यह सिर्फ पांच जगह। कब करवा दिये जमा? कल तक तो नहीं थे, अभिभाषण में तो नहीं आया उनका लेख। (व्यवधान) श्रीमान्, ब्रिटिश पॉवर कम्पनी को तो दस दिये थे आपने। लैटर आफ इंटेंट जारी किया 19 नवम्बर को। एक महीने की शर्त दी थी। पहले तो यह बताइये कि वह एक महीने की शर्त आपने क्यों तोड़ी? और फिर अगर तोड़ भी दी तो__(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : डीजल जनरेटिंग सैट का आज ही आर्डर देते हैं मंत्री जी, आज ही लेकर आ जाओ आप। इस रेट से कम डीजल जनरेटिंग सैट का कोई भी हिन्दुस्तान में कहीं पर भी नहीं हुआ है। आज ही आर्डर लेकर देते हैं। मैं दिलाता हूं आपको। क्या बात करते हो आप? आज ही आर्डर दिलाता हूं। चलिये इस रेट से नीचे ले आइये आप डीजल जनरेटिंग सैट पर, आज आर्डर दिलाता हूं मैं चलो, क्या बात करते हो आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, जिस कम्पनी ने वक्त के अन्दर-अन्दर सिक्योरिटी डिपाजिट नहीं करवायी उनकी अब क्या पोजिशन है, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप भी कन्क्लूड करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं कहां से कन्क्लूड कर लूंगा, मेरा तो सारा टाइम बिजली ले उड़ी। मैं कहां से कन्क्लूड कर दूंगा अभी।

श्री परसराम मदेरणा : Madam Chariman, he has controverted the Hon'ble Minister within half an hour.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके मिनिस्टर बीच-बीच में जवाब दे रहे हैं, मैं कहां से कन्क्लूड कर दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : ब्रिटिश पावर कम्पनी को 10 यूनिट का आपने लैटर आप इंटेंट दिया था। सिक्योरिटी साथ जमा करनी थी। अब पांच ही अगर मान लो, यह पांच इस कम्पनी की है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है__

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं है, पांच इनकी नहीं है। न जोधपुर है, न भिवाड़ी है, न नीमराणा है और न शाहजहांपुर।

श्री परसराम मदेरणा : इसकी पांच इसलिए बन रही है और इसकी भी पांच है, 10 की नहीं हुई है। वह 10 वाली बात कह रहे हैं। और

(श्री परसराम मदेरणा)

आप कोई सस्ते में ले आओ, किस को ले आओ सस्ता? बैठ जाइये + + + बात कर रहे हो। आप खड़े हो रहे हो__(व्यवधान)__

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इस रेट से कम आ ही नहीं सकती। पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर जहां-जहां भी हुआ है, सर, यू.पी. के अन्दर और कहीं पर भी। हरियाणा में आर्डर दिया 25 पैसे ज्यादा में।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने सिक्योरिटी डिपाजिट भी करा दी तो उसमें कार्य की प्रगति क्या है? कम से कम कार्य की प्रगति का तो उल्लेख कर देते इस अभिभाषण में कि यह-यह काम इनमें हो चुका। आप यह बता दीजिये। ठीक है, आपने ग्लोबल टैंडर फ्लोट कर दिये और ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर के जो मिनिमम था उसको आपने लेना चाहा। विद्युत मंत्रीजी, आप एक बात बता दीजिये कि आपके जो ग्लोबल टेंडर फ्लोट हुए हैं उसमें जो सब से कम कीमत आयी है वह एक चाइना की फर्म की आयी है जो आस्ट्रेलिया के मार्फत आपके यहां पहुंची है? उस चाइना की फर्म ने पाकिस्तान में आलरेडी दो प्लाण्ट डाल रखे हैं जो फैल हैं और वह कहां डालना चाहती है? हिन्दुस्तान के बोर्डर पर डालना चाहती है। क्या उनको आप दे दोगे? आप उन्हें दे पाओगे? उस वक्त जब आप नहीं दे पाओगे तो हम यह कहेंगे कि यह सब से कम था, आपने क्यों नहीं किया? यह जो पारदर्शिता की बात आपने कही है न, इस पारदर्शिता का अर्थ मैं आपको बताता हूं। (व्यवधान) अव्वल तो, सभापति महोदया, भ्रष्टाचार के युग में पारदर्शिता के कोई मायने ही नहीं हैं, अर्थ ही नहीं हैं और अगर पारदर्शिता का कोई वास्तविक अर्थ है तो यह है कि सार्वजनिक जीवन में वह वास्तविकता जो कथनी और करनी में फर्क न रखे तो पारदर्शिता मानी जावे। आप अगर पारदर्शिता की बात करते हो तो न तो महाराष्ट्र में पारदर्शिता थी, हमारे राज में भी नहीं थी और आपके राज में भी नहीं थी। अगर पारदर्शिता की बात करो तो ले लो इन दोनों को परसरामजी और चन्दनमलजी को आप इस कमेटी में और फिर करो एक-एक मंजूर। क्या है कोई आदमी ऐसा आप में से जो इन पर एक पैसे का आरोप कभी लगा देवे? लो इनको और लेकर मंजूर करो। आप जो कुछ करोगे और यह कमेटी जो कुछ करेगी हमें मंजूर होगा वरना हम एक-एक टेंडर शक की निगाह से देखेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : देखिये। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : देखते रहो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक-एक टेंडर पर शक की निगाह से देखेंगे। आप प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि पैसा जमा हो गया, यह मुख्य मंत्री महोदय का पत्र है हमारे नाम इसमें लिखा है, आप वहां से पढ़ सकती हैं, सभापति महोदया, प्रिय धारीवालजी__ (व्यवधान) मुख्य मंत्री का है।

श्री सभापति : आपको अच्छा नहीं लगा क्या?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बहुत अच्छा लगा।

उन्होंने आखिर ही आखिर में लिखा है, ब्रिटिश पावर इंडस्ट्रीज, इंग्लैण्ड का पहला पावर प्लाण्ट 31.12.96 तक स्थापित हो जायेगा। आज मार्च, 96 हो गया, नन्दलाल

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

मीणा, कहां से स्थापित हो जायेगा ? + + + यह बताओ आप। और अपना 10वां और आखिरी पावर प्लाण्ट 31.12.97 तक स्थापित कर देगी, अर्थात् दो वर्ष के समय में ही राजस्थान को 400 मेगावाट के हीरे मिल जायेंगे। यह प्रोग्रेस है आपकी तीन साल की और आपकी हालत यह है कि केन्द्र को गाली दिये बगैर आप मानते नहीं हो। पूरे देश में जितने भी पावर प्लाण्ट हैं, केन्द्र ने उसमें सिर्फ 1500 मेगावाट का अपना हिस्सा रख रखा है और उस 1500 मेगावट में अकेले राजस्थान को वह साढ़े सात सौ मेगावाट देता है तब जाकर आपके यहां बिजली आ रही है। देता है कि नहीं देता ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : पैसे देते हैं पैसे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप बता दो कि मैं झूंठ बोलिया ?

एक माननीय सदस्य : कोई ना।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उप मुख्य मंत्रीजी, हालत यह है कि मुख्य मंत्री जी घोषणा करते हैं, यह घोषणा करी है 17.12.95 को कि मार्च तक प्रदेश में 1760 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो जायेगा जबकि उत्पादन 1016 का है 937 अपन बाहर से लेते हैं अपने शेयर की और बाकी एक हजार से ऊपर जो कुछ भी है वह खरीदते हैं। कहां से हो जायगा ? आप कहें तो 31 मार्च को मैं आपके यहां हाजिर होऊं।

श्री अमराराम (धोद) : यह बात 2001 की है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां 2001 की हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं विथड्रा कर लेता हूं। (व्यवधान)

आप ग्लोबल टेंडर की बात करते हैं, क्या हुआ धौलपुर में ? कौनसा ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया था आपने ? आर.पी.जी. अपने दम से पहले एनवायर्नमेंट का क्लियरेंस ले आया कोल के ऊपर और कोल पर जो उसकी इकोनामी नहीं बैठी, आप कुछ नहीं कर पाये उसने कोई सिक्योरिटी डिपाजिट करने के लिए मना कर दिया कि नहीं करता हूं सिक्योरिटी डिपाजिट। गर्ज आपको थी, उसने चेंज किया नेफ्था पर। नेफ्था पर भी क्लियरेंस ले आया और फिर भी सिक्योरिटी डिपाजिट नहीं करायी। आपने क्या कर लिया ? और क्या कर लोगे ? और क्यों नहीं कर लोगे ? कैसे कर लोगे ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय धारीवालजी, इस महीने में आर.पी.जी. से भी वार्ता हो जायगी।

श्री चन्दनमल बैद : वह महीना हमेशा चलता ही रहता है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह चलता ही नहीं रहता है, यह बहुत गम्भीर बात है, इसको आप जिस ढंग से ले रहे हैं उस ढंग से आपको नहीं लेना चाहिए। माननीय नेता ने जिस ढंग से लिया है, आप लीजिये। यह राजस्थान की जनता की उन्नति की बात है इसको आप गम्भीरता से लें। हम और आप मिल कर के करें, जितना कर सकते हैं उतना करें। इस प्रकार की बात करने से लाभ नहीं है कि टाइम निकल गया, क्यों लिया। आप दो रुपये 10 पैसे में आज भी ले आओ, जितने लाओ उतने लेने को तैयार हैं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं बहुत गम्भीर हूं और गम्भीर होते-होते आपकी प्रशंसा करता हूं। विद्युत मंत्रीजी, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, मैं वाकई ही गम्भीर हूं। मैं मुख्य मंत्री की असत्य घोषणाओं की आलोचना करता हूं। आपने कहा है कि चार वर्षों में राज्य विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जायेगा। मन में विश्वास होता है कि चार वर्ष में कहा है__(व्यवधान) लेकिन ऐसे मुख्य मंत्री का क्या करें जो इसी मार्च में 1760, वाह भाई वाह।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : इच्छा यही है कि इस नेफ्था वाले का जेस्टेशन पीरियड डेढ़ साल का है, डेढ़-दो साल के बीच में हो जाता है फिर सूरतगढ़ थर्मल ढाई सौ का आ जायगा। इच्छा यही है, आपकी शुभकामनाएं साथ रहें तो यह घोषणाएं पूरी होंगी, मित्र। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जो कुछ भी करो आप, आपके मुंह में घी-शक्कर। और जब आपने क्योंकि इतनी बात कह दी है__

श्री रघुवीरसिंह कौशल : बैदजी, आप नहीं कर सकते। (व्यवधान) राजस्थान को अंधेरे में नहीं डूबने देंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, अब मैं बिजली के अलावा पंचायत राज पर आना चाहता हूं। पंचायत राज के बाबत वह + + + भाग गये, यह देखिये आप, यह इनका स्टेटमेंट है, उम्मीद की जाती है कि केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें जस की तस मंजूर कर के केन्द्र सरकार की परम्परा के अनुसार राज्य सरकार भी राज्य वित्त आयोग की कमोबेश सभी सिफारिशें मंजूर कर लेगी। यह कब कह रही है राजस्थान की सरकार? दिसम्बर में। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 दिसम्बर, 1995 को राज्यपाल श्री बलिराम भगत को पेश कर दी है जिसे राज्यपाल ने टिप्पणी के लिए राजस्थान की सरकार को भिजवा दिया है। इस रिपोर्ट को राजस्थान की सरकार टिप्पणी के साथ विधान सभा के बजट सत्र में मंजूरी के लिए पेश करेगी।

यह कितने गम्भीर हैं? बार-बार हम से कहते हैं कि गम्भीरता की बात करो, गम्भीरता की बात करो। यह अपने पार्ट पर कितने गम्भीर हैं? इस बजट सत्र में लाने में किसने मना किया था इनको? (व्यवधान) कब ला रहे हो आप?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसी सत्र में। बिजनेस देखिये। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसी में कहां है? कोई एजेण्डा में नहीं है कहीं पर भी। आप बता दो मुझे। ला रहे हो तो बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

हमने तो नहीं पढ़ा, कहीं नहीं है, साहब।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : होगा। अब देखिये आप, यह फिर मुख्य मंत्रीजी का वादा पंचायत के प्रतिनिधियों को। __(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : 14 तारीख को पेश कर रहे हैं हम।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 12.12.95 को मुख्य मंत्रीजी भाषण देते हैं, एक माह में कानून पारित कर दिया जायगा। क्या कानून पारित कर दिया जायगा? कि सरपंच को पंचायत समिति में रोटेशन प्रणाली से सदस्य बनाया जायगा और इसी प्रकार पंचायत समिति के

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

निर्वाचित सदस्य को इसी प्रणाली द्वारा जिला परिषद में सदस्य बनाया जायेगा। दिसम्बर में कहते हैं, एक महीने में कानून पारित कर दिया जायगा। इस + + + सरकार पर, सभापति महोदया, कई बार इतनी पूछो मत आप ऐसी बू आती है कि यह करना क्या चाहते हैं। इस पंचायती राज का मखौल बनाकर रख दिया। लाहौल बिला कुव्वत। चार-चार पंचायतों पर एक ग्राम सेवक है, और जहां ग्राम सेवक नहीं है, कृषि पर्यवेक्षक घुसा दिया, मास्टर घुसा दिया। बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं लेकिन वह मास्टर करेंगे और कोई नहीं करेंगे।

नाथू सिंह जी, कोटा में रिसेंटली आपका यह भाषण हुआ, मैंने अखबार में पढ़ा कि केन्द्र वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर सिर्फ 75 रुपये मासिक देने की बात करता है और इस 75 रुपये में एक कप चाय भी नहीं आती है। यह आपने फरमाया। + + + अभी ओलावृष्टि से जिन लोगों को हजारों और लाखों रुपये का नुकसान हुआ है उनको आपकी सरकार ने चार-चार और पांच-पांच रुपये तक बांटे हैं।

श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : इससे क्यों जोड़ रहे हो?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कैसे नहीं जोड़ेंगे उसको, वह तो हर मास मिलता है। यह तो उसका नकद नुकसान है वह तक नहीं दे पा रहे हैं आप। आप क्या करेंगे?

श्री नाथूसिंह : इसके लिये पर कैपिटा बीस नये पैसे देती थी आपकी सरकार और हमने उसको बढ़ाकर पांच रुपया किया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके + + + बताऊं मैं। अलवर में जन प्रतिनिधियों के सामने आप भाषण दे रहे थे और जब वहां पर पंचायतों के जन प्रतिनिधि चिल्लाये तो आपने कहा कि आप अधिकार की बात करते हो, जाओ आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। कर्तव्य की बात करो। यह कर्तव्य की बात सिखाने आये हैं। क्या पंचायत राज को मजबूत करेंगे ऐसे लोग? जो लोग पंचायती राज की एबीसीडी, नहीं समझते हों, सभापति महोदया, वह आज मंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : आपसे दो क्लास ज्यादा पढ़े हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं तो उतना ही पढ़ा हुआ हूं जितना आप पढ़े हो। अब आप जोड़ लो जितने पढ़े हो, मैं तो वही मान लूंगा।

श्री नाथूसिंह : आप जितना पंचायती राज पर बोल रहे हैं न, यह बताइये कि गांवों को जानते भी हो आप, गांव कैसा होता है। आपके केन्द्र ने 73वां अमेण्डमेंट किया है.....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पहले तो आप इनको यह बता दो कि मैं 1982 से लेकर 1994 तक कोटा का जिला प्रमुख था।

श्री नाथूसिंह : यह जो 73वां अमेंडमेंट किया है केन्द्र सरकार ने, उसने भी कभी गांवों को देखा है नीचे उतरकर?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : श्रीमान्, मैं जिला प्रमुख था, मैं पंचायती राज से जुड़ा हुआ हूं, मैं किसी फिल्म में काम करने नहीं गया।

श्री नाथूसिंह : सभापति जी, It is not important to have the knowledge,

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नाथूसिंह)

it is important that you must have the feelings. You do not have the feelings, you just have only knowledge. you do not have feelings about the villages.

श्रीमती कमला : सभापति महोदया अंग्रेजी बोलने से वह ज्यादा प्रभावी होता है क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : राजस्थान के मुख्य मंत्री क्या कहते हैं और पंचायती राज के मंत्री क्या कहते हैं, दोनों का फर्क बताना चाहता हूं और पंचायती राज को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। आप अपने मुख्य मंत्रीजी से अकेले में बात कर लेना। मुख्य मंत्रीजी कहते हैं ? 9 जनवरी को कि उन्होंने 22 दिसम्बर को इस आशय की घोषणा की थी, कि जिला प्रमुखों को ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष बनाया जायगा। यह 9 जनवरी को उन्होंने कहा कि मैंने 22 दिसम्बर को ही घोषणा कर दी थी जिला प्रमुखों को ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष बनाया जायगा और सरपंचों को पंचायत समिति का सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य को जिला परिषद का सदस्य बनाया जायगा। इसी न्यूज में, सेम पेपर में नाथू सिंह जी के विचार आते हैं। पंचायती राज मंत्री, श्री नाथू सिंह का कहना है कि मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के मद्देनजर जिला प्रमुखों को ग्रामीण विकास अभिकरण की जिम्मेदारी सौंपने पर गंभीरता से विचार तो किया जा रहा है परन्तु यह सम्भव नहीं है।

श्री नाथूसिंह : यह नहीं कहा है। डोंट मिस-कोट।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह लिखा है। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मैंने यह कहा है__ (व्यवधान) आप सुन लीजिये। आप गलत कोट मत करिये। आप गलत कोट मत करिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और उन्होंने यह भी कहा है, आगे जाकर यह भी कहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश सरकारों ने, जिला परिषदों को ग्रामीण विकास अभिकरण की जिम्मेदारी सौंपी थी पर इन तीनों राज्यों की सरकारों ने अपना निर्णय वापस ले लिया। आपने यह भी कहा__(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अब आप विराजें। You have quoted me.

सभापति महोदया, उन्होंने मुझे कोट किया है। आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने यह कहा कि नहीं कहा कि तीन राज्यों में जहां पर ग्रामीण विकास अभिकरण को जिला परिषदों को सौंपा था, उन्होंने भी अपना निर्णय वापस ले लिया है।__(व्यवधान) सभापति महोदया, इसको खत्म कर रहा हूं।

श्री नाथूसिंह : आपने मुझे कोट किया है। आपने मुझे कोट किया है इसलिए एक मिनट सुनिये।

आपने मुझे कोट किया है इसलिए विराज जाइये। सभापति महोदया, मैंने यह कहा है कि मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है उसको किस तरह लागू किया जाये इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, धन्यवाद। श्री कन्हैयालाल जी मीणा।

श्री नाथूसिंह : इसमें क्या गलत हो गया ? इसमें क्या गलत हो गया ? ऐसे ही__

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, ठीक है। यही कहा न आपने कि उन्होंने भी निर्णय वापस ले लिया।

श्री नाथू सिंह : नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह लिखा है न साफ। हद कर रहे हो।

श्री सभापति : अब आप कन्क्लूड करें। मैंने नाम पुकार लिया। मैंने दूसरा नाम पुकार लिया है। माननीय श्री राकेश जी मेघवाल। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपने इसका खण्डन कहां किया?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदया, कन्क्लूड कर रहा हूं। एक मिनट में कन्क्लूड कर रहा हूं, सभापति महोदया, मुझे एक मिनट का टाइम दें आप।

सभापति महोदया, एक मकान का यह नक्शा है। सभापति महोदया, जरा इधर देखें आप, एक मकान का यह नक्शा है और यह 3,600 स्क्वायर फीट जमीन है जिस पर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है और एक दूसरे मकान का यह नक्शा है__

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसको आप कन्क्लूड करें। दूसरों का भी नम्बर आयेगा। सब बोलना चाहते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और यह दूसरे मकान का नक्शा है जो सिर्फ 2080 स्क्वायर फीट जमीन है, जिस पर सिर्फ एक कमरा, एक किचन और एक ड्राइंग रूम बना हुआ है। पीडब्ल्यूडी. से असेसमेंट करवाया गया। इस मकान का, जो बड़ा मकान है, जिसमें इतने सारे कमरे हैं। पीडब्ल्यूडी. ने इसका असेसमेंट किया 3,200 रुपया प्रति मास पर।- कोटा कलक्टर ने लिखकर भेज दिया कि नहीं फलाने दफ्तर के लिये सिर्फ 3,000 रुपये मंजूर हुए हैं, 3,200 रुपये से पेमेंट नहीं किया जायगा। उससे मकान खाली करवा लिया गया। फिर 2080 स्क्वायर फीट वाले मकान का पीडब्ल्यूडी. से असेसमेंट कराया जिसका पीडब्ल्यूडी. ने असेसमेंट किया 4,000 रुपये, उसको किराये दे दिया गया और वह मकान के मालिक__(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मदन दिलावर हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मकान मालिक वाकई श्री मदन दिलावर हैं जिनके यह दस्तखत हैं उप मुख्य मंत्री महोदय, यह घोटाला मैं आपको पेश करता हूं कि इसकी जांच करवाइये। इसी साल का घोटाला है।

एक माननीय सदस्य : सी.बी.आई. से __(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : On a point of order.

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभापति महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है__(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : फाइल दे दी है मैंने, जांच करवा लीजिये। (व्यवधान) दफ्तर चल रहा है वहां पर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपकी बिना अनुमति लिये यहां पर पेपर दिये गये हैं इनको स्वीकार नहीं किया जाय।__(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, आन ए पाइंट आफ आर्डर। एक मिनट सुन लीजिये (व्यवधान) आई एम आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और भ्रष्टाचार के इतने मामले मेरे पास हैं, मैं क्या-क्या बोलूं ?...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : फिर आप मौका देओ तो मैं बैठ जाऊं।

श्री नाथूसिंह : मिस्टर धारीवाल, आन ए पाइंट आफ आर्डर।

सभापति महोदया, इस सदन की एक गरिमा है और सदन में कोई भी बात बोली जाती है वह पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जाती है, छपती है समाचार पत्रों के माध्यम से, संचार माध्यमों से...(व्यवधान) आप सुनिये एक मिनट (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये, पाइंट आफ आर्डर पर बोल रहे हैं (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या पाइंट आफ आर्डर है, हम यहां बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : दस साल पहले और दो साल यह, करीब बारह साल से इस सदन का सदस्य रहा हूं। लोक सभा में भी रहा हूं। हर जगह की एक परम्परा है और नियम भी है कि जब किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध आरोप लगायें तो उसके पहले नोटिस देना आवश्यक होता है ताकि वह उसका जवाब दे सके।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने तो जांच के लिये फाइल उप मुख्य मंत्रीजी को दी है...(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : आप सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने कहीं कोई आरोप नहीं लगाया। मैं तो अब भी यह मांग करता हूं कि अगर इस फाइल के रिकार्ड को एक्जामिन करवा लिया जाय...(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : लेकिन अचानक इस तरह से खड़े होकर इस तरह से जो आरोप लगाया। मैं आपसे निवेदन करता हूं सभापति महोदया, कि इसको सदन की कार्यवाही...(व्यवधान) मिस्टर धारीवाल, लेट मी फिनिश।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय सभापति महोदया, कोई भी व्यवस्था का प्रश्न...

श्री नाथूसिंह : With the permission of the Chair, I am on the legs.

श्री परसराम मदेरणा : व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं आप, रूल बताइये ? आप किस नियम में उठा रहे हैं ?

श्री नाथूसिंह : मैं रूल बता दूंगा, आप विराजिये। (व्यवधान)...मैं बता रहा हूं आपको। पहले इस सदन में लिखकर आरोप लगाने के लिये कि मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं...

श्री परसराम मदेरणा : You are on a point of order but where is the rule?

श्री नाथूसिंह : पहले लिखकर देना पड़ता है लेकिन माननीय सदस्य ने आरोप लगा दिया। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस की प्रोसिडिंग्स से, कार्यवाही से उसको निकलवाइये। अगर आप आरोप लगाना चाहते हैं तो पहले...(व्यवधान)...

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदया, भ्रष्टाचार की बात है, जांच के लिये फाइल दी है। जो भी कहा गया है सही कहा गया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने फाइल सरकार को दे दी है। मैं अपने शब्दों पर कायम हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय फाइल देख लें।

श्री नाथूसिंह : आप पहले सूचना दीजिये फिर आप लगायें खूब आरोप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप क्या भ्रष्टाचार पर लीपापोती करने ही आये हो क्या ?

श्री मदन दिलावर : मेरा जवाब सुन लें, धैर्य से सुन लें। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : माननीय सभापति महोदय, मुझे एक मिनट के लिये सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : रूल 273 पढ़िये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रथम खण्ड में जो अध्यक्षीय व्यवस्था है, पेज नम्बर 252, इसमें है व्यक्तिगत आक्षेप लगाने से पूर्व तत्सम्बन्धी सूचना श्री अध्यक्ष व सम्बन्धित सदस्य को दी जाय। यह अध्यक्षीय व्यवस्था है।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, रूल 273 पढ़िये आप...(व्यवधान)...

श्री पूनम चन्द विश्नोई : व्यवस्था देने से पहले कृपया मुझे सुनिये एक मिनट।

श्री सभापति : एक मिनट मेरे को सुन लें।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : यदि किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है...

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, रूल 273, I read it. "Procedure regarding allegation against a person.–No allegation of a defamatory or incriminatory natural shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply :" यह क्लियर लिखा हुआ है...(व्यवधान)...

श्री शांति कुमार धारीवाल : जवाब दिलवा दो।

श्री मदन दिलावर : जवाब दे रहा हूं, धारीवाल जी दे रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे पर आरोप लगाया है, मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री सभापति : आप विराजिये, अभी जवाब नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर : मेरे ऊपर लगाया है। मैं पहले स्पष्टीकरण दूंगा, सीधा सीधा मेरे पर आरोप लगाया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप जवाब दे देना। पहले पाइंट आफ आर्डर के बारे में ऐसा है, पंचायत राज मंत्री जी ने कहा कि कोई भी माननीय सदस्य किसी व्यक्ति पर मान हानि कारक आरोप लगाता है तो उसकी पूर्व सूचना दी जानी चाहिये ताकि संबंधित मंत्री उस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दे सके। चाहे वह व्यक्ति प्रजेण्ट है या नहीं है, सब परिस्थितियों के अन्दर नोटिस देना जरूरी नहीं है। नोटिस उसमें देना जरूरी है जहां पर सरकार से सम्बन्धित कार्य कलाप हों और उसके बारे में आरोप लगाये जायं तो वह व्यक्ति यह कहेगा या मंत्री कहेगा कि साहब मैं इसकी फाइल देखकर वस्तु स्थिति क्या है वह निवेदन करूंगा। लेकिन कोई मेरे बारे में कहे कि मैंने सौ रुपये लिये हैं, तो क्या यह आवश्यक होगा

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कि मुझे नोटिस दें। मैं मेरी बहियां संभालूंगा कि सौ रुपये मैंने लिये हैं या नहीं लिये हैं। जो हाऊस में मौजूद हो, मंत्री चाहे नहीं हो, जो व्यक्ति मौजूद हो और सरकारी कार्य-कलापों से उसका सम्बन्ध नहीं हो उस घटना या दुर्घटना से तो इस तरह से आरोप लगाये जा सकते हैं क्योंकि वह व्यक्ति उस स्थिति में है। इसमें सरकार की कौनसी जानकारी आपको करनी है? एक्सप्लेनेशन आपको देना है, वह आपको अधिकार है लेकिन यह तो है नहीं कि मैं फाइल देखूंगा और उसमें तथ्य क्या है और उसकी जानकारी लूंगा। किससे जानकारी लेनी है?

You are the best judge and you give the reply. Therefore, in this case, there is no necessity. It is not an absolute rule that whenever any allegation is made against a person, then in every case, a notice shall have to be given before. That is not at all necessary......(interruption) those persons who are not present in the House, or if the matter concerns some department or departmental activity.

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि, यह वाद-विवाद समाप्त होने तक—

श्री परसराम मदेरणा : कौनसा वाद-विवाद है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह इस प्रश्न का जो वाद-विवाद है, प्रक्रिया नियम—(व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता महोदय, इसमें आसन को व्यवस्था देनी पड़ेगी। इसमें आरोप-प्रत्यारोप लगे हैं। यहां यह लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, आसन अलाउ करता है या नहीं करता है, यह सारे विषय हैं। इसको पूर्ण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, इसमें प्रोविजो और पढ़िये आप।

श्रीमती कमला : माननीय मंत्री महोदय अपना जवाब देना चाहते हैं उनको तो देने नहीं दे रहे हैं आप।

श्री नाथूसिंह : प्रोविजो और देखिये, इसमें और क्लियर हो जायगा।

श्री सभापति : मैंने देख लिये सब।

श्री नाथूसिंह : "......Provided that the Speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation......" 'any such allegation' means—इसमें कहीं यह क्लेरीफाई नहीं किया गया है—(व्यवधान)

श्री पूनम चन्द विश्नोई : चेयर कभी प्रोटेक्शन नहीं देगा, अगर उसमें कोई बात है और व्यक्ति दोनों मौजूद हैं एलीगेशन लगाने वाला और उत्तर देने वाला तो उस स्थिति के अन्दर, आसन उनके बीच बचाव में कभी नहीं आयेगा।

श्री नाथूसिंह : इसमें कहीं भी यह क्लेरीफाई नहीं है कि किस तरह का एलीगेशन होगा, पर्सनल होगा या सरकारी होगा या गैर सरकारी होगा। कहीं भी नहीं है। इसमें लिखा है—

'Any such Allegation' means any type of allegation. It includes any. आगे देखिये "......any such allegation if he is of opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such allegation."

इसलिये, सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि इस तरह के बेस लैस आरोपों से न तो जनता का कोई हित सर्व हो रहा है और इस सदन की परम्परा रही है कि नोटिस दिया जाता है पहले—

श्री पूनम चन्द विश्नोई : प्राइमाफेसी लग रहा है कि पी.डब्ल्यू.डी. ने छोटे मकान का ज्यादा किराया बताया है और बड़े का कम, अब आप एक्सप्लेनेशन दे दें कि मेरा तो ग्रेनाइट का बना हुआ है, मार्बल का बना हुआ है, बढ़िया फिटिंग है—(व्यवधान)—

श्री सभापति : माननीय सदस्य वह जवाब दे रहे हैं तो आप जवाब सुनिये। (व्यवधान) उन्होंने अपनी बात रख दी, वह अपना जवाब दे रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अभी पंचायत राज मंत्री जी जिस रूल को कोट कर रहे हैं बार-बार, एनी पर्सन, एनी पर्सन, एक घण्टा हो गया है और आपने प्रोविजो को यहां पर रीड किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मैं समझता हूं कि रूल के विवाद में न पड़ें। माननीय सदस्य के ऊपर जो आरोप लगाये हैं उनको एक्सप्लेनेशन का मौका दे दें।

श्री परसराम मदेरणा : एनी पर्सन का मतलब है—

member of the House who is levelling the allegation. यह है मतलब उसका। "Provided that the Speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation......". And 'Member' means hon'ble Member of this House.

एनी मैम्बर में आप थर्ड पर्सन की कह रहे हो, यह मतलब नहीं है। एनी मैम्बर का मतलब यह है। आप एनी एनी कर रहे हो।

श्री नाथूसिंह : एनी सच एलीगेशन। एलीगेशन के पहले एनी सच है। नहीं तो आरोप-प्रत्यारोप का अखाड़ा हो जायगा यह हाउस।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, जो अध्यक्षीय व्यवस्था है, वह भी मैं पढ़कर सुना दूं।

श्री सभापति : मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। देने दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वैसे हम यह चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं और जो भी बात है वह अपने तथ्यों को प्रकट कर दें। लेकिन जहां तक नियमों का सवाल है, नियमों में किसी पर आरोप लगायेंगे तो उसकी कापी अध्यक्ष महोदय को भी देंगे और सम्बन्धित सदस्य को भी देंगे। इस प्रकार की व्यवस्था रही है।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : यह स्थिति सही नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह है।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : नहीं है यह सही। अगर व्यक्ति उपस्थित है तो उस स्थिति में वह अपना जवाब दे दें। सरकारी कार्यकलापों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : यह सब चेयर ने रूल आउट किया है और माननीय मंत्रीजी को अपना जवाब देने के लिये कहा है।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदया, मेरे ऊपर सदन में माननीय धारीवालजी द्वारा आरोप लगाया गया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या आरोप लगाया ?

श्री रामनारायण चौधरी : आप बताइये कि क्या आरोप लगाया।

श्री सभापति : आप विराजिये। आप सुनते तो हैं नहीं वह बता रहे हैं। आप विराजिये वह बता रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : मैं बता रहा हूं। एक-एक बिन्दू का जवाब दूंगा, आपके एक-एक बिन्दू का।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आरोप तो अब लगाऊंगा।...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सबका जवाब दूंगा, जितने लगाये हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जांच की बात करी है मैंने।

स्पष्टीकरण

श्री मदन दिलवार, राज्य मंत्री, समाज कल्याण का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : माननीय सभापति महोदया, मेरे ऊपर धारीवाल जी के द्वारा आरोप लगाया गया। मैंने धैर्य से सुना है और सुनना भी चाहिए था। मैंने सदन के नियमों की पालना करके इसको सुना है। अब मैं निवेदन करता हूं विपक्ष के बन्धुओं से कि मेरी बातों को धैर्य से सुनें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे नाम से कोटा में हाउसिंग बोर्ड का मकान है जो 200 वर्ग मीटर का है। 1991 को मेरे को एम.एल.ए. कोटे में आबंटित हुआ है। उसमें 112 वर्ग मीटर के लगभग का निर्माण कार्य है। उसके अलावा गैरेज के लिए एक्स्ट्रा मैंने बनाया है। उसकी कीमत लगभग 3 लाख 86 हजार रुपया 1991 में थी। कैनफिन होम लिमिटेड से लोन लेकर के उस मकान का मैंने पैसा जमा करवाया था। सवा दो लाख रुपया लगभग। उसकी किश्त 3334 रुपया 13 साल के लिए आयी है और मैं निरन्तर रूप से उसको दे रहा हूं क्योंकि किराया पद्धति से लिया है। यदि टोटल पैसा मैं बैंक से लोन लेकर देता तो शायद साढ़े पांच हजार रूपया से भी अधिक मेरे को किश्त देनी पड़ती। यह सच है कि मैंने यह मकान किराये पर दिया है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि पी.डब्ल्यू.डी. से, किसी भी एजेन्सी से...(व्यवधान) मेरा निवेदन सुन लीजिये।

श्री सभापति : वह बोल रहे हैं ना। बतायेंगे भी। बता रहे हैं। बोलने दीजिये।

श्री मदन दिलावर : किसी भी एजेन्सी से जांच करवा लें यदि इससे कम किराया पड़ता होगा या इसमें कहीं मैंने उलट फेर की है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। एक निवेदन करना चाहता हूं मैं। मैं एम.एल.ए. प्रथम बार चुन करके आया था और जिस दिन मैं चुनाव लड़ने लगा था मैंने घोषणा की थी मेरे पास कितनी रजाई है, मेरे पास कितनी कटोरी है, कितनी मेरे पास भगोनी है, कितने मेरे पास पलंग हैं। एक-एक चीज का हिसाब मैंने जनता के सामने

(श्री मदन दिलावर)

दिया था। आज भी कापी मेरे पास है। जनता में एक-एक के पास है। मैं जब दूसरी बार एम.एल.ए. चुना गया उस बार भी मैंने सम्पत्ति की घोषणा की एम.एल.ए. पीरियड में कि मेरे पास कितनी सम्पत्ति है और अब कितनी सम्पत्ति हो गयी। आज भी मैं दावा करता हूं कि विधान सभा से या सचिवालय से जितनी मेरे को तनख्वाह मिली है उसमें से निर्माण के अलावा अगर एक पैसा भी मेरे पास निकल जायगा तो मैं इस सदन से इस्तीफा भी देने को तैयार हूं__(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह बात ही नहीं है। मैंने जिसमें सरकार से जांच के लिए आवेदन किया है।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदया, धारीवाल जी की आय की जांच करवा लें__(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सवाल यह है कि जिस मकान को खाली करवाया गया वह मकान बड़ा है या वह मकान बड़ा है या यह मकान बड़ा है।(व्यवधान)

श्री मदन दिलवार : मैं चैलेंज करना चाहता हूं, कि हजारों लाखों रुपयों की अवैध सम्पत्ति इकट्ठी की हुई है इन्होंने__

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसका किराया ज्यादा है या इसका किराया ज्यादा है।

श्री मदन दिलावर : __(व्यवधान)__अवैध बसें चलती हैं। अनेकों लड़कियों को लेकर के यह भागे हैं। पता नहीं किस-किस प्रकार के आरोप इनके ऊपर हैं। खुद के गिरहबान में झांक करके देखें। मेरे ऊपर कीचड़ उछालने से पहले, धारीवालजी, खुद के गिरहबान देख लें (व्यवधान) मैं चैलेन्ज करता हूं (व्यवधान) कि विपक्ष के सदस्यों की जांच कमेटी बना दीजिये, यदि मेरे को यह आरोपित कर देंगे,धारीवालजी को उस कमेटी का अध्यक्ष बना दीजिये, यदि वह मेरे को आरोपित कर देंगे तो यह सदन जो भी सजा देगा,मैं भुगतने को तैयार हूं।

श्रीमती कमला : सभापति महोदया, यह आरोप माननीय मंत्रीजी पर नहीं हैं बल्कि जिस विभाग ने वह किराये पर लिया है, आरोप उस पर बनता है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री शांतिकुमार धारीवाल : __(व्यवधान)__ मुख्य मंत्री महोदय यहां पर नहीं थे। मेरी अर्थना__

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप ही के कागज से सुन लीजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आवेदन मेरा है। उसको आप वेरीफाई कर लीजिये। __(व्यवधान)__एक-एक कागज उसका वेरीफाई कर लीजिये,मैं उसी से बोल रहा हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं आप ही के कागज से पढ़ रहा हूं। आपके कागज में आपने पहले जो इस मकान का हवाला दिया है उसकी वेल्युएशन की गयी है 5 लाख 12 हजार 470 रुपये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सही है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : और उसका 3 हजार 2 सौ रुपये पर मन्थ वेल्युएशन किया। दूसरे मकान की जो वेल्युएशन हुई है वह 5 लाख 35 हजार 133 रुपये हुई है और उसकी वेल्युएशन हुई है 4 हजार रुपये। तो उसकी वेल्युएशन ज्यादा है,इसकी वेल्युऐशन कम है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मुझे फाइल मेरी वापस दें दीजिये, मैं पढ़ कर बताता हूं। —(व्यवधान)— मैं इसकी एक-एक चीज पढ़ कर बताता हूं। —(व्यवधान)— नहीं, मैं अब पढ़ कर बता देता हूं।

सभापति महोदया, यह पहला कागज, कार्यालय मत्स्य पालक विकास अधिकरण, 23.9.91 कार्यालय आदेश, अधिशाषी अभियंता, पी. डब्लयू. डी. सिटी डिवीजन कोटा के पत्र 17.9.91 के द्वारा मकान नम्बर डी-1 बल्लभ बाड़ी, श्री कौशलजी जानते होंगे कि कोटा में बल्लभबाड़ी में बने हुए मकान की कीमत ज्यादा है या कोटा शहर से 8 कि.मी. दूर मावली नगर जहां पर इनका मकान स्थित है उसकी कीमत ज्यादा है। आप कर देंगे फैसला। —(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उसमें वेल्युएशन दी हुई है 175 रुपया प्रति वर्ग फीट दी हुई है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आगे बताता हूं, साहब, सारी बताऊंगा। एक-एक चीज बताऊंगा आपको। बल्लभबाड़ी, कोटा निर्धारित की गई, प्रतिमाह किराये की दर 32 सौ रुपया है जो कि डी. डी. सूद के मकान की पत्र दिनांक 3.5.91 में स्वीकार की गयी है। डी. डी. सूद इस मकान का मालिक था जहां पर पहले फिशरीज डिपार्टमेंट का बल्लभ बाड़ी एरिया में दफ्तर चलता था, जो कि 36 सौ स्क्वायर फीट जमीन है। प्रतिमाह किराये की दर 3 हजार रुपये से अधिक है अतः एतद्द्वारा उक्त वर्णित मकान डी-1 बल्लभबाड़ी, कोटा जो कि मत्स्य पालक विकास अधिकरण कोटा के लिए किराये पर लिया गया है कि प्रतिमाह 3 हजार रुपये मात्र की दर से किराये के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है। 32 सौ रुपये पर पी. डब्ल्यू. डी. ने उनका मकान असेस किया लेकिन उसको 3 हजार रुपया दिया। वह इसलिए दिया क्योंकि यह कहा गया कलक्टर के द्वारा कि 3 हजार रुपये से ज्यादा का मकान हम किराये पर नहीं दे सकते। ठीक इसके बाद यह मकान खाली कर दिया गया और यह मकान खाली करके दिलावर साहब का मकान जो कि कोटा से 8 किलोमीटर दूर है उसका असेसमेंट 4 हजार रुपये पी. डब्ल्यू. डी. से करवा करके दे दिया गया। मकान क्यों खाली किया गया क्योंकि 32 सौ रुपया किराया मांगता था मकान मालिक। असेसमेंट पी. डब्ल्यू. डी. ने 32 सौ रुपये का किया था, सैंक्शन थी 3 हजार रुपये की। यह बहाना लेकर के मकान खाली कर दिया गया और 4 हजार रुपये महीने में दूसरा मकान किराये पर ले लिया गया जो कि मदन दिलावर साहब का मकान था। —(व्यवधान)— मुख्य मंत्री महोदय, जिस तरीके से जयपुर में सी-स्कीम है—

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मकान की वेल्युएशन देखिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसी तरीके से कोटा में बल्लभबाड़ी है और जिस तरीके से मालवीय नगर एक्सटेंशन है उसी तरीके से कोटा में महावीर नगर एक्सटेंशन है। इतनी दूरी है। आप खुद बताइये। यह बैठे हुए कोटा को जानने वाले, अगर यह कह दें कि बल्लभबाड़ी के मकान की कीमत कम है और महावीर नगर के मकान की कीमत ज्यादा है—

श्री सभापति : चर्चा समाप्त। सदन की कार्यवाही 11 मार्च, 1996 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 18.08 बजे सोमवार; 11 मार्च, 1996 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 2 का विवरण

राजकीय चिकित्सालय लाडनूं, निम्बीजोधा एवं जसवंतगढ़ में चिकित्सकों के विरूद्ध गत तीन वर्षों से प्राप्त शिकायतों का विवरण :

क्र.सं.	शिकायतकर्त्ता का नाम	शिकायत की दिनांक	जांचकर्ता	निष्कर्ष
1.	श्री हरजीराम बुरडक	14.6.94 11.7.94	संयुक्त निदेशक, बीकानेर	डॉ. रश्मि राजवंशी घर पर सोनोग्राफी मशीन लगाने की दोषी है। तथा रोगियों से शुल्क लेने के कारण उनके विरूद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है, बाकी सभी आरोप निराधार हैं।
2.	श्री हरजीराम बुरडक	23.7.94	संयुक्त निदेशक, बीकानेर।	जांच अधिकारी द्वारा लाडनूं कस्बे के सरकारी चिकित्सा संस्थानों की जांच की गयी एवं डॉ. रश्मि राजवंशी द्वारा आवासगृह में सोनोग्राफी मशीन लगाना सही पाया व डॉ. वी.एस. गोडावत एवं डॉ. राजाराम शर्मा के विरूद्ध आरोपों को आधारहीन पाया।
3.	आम जनता, जसवंतगढ़	30.4.94	संयुक्त निदेशक, अजमेर	डॉ. सुरेन्द्र सिंह एम.टी.पी. करते हैं पर उनका रिकार्ड नहीं रखते और न ही कोई एम.टी.पी. फार्म भर कर

क्र.सं.	शिकायतकर्त्ता का नाम	शिकायत की दिनांक	जांचकर्ता	निष्कर्ष
				प्रस्तुत करते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट का रिकार्ड नहीं रखने के प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं उनके विरूद्ध नियम–16 के तहत कार्यवाही की जा रही है।
4.	श्री शिवचन्द्र सोनी, डाबड़ी	3.12.94	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।	श्री शिवचन्द्र सोनी ने लिखित में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है।
5.	श्री सोहन लाल माली	11.1.94	संयुक्त निदेशक, बीकानेर	आरोप निराधार पाये गये।
6.	अध्यक्ष मण्डल, भारतीय जनता पार्टी लाडनूं। श्री हरजीराम बुरडक मुख्य सम्पादक, लाडनूं ललकार श्री पी.नढ्ढ़ा, चि.अ. लाडनूं।	4.8.94 12.9.94 22.9.94 20.10.94	"	डॉ. रश्मि राजवंशी घर पर सोनोग्राफी मशीन लगाने की दोषी है तथा रोगियों से शुल्क लेने के कारण उनके विरूद्ध सी.सी.ए. नियम–16 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है, बाकी सभी आरोप निराधार हैं।

परिशिष्ट-2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

केन्द्रीय कारागृह बीकानेर के कैदियों पर अत्याचार प्रकरण

4. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर केन्द्रीय कारागार में कैदियों को बर्बरतापूर्ण ढंग से मारने, पिटाई कर हाथ-पांव तोड़ दिये जाने तथा उनके साथ अप्राकृतिक, अभद्र और अमानवीय कृत्य किये जाने के सम्बन्ध में तथ्य लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट में प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो लोकायुक्त के जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लोकायुक्त ने अपने जांच प्रतिवेदन में उक्त जेल में होने वाले अत्याचारों और उन्हें छिपाने के लिए षडयंत्र रचाने के आरोप में जेल अधिकारियों और वहां के डॉक्टर को तत्काल निलम्बित कर उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी, हां, लोकायुक्त की अनुशंषा के अनुसार श्री ओम प्रकाश चांवरिया, तत्कालीन उपाधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर, श्री रामकुमार, तत्कालीन कारापाल, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर एवं तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुरेश चन्द्र माथुर, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर को दिनांक 29.2.96 को निलंबित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करने हेतु महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर को दिनांक 29.2.96 को निर्देश दिये जा चुके हैं।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला जैसलमेर के सिंचित क्षेत्र में आवंटित भूमि

5. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : क्या राजस्व (उपनिवेशन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के इन्दिरा गांधी नहर विभाग द्वारा सिंचित क्षेत्र में जिन मुरब्बों का आवंटन किया गया है उसमें स्थानीय लोगों को यह सुविधा दी गयी है कि वे जमीन की कीमत किश्तों में अदा करें जब कि अन्य जिले के लोगों को पूरी रकम एक साथ देनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक क्र.प. 3 (57)उप/95 दिनांक 9.1.96 से आदेश दिये हैं कि सामान्य आवंटन में दी जाने वाली जैसलमेर जिले की सिंचित भूमियों की कीमत एक लाख रूपये प्रति मुरब्बा होगी, जिसकी वसूली 20 समान वार्षिक किश्तों में होगी। जैसलमेर जिले के बाहर इन्दिरा गांधी नहर परियोजना उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 17-(6) के अनुसार सामान्य आवंटन की भूमि की किस्त 15 समान किश्तों में तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों से 16 समान किश्तों में वसूल की जाती है।

पंचायत समिति दूदू (जयपुर) के तालाबों की मरम्मत

6. **श्री बाबू लाल (दूदू)** : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1995 में दूदू पंचायत समिति जिला जयपुर में सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत तालाबों की खुदाई व मरम्मत का कार्य करवाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 13 जुलाई, 1995 से पहले बरसात होने से पानी तालाबों में भर गया था ?

(3) क्या यह सही है कि तालाबों की खुदाई व मरम्मत का भुगतान श्रमिकों को दिनांक 15 जुलाई, 1995 तक का किया गया था ?

(4) क्या यह सही है कि प्रधान, पंचायत समिति दूदू ने विकास अधिकारी को दबाव डाल कर बगैर एम.बी. (माप पुस्तिका) भरे ही 9 लाख रुपये का भुगतान करवा दिया ?

(5) क्या यह भुगतान नियमानुसार किया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1995-96 में दूदू पंचायत समिति में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत तालाबों की खुदाई व मरम्मत का कार्य करवाया गया था।

(2) जी, हां। दिनांक 12/13.7.95 को दूदू पंचायत समिति क्षेत्र में वर्षा प्रारम्भ हो गई थी तथा दिनांक 13.7.95 को व्यापक वर्षा के कारण तालाबों में पानी आ गया था।

(3) जी, हां। यह सही है कि इन कार्यों पर कार्यरत श्रमिकों को दिनांक 15.7.95 तक का भुगतान किया गया है।

(4) यह सही है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू ने इन कार्यों पर रु. 7.94 लाख राशि का बिना माप पुस्तिका में प्रविष्टि किये ही भुगतान कर दिया।

(5) यह भुगतान नियमानुसार नहीं किया गया है।

इस प्रकरण की जांच हेतु जि.ग्रा.वि.अ., जयपुर के सहायक अभियन्ता, लेखाधिकारी व वर्तमान विकास अधिकारी, पंचायत समिति दूदू की एक कमेटी गठित की गयी है जिसने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जांच रिपोर्ट के अनुसार दोषी पाये गये अधिकारियों यथा तत्कालीन विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता, लेखाधिकारी एवं कनिष्ठ लेखाकार पंचायत समिति दूदू को आरोप पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस थाना मण्डावर (दौसा) में पुलिस हिरासत में मृत्यु

7. **श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट), श्री हीरालाल (बामनवास) एवं श्री हरिसिंह (महुआ)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दौसा जिले के थाना मण्डावर में किशोर मीणा की पुलिस हिरासत में मृत्यु से सम्बन्धित मु.नं. 65/95 में थाना कठूमर (अलवर) के दोषी अपराधियों को अब तक भी गिरफ्तार नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि मृतक किशोर मीणा के साथ कजोड़ मीणा को भी पुलिस थाना मण्डावर साथ लेकर आयी थी एवं

(श्री परसादी लाल मीणा)

थानाधिकारी ने किशोर मीणा की पिटाई कजोड़ मीणा के सामने ही की थी जिसकी थोड़ी देर बाद ही मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो कजोड़ मीणा द्वारा दिये गये बयानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किशोर मीणा के मुकदमे में अपराधियों को गिरफ्तार कर चालान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। अब तक के अनुसंधान से किसी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है तथा प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

(2) मृतक किशोर के साथ कजोड़ मीणा को भी पुलिस लेकर आयी थी। पुलिस अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए कजोड़ मीणा के बयानों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(3) प्रकरण का अनुसंधान जारी है। अनुसंधान पश्चात् दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी।

बयान अन्तर्गत धारा 161 सी.आर.पी.सी.

श्री कजोड़ पुत्र श्री सम्पत राम कौम मीणा उम्र 50 साल निवासी सलेमपुर का बास थाना कठुमर व सिलसिले तफतीश अभियोग सं. 65/95 धारा 365, 302 ता हि. दिनांक : 2-6-95 थाना कठुमर जिला अलवर।

स्थान :— सलेमपुर का बास

दिनांक : 1-7-95

ने दरि. पर बयान किया कि दि. 2-6-95 को सुबह करीब 4.30 बजे मैं मेरे कुए पर बिजली चला रहा था उस समय लोग निबटने व स्नान करने कुए पर आ रहे थे, मेरा लडका रमेश भी वहीं था उस समय मण्डावर थाने के थानेदार व पुलिस के सिपाही कुए पर आये और थानेदार ने कहा कि इसे पकड लो तो 2-3 सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया और 2-3 थप्पड़ मारी व रांस्ते में खड़ी जीप में ले जाकर बैठा दिया, थोड़ा आगे किशोर अपने गैत में से खाद भर रहा था उसे भी पकड़ लिया और 2-4 डन्डे देकर जीप में पटक लिया, किशोर का बाप उसे छुड़ाने जीप के पीछे लटक गया जिसे पुलिस वालों ने लात मारकर पटक्र दिया। कठूमर थाने के सिपाही मानसिंह ने हमें ले जाने के लिए मण्डावर पुलिस को कई बार मना किया, हमें पहले कठुमर थाने पर ले गये। जहां मानसिंह ने फिर हम दोनों को मण्डावर नहीं ले जाने के लिए कहा मगर थानेदार नहीं माना और मानसिंह वहीं उतर गया। वहां पर मैं उतरने लगा तो एक जीप चलाने वाले सिपाही ने लाठी का हूदा दिया व मुझे जीप में पटक दिया। फिर खेडली होते हुए हमे मण्डावर थाने करीब 7.30 बजे सुबह पहुंचे। जीप से उतरते ही पुलिस वालों ने मेरे दो-तीन थप्पड़ दिये और थानेदार जी ने 2-3 डन्डे किशोर के मारे। डन्डा लगने से किशोर वहीं पर बैठ गया। बैठने के बाद बैठे हुए के 3-4 लात थानेदारजी ने और मारी जिससे किशोर वहीं फर्श पर गिर गया। उसके बाद भी थानेदार ठोकर मारता रहा। बाद में हम दोनों को आफिस में बैठा दिया। 10 मिनट बाद किशोर ने पेट में दर्द व जी घबराने को कहा। मैंने यह बात थानेदार को बताई। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी किशोर ने पानी मांगा तो पानी भी नहीं पिलाया। मैं दुबारा थानेदार के पास गया और बताया कि तबीयत

ज्यादा खराब हो रही हैं। तो थानेदारजी ने मुझें 20 रुपये दिये और जगदीश सिपाही के साथ हमें अस्पताल भेजा। हम तीनों अस्पताल गये डॉक्टर साहब ने किशोर को भर्ती कर लिया। मुझे दवाई लाने की पर्ची दी गयी। मैंने थानेदार साहब द्वारा दिये 20/- रु. व पर्ची जगदीश सिपाही को दे दी। जगदीश सिपाही दवाई लाया और किशोर के बोतल चढाना शुरू किया। मगर किशोर के पेट में दर्द बढ़ता ही गया और 2 घन्टे तक चिल्लाता रहा तथा बाद में बेहोश हो गया। दोपहर एक बजे करीब मर गया। फिर मुझे सिपाही थाने ले गया और आफिस में बैठा दिया। उस दिन थाने में कुछ मुलजिम और बन्द थे। शाम करीब 4-5 बजे सिपाही मुझे अस्पताल ले गये। जहां पर चीर घर के पास किशोर की लाश पड़ी थी, पोस्टमार्टम हो रहा था। वहां पर बहुत से अफसर मौजूद थे। वहां एक अफसर ने मुझसे कहा कि किशोर कैसे मरा? तो मैंने बताया कि पुलिस दोषी को तंग नहीं करती है व निर्दोष को मारती है इस कारण मरा। बांदीकुई के सी.ओ. साहब ने मुझे धमकाया और कहा कि तुम कलक्टर हो गये हो। बाद में मैं नहीं बोला। एक अफसर ने मेरे बयान लिये थे। उस पर मैंने दस्तखत किये थे एक कोरे कागज पर भी मेरे दस्तखत करवाये थे। बयान लेने वाले एडी.एम. दौसा थे। बयान मेरे कहेनुसार नहीं लिखे और अपनी मन से लिख रहे थे। कोरे कागज पर दस्तखतों के लिए मुझे कहा कि यह किशोर की लाश सौंपने के दस्तखत हैं। इसके बाद पुलिस वाले एक जीप में लाश को डालकर बहुत सी गाड़ियों के साथ सलेमपुर आये थे। मैं बांदीकुई सी.ओ. की जीप में बैठकर गांव आया था। सी.ओ. साहब रास्ते में मुझे धमकाते रहे। लाश लेकर हमारे गांव के शमशान में पहुंचे मगर गांव वालें ने लाश लेने से मना कर दिया। जिस पर लाश लेकर वे पुन: कठूमर चले गये। दुबारा पोस्टमार्टम करवाने के बाद दूसरे दिन लाश का पोस्ट मार्टम किया। एडी.एम. साहब दौसा ने जो बयान लिये उस पर उन्होंने व सी.ओ. साहब बांदीकुई श्री रतनसिंह ने जबरदस्ती मेरे दस्तखत करवाये थे। क्योंकि मैं अकेला था। इसलिए दस्तखत करने पड़े। एडी.एम. साहब दौसा का नाम मैं नहीं जानता। मैंने आज जो बयान आपको दिया है, यही सही हैं।

एसडी.

अशोक नरूका
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
सी.आईडी. (सीबी) रेंज भरतपुर।

बयान

दिनांक 2.6.1995

बयान श्री कजोड़ पुत्र सम्पत कौम मीणा उम्र 45 वर्ष निवासी सलेमपुर का बास थाना कठूमर जिला अलवर ने सशपथ बयान किया कि आज दिनांक 2.6.95 को सुबह करीब 5.30 बजे पुलिस थाना मण्डावर के बड़े थानेदार व कठूमर थाने का एक सिपाही व दो जीपों में पुलिस के आदमी बैठे थे जो सलेमपुर में अमरसिंह पुत्र श्री राजपाल निवासी सलेमपुर वास कौम मीणा के घर पर गये और अमरसिंह तो वहाँ मिला नहीं किशोर पुत्र राजपाल कौम मीणा उम्र 30 वर्ष निवासी सलेमपुर को जीप में बैठा कर कठूमर थाने होते हुए मण्डावर थाने ले आये। पुलिस वाले मेरे को भी साथ में ले आये थे। मण्डावर करीब 7.00 बजे सुबह आ गये थे और मेरे को व मृतक किशोर को थाने दफ्तर में बैठा दिया। करीब आधे घण्टे बाद ही किशोर की तबियत खराब हो गयी, अचानक पसीना आ गया और घबराहट हो गयी तो थानेदारजी ने मृतक किशोर को तुरन्त मण्डावर पी.एच.सी. में इलाज के लिये भेज दिया था, मैं भी साथ में आया था। अस्पताल में किशोर के ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई व अस्पताल में भर्ती कर लिया। इलाज के दौरान करीब चार घन्टे बाद अन्दाजन 12-1 बजे सी किशोर खत्म हो गया। मेरे सामने किशोर की कोई मार पिटाई नहीं की। किशोर सलेमपुर से आया था जब बीमार नहीं था, सही हालत में आया था। किशोर मेरे साथ ही आया था किशोर की अथवा मेरी किसी प्रकार की कोई मारपीट थाने में नहीं की।

ह/-
(कजोड़)

सत्यप्रतिलिपि

ह/-
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
जिला दौसा (राज.)

आर.ओ 8 एसी.
एस/डी.
एस.डी.
(ए.डी.एम., दौसा)

अक्षरसः मिलान किया गया
ह/-
निजी सहायक
पुलिस अधीक्षक
जिला दौसा

जिला डूंगरपुर के आदिवासी छात्रावास

8. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले में कितने आदिवासी छात्रावास हैं? इन छात्रावासों में से कितने भवन किराये पर हैं और कितने विभागीय हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें। कितने छात्रावासों के विभागीय भवन किराये पर चल रहे हैं?

(2) किराये पर चलने वाले भवनों का विवरण मय किराया विवरण के सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या किराये पर चलने वाले छात्रावासों के लिए कोई भूमि आबंटित कर रखी है? यदि हां, तो क्या सरकार छात्रावास भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में 35 राजकीय तथा 4 अनुदानित, कुल 39 आदिवासी छात्रावास हैं। आदिवासी राजकीय 35 छात्रावासों में से 21 किराये के भवनों में एवं 14 राजकीय भवनों में संचालित हैं। कोई भी विभागीय भवन किराये पर नहीं चलाया जा रहा है। विवरण "परिशिष्ट अ" पर उपलब्ध है।

(2) विभागीय छात्रावास जो किराये के भवनों में चल रहे हैं का विवरण मय किराये के परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) किराये पर चलने वाले 21 छात्रावासों में से 18 छात्रावासों के लिये भूमि आबंटित हो चुकी है। जिनमें से 4 छात्रावासों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शेष छात्रावास भवन बनाने की स्वीकृति राज्य सरकार के पास संसाधन उपलब्ध होने पर जारी की जा सकेगी।

"परिशिष्ट-अ"

डूँगरपुर जिले में राजकोष तथा अनुदानित छात्रावासों के राजकीय/संस्था के तथा किराये के भवनों की सूची.।

क्र.सं.	भवनों का विवरण	
	राजकीय	किराया
1. सावला .	सरकारी	—
2. बनकोडा	—	किराया
3. चिखली	—	"
4. भांसौर	—	"
5. कुआ	—	"
6. सावाल कन्या	सरकारी	—
7. सागवाडा	"	—
8. सागवाड़ा कन्या	"	—
9. फलोज	—	किराया
10. देवलपाल	सरकारी	—

क्र.सं.	भवनों का विवरण	
	राजकीय	किराया
11. पांडवा	—	किराया
12. आसपुर	सरकारी	—
13. रामकढ़	—	किराया
14. गन्धपाल	सरकारी	—
15. पीठ	—	किसया
16. आमलीसहाड़ा	सरकारी	—
17. रास्तापाल	—	किराया
18. ठाकरड़ा	—	"
19. निठाउआ	सरकारी	किराया
20. पुजंपुर	—	—
21. झलाप	सरकारी	—
22. चुडावाड़ा	"	—
23. विलुडा	—	किराया
24. गेजी	—	"
25. विलूडा कन्या	सरकारी	—
26. सरोद	—	किराया
27. डूँगरपुर	—	किराया
28. ओवरी	—	"
29. बूचियावाड़ा कन्या	—	"
30. बोखलापाल	—	"
31. चिखली कन्या	—	"
32. सीपलवाड़ा	सरकारी	"
33. विकासनगर	—	"
34. बिछीवाड़ा	—	किराया
35. पुनाली कन्या	सरकारी	—
योग	14	21

परिशिष्ट—"ब"

डूंगरपुर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति के राजकीय छात्रावासों के किराये के भवनों एवं मासिक किराये की सूची।

क्र.सं.	नाम छात्रावास		भवन किराया	मासिक किराया
1	2		3	4
1.	अनु.जनजाति, छात्रावास	बनकोड़ा	किराया	2000/-
2.	""	चीखली	""	1290/-
3.	""	भांसौर	""	1239/-
4.	""	कुआ	""	623/-
5.	""	फलोज	""	1500/-
6.	""	पाण्डवा	""	500/-
7.	""	रामगढ़	""	751/-
8.	""	पीठ	""	765/-
9.	""	रास्तापाल	""	600/-
10.	""	ठाकरड़ा	""	903/-
11.	""	पुंजपुर	""	404/-
12.	""	बिलूड़ा	""	500/-
13.	""	गेजी	""	990/-
14.	""	सरादें	""	867/-
15.	""	नताकेश (डूंगरपुर)	""	646/-
16.	""	ओबरी	""	850/-
17.	""	बचियावाड़ा	""	300/-
18.	""	बोखलापाल	""	800/-
19.	""	चीखली (कन्या)	""	475/-
20.	""	विकासनगर	""	975/-
21.	""	बिच्छीवाड़ा	""	1415/-

नये पशु चिकित्सा/उप केन्द्रों पर नये पदों का सृजन

9. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्ष में नये पशु चिकित्सालय/औषधालय नहीं खोलने के कारण संस्थाओं को विभाजित कर 750 उप केन्द्रों की स्थापना की गयी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाजित उप केन्द्रों पर एवं पूर्व से संञ्चालित संस्थाओं में नये पदों का सृजन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इससे चिकित्सा सेवाओं को प्रभावित होना नहीं मानती है ? यदि हां, तो क्या सरकार नया स्थापित/पूर्व संचालित संस्थाओं हेतु नये पदों का सृजन का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह पद कब तक सृजित किये जायेंगे ?

(3) क्या विभागीय मानदण्ड अनुसार नयी चिकित्सा संस्थाएं खोलने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो वर्ष 1996-97 में कितनी संस्थाएं खोलने का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। इस विभाजन के फलस्वरूप चिकित्सा सेवा में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। जी नहीं।

(3) जी हां। वर्ष 1995-96 में ग्रामीण विकास केन्द्रों पर 127 पशु चिकित्सालय विभाग द्वारा खोले गये हैं। वर्ष 1996-97 में नये पशु चिकित्सालय खोलने के विषय में बजट में उपलब्ध आर्थिक साधनों के अनुरूप ही निर्णय लिया जा सकेगा।

फतेहपुर (सीकर) का शराब दुखान्तिका प्रकरण

10. श्री बनवारी लाल भिण्डा (फतेहपुर) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुछ समय पूर्व फतेहपुर (सीकर) में शराब दुखान्तिका हुई थी ? यदि हां, तो इनके प्रमुख अभियुक्त कौन-कौन थे ?

(2) उक्त प्रकरण की जांच के क्या परिणाम रहे ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त दुखान्तिका में कई सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों को सरकारी गवाह बनाया गया था एवं न्यायालय के बार-बार निर्देशों के बावजूद भी वे उपस्थित नहीं हुए एवं कुछ विपरीत (होस्टाइल) हो गये जिससे दोषियों को बचाव का अवसर मिल गया ?

(4) क्या सरकार उक्त अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दि. 21.22 अगस्त, 1993 की रात्रि को कस्बा फतेहपुर में शराब दुखान्तिका काण्ड हुआ था। इस काण्ड में लिप्त अभियुक्तों के नाम इस प्रकार हैं : 1. विजय कुमार, 2. अब्दुल अजीज, 3. अनिल कुमार, 4. महेश कुमार, 5. कमल कान्त, 6. देवकी नंदन, 7. सोहन लाल, 8. पूरण सिंह, 9. नारायण सिंह, 10. बजरंग सिंह, 11. राम लाल, 12. सुभाष जाट, 13. भीम सिंह, 14. सोहन लाल कुम्हार, 15. सुमेर सिंह, 16. चैन सिंह,

(मुख्य (आबकारी) मंत्री)

17. लादू राम जाट, 18. राम देव सिंह, 19. शीश राम, 20. सुरेश कुमार, 21. कुरडा राम, 22. अशोक कुमार, 23. श्रीमती कलावती, 24. राजेन्द्र कुमार, 25. रणजीत सिंह, 26. टोडाराम उर्फ जोधाराम 27. श्रीमती शहजादी निशा, 28. आर.के. राठौड़ व 29. सुरेश पंडित।

(2) इस दुखान्तिका से सम्बन्धित कुल 6 अभियोग दर्ज हुए थे। जिनमें बाद अनुसंधान 29 अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 302, 304, 328, 201, 120 बी भा. द. स. एवं 54, 61 व 31 सी आबकारी अधिनियम प्रमाणित पाया जाने पर 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाकर सम्बन्धित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये जा चुके हैं। शेष रहे 7 फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

(3) इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(4) जानकारी प्राप्त होने पर तदनुसार समुचित कार्यवाही की जायेगी।

जिला सवाई माधोपुर के चिकित्सालयों के रिक्त पद

11. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994 से 1996 तक जिला सवाई माधोपुर में कितनी डिस्पेन्सरी खोली गयी एवं कितनी क्रमोन्नत की गयी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त डिस्पेन्सरियों में कितने डॉक्टर एवं नर्सों के पद कब से रिक्त हैं एवं उन्हें कब तक भर दिया जायेगा?

(3) वर्ष 1990 से 1996 तक जिला सवाई माधोपुर में दवाइयों एवं उपकरणों के लिए कितना बजट किस मद से दिया गया एवं कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1994 से 1996 तक निम्नानुसार संस्थान क्रमोन्नत एवं खोले गये।

वर्ष 1993-94 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रमोन्नत किये गये।
1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया

वर्ष 1994-95 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया।

वर्ष 1995-96 37 उपकेन्द्र खोले गये।

(2) सूची संलग्न है रिक्त पदों को पात्र आशार्थी एवं प्रशिक्षित अभ्यार्थियों के.उपलब्ध होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा।

(3) वर्ष 1990 से 1996 तक दवाइयों एवं उपकरणों के लिए मदानुसार व्यय का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुढ़ाचन्द्रजी

क्र.स.	पद नाम	स्वीकृत	रिक्त
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	2 9/93 से
2.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1 9/93 से
3.	चिकित्सा अधिकारी	3	1 9/95 से
4.	मेल नर्स	1	–
5.	मेल नर्स द्वितीय	2	–

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खण्डार

1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	2 मेडिसिन 9/94 से सर्जरी 9/93 से
2.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1 7/95 से
3.	चिकित्सा अधिकारी	3	–
4.	मेल नर्स प्रथम	1	–
5.	मेलनर्स द्वितीय	2	–

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सपोटरा

1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	– क.वि. सर्जरी के विरूद्ध व.चि.अ. कार्यरत
2.	चिकित्सा अधिकारी	3	1 2/94 से
3.	मेल नर्स प्रथम	1	–
4.	मेल नर्स द्वितीय	2	–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूरवाल

1.	चिकित्सा अधिकारी	1	–
2.	मेल नर्स श्रेणी—द्वितीय	2	–
3.	प्रसाविका	1	–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शेरपुरा

1.	चिकित्सा अधिकारी	1	–
2.	मेल नर्स श्रेणी—द्वितीय	2	–
3.	प्रसाविका	1	–

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

वर्ष 1990 से 1996 तक दवाइयों एवं उपकरणों के लिए दिया गया मदानुसार बजट निम्न प्रकार है।

वर्ष		भेषज एवं औषधियां आ. भि. व्यय	आ. व्यय	मशीनरी/साज सामान/संयंत्र आ. भि. व्यय	आ. व्यय
1.	1990-91	15.23	4.82	1.75	2.58
2.	1991-92	18.79	10.13	3.62	3.34
3.	1992-93	29.83	4.18	1.55	1.12
4.	1993-94	29.49	9.15	1.59	3.83
5.	1994-95	21.33	37.92	4.29	8.50
6.	1995-96	20.03	22.63	2.77	8.60

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर पुल निर्माण

12. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 उदयपुर के केशरियाजी के बीच खरपीणा नामक स्थान पर एक पुलिया का निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो उस पुलिया का काम कब प्रारम्भ किया गया था और कितने वर्षों की अवधि में पूर्ण किया जाना था?

(2) क्या यह भी सही है कि पुरानी पुलिया सही नहीं होने से आए दिन यातायात अवरुद्ध हो जाता है? यदि हां, तो नयी पुलिया कब तक बन जाने की संभावना है?

उत्तर

(1) यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 उदयपुर से केशरियाजी मार्ग पर खरपीणा ग्राम पर माइनर ब्रिज का निर्माण हो रहा है उसका कार्य 15.3.91 को शुरू हुआ था जिसे 18 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना था। पुल का कार्य पूर्ण किया जा चुका है केवल एप्रोच सड़क का निर्माण कार्य शेष है जो नवम्बर 96 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।

(2) पुरानी पुलिया पर ट्रेफिक जाम होता है यह सही नहीं है। नयी पुलिया का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं एप्रोचेज का कार्य माह नवम्बर 96 तक पूर्ण हो जायेगा।

पटवार ट्रेनिंग स्कूल, डीग

13. श्री अरूण सिंह (डीग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर संभाग में कितने पटवार ट्रेनिंग स्कूल कब से चल रहे हैं?

(2) क्या डीग (जिला भरतपुर) में भी कोई पटवार ट्रेनिंग स्कूल है? यदि हां, तो क्या सरकार पटवार ट्रेनिंग स्कूल डीग को तोड़कर अलवर स्थानान्तरित कर रही है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर सम्भाग में डीग (भरतपुर) में एक पटवार ट्रेनिंग स्कूल जनवरी 1978 से चल रहा है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी हां। विभाग ने पत्रांक प. 7(30) राज/ग्रुप-2/90 दि. 26.9.94 द्वारा इस शाला को डीग से अलवर स्थानान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान की थी, क्योंकि डीग स्कूल किराये के भवन में है जो बहुत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है व पटवार ट्रेनिंग स्कूल के लिए पूर्णत अनुपयुक्त है। इसके अतिरिक्त डीग छोटा कस्बा है जो मुख्य मार्ग से अलग है।

ग्राम पंचायत चौटीला (पाली) हेतु स्वीकृत कार्य

14. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाली द्वारा ग्राम पंचायत चौटीला हेतु किस-किस योजनान्तर्गत कौन-कौन से विकास कार्य स्वीकृत किये गये ? सूची मय राशि सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त विकास कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, कौन-कौन से कार्य अधूरे हैं एवं कौन-कौन से कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं एवं इन अधूरे व प्रारम्भ नहीं किये गये कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाली द्वारा ग्राम पंचायत चौटीला हेतु वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक निम्न प्रकार कार्य स्वीकृत किये गये हैं :—

क्र.सं.	नाम योजना	स्वीकृत कार्यों की संख्या
1.	सुनिश्चित रोजगार योजना	10
2.	जवाहर रोजगार योजना	3
3.	सांसद क्षेत्र विकास योजना	5
4.	निर्बन्ध राशि योजना	1
5.	अकाल राहत	1
	योग :—	20

स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त स्वीकृत 20 कार्यों में से 5 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, एवं 4 कार्य प्रगति पर हैं। शेष 11 कार्य ग्राम पंचायत द्वारा प्रारम्भ नहीं कराये जाने के कारण जिला कलक्टर द्वारा शेष कार्य प्रारम्भ करवाये जा कर पूर्ण कराने बाबत एवं कमेटी का गठन कर दिया गया है। (सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।)

परिशिष्ट—अ

ग्राम पंचायत चौटीला, पंचायत समिति रोहट में स्वीकृत कार्यों की सूची।

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	योजना
1.	प्राथमिक विद्यालय कमरा निर्माण, चौटीला	0.832	सुनिश्चित रोजगार योजना
2.	उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण, चौटीला	1.52	-"- -"-
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय कमरा, चौटीला	1.50	-"- -"-
4.	आंगनबाड़ी भवन निर्माण, बाण्डाई	1.05	-"- -"-
5.	प्राथमिक विद्यालय कमरा निर्माण, बाण्डाई	0.832	-"- -"-
6.	प्राथमिक विद्यालय कमरा निर्माण, मुकनपुरा	0.832	-"- -"-
7.	आंगनबाड़ी भवन निर्माण, मुकनपुरा	1.05	-"- -"-
8.	प्राथमिक विद्यालय कमरा निर्माण, दानासनी	0.832	-"- -"-
9.	तालाब खुदाई धरमधारी	0.50	-"- -"-
10.	आंगनबाडी भवन निर्माण, धरमधारी	0.70	-"- -"-
11.	उच्च प्राथमिक विद्यालय कमरा निर्माण, चौटीला	1.52	जवाहर रोजगार योजना
12.	एस.सी/एस.टी. सभा भवन निर्माण, चौटीला	0.83	-"- -"-
13.	साण्ड पाडा घर निर्माण, चौटीला	0.60	-"- -"-
14.	उच्च प्राथमिक विद्यालय कमरा चौटीला	0.832	सांसद क्षेत्र विकास योजना
15.	प्राथमिक विद्यालय कमरा निर्माण बाण्डाई	0.51	-"- -"-
16.	प्राथमिक विद्यालय कमरा निर्माण दानासनी	0.51	-"- -"-
17.	माध्यमिक विद्यालय कमरा निर्माण, धरमधारी	0.51	-"- -"-
18.	खरन्जा निर्माण, धरमधारी	0.464	-"- -"-
19.	माध्यमिक विद्यालय मूत्रालय निर्माण धरमधारी	0.063	निर्बन्ध राशि योजना
20.	पटवारधर अपूर्ण चौटीला	0.14	अकाल राहत

परिशिष्ट—ब

ग्राम पंचायत चौटीला, पंचायत समिति रोहट में स्वीकृत कार्यों की कार्यवार स्थिति

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की वर्तमान स्थिति
1.	आंगनबाडी भवन निर्माण, बाण्डाई	पूर्ण
2.	प्राथमिक विद्यालय कमरा निर्माण, बाण्डाई	पूर्ण
3.	प्राथमिक विद्यालय कमरा निर्माण, मुकनपुरा	पूर्ण
4.	प्राथमिक विद्यालय कमरा निर्माण, दानासनी	पूर्ण
5.	तालाब खुदाई, धरमधारी	पूर्ण
6.	प्राथमिक विद्यालय कमरा निर्माण, चौटीला	प्रगति पर हैं
7.	उच्च प्राथमिक विद्यालय कमरा, चौटीला	प्रगति पर है
8.	एस.सी/एस.टी. सभा भवन निर्माण, चौटीला	प्रगति पर है
9.	साण्ड पाडाघर निर्माण, चौटीला	प्रगति पर है
10.	उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण, चौटीला	प्रारम्भ नहीं
11.	उच्च प्राथमिक विद्यालय कमरा निर्माण चौटीला	-"- -"-
12.	उच्च प्राथमिक विद्यालय कमरा, चौटीला	-"- -"-
13.	पटवार घर अपूर्ण, चौटीला	-"- -"-
14.	प्राथमिक विद्यालय कमरा निर्माण, बाण्डाई	-"- -"-
15.	आंगनबाड़ी भवन निर्माण, मुकनपुरा	-"- -"-
16.	प्राथमिक विद्यालय कमरा निर्माण, दानासनी	-"- -"-
17.	माध्यमिक विद्यालय कमरा निर्माण, धरमधारी	-"- -"-
18.	खरन्जा निर्माण, धरमधारी	-"- -"-
19.	आंगनबाड़ी भवन निर्माण, धरमधारी	-"- -"-
20.	माध्यमिक विद्यालय मूत्रालय निर्माण, धरमधारी	-"- -"-

पुलिस थाना लालसोट में दर्ज चोरी का प्रकरण

15. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना लालसोट के अन्तर्गत लालसोट कस्बे में माह नवम्बर, 1995 में सात दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात की गयी थी ?

(2) क्या यह सही है कि पुलिस थाना लालसोट पर इस घटना की सूचना रात्रि 3.30 पर देने पर भी पुलिसकर्मी मौके पर सुबह 6.00 बजे पहुँचे थे ?

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश दौसा के आदेश पर सहायक जिलाधीश लालसोट ने पुलिस की उक्त निष्क्रियता की जांच की है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त जांच रिपोर्ट मिलने के बाद भी पुलिस अधीक्षक दौसा ने किसी भी दोषी पुलिसकर्मी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 27 व 28.11.95 की मध्य रात्रि को कस्बा लालसोट में चोरी की सात दुकानों में घटनाएं घटित हुई थीं।

(2) जी नहीं। चोरी की घटना के सम्बन्ध में थाने पर समय 5.35 ए. एम. पर फोन द्वारा सूचना मिलने पर पुलिस बल तत्काल घटनास्थल पर पहुँचा।

(3) जी हां। सहायक जिलाधीश लालसोट की जांच रिपोर्ट परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(4) जी नहीं। जांच रिपोर्ट मिलने के पश्चात् तत्कालीन थानाधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया है व सहायक उप निरीक्षक को निलम्बित किया गया है। इन दोनों के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है।

(जांच रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विधान सभा क्षेत्र फलासिया में नये पशु चिकित्सालय

16. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पशु औषधालय खोलने के मानदण्ड क्या हैं ? मानदण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में वर्तमान में कहां-कहां पशु औषधालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में कहां-कहां पर पशु औषधालय खोलने की मांग जनता/जन प्रतिनिधियों द्वारा सरकार से की गयी ? तथा कहां पर पशु औषधालय खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए अगले वित्तीय वर्ष में ग्राम ओगणा, पानरवा, डैया व जूडा में पशु औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के अनुसार 7500 पशु इकाई तथा 10 किलोमीटर के दायरे में एक पशु चिकित्सा संस्था स्थापित करने के प्रयास किये जावें।

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

इसके अतिरिक्त जनसंख्या, भवन, आवागमन के साधन, डाक सुविधा आदि साधनों को भी ध्यान में रखा जाता है।

(2) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में वर्तमान में 5 पशु चिकित्सालय 2 पशु औषधालय व 7 उपकेन्द्र कार्यरत हैं। जिनकी सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में पशु औषधालय खोलने की मांग जनता/जन प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त हुई है, जिसकी सूची "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है। वर्तमान में पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

(4) अगले वित्तीय वर्ष में प्रावधान होने पर इस पर विचार किया जा सकेगा।

सूची–'क'

निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में कार्यरत पशु चिकित्सा संस्थाओं की सूची

पशु चिकित्सालय	पशु औषधालय	उपकेन्द्र
(1) झाडोल	(1) गोरणा	(1) बीछीवाड़ा
(2) फलासिया	(2) जोगीवड़	(2) ब्राह्मणों का खैरवाड़ा
(3) बाघपुरा मादड़ी		(3) माकड़ादेव
(4) कोटडा		(4) मालपुर
(5) मामेर		(5) पातरपाडी
		(6) मायडी
		(7) देहमारिया

सूची–'ख'

निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में पशु चिकित्सालय/औषधालय खोलने की मांग की सूची

स्थान	मांग
(1) मानपुर	समस्या समाधान शिविर में ग्रामवासी
(2) कन्थारिया	ग्रामवासी
(3) ओगणा	ग्रामवासी
(4) मगवास	ग्रामवासी
(5) पीपलबारा	उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी फलासिया झाडोल एवं सरपंच पीपलबारा

विधान सभा क्षेत्र, सराड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

17. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र, सराड़ा जिला उदयपुर में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं? क्या प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक्स-रे मशीन उपलब्ध है? यदि हां, तो कहां-कहां और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सराड़ा में एक्स-रे मशीन लगी हुई है, यदि हां, तो कब से? क्या एक्स-रे मशीन चालू हालत में है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा जिला उदयपुर में 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी हां। एक्स-रे मशीन स्थापित हो चुकी है तथा सर्विस इंजीनियर के अभाव में चालू नहीं है। अतः शीघ्र चालू करने की कार्यवाही की जा रही है।

जोधपुर शहर के सड़क निर्माण कार्य

18. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर में वर्ष 1992-93 में पेवर कार्य किस दर पर व कहां-कहां एवं क्या-क्या कार्य करवाये गये?

(2) जोधपुर शहर में वर्ष 1994-95 में पेवर कार्यों की क्या दरें स्वीकृत की गयी? क्या यह सही है कि इन दरों में करीब 25 प्रतिशत का अन्तर था तथा टेण्डर पूल द्वारा हुए? क्या यह भी सही है कि संभाग के कुछ ठेकेदारों को पेवर कार्यों की टेण्डर कापियां न देने के कारण उन्हें न्यायालय में जाना पड़ा? इन दरों में अन्तर का मुख्य कारण क्या रहा तथा इसमें कौन अधिकारी जिम्मेदार थे?

(3) जोधपुर शहर में किन-किन सड़कों पर वर्ष 1990 के बाद पेवर कार्य हुए तथा इन पर पूर्व में कब-कब पेवर कार्य करवाया गया?

(4) क्या यह यही है कि वर्ष 1992-93 में जोधपुर में 20 मि. मी. मोटाई में कारपेट कार्य स्वीकृत हुए थे तथा कार्य 13 मि. मी. मोटाई के करवाये गये? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में वर्ष 1992-93 में इस खण्ड के अन्तर्गत जो पेवर कार्य करवांये गये एवं जिस दर पर कार्य करवाये गये उसका ब्यौरा प्रपत्र "क" में संलग्न है।

(2) जोधपुर शहर में वर्ष 94-95 में इस खण्ड के अन्तर्गत जो दरें स्वीकृत हुईं उसका ब्यौरा प्रपत्र "ख" में संलग्न है। इन दरों में अन्य सड़कों के कार्य की दर एवं शहर के भीतरी भाग के कार्यों की दर में 25 प्रतिशत का अन्तर था। ठेकेदारों को पेवर कार्यों की टेण्डर की कापियां न मिलने के कारण न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन नहीं है और न ही टेण्डर पूल द्वारा हुए थे।

इन दरों में अन्तर का मुख्य कारण यह है कि शहर की भीतरी भागों में सड़कों की चौड़ाई कम व यातायात अधिक होने के कारण पेवर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

द्वारा कार्य केवल रात्रि में कुछ घण्टों की अवधि में ही किया जाना संभव होता है जिसके कारण कार्य की प्रगति कम होती है। इसके अलावा शहर के भीतरी भाग के कार्य की मात्रा का जिनकी रेटों में ज्यादा फर्क था अन्य सड़कों के कार्य से केवल एक चौथाई ही थी।

दरों में अन्तर हेतु कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

(3) जोधपुर शहर में जिन सड़कों पर वर्ष 1990 के बाद पेवर कार्य हुए एवं उन पर पूर्व में कब पेवर करवाया गया, इसकी सूची प्रपत्र "ग" में संलग्न है।

(4) वर्ष 1992-93 में जोधपुर शहर में कुल 16 कार्य ऐसे हैं जिन पर 20 मि.मी. कारपेट के कार्य स्वीकृत हुये और इन पर 20 मि. मी. कारपेट ही कराया गया जिसकी सूची प्रपत्र "घ" में संलग्न है। 13 मि. मी. कारपेट के कार्य न स्वीकृत हुए एवं करवाये गये।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में विशेष आबंटन प्रकरण

19. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में विशेष आबंटन नियम 13-ए के अन्तर्गत 30 नवम्बर, 1991 को आबंटन पर रोक लगा दी थी ? यदि हां, तो उक्त रोक लगाने तक कुल कितने-कितने आवेदन पत्र ऐसे रह गये थे जिन्हें सक्षम घोषित कर दिया गया था लेकिन आबंटन आदेश प्रसारित नहीं हो सके या आदेश प्रसारित होने पर भी कब्जा नहीं दिया गया ?

(2) क्या ऐसे आवेदकों ने उच्च न्यायालय में रिट दायर की थी तथा उनके हक में न्यायालय में आदेश हो चुके थे ? यदि हां, तो ऐसे आवेदकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आवेदकों में से अब कितने आवेदक बचे हैं जिन्हें अभी तक आबंटन आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं ? उपरोक्त आबंटियों के हक में आबंटन नियम 13 (8) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक से आबंटन आदेश क्यों नहीं प्रसारित किये गये ?

उत्तर

(1) जी हां। उस वक्त कुल 411 आबंटिती थे, जिनके द्वारा 35% राशि जमा कराने पर भी रोक के कारण पट्टे जारी नहीं किये गयें थे। इनमें से अब तक 42 को छोड़कर शेष सभी को पट्टे जारी कर दिये हैं और कब्जे के आदेश दे दिये गये हैं।

(2) जी हां। 66 व्यक्तियों की सूची संलग्न है, इनको आबंटन आदेश जारी कर दिये हैं।

(3) अभी विभिन्न कारणों जैसे रकम पूरी जमा नहीं होने के कारण, 35% राशि वापिस लेने के कारण डबल आबंटन पाये जाने के कारण व न्यायिक प्रकरणों के कारण 42 मामलों में पट्टे जारी नहीं किये हैं। 71 आबंटियों को पट्टे रजिस्टर्ड डाक से भेजे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

जिला जोधपुर की पंचायत समितियों हेतु स्वीकृत कार्य

20. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जोधपुर जिले में विगत 3 वर्षों में किस-किस पंचायत समिति में किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत कौन-कौन सी स्वीकृतियां कब-कब जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जोधपुर जिले में वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जोधपुर द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत जिन कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं, उनकी सूची संलग्न है। समस्त स्वीकृति आदेशों की प्रतियां भी संलग्न हैं।

(सूचियां एवं प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

खनिज अभियन्ता, बिजोलिया द्वारा जारी खनन पट्टे

21. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने पावर ऑफ अटार्नी के आधार पर खनन पट्टा जारी करने की रोक बिजोलिया खनिज अभियन्ता को दी है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1990-91 से 1995-96 के बीच पावर ऑफ अटार्नी के आधार पर बिजोलिया खनिज अभियन्ता द्वारा कितने खनन पट्टे जारी किये गये? विवरण तथा कारण सहित नामावली सदन की मेज पर रखें।

(3) गोविन्दपुरा (ए) ब्लॉक नम्बर 17, 33, 35 की लाटरी में आये ब्लॉकों पर 4 माह बाद भी स्वीकृति आदेश जारी नहीं होने के क्या कारण हैं?

(4) क्या यह सही है कि खदान क्षेत्र जलेरी नम्बर 3 की राजस्थान पत्रिका में विज्ञप्ति 1 फरवरी, 1995 में कुल ब्लॉक संख्या 7 वर्णित हैं मगर गिनती में 6 ही हैं? यदि हां, तो क्यों तथा उनका आधार क्या है?

(5) क्या यह सही है कि नयी खनिज बाउण्ड्री पचानपुरा में राजस्थान पत्रिका की विज्ञप्ति दिनांक 2 फरवरी, 1995 में ब्लाक नम्बर 101 कैटेगरी नम्बर 2 तथा कैटेगरी नम्बर 7 में 2 जगह है? यदि हां, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि ब्लाक नम्बर 112 कैटेगरी नम्बर 1 व 4 में दो जगह है? यदि हां, तो क्या संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित की गई।

(6) क्या यह सही है कि गोविन्दपुरा के कुल 50 ब्लाक हैं? यदि हां, तो उस हेतु कुल कितने आबंटन पत्र प्राप्त हुए और ब्लाक 1 से 50 तक कुल स्वीकृत एवं अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या क्या है?

(7) बिजोलिया क्षेत्र में धारा 65 के तहत कितनी विज्ञप्ति किन-किन समितियों बाबत प्रकाशित की गयी और उन पर कितनी आपत्तियां प्राप्त हुईं? किन-किन समितियों को कहां-कहां खनन पट्टे कितने क्षेत्र के दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पावर ऑफ अटार्नी के आधार पर क्वारी लाइसेंस जारी नहीं करने के निर्देश वर्ष 1989-90 में उनके द्वारा ली गयी मीटिंग में मौखिक रूप से दिये गये थे। चूंकि निर्देश

(खनिज मंत्री)

लिखित में पारित नहीं किये गये, अतः उनकी प्रति सदन की मेज पर रखी जाना सम्भव नहीं है।

(2) वर्ष 1990-91 से 1995-96 के बीच पावर ऑफ अटार्नी के आधार पर दो. क्वारी लाइसेन्स जारी किये गये जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में दिया गया है।

(3) गोविन्दपुरा (ए) ब्लॉक नं. 17, 33, 35 की लाटरी दिनांक 5.6.95 को निकाली गयी थी, परन्तु कमेटी के सदस्य माननीय विधायक महोदय, माण्डलगढ़ द्वारा लाटरी प्रक्रिया के दौरान आपत्ति प्रकट करने से मामला पुनः लाटरी कमेटी के समक्ष रखा जाने हेतु निर्णय लिया गया। अतः इन प्लाट्स का आबंटन नहीं हो सका है।

(4) यह सही है कि खदान क्षेत्र जलेरी नं. 3 के रिक्त ब्लॉकों पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु दिनांक 1.2.95 को विज्ञप्ति जारी की गयी जिसमें 6 ब्लॉकों के ही नम्बर अंकित हैं। सहवन से ब्लॉकों की कुल संख्या 6 के बजाय 7 अंकित हो गयी है।

(5) यह सही है कि राजस्थान पत्रिका की विज्ञप्ति दिनांक 2.2.95 में खदान क्षेत्र पचानपुरा का ब्लॉक सं. 101 दो जगह कैटेगरी नं. 2 में व 6 में तथा ब्लॉक नं. 112 कैटेगरी नम्बर 1 व 4 में सहवन से अंकित हो गया। इन ब्लॉकों के डबल अंकन हो जाने व ब्लॉक नं. 108 व 121 रह जाने से अब उक्त इन सभी ब्लॉकों पर प्राप्त आवेदन पत्रों को निरस्त कर सभी 4 ब्लॉकों का पुनः कैटेगराइजेशन किया जाकर संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(6) जी हां, गोविन्दपुरा (ए) में कुल 50 ब्लाक हैं जिन पर कुल 9522 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 9130 आवेदन पत्र लाटरी में सम्मिलित योग्य पाये गये। अतः शेष 392 आवेदन पत्रों को अस्वीकार किया गया। लाटरी में चयनित 47 आवेदन पत्रों पर स्वीकृति जारी की गयी है। इन प्लाट्स हेतु प्राप्त अन्य आवेदनपत्र अस्वीकृत हुए हैं।

(7) राज्य सरकार द्वारा एवं खनिज अभियन्ता, बिजौलिया द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमावली 1986 के नियम 65 के तहत बिजौलिया क्षेत्र में कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी है। कोई आपत्तियां भी प्राप्त नहीं हुई हैं। विभिन्न समितियों को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली के नियम 65 में राज्य सरकार को प्रदत शक्तियों के अन्तर्गत नियमों में शिथिलता प्रदानकर ब्लॉक आबंटन के आदेश प्रदान किये हैं जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" में दिया गया है।

परिशिष्ट "अ"

पावर ऑफ अटोर्नी के आधार पर जारी किये गये क्वारी लाइसेन्स का विवरण : –

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	ब्लॉक नं.	क्वारी लाइसेंसधारी का नाम	क्वारी लाइसेंस जारी करने की तिथि
1.	नला का माताजी	97	श्री छोगासिंह/गुलाबसिंह	27.6.95
2.	गोविन्दपुरा	1	श्री नारायणसिंह/हरजीरावत	6.7.95

विभिन्न समितियों को दिये गये क्वारी/लाइसेंस का विवरण मय क्षेत्र

क्र.सं.	समितियों का नाम	क्षेत्र	ब्लॉकों की संख्या	क्षेत्रफल
1.	मकरेडी अनुसूचित जाति खान श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि. मकरेड़ी	1. दरोली	13	10.0081 है.
		2. केरखेड़ा	24	13.9800 है.
		3. देरोली (शिकारगाह)	30	5.400 है.
2.	मेनाल आदिवासी पत्थर खान श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि. मेनाल	बिजौलिया खुर्द	10	1.800 है.
3.	नयानगर आदिवासी भील समिति	1. खड़ीपुर	5	2.52 है.
		2. नयानगर	6	1.1148 है.
		3. खोखी	5	8.300 है.
4.	ग्रामदानी हेमनिवास	हेमनिवास	109	19.620 है.
5.	ग्रामदानी काटबड़ा	काटबड़ा	65	11.700 है.

सहाड़ा-रायपुर क्षेत्र के चिकित्सालय में चिकित्साकर्मियों का पदस्थापन

22. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रैफरल अस्पतालों के लिए कोई स्टाफ पैटर्न निर्धारित है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या रैफरल अस्पताल गंगापुर तथा रायपुर (भीलवाड़ा) में अपेक्षित स्टाफ है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो कब तक अपेक्षित पूर्ति कर दी जायेगी ?

(3) क्या सहाड़ा-रायपुर क्षेत्र की सभी डिस्पेन्सरियों, पी. एच. सी. आदि में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार चिकित्सक व अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए पूर्व में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त निम्नलिखित पद स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार सृजित करने का प्रावधान है।

क्र.सं. पद का नाम	सृजित पदों की संख्या
1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन एवं सर्जरी)	2
2. चिकित्सा अधिकारी	2
3. मेल नर्स श्रेणी–प्रथम	1
4. मेल नर्स श्रेणी–द्वितीय	5
5. स्टाफ नर्स	1
6. प्रसाविका	1
7. रेडियोग्राफर	1
8. लैब टैक्निशियन	1
9. वरिष्ठ लिपिक	1
10. कनिष्ठ लिपिक	1
11. वाहन चालक	1
12. वार्ड बॉय	6
13. स्वीपर	4

(राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

(2) जी हां।

सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी नहीं। कुछ स्थान वर्तमान में रिक्त हैं।

सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला झुंझुनू में संचालित राजकीय महाविद्यालय

23. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुंझुनू जिले में कितने राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें। यदि एक भी महाविद्यालय संचालित नहीं है, तो क्यों?

(2) राज्य के दूसरे जिलों में चल रहे राजकीय महाविद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में कितने महाविद्यालय सरकार द्वारा अनुदानित चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य में ऐसे कितने जिले हैं जहां सरकारी कॉलेज तथा छात्रावास नहीं हैं तथा क्यों? क्या सरकार इस अन्तर को समाप्त करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) इस जिले में एक भी राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है। इसी जिले में 16 निजी क्षेत्र के महाविद्यालय संचालित हैं जिनकी सूची संलग्न है। इस जिले में राजकीय क्षेत्र में एक भी महाविद्यालय संचालित नहीं है उसके निम्न कारण हैं :—

(अ) इस जिले में पर्याप्त मात्रा में 16 महाविद्यालय छात्र एवं छात्राओं के लिए निजी क्षेत्र में संचालित हैं।

(ब) राज्य के अन्य जिलों की प्रति महाविद्यालय जनसंख्या अनुमान को देखें तो इस जिले में 98901 जनसंख्या पर एक महाविद्यालय संचालित है जबकि अन्य सभी जिलों (अजमेर को छोड़कर) में 1,50,000 से अधिक जनसंख्या पर एक महाविद्यालय संचालित है अतः इस जिले में उच्च शिक्षा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है।

(2) सूची संख्या 1 सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) सूची संख्या 2 सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(4) राज्य में निम्न दो जिले ऐसे हैं जहां पर राजकीय क्षेत्र में महाविद्यालय संचालित नहीं है :—

1. जोधपुर 2. झुंझुनूं

ऐसे जिले जहां पर सरकारी छात्रावास नहीं हैं :—

1. धौलपुर 2. टोंक

जिन जिलों में राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं हैं उसके निम्न कारण हैं :—

—जोधपुर जिले के मुख्यालय पर विश्वविद्यालय संगठक महाविद्यालयों के अलावा जिले में 8 महाविद्यालय संचालित हैं।

—झुंझुनूं जिले में राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं होने के कारण बिन्दु संख्या 1 पर दिये गये हैं।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

—राजकीय महाविद्यालय, टोंक का छात्रावास (ईदगाह की कोठी) के भवन को नवीं नवोदित्रिन आर. ए. सी. के लिए हस्तांतरित किया जा चुका है। नया छात्रावास भवन बनाने हेतु 93.65 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में गृह विभाग को पुराने छात्रावास ईदगाह की कोठी के एवज में देने के लिए लिखा जा चुका है तथा नये छात्रावास हेतु भूमि आवंटन करने की कार्यवाही क्रियाधीन है।

—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नवीं पंचवर्षीय योजना में राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर में छात्रावास निर्मित किये जाने की योजना है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में नये राजस्व ग्राम

24. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जयपुर जिले में नये राजस्व गांव बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कौन-कौन से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील में ग्राम पंचायत मोहनपुरा से जोधपुरा को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जनप्रतिनिधि नैण्ठ के द्वारा एक पत्र जिला प्रशासन को प्रेषित कर तहसील शाहपुरा की 49 ढाणी एवं तहसील विराटनगर की 4 ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग की है, जिस पर सम्बन्धित तहसीलदारों से विभागीय परिपत्र संख्या 9 (11) राज/ग्रुप-1/84 दिनांक 1.8.84 के अनुरूप परीक्षण करने तथा अपने प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करने हेतु लिखा गया है। जैसे ही निर्धारित नोर्म्स के अनुसार उक्त ढाणियों के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त होंगे, इन पर तत्परता से कार्यवाही की जाकर राजस्व ग्राम घोषित किये जा सकेंगे।

(2) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जिला झुंझुनूं में वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत लाभान्वित व्यक्ति

25. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्र सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत झुंझुनूं जिले के कुल कितने व्यक्ति फरवरी, 1996 तक लाभान्वित हुए?

(2) क्या यह सही है कि विभागों के आपसी तालमेल व सहयोग की कमी के कारण इस योजना की प्रगति अति धीमी रही है?

(3) यदि हां, तो इस योजना से अधिकतम लोगों को लाभान्वित करने के लिए क्या विशेष सुधार किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) झुंझुनूं जिले में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन 15.8.95 से लागू करने हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं। परन्तु जिला विकास अभिकरण झुंझुनूं के निजी निक्षेप खाते में केन्द्र सरकार द्वारा भेजी गयी राशि जमा नहीं होने के कारण लाभार्थियों को भुगतान नहीं किया जा सका, अतः लाभार्थियों की संख्या "शून्य" है।

(राजस्व मंत्री)

(2) झुंझुनूं जिले के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निजी निक्षेप खाते में राशि जमा नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका।

(3) केन्द्र सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही इस योजना से लोगों को लाभान्वित किया जायेगा।

प्राकृतिक गैस व तेल उत्पादन हेतु पृथक् विभाग की स्थापना

26. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में प्राकृतिक गैस व तेल के उत्पादन तथा विकास हेतु सरकार कोई विभाग या कारपोरेशन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार कब तक इसकी क्रियान्विति करने का विचार रखती है और किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

राज्य सरकार द्वारा कारपोरेशन बनाने सम्बन्धी पहलुओं पर विचार करने हेतु एक कमेटी बनायी गयी है।

(2) प्रश्न के भाग 1 के उत्तर में उल्लेखित कमेटी द्वारा निर्णय लिये जाने के पश्चात् क्रियान्विति की जायेगी।

प्रतिबन्धित औषधियों की बिक्री पर रोक

27. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा ड्रग एवं कास्मेटिक अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत कुछ हानिकारक दवाइयों का प्रचलन बन्द करने की जानकारी राज्य सरकार को है? यदि हां, तो इसमें प्रस्तावित दवाइयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जो हानिकारक दवाइयां विदेशों में बन्द कर दी गयी हैं उनका राज्य में अभी तक प्रचलन बन्द नहीं हुआ है? यदि हां, तो ऐसी दवाइयों को बन्द करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार द्वारा जारी की गयी प्रतिबन्धित औषधियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) ड्रग्स एण्ड कोस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के अन्तर्गत औषधियों को प्रतिबन्धित करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, यह अधिकार भारत सरकार को ही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पिपलून्द (बेगूं) में क्षतिग्रस्त मार्ग का डामरीकरण

28. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिपलून्द के निकट बेगूं जयपुर रोड़ वर्ष 1994 की बरसात में क्षतिग्रस्त हो गयी थी?

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

(2) क्या यह सही है कि इस क्षतिग्रस्त रोड का डामरीकरण आज तक भी नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त मार्ग का अब डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सही है। पिपलून्द गांव के पास वर्ष 1994 की वर्षा में सड़क क्षतिग्रस्त हुई थी।

(2) पिपलून्द गांव के पास क्षतिग्रस्त सड़क को पुनः डामरीकरण हेतु वर्ष 1995-96 सड़क मरम्मत (विशेष मरम्मत) के तहत स्वीकृत किया गया था। कार्य माह जून, 1995 में आरम्भ किया गया। परन्तु वर्षा के पूर्व गिट्टी की सड़क बना दी गयी थी और डामरीकरण वर्षा बाद कराना था। अब यह डामरीकरण का कार्य मार्च, 1996 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।

ग्राम दानजीकाबास (दांतारामगढ़) की गोचर भूमि पर अनधिकृत कब्जा

29. **श्री नारायण सिंह** (दातारामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम दानजी का बास तहसील दातारामगढ़ सीकर में किसी व्यक्ति ने गोचर भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कब्जे को हटाने हेतु ग्रामवासियों द्वारा जिला कलेक्टर को शिकायत की गयी?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला कलेक्टर द्वारा उक्त कब्जे को हटाने हेतु तहसीलदार को निदेशित किया गया? यदि हां, तो जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त गोचर भूमि के अवैध कब्जे को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार जिला कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना करने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि, हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि ग्राम दानजी का बास की चारागाह भूमि ख.नं. 200/11/2/2 रकबा 0.10 हैक्टर पर श्री मालाराम पुत्र नारायण राम जाति मीणा निवासी भोरडो का बास में संवत् 2051 से कब्जा कर रखा है।

(2) जी हां, यह सही है।

(3) जी हां, यह सही है। जिला कलेक्टर के आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) जी हां। उक्त अवैध कब्जे पर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी के विरुद्ध नायब तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91(3) के तहत कार्यवाही कर अपने निर्णय दिनांक 30.8.94 के द्वारा बेदखल करने के आदेश दिये एवं आदेशों की पालना में अतिक्रमी को दिनांक 28.10.94 को भौतिक रूप से बेदखल किया गया। बेदखल करने के उपरान्त अतिक्रमी द्वारा पुनः अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91(3) एवं पश्चातवर्ती कब्जे की सूचना मिलने पर धारा 9(6) के तहत नोटिस जारी किया गया एवं अतिक्रमी के

(राजस्व मंत्री)

विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी दांतारामगढ़ के यहां दिनांक 13.11.95 को एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी। प्रकरण अभी उप अधीक्षक पुलिस, रींगस के पास अन्वेषणाधीन है।

(5) जिला कलेक्टर, सीकर के आदेशों की अवहेलना किसी भी कर्मचारी/अधिकारी के द्वारा करना नहीं पाया जाता है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, सीकर

क्रमांक 3452/पी.ए./अ.अ/95 दिनांक 11 सितम्बर, 95

तहसीलदार,
दांतारामगढ़

विषय : चरागाह भूमि खसरा नं. 200/11/2/2 रकबा 9.83 हैक्टेयर वाके ग्राम दानजीकाबास पर किये गये अतिक्रमण को हटाने।

प्रार्थीगण, ग्राम दानजीकाबास से प्राप्त प्रार्थना पत्र मूल ही इस पत्र के संलग्न प्रेषित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही कर अतिक्रमण तत्काल हटावें। कृत कार्यवाही से दि. 20.9.95 से पूर्व अवगत करावें। इसे आवश्यक समझें।

एस. डी.
जिला कलक्टर, सीकर

संलग्न-उपरोक्तानुसार

बूंदी के खनिज क्षेत्रों की सड़कें

30. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नमाना से डाबी वाया गरड़दा, लक्ष्मीपुरा से सूतड़ा वाया डोरा, बोरकुई से बिजोलिया वाया डाबी, बुधपुरा (बून्दी) की विभाग द्वारा सड़क बनाई गयी है? यदि हां, तो कब-कब तथा इनकी मरम्मत कब की गयी थी?

(2) क्या जनवरी, 1994 से जनवरी, 1996 तक उक्त सड़कों के लिए कोई राशि स्वीकृत की गयी? यदि हां, तो कितनी कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बून्दी जिला मुख्यालय को जोड़ने एवं लाम्बाखोह, बुधपुरा, डाबी, राजपुरा, पटपड़ीया आदि खनिज क्षेत्रों से जयपुर, अजमेर आदि देवली की तरफ़ से गुजरने वाले ट्रकों को कोटा होकर आने एवं बून्दी आने में 30 कि.मी. की बचत होती है? यदि हां, तो अब तक डाबी से गरडदा सड़क पूरी नहीं होने के क्या कारण रहे?

(4) क्या यह सही है कि पंचायत मुख्यालय एवं पूरा खनिज एवं बरड़ खेत्र बून्दी जिला मुख्यालय से डाबी से गरडदा सड़क के अभाव में जुड़ा हुआ नहीं है? यदि हां, तो क्या विभाग की इसको जोड़ने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या यह भी सही है कि इस वर्ष खनिज एवं बरड़ क्षेत्र के विकास हेतु बुधपुरा से लाम्बाखोह वाया बडफू, काली घाटी से राजपुरा, गुढ़ा वाया बडफू, - गणेशपुरा बेवडीया सड़क

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

निर्माण की कोई योजना विभाग ने बनाई है? यदि नहीं, तो क्यों, यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कराने का सरकार का विचार है?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा नमाना से डाबी वाया गवार व गरड़दा, बोरकुई से नलाका माताजी वाया धनेश्वर डाबी व बुधपुरा, सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराया गया है। परन्तु लक्ष्मीपुरा से भूतड़ा वाया डोरा सड़क का निर्माण खनिज विभाग ने नहीं कराया है। बून्दी जिले में सड़कों के निर्माण की सूचना परिशिष्ट "क" व मरम्मत बाबत सूचना परिशिष्ट "ख" में अंकित की गयी है।

(2) जनवरी, 94 से जनवरी, 96 तक की अवधि में गरड़दा से डाबी की सड़क पर निर्माण कार्य हुआ, किन्तु इस सड़क के लिये कोई राशि पृथक से स्वीकृत नहीं की गयी। वर्ष 90-91 में 42 लाख रूपये की लागत से स्वीकृत इस सड़क पर फरवरी, 96 तक कुल रूपये 36.77 लाख व्यय हुआ है।

(3) यह सही है कि डाबी से बून्दी वाया गरड़दा सड़क बनने से प्रश्नांकित क्षेत्रों से बून्दी आने में लगभग 30 किलोमीटर की बचत होगी। गरड़दा डाबी सड़क का 6.6 किलोमीटर से 10.5 किलोमीटर तक का भाग वन खण्ड में आने से सड़क पूर्ण नहीं बनाई जा सकी है।

(4) यह सही है कि जिला मुख्यालय से बून्दी जिले का बरड़ क्षेत्र सीधा जुड़ा हुआ नहीं है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने डाबी से गरड़दा सम्पर्क सड़क को स्वीकृति प्रदान की। वर्ष. 95-96 में इस सड़क हेतु रूपये 5.50 लाख का प्रावधान रखा गया है। वनखण्ड में गिरने वाले भाग को छोड़कर शेष भाग का निर्माण माह जून, 96 तक पूरा कर लिया जायेगा।

(5) राज्य सरकार ने बुधपुरा से लाम्बाखोह वाया बड़पू तथा कालीघाटी से राजपुरा गुढ़ा वाया बड़पू गणेशपुरा, बेवड़िया सम्पर्क सड़कों के निर्माण का विचार नहीं है, क्योंकि इन दोनों रास्तों पर पर्याप्त यातायात नहीं है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

(213)

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न संख्या 2 की प्रति

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 की प्रति नियम—75–दुकानों की अवस्थिति :—

(1) कोई अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा या भारत निर्मित विदेशी मदिरा या भांग (हैम्प ड्रग) की खुदरा बिक्री के लिए अपनी दुकान संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही रखेगा।

(2) देशी मदिरा विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा के खुदरा बिक्री के लिए कोई दुकान, महाविद्यालय स्तरीय शैक्षणिक संस्थान, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल या लोक मंनोरजन के स्थान, किसी कारखाने या मजदूर या हरिजन कालोनी से 200 मीटर की दूरी में अवस्थित नहीं होगी।

(3) कोई खुदरा दुकान, संबंधित जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित नहीं की जायेगी।

(4) जिला आबकारी अधिकारी को, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से, किसी दुकान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने की शक्ति होगी और किसी दुकान के ऐसे स्थानान्तरण के लिए अनुज्ञप्तिधारी को कोई प्रतिकार नहीं दिया जायेगा।

(5) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा और भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर या भांग (हैम्प ड्रग) की खुदरा बिक्री के लिए कोई दुकान राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनों और 150 मीटर की दूरी के भीतर अवस्थित नहीं होगी। किन्तु यह शर्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र पर लागू नहीं होगी।

परन्तु आबकारी आयुक्त मदिरा दुकान की अवस्थिति की उपर्युक्त शर्तों में अपवादित परिस्थितियों में ऐसा करने के लिये लिखित में पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् शिथिलता दे सकेगा।

स्पष्टीकरण :

(1) नियम 75 के उप नियम(2) के प्रयोजन के लिए एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में "पूजा स्थल" से दुकान की दूरी के संबंध में निर्वचन केवल उन पूजा स्थलों के बारे में लागू होगें जो जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी गई सूची में दर्ज हैं।

(2) हरिजन कॉलोनी से ऐसा कोई नगरपालिका वार्ड अभिप्रेत होगा जिसमें अनुसूचित जातियों के संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार उस वार्ड की कुल जनसंख्या की पचास प्रतिशत से अधिक हैं।

(3) महाविद्यालय या किसी सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल की संस्थान से भिन्न किसी शैक्षणिक संस्था के पास अवस्थित कोई दुकान उस संस्था के बन्द होने के समय से कम से कम एक घन्टे बाद ही खोली जावेगी।

(4) "लोक मंनोरजन के स्थान" से केवल नाट्यगृह और सिनेमाहाल अभिप्रेत होगा।

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 6 की प्रति

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

राजस्थान सरकार

RECEIPT रसीद

Book No. 339736 पुस्तक संख्या
Receipt No. रसीद संख्या
No. 04 संख्या

Dated दिनांक 28-9-95

Received order संलग्न लिस्ट

with Letter No. .... date ....

to sum of Rupees चौदह हजार छः सौ रुपये मात्र

in cash/by cheque do of ....

be payment of टेन्डरी फीस

श्री ....

पत्र संख्या .... दिनांक ....

पर .... बैंक द्वारा ....

रुपये प्राप्त हुए।

रुपये 14600/=

ह/
सहायक अभियन्ता
सा. नि. वि. उप खण्ड II
सवाई माधोपुर

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या-14 की सूची

क्र.सं.	मुकदमा नम्बर	उनवान मुकदमा	न्यायालय जहां प्रकरण विचाराधीन है।
1.	369/94	सरकार बनाम अर्जुन सिंह पुत्र सवाई सिंह, जाति राजपूत, नि. चौटीला, तह. पाली, जिला—पाली	समस्त प्रकरण न्यायालय अति जिला कलेक्टर (सीलिंग) पाली के न्यायलय में विचाराधीन हैं
2.	368/94	सरकार बनाम जोगसिंह पुत्र सवाईसिंह	
3.	367/94	सरकार बनाम भीमसिंह पुत्र सवाईसिंह	
4.	374/94	सरकार बनाम शैतानसिंह पुत्र सवाईसिंह	
5.	173/94	सरकार बनाम श्रीमती समुन्द्रकंवर बेवा सवाईसिंह, नि.—	
6.	370/94	सरकार बनाम शैतान सिंह पुत्र सवाईसिंह, ...	
7.	375/94	सरकार बनाम भीमसिंह पुत्र सवाईसिंह, ...	
8.	371/94	सरकार बनाम स्व. सवाईसिंह के कायम मुकामान जोगसिंह पुत्र सवाईसिंह	

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 25 की प्रतियां

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

मु.नं. 137/95 धारा 336, 404 (ए) भा.द.स. पुलिस थाना अरावली बिहार अलवर। समय 11 पी.एम. दिनांक : 14-7-95.

सेवामें श्रीमान् एस.एच.ओ. साहबजी थाना अरावली बिहार अलवर श्रीमानजी निवेदन है कि मैं बेला स्कूल समिति निरासित बाल ग्रह अधीक्षिका हूं उस बाल गृह कि बिल्डिंग हमने भारत भूषण अनुभाग से किराये पर ली थी इस भवन में 10.7.95 को मैंने छोटे बच्चों के प्रवेश लिया था कार्य शुरु कर दिया था आज रात को मैं समस्त बच्चों बाल ग्रह में मौजूद थी। रात करीब 10.30 बजे दो कमरों की दीवार व पट्टियां टूटकर गिर गई जिसके नीचे 18 बच्चे दब गये मैंने पुलिस को सूचना दी पुलिस तुरन्त मौके पर पहुंची व मलवा हटाकर बच्चों को निकाला व अस्पताल पहुंचाया जिनमें 5 बच्चे मर चुके थे। यह मकान जब किराये से लिया तब से कमजोर नजर आ रहा था जिसके बारे में मैंने मकान मालिक श्री भारत भूषण जी को भी कहा था कि मुझे यह मकान असुरक्षित व कमजोर नजर आ रहा है कभी कोई दुर्घटना हो जावे तब उन्होंने कहा कि मकान की हमारी जिम्मेवारी है यह मकान घटिया सामग्री का बनने के कारण ढहकर गिरा है जिसके कारण यह घटना घटी है रिपोर्ट पेश करती हूं कानूनी कार्यवाही की जावे।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मजमून की तहरीरी रिपोर्ट श्रीमति अन्नपूर्णा पत्नी अनन्दसिंह कौम राजपूत उम्र 26 साल निवासी पुरानी तहसील के सामने सुजानगढ़ जिला चूरू हाल अधीक्षिका बेला स्कूल समिति निरासित बाल ग्रह काली मोरी फाटक सामने हीराबास अलवर में मुझे एच.एच.ओ. को मौके पर पेश की। मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 336, 304ए.भा.द.स. आना पाया जाता है। अतः तहरीर वास्ते कायमी जुर्म बदस्त कानिस्टेबल शेरसिंह नं. 1221 थाना पर भिजवाई जा रही हैं नम्बर पर्चा से सूचना दी जावे मन एस.एच.ओ. मसरुक तफतीश हूं। एस.डी. रामनिवास यादव पी.एस. अलवर (अरावली बिहार अलवर) कैम्प हीराबास 14-7-95.

नोट :—उपरोक्त रिपोर्ट मय कार्यवाही पुलिस के कानि. एस. श्री शेरसिंह 1221 ने उपस्थित थाना होकर पेश की जिसकी नकल अक्षर ने अक्षर से की जाकर मु.नं. 137/95 धारा 336, 304 ए.भा.द.स. कायम किया जाकर असल एफ आई आर वास्ते अनुसंधान श्रीमान एच.एच.ओ. श्री रामनिवास के पास आईन्दा कानि. के साथ मौके पर भेजी जाती हैं प्रतियां नियमानुसार जारी की गई।

बनवारीलाल शर्मा
मु.आ. 265
थानाधिकारी आई.सी.
बनवारीलाल शर्मा. मु.आ. 265

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

मु.न. 138 दिनांक 15/7/95 धारा 448 भादस थाना अरावली बिहार जिला अलवर। समय 5.30 पी.एम.

सेवा में श्रीमान् एस एच ओ साहब अरावली बिहार थाना अलवर विषय एफ.आई.आर. महोदय निवेदन है कि मेरी एक सम्पत्ति काली मोरी पर स्थित भारत स्टेट जिसका पिछला हिस्सा का कुछ भाग बेला शिक्षा समिति द्वारा संचालित निराश्रित बाल गृह अलवर को बालकों के छात्रावास हेतु दिया जाना था तथा इस बाबत 8 कमरे की बिल्डिंग बन रही हैं। जिसके निर्माण के वास्ते कुछ रकम एडवान्स भी बेला शिक्षा समिति सचिव श्रीमान पारीक व बालगृह अधिक्षिका अन्नपूर्णा सिंह के द्वारा भी दिया जाना था चूंकि बिल्डिग का निर्माण कार्य आज दिनांक तक चल रहा है तथा अभी रिहायशी करने योग्य तैयार नहीं थी अतः हमारे कान्ट्रेक्टर की राय थी कि पहले पूर्ण होने दिया जावे इस कारण बाल गृह की अधिक्षिका को बिल्डिग रिहायशी हेतु नहीं दिया था ना ही अभी दोनों पक्षकारों ने कोई दस्तावेज आदि इस क्रम में तैयार किये जाने थे यह कि मैं किसी पारिवारिक कार्यवश 5-6 दिन पूर्व अलवर से बाहर गया था अधीक्षिका ने 3-4 दिन पूर्व मेरे पीछे से बिल्डिग में बालकों सहित प्रवेश कर लिया और रहने लगी। दिनांक 13/7/95 की शाम को मैं लौट कर यह जाना तो मैंने अधीक्षिका से कहा कि अभी अधूरे निर्माण में आप क्यों रहने लगीं। अभी प्लास्टर, दरवाजे भी बाकि हैं। ना ही कोई हमारा कान्ट्रेक्ट हुआ और मिस्त्री भी अभी असुरक्षित बताते हैं। रिहायशी वास्ते भी मित्रियों ने कहा कि ये लोग अपनी जिम्मेदारी पर मुहुर्त के कारण आ गये हैं। दिनांक 14.7.95 को इस बिल्डिंग का एक हाल दो मंजिला गिर गया जिसमें दबकर 5 बच्चे मर गये। व 13 घायल हो गये। आदि पर अभियोग से दर्ज किया।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी श्री भारत भूषण पुत्र उमराव लाल जाति गुप्ता आयु 56 साल निवासी भारत भंवर टाउन हाल के पीछे अलवर ने उपस्थित थाना होकर पेश की जिसकी नकल उपरोक्त में अक्षर से अक्षर की गई पढ़कर सुनाई गई सही मानकर अपने हस्ताक्षर किये मजबून रिपोर्ट से जुर्म धारा 448 भादस वकू में आना पाया जाता है। अतः मु.न. 138/95 बदफा मजकूर में कायम किया जाकर मन एचएचओ रामनिवास मसरुफ तफती हुआ प्रतियां एफ आई आर नियमानुसार ज़ारी की गई।

थानाधिकारी अरावली बिहार रामनिवास एसएचओ

जि

सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत जनवरी,95 से जनवरी,96 तक स्वीकृत कार्यों का

क्र.सं.	कार्यों का विवरण	फतेहपुर		लक्ष्मणगढ़		पि
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	सम्पर्क सड़क कार्य	17	159.52	8	76.15	15
2.	सिंचाई कार्य	—	—	—	—	2
3.	भू संरक्षण कार्य	—	—	—	—	5
4.	वनारोपण कार्य	—	—	—	—	4
5.	उद्यान की कार्य	—	—	—	—	2
6.	प्रा. शाला भवन	10	17.75	19	31.10	11
7.	उ. प्रा. शा. भवन	15	24.35	5	7.90	3
8.	उप स्वा. केन्द्र	6	7.56	8	10.08	11
9.	आंगनबाड़ी भवन	—	—	—	—	—
10.	तालाब खुदाई	—	—	—	—	—
11.	आयुर्वेदिक औषधालय	—	—	2	1.76	—
	योग	49	209.58	42	127.19	53

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 29 का विवरण

ला ग्रामीण विकास अभिकरण, सीकर

विवरण (स्वीकृत राशि रु. लाखों में)

पराली	धोद		दांतारामगढ़		खण्डेला		श्रीमाधोपुर		नीमकाथाना		योग	
राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
65.83	19	128.222	16	99.55	17	94.55	9	36.48	25	145.67	126	805.97
18.00	–	–	5	3.2.10	4	35.00	2	10.00	5	37.75	18	132.15
16.60	–	–	1	4.00	3	14.90	1	4.00	10	36.75	20	76.25
11.50	–	–	–	–	10	27.30	–	–	12	27.30	27	66.50
9.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	9.00
16.02	33	36.29	–	–	28	43.75	7	10.50	8	11.70	116	167.11
4.50	19	15.14	–	–	12	21.40	7	15.50	5	7.40	66	96.19
13.86	11	13.86	4	5.04	2	2.52	5	6.30	3	3.78	5 0	63.00
–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	630	9	630
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3.60	1	3.60
–	1	3.70	2	1.40	–	–	–	–	2	2.52	7	6.58
155.31	83	194.21	28	1.42.09	76	239.42	31	82.78	80	282.77	442	1433.35
												लाख

ह/

अति. कलेक्टर (विकास)

सीकर

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सीकर

निश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत जनवरी,95 से जनवरी,96 तक स्वीकृत कार्यों की भौतिक स्थिति का विवरण

क्र.सं.	कार्यों का विवरण	फतेहपुर		लक्ष्मणगढ़		पिपराली		धोद		दांतारामगढ़	
		संख्या	पूर्ण	संख्या	पूर्ण	संख्या	पूर्ण	संख्या	पूर्ण	संख्या	पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	सम्पर्क सड़क का कार्य	17	3	8	1	15	4	19	5	16	4
2.	सिंचाई कार्य	–	–	–	–	2	–	–	–	5	–
3.	भू संरक्षण कार्य	1	–	–	–	5	–	–	–	1	–
4.	वनारोपण कार्य	1	1	–	–	4	4	–	–	–	–
5.	उद्यानिकी कार्य	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
6.	प्रा. शाला भवन	10	3	19	5	11	3	33	15	–	–
7.	उ. प्रा. शा. भवन	15	6	5	2	3	1	19	8	–	–
8.	उप. स्वा. केन्द्र	6	3	8	5	11	6	11	7	4	2
9.	आंगनबाड़ी भवन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	तालाब खुदाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	आयुर्वेदिक औषधालय	–	–	2	–	–	–	1	–	2	–
	योग	49	16	42	13	53	18	83	35	28	6

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 31 का विवरण

सवाई माधोपुर जिले में संचालित छात्रावासों पर तहसीलवार व्यय राशि का विवरण

क्र.सं.	नाम तहसील	संचालित छात्रावास का नाम	कुल व्यय राशि
1.	सवाई माधोपुर	सवाईमाधोपुर (बालक)	170110/-
		सवाई माधोपुर (कन्या)	82418/-
		शिवाड़	83510/-
		ईसरदा	63192/-
		सवाई माधोपुर (स्वच्छकार)	73044/-
		चौथ का बरवाड़ा	83510/-
2.	खण्डार	खण्डार	83510/-
3.	करौली	करौली (बालक)	98958/-
		करौली (कन्या)	83090/-
4.	नादौती	नादौती	83470/-
5.	सपोटरा	सपोटरा	54650/-
		मण्डायल	82458/-
6.	टोडाभीम	टोडाभीम	83490/-
7.	बामनवास	बामनवास	69000/-
8.	गंगापुर सिटी	गंगापुर सिटी (अनु.जा.)	83510/-
		अनुदानित गंगापुर सिटी	114700/-
9.	बोली	बोली	69100/-
10.	हिण्डौन सिटी	हिण्डौन सिटी	99840/-
		योग :	15,61,560/-

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 32 का विवरण

खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में संचालित छात्रावासों की सूची

क्र.सं.	नाम छात्रावास स्थान	स्वीकृत छात्र सं.	प्रवेशित छात्र सं.	प्रारम्भ होने का वर्ष
1.	राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास, कल्याणपुर (बालक)	25	25	1983
2.	राजकीय अनु. जनजाति कन्या छात्रावास, ऋषभदेव	25	23	1994
3.	राकीय अनु. जनजाति कन्या छत्रावास, खैरवाड़ा	80	80	1957
4.	राज. अनु. जनजाति बालक छात्रावास, खैरवाड़ा	25	24	1994
5.	राज. अनु. जनजाति बालक छात्रावास, छाणी	60	49	1960
6.	राज. अनु. जनजाति छात्रावास, सरेरा (बालक)	25	25	1983
7.	राज. अनु. जनजाति बालक छात्रावास, पाटिया	25	23	1983
8.	राज. अनु. जनजाति बालक छात्रावास, जवास	25	22	1989
9.	राज. अनु. जनजाति बालक छात्रावास आंदिवली	25	25	1983
10.	राज. अनु.जनजाति बालक छात्रावास, बावलवाड़ी	25	25	1983

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 33 की सूची

विकास विभाग द्वारा पशुपालन विभाग के निम्न पशु चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की है :

शल्य पशु चिकित्सक

1. डॉ. ए. के. पालीवाल
2. डॉ. गोपाल लाल मीणा
3. डॉ. हुकम सिंह राठौड़
4. डॉ. हृदयानन्द सिंह
5. डॉ. ओमप्रकाश यादव
6. डॉ. मदन सिंह शेखावत

सहायक शल्य पशु चिकित्सक

1. डॉ. बलराम रोकणा
2. डॉ. गजेन्द्र कुमार पटेल
3. डॉ. जगदीश प्रसाद रैगर
4. डॉ. कृष्णलाल विश्नोई
5. डॉ. लक्ष्मीगोपाल सक्सेना
6. डॉ. मुनीराज
7. डॉ. नेमीचन्द शर्मा
8. डॉ. रामनिवास यादव
9. डॉ. सुरेशचन्द धाकड़
10. डॉ. शोभाग सिंह
11. डॉ. उमेशचन्द्र दीक्षित
12. डॉ. विक्रम सिंह शेखावत